अष्टम माला, खंड 14, अंक 13

मंगलवार, 11 मार्च, 1986
20 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

55
10/11/86

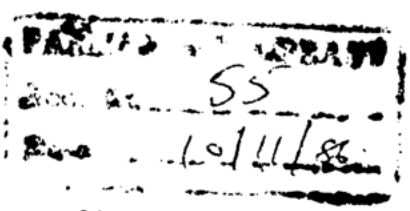

(खंड 14 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 14, पाँचवां सत्र, 1986/1907 (शक)

अंक 13, मंगलवार, 11 मार्च, 1986/20 फाल्गुन, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
हंगरी के संसदीय शिष्ट मण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 224 से 230 और 241	21—181
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 231 से 233, 235 से 238, 240, 242 और 243	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2173, 2175 से 2221, 2223 से 2313, 2315 से 2331 और 2333 से 2403	31—181
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	184—185
बम्बई तथा दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था के लिये एक निगम तथा विदेशी संचार सेवाओं के लिए दूसरे निगम का गठन करने के बारे में वक्तव्य	185—187
श्री राम निवास मिर्धा	185
पेंशन भोगियों को कतिपय रियायतें देने के बारे में वक्तव्य	187—188
श्री पी० चिदम्बरम	187
ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य	189—190
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर	189

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	191
21वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
नियम 377 के अधीन मामले	191—195
(एक) कानपुर केमिकल वर्क्स द्वारा छोड़े गये अपशिष्ट के कारण भूमिगत जल का प्रदूषण रोकने की आवश्यकता	
श्री जगदीश अवस्थी	191
(दो) केरल में हवाई अड्डे को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	192
(तीन) उड़ीसा राज्य के मिट्टी के तेल के मासिक और त्रैमासिक कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि जेना	192
(चार) किसानों को कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
श्री राम पूजन पटेल	193
(पांच) बैंकों में नियुक्ति के लिए सभी चयन बोर्डों की बिहार में शाखाएं खोलने की आवश्यकता	
श्री कुंवर राम	193
(छः) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मद्रास रेस क्लब का अधिग्रहण करने के लिये पारित विधेयक पर अनुमति देने की आवश्यकता	
श्री पी० कुलनदईवेलू	194
(सात) गुजरात के कच्छ, मान्डवी और बद्रेश्वर जिलों के छोटे मछुआरों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता	
श्री ऊषा ठक्कर	194
(आठ) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र और इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए रामगुन्डम और विशाखापत्तनम में जिन भू-स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनको रोजगार देने की आवश्यकता	
श्री सी० जंगा रेड्डी	195

विषय	पृष्ठ
सामान्य बजट, 1986-87—सामान्य चर्चा	**195—278**
श्री आर० जीवरत्नम	195
श्री सुनील दत्त	197
श्री चरणजीत सिंह वालिया	205
श्री तारिक अनवर	209
श्रीमती शीला दीक्षित	211
श्री जगन्नाथ राव	212
श्री के० मोहनदास	215
श्री पी० ए० एन्टनी	217
श्री अनन्त प्रसाद सेठी	220
श्री दिग्विजय सिंह	222
डा० दत्ता सामन्त	225
श्री प्रताप भानु शर्मा	229
श्री राम समुझावन	231
श्री आर० अण्णानम्बी	233
डा० संकटा प्रसाद	236
श्री शान्ति धारीवाल	238
श्री पराग चालिहा	240
श्री राम प्यारे सुमन	244
श्री भरत सिंह	247
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी	250
श्री जुझार सिंह	252
श्री वी० एस० विजयराघवन	255
श्री एन० वी० एन० सोमू	258
श्री जयप्रकाश अग्रवाल	260
श्री सलाहुद्दीन	262
श्री मानकूराम सोडी	264

विषय	पृष्ठ
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	266
श्री राम रतन राम	268
श्री ए० जयमोहन	270
श्रीमती ऊषा ठक्कर	272
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	275
श्री मदन पाण्डे	276
श्री हरीश रावत	278

लोक सभा

मंगलवार, 11 मार्च, 1986/20 फाल्गुन, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हंगरी के संसदीय शिष्ट मंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आरम्भ में मुझे एक घोषणा करनी है। अपनी ओर से तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से हंगरी जन गणराज्य की राष्ट्रीय सभा के प्रेसीडेन्ट महामहिम इस्तवान सारलोस और हंगरी के संसदीय शिष्ट मंडल के माननीय सदस्यों का, जो सम्मानित अतिथि के रूप में हमारे देश की यात्रा पर आए हुए हैं स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

शिष्टमंडल के अन्य माननीय सदस्य इस प्रकार हैं :—

(1) डा० मिकलोस विदा, सांसद,

(2) डा० (श्रीमती) इरेन काकस स्ज़ाबो सांसद, वह एक कृषक हैं,

(3) डा० संदोर काराकसोनी, सांसद,

शिष्टमंडल रविवार 9 मार्च 1986 को प्रातः दिल्ली पहुंचा। अब वे विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि उनकी भारत यात्रा शुभ तथा सफल रहे। उनके माध्यम से हम हंगरी के राष्ट्रपति, वहां की संसद, सरकार और वहां के मित्रतापूर्ण लोगों को अपना अभिनन्दन एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीहरि राव।

श्री श्रीहरि राव : महोदय, प्रश्न संख्या 224

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, प्रश्न संख्या 241 भी गैर पारम्परिक ऊर्जा के बारे में है। प्रश्न संख्या 224 और 241 को एक साथ लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ऊर्जा मंत्री जी का इस बारे में क्या कहना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : महोदय, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम दोनों प्रश्नों को एक साथ ले लेते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें कितनी बढ़िया छूट मिली है।

प्रदूषण रोकने के लिए सक्षम परियोजना को दी जाने वाली राजसहायता बन्द करना

*224. **श्री श्रीहरि राव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा के गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करके प्रदूषण को नियन्त्रित करने हेतु सक्षम परियोजना प्रारम्भ करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दी जाने वाली राजसहायता को बन्द करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके सम्बन्ध में कोई नये प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) नहीं। फिर भी विषय को आवधिक समीक्षा के अधीन रखा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन

*241. **श्री एच० एम० पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसाधनों की कमी होने कारण बिजली के उत्पादन के लिए कुल योजनागत धन नियतन में भारी कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों का पूर्ण उपयोग करने के प्रयास न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि गुजरात के एक गांव में गैर-पारम्परिक ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) क्या गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली का इसी प्रकार उत्पादन करने की संभावनाओं के बारे में जांच करने का सरकार का विचार है ताकि गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जा सके और कृषि के उत्पादन में वृद्धि की जा सके ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) साधनों (स्रोतों) में उत्पन्न कुल प्रतिबन्धों की दृष्टि में विद्युत क्षेत्र के लिए, सातवीं योजना में 34,273 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

(ख) विस्तृत प्रकार के प्रयोगों के लिए देशभर में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों के लिए पहले से ही प्रयत्न किए जा रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा उपलब्ध कराने पर अधिक

जोर दिया गया है। बायोगैस, उन्नत प्रकार के चूल्हे सौर तापीय, सौर प्रकाशवोल्टीय, बायोमास और पवन ऊर्जा के क्षेत्रों में विस्तृत पैमाने के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे अधिक प्रयोग के प्रयत्नों के लिए आगे आने वाले प्रयत्न, अधिक वित्तीय आबंटन पर निर्भर करेगा।

(ग) और (घ) जी, हां।

श्री श्रीहरि राव : इन गैर-पारम्परिक साधनों से किस सीमा तक प्रदूषण कम हुआ है ?

श्री वसंत साठे : जिस सीमा तक ऊर्जा का संरक्षण तथा इसके स्थान पर गैर पारम्परिक तरीकों का उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए उन चीनी डिस्टलरी से होने वाले प्रदूषण को लें तो अपशिष्ट पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हम अपशिष्ट पदार्थ को ऊर्जा में भी परिवर्तित कर सकते हैं तथा प्रदूषण से भी बच सकते हैं। इस तरह से प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

श्री श्रीहरि राव : क्या यह सच है कि पी० पी० एनवाइरनमेन्ट कन्ट्रोल्स ने एक ऐसी प्रौद्योगिकी की पेशकश की है जिससे, सरकार द्वारा कोई पैसा खर्च किए बिना, गंगा के पानी के प्रदूषण को कम किया जा सकता है ? अगर ऐसा है, तो सरकार इस प्रौद्योगिकी पर विचार क्यों नहीं करती ?

श्री वसंत साठे : क्या माननीय सदस्य आसवनी द्वारा होने वाले प्रदूषण की बात कर रहे हैं या किसी और के द्वारा ? प्रत्येक अपशिष्ट पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीहरि राव : क्या कोई देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है ?

श्री वसंत साठे : हम कहीं से भी किसी भी ऐसी प्रौद्योगिकी का स्वागत करेंगे जिससे ऊर्जा की हो बचत न हो बल्कि प्रदूषण को रोकने में भी सहायता मिले।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहता हूं। तथा कथित संसाधनों की कमी का सवाल नहीं है। पारम्परिक ऊर्जा पर आप शायद 35000 करोड़ रुपए व्यय कर रहे हैं जबकि गैर-पारम्परिक ऊर्जा के लिए आपने लगभग 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। आपके द्वारा गठित कार्यदल ने 3400 करोड़ रुपए की सिफारिश की थी। अपने उत्तर में आपने स्वीकार किया है कि गैर-पारम्परिक ऊर्जा का जिस तरह से विकास किया जा रहा है उस तरह से आगे किया जाता रहा तो पारम्परिक ऊर्जा की काफी बचत होगी जो कि बहुत मंहगी पड़ती है। इसलिए क्या सरकार के लिए पुनर्विचार करना तथा गैर-पारम्परिक ऊर्जा के लिए अधिक धनराशि आवंटित करना संभव है ?

श्री वसंत साठे : महोदय, स्पष्ट कहूं तो मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि ··· (**व्यवधान**)

उसकी भी बात करूंगा। अभी तक हमने यह नहीं सोचा कि सूर्य, हवा और बायोमास जैसे ऊर्जा के गैर-पारम्पिक स्रोतों को वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए वाणिज्यिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए सरकार ने पर्याप्त संसाधन आवंटित नहीं किए या, यूं कहिए कि जिन साधनों को पारम्परिक ऊर्जा के लिए लगाया जाता है उन्हें गैर-पारम्परिक ऊर्जा में लगाया जाता लेकिन फोटो, विलटाइक और अमोरफोस सिलिकान सहित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी के विकसित होने के कारण हम संभवत·····

श्री अमल दत्त : विंड एयरो-जनरेटरों के बारे में क्या विचार है ?

श्री वसंत साठे : यह पवन चक्की प्रणाली का हिस्सा है। विकसित की जा रही इन नई प्रौद्योगिकियों से हम उनका परीक्षण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमने तीन पवन चक्की फार्म स्थापित किए हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 किलोवाट है। दूसरे देशों, जैसे अमरीका में केलिफोर्निया में लगभग 1000 मेगावाट उत्पन्न करने वाले पवन चक्की फार्म हैं। क्षमता को इस स्तर तक प्राप्त कर लिया गया है। सौर-ऊर्जा का भी काफी उपयोग किया जा सकता है और हम गैर पारम्परिक साधनों से बिजली-उत्पादन को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊष्मा एवजी के रूप में बायोमास पहले ही काफी उपयोगी सिद्ध हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए ईंधन के स्थान पर गैस मिल रही है। अतः यहां यह उपयोगी होगी और मेरे विचार से हम संसाधनों की खोज कर पाएंगे। हमारी नीति ऊर्जा के गैर-पारम्परिक साधनों का विकास करने की है।

श्री एच०एम० पटेल : महोदय, माननीय मंत्री ने अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। साफ है कि उन्हें योजना आयोग और सरकार से अधिक धनराशि आबंटित कराने में सफलता नहीं मिली है ..... इस तथ्य के बावजूद भी कि इससे बहुत बचत होती। उदाहरण के लिए, आपने कहा कि एक पवन चक्की 500 किलोवाट बिजली उत्पन्न कर सकती है। आपके समक्ष एक और परियोजना है जिसकी लागत लगभग 18 करोए रुपए है और जिससे 15 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। अगर ऐसा है तो स्पष्ट है कि इसे अधिक धनराशि आबंटित की गई होगी.....

श्री वसंत साठे : आपके दिमाग में कौन सी परियोजना है ?

श्री एच० एम० पटेल : एक परियोजना जो दिल्ली के बहुत पास ही है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अगर कुछ तेजी से इसका विकास किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र काफी लाभान्वित होंगे क्योंकि इसका अर्थ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का विकेन्द्रीयकरण ट्रांसमिशन और अन्य कठिनाइयों के कारण कुछ छोटे-छोटे गांवों को बहुत समय तक सामान्य ताप बिजली नहीं मिलती। अगर इस विकास को आगे और बढ़ाया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों को अत्यधिक लाभ होगा। गुजरात में खांडया का उदाहरण है जहां गैर-पारम्परिक ऊर्जा से पूरी तरह से विद्युतीकरण हुआ है। इससे गांव का काफी कल्याण हुआ है। वस्तुतः इससे इस छोटे से गांव के सभी लगभग 900 अधिकाशतः आदिवासी लोगों को लाभ हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस तरह के 20 परीक्षण देश में किए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो उसे अधिक तेजी से क्यों नहीं किया जा रहा है? मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं पर इसकी लागत अधिक नहीं आएगी। क्या मंत्री जी बताएंगे कि प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया जा रहा है। ऐसी 20 एककों की बजाय एक साल में आप 2000 गांवों में ऐसे परीक्षण क्यों नहीं करते, ताकि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में अधिक गांवों को शामिल किया जा सके ? मंत्री जी से अनुरोध है कि सातवीं योजना के दौरान इसके विकास के लिए और धनराशि आबंटित की जाए।

श्री वसंत साठे : मैं पूरी तरह से सहमत हूं। खांडया ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एकीकृत ऊर्जा की संकल्पना किस तरह से एक छोटे से आदिवासी गांव को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बना सकती है और इसकी लागत केवल 15 लाख रुपए पड़ेगी। इसलिए अगर हमारे पास एकीकृत ऊर्जा केन्द्रों की यह संकल्पना हो जिसका विस्तार हम ग्रामीण क्षेत्रों में करना चाहते है तो इससे उन्हें तेजी से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहायता मिलेगी।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 4-5 वर्षों में गैर-परम्परागत ऊर्जा के साधनों के विकास में हमारी सरकार ने काफी सराहनीय काम किया है और उसी दृष्टि से एक अलग से विभाग भी बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उस विभाग ने गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिये कोई दीर्घकालीन योजना बनायी हैं ?

दूसरा, पिछले वर्ष 1985-86 में इस विभाग के अन्तर्गत 120 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जबकि 1986-87 में सिर्फ 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस कमी के प्रति इस विभाग का क्या दृष्टिकोण है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष महोदय, मेरा दृष्टिकोण यह है कि इस क्षेत्र में ज्यादा पैसा लगाना चाहिये और मेरी यह कोशिश रहेगी कि जो पूरा बजट है, उसको किस तरह से इस क्षेत्र के विकास के लिये ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाये। साथ ही साथ गैर-परम्परागत ऊर्जा के स्रोतों के विकास के लिये दीर्घकालीन योजना भी है।

भारतीय सीमेंट निगम द्वारा संचालित सीमेंट कारखानों के उत्पादन में गिरावट

*225. **श्री हरीश रावत :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सीमेंट निगम द्वारा संचालित कुछ कारखानों में पिछले दो वर्षों के दौरान सीमेंट के उत्पादन में गिरावट आई है, और

(ख) यदि हां तो ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं, और उनमें अनुमान से कितना कम उत्पादन हुआ है ?

[अनुवाद]

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा चलाए जा रहे 9 कारखानों में से दो कारखानों में वर्ष 1983-84 के दौरान और चार कारखानों में वर्ष 1984-85 के दौरान सीमेंट का उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम हुआ, इन कारखानों में अनुमानित उत्पादन से कितना कम उत्पादन हुआ, इसे निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :--

एकक	1983-84		1984-85	
	अनुमानित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	अनुमानित उत्पादन	वास्तविक उत्पादन
	(लाख मी० टन में)			
कुरकुन्ता	1.70	1.87	2.00	1.83
अकलतारा	3.20	3.02	3.17	2.80
येरगुन्तला	3.15	3.12	3.15	2.75
चरखी दादरी	1.55	1.59	1.60	1.49

हिन्दी]

श्री हरीश रावत : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर से यह स्पष्ट है कि 1983-84 में सी० सी० आई० की दो यूनिटों में कम उत्पादन हुआ और 1984-85 में सुधार होने की बजाय 4 यूनिट ऐसी हो गई हैं जिन में उत्पादन घटा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने दिनांक 26.11.85 को एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सी०सी० आई० द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी यूनिटस की परफार्मेन्स में सुधार हो और लाभ बढ़े तो मैं जानना चाहता हूं कि जबसे सी० सी० आई द्वारा० ये कदम उठाए गए हैं तबसे परफार्मेंस में कितना सुधार हुआ है? यदि परफार्मेंस में सुधार हुआ है तो वर्ष 1984-1985 में सी० सी० आई० ने कुल कितना लाभ अर्जित किया और 1985-86 में आज तक सी० सी० आई० द्वारा कुल कितना लाफ अर्जित किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : सम्मानित सदस्य ने जो सीमेन्ट कारपोरेशन की आर्थिक गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रश्न किया है उसके सन्दर्भ में निवेदन करना है कि 1984-85 के आंकड़े तो, जो वक्तव्य सदन की मेज पर रखा गया है, उसमें ही प्रदर्शित हैं।

श्री हरीश रावत : मैंने 1985-86 के सम्बन्ध में भी पूछा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : बाकी इस सम्बन्ध में मैंने स्वयं पहली जनवरी को इस वर्ष जो सामान्य पर्यवेक्षण होता है संस्थानों का उसके अलावा विशेष रूप से सीमेन्ट कारपोरेशन का पर्यवेक्षण किया और हमने एक उच्चस्तरीय समिति का भी गठन किया है डा० विश्वेश्वरैया जी, जो हमारे देश के ख्यातिनामा सीमेन्ट उद्योग के जानकार हैं उनकी अध्यक्षता में, और आशा है सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इण्डिया के पूर्ण रूपेण विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट मार्च के अंतिम सप्ताह तक (प्रथम रिपोर्ट) हमारे सामने आ जायेगी।

जो अब तक कदम उठाए गए हैं सीमेन्ट कारपोरेशन के द्वारा, उनमें पहली बात तो यह है कि जो बिजली का प्रभाव पड़ा है सबसे अधिक, विशेष रूप से कर्नाटक और राजस्थान में, इसलिए कैप्टिव पावर स्टेशन 16.8 मेगावाट के पांच सीमेन्ट यूनिटों में लगाए गए हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने जो संस्तुतियां की हैं उनको लागू किया जा रहा है। कोयले की सप्लाई को उचित मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ साथ इण्डिस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से जिस सामग्री की आवश्तकता है उसका मूल्यांकन किया गया है। कास्ट कन्ट्रोल, उत्पादन नियोजन, मेंटिनेन्स के सम्बन्ध में प्रबन्ध को सुचारू रूप से चलाना--इनके सम्बन्ध में व्यापक रूप से अलग अलग रिपोर्टें तैयार की गई हैं। मुझे विश्वास है कि डा० विश्वेश्वरैया की रिपोर्ट के बाद स्थिति में सुधार आयेगा।

अध्यक्ष महोदय : रिपोर्ट के बाद आयेगा या उसके ऊपर कार्यवाही करने बाद आयेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उस पर कार्य करने के बाद ही आयेगा। रिपोर्ट के बाद उस पर कार्य तो होगा।

सन् 1984-85 में 1 करोड़ 84 लाख के घाटे का अनुमान है।

श्री हरीश रावत : 1985-86 में अबतक कितना घाटा हुआ है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : 1985-86 में अबतक के जो पूरे आंकड़े हैं उनसे लगता है लगभग 13 करोड़ का घाटा होगा।

श्री हरीश रावत : माननीय मंत्री जी ने आज तक जो उत्तर दिए होंगे मैं समझता हूं सदस्यगण उससे संतुष्ट हुए होंगे परन्तु आज में मन्त्री जी के उत्तर से अपने को संतुष्ट करने का यत्न करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। यह सत्य है कि 1984-85 में सी० सी० आई० द्वारा माननीय मंत्री जी के माध्यम से इस सदन में यह कहलवाया गया कि पहले लगभग दो करोड़ का लाभ हुआ, उसके बाद कहा गया कि 79 लाख का प्राविजनल लाभ कमाया गया है और आज कहना पड़ा है कि 1984-85 में सी० सी० आई० को 1 करोड़ कुछ लाख का घाटा हुआ है। इससे लगता है कि सी० सी० आई की कार्य क्षमता में दिन प्रति दिन गिरावट आ रही है और यह इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो 1200 टन सीमेंट की प्रति दिन क्षमता वाले यूनिट्स होते हैं उनके स्टैबलाइज होने में--जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स हैं—ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय लगा है जबकि सी० सी० आई० ने जो यूनिट्स लगाई हैं वह लगाने के बाद से आजतक स्टैबलाइज नहीं हो पाई हैं। इसका कारण यह रहा है कि सी०सी० आई० की यूनिट्स के लिए जो प्राइवेट पार्टीज ने प्लान्ट्स सप्लाई किए थे उनके परफार्मेंस टैस्ट लिए जाने चाहिए थे वह परफार्मेन्स टैस्ट नहीं लिए गए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या सी० सी० आई० द्वारा जो 1200 टन की क्षमता वाले चार यूनिट्स के लिए प्लान्ट सप्लाई किया गया था, उनका परफार्मेंस टैस्ट लिया गया है या नहीं लिया गया है ? यदि नहीं लिया गया है, तो परफार्मेंस टैस्ट न लेने के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, में इस बात का पूरा प्रयास करूंगा कि जो सम्मानित सदस्य का जो इस सम्बन्ध में असंतोष है, वह संतोष में बदल सके।

अध्यक्ष महोदय : परिवर्तन कीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : परिवर्तन भी और अपनी नीतियों व अपने कार्यक्रमों में परिवर्धन भी।

यह अवश्य दुःख और खेद का विषय है कि सीमेंट कारपोरेशन में इस प्रकार घाटा बढ़ा है। इसीलिए मैंने स्वयं इसके बारे में एक दिन बैठकर इसका मूल्यांकन किया और तत्पश्चात् यह निर्णय लिया कि डा० विश्वेश्वरैय्या जैसे विद्वान के संयोजकत्व में एक उच्चस्तरीय समिति इसका आमूलचूल अध्यन करे और उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। उस रिपोर्ट के आधार पर उसमें कोई प्रबन्धकीय संस्तुती होगी तो उस पर कार्यवाही करेंगे।

जहां तक परफार्मेंस टैस्ट का सवाल है, मन्धार प्लान्ट 1970 में कमीशन हुआ था, कुर-कुण्टा प्लान्ट 1972 में कमीशन हुआ, बाकेजन 1977 में कमीशन हुआ, अलकतरा 1981 में कमीशन हुआ और चरखी-दादरी, जो कि पुराना प्लान्ट है, यह जून, 1981 में लिया गया। इनका कमीशनिंग टैस्ट हुआ या नहीं, इसका संदर्भ अभी मेरे पास नहीं है। यदि माननीय सदस्य सूचना देंगे, तो मैं इसके बारे में अवश्य पता लगा लूंगा।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय पं० नारायण दत्त तिवारी जी, इस बात का अवश्य विश्वास कर लें कि सी सी आई का जो सैटअप है, उसने यह

तय कर लिया है कि 13 करोड़ रुपये का घाटा नहीं, वह तीस करोड़ से ऊपर-नीचे उतार देगा। यह आप समझ लीजिए। इस संबंध में विश्वेश्वरैय्या कमेटी के बाद सुधार ले आयेंगे, तो आपका अवतार मान लूंगा। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है। आप प्रतिवर्ष दो-ढ़ाई लाख टन सीमेंट बाहर से मंगाते हैं और देश का करोड़ों रुपया बाहर जाता है। लेकिन यदि आप सरकार से आपस में बातचीत करके जो सीमेंट कम्पनियां हैं, उनको कोयला समय पर दे दें, जो आपका जो सारा घाटा है, वे घाटा उत्पादन बढ़ा कर पूरा कर सकते हैं। क्या इस दिशा में आपने कोई निर्णय लिया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मैंने स्वयं इस संबंध में निवेदन किया, यदि विद्वान सदस्य ने अवश्य उस समय सुनने का कष्ट किया होगा, तो मैंने उनसे निवेदन किया था कि कोयले की कठिनाई है'। गुणात्मक दृष्टिकोण से और उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से। दोनों के संबंध में कोयला मंत्रालय से हमारा डायरैक्ट परामर्श हो रहा है। प्रभावी रूप से रोजाना इस संबंध में विचार-विमर्श होता है कि कोयले की सप्लाई सुनिश्चत हो सके।

श्री बालकवि बैरागी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें विश्वेश्वरैय्या कमेटी बीच में नहीं आती है। यह कमेटी के प्रतिवेदन के पहले की बात है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस संबंध में विश्वेरैय्या कमेटी पहले विचार करेगी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न लाभ और घाटे के संबंध में नहीं है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या सी सी आई द्वारा बिहार में कोई कारखाना खड़ा करने के बारे में विचार कर रही है, क्योंकि बिहार एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मुझे खेद है कि इसका उत्तर मुझे नहीं में देना पड़ रहा है ?

श्री केयूर भूषण : अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख अलकतरा सीमेंट फैक्ट्री है, जहां 37 हजार टन किलिकर की कमी पाई गई है, जिससे लगभग नौ करोड़ का नुकसान हुआ है। इसकी जांच के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उसी प्रकार मंधार में सीमेंट की स्थिति को कमजोर मानकर अस्वीकार किया गया था, क्या इसकी जांच के संबंध में कोई कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, जहां तक अलकतरा का प्रश्न है, जैसा कि कारण बताया गया है, वहां अग्निकांड हुआ है, इस वजह से वहां इसकी कमी रही। इस सिलसिले में जो उन्होंने किलिकर की कमी के बारे में बताया है, में उसकी जांच करवा लूंगा।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे मेरी समझ में यह आया कि भारतीय सीमेंट निगम के कार्य-कलापों की जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति की गई थी। फिर भी, मुझे यह जानकारी मिली है कि समिति के आधे से अधिक सदस्य भारतीय सीमेंट निदेशक मंडल के वर्तमान सदस्यों में से हैं। ऐसी परिस्थितियों में क्या हम आशा कर सकते हैं कि समिति वास्तविक प्रतिवेदन दे अथवा वे समिति के सदस्यों को बदलने एवं इसके पुर्नगठन पर विचार करेंगे ताकि प्रतिवेदन में तो सच्चाई हो ?

आखिरकार ये सुझाव अपने आप तो पैदा हुए नहीं हैं कुछ तो हुआ ही है जिसकी वजह से घाटा हुआ है। गलत तरीकों और गड़बड़ियों आदि के बहुत से आरोप हैं। इसी निदेशक मंडल के सदस्य किस तरह मिल बैठकर इस विषय की जांच कर सकते हैं? क्या मंत्री जी इस पर पुनःविचार करेंगे तथा उन सदस्यों की नियुक्ति करेंगे जो भारतीय सीमेंट कारपोरेशन निदेशक मंडल के पहले सदस्य नहीं थे।

एक माननीय सदस्य : यह अच्छा प्रश्न है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : इस समिति में छः सदस्य हैं, डा० विश्वेश्वरैय्या, श्री ए० के० पोलोज रेलवे के, सेवानिवृत वित्तीय आयुक्त, प्रो० पुलिन के० गर्ग, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद, श्री ए० वी० गोकक, विकास आयुक्त; श्री सहाय, संयुक्त सचिव, उद्योग मंत्री तथा श्री वी० टी० काले, संयुक्त सलाहकार (उत्पादन), सरकारी उद्यम कार्यालय।

माननीय सदस्य इस बात को नोट करें कि इन छः व्यक्तियों में से तीन इसके साथ सीधे रूप से संबंधित नहीं हैं परन्तु वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं।

संसद सदस्य की सिफारिश पर टेलीफोन कनेक्शन देना

[हिन्दी]

226. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संसद सदस्य की सिफारिश पर उसी प्रकार नए टेलीफोन कनेक्शन स्वीकृति करती है, जिस प्रकार पैट्रोलियम मंत्रालय गैस-कनेक्शन स्वीकृति करता है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के मामलों में संसद सदस्य की सिफारिश स्वीकार की जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। फिर भी, टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए प्राथमिकता देने के बारे में संसद सदस्य की सिफारिश पर अलग-अलग मामलों में, उनकी योग्यता को देखते हुए उचित महत्व दिया जाता है।

(ख) टेलीफोन/दूरसंचार सलाहकार समिति में मनोनीत संसद सदस्य विभाग द्वारा एक मुश्त टेलीफोन कनेक्शन जारी करते समय ओ० वाई० टी० और गैर-ओ० वाई० टी०—विशेष श्रेणियों के अन्तर्गत दर्ज आवेदकों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन सुलभ कराने की सिफारिश कर सकते हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह चौधरी : अध्यक्ष जी इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय मंत्री महोदय हमारी रिकमण्डेशन के ऊपर प्राथमिकता जरूर देते हैं। लेकिन हमारे पास बहुत लोग आते हैं

और रिकमण्डेशन करने के लिए कहते हैं। हमको उनका लिहाज कर रिकमण्डेशन करना पड़ता है। और उसके बाद में उनमें से किसी एक को भी टेलीफोन नहीं मिलता। जब हम ऐसे लोगों से कहते हैं। कि हमारी रिकमण्डेशन फिजूल जाएगी, आप क्यों हमसे रिकमण्डेशन कराते हैं तो हमें उनसे उत्तर मिलता है कि हमने पहले ही बात कर ली है, आप रिकमण्डेशन कर दीजिए। हम इस बात से पशोपेश में पड़ जाते हैं। क्या मंत्री महोदय कोई निश्चत संख्या हमारी रिकमण्डेशन पर फिक्स करेंगे जिस तरह की संख्या हमको गैस कनेक्शन के बारे में निश्चित की गई है हमको एक माह में एक गैस कनेक्शन मिलेगा ? आप बेशक साल में दो ही टेलीफोन हमको दे दें। लेकिन हमको कुछ दे तो दें।

श्री रामनिवास मिर्धा : श्रीमन् हमने जांच करने की कोशिश की है कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में क्या नियम बनाये हैं। उनकी प्रतिलिपि हमें नहीं मिली है। (**व्यवधान**) जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं स्वीकार किया है कि हम यथासंभव माननीय सदस्य को, चाहे उनकी कांस्टच्युएंसी का काम हो, चाहे कोई और हो, हम उनको आऊट आफ टर्न प्रायोरिटी जरूर देते हैं।

[**अनुवाद**]

एक माननीय सदस्य : अन्य सदस्यों का क्या होगा ?: (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राजकुमार राय : मान्यवर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। एक भी एम० पी० की रिकमण्डेशन पर टेलीफोन नहीं मिलता है (**व्यवधान**)

श्री रामनिवास मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरा रजिस्टर मौजूद है। जितने भी माननीय सदस्य हैं या अन्य जो वी० आई० पीज० की कैटेगरीज में आते हैं, जैसे राज्य सरकार के मंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं, गर्वनर साहेबान है और प्रतिष्ठि व्यक्ति हैं, उनमें से कितने-कितने टेलीफोन दिये हैं। मेरे पास रजिस्टर मौजूद है, आप कहेंगे तो बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप किस किस को दिलवाएंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : इसका अनुभव हम लोगों को नहीं है।

श्री रामनिवास मिर्धा : इसलिए कोटा मुकरर करना ·····। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कल को फिर झगड़ा पड़ेगा।

श्री मनफूल सिंह चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने फरमाया है कि पैट्रोलियम विभाग से नियम आ जायेंगे तब उस पर विचार करेंगे, तो क्या नियम आने के बाद इसको कार्यान्वित करने का आश्वासन मंत्री महोदय देंगे

श्री राम निवास मिर्धा : नियम देखने के बाद हम देखेंगे। में आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में 10 लाख लोग वेटिंग लिस्ट में मौजूद हैं। वेटिंग लिस्ट में स्पेशल केटेगरी के लिए जरनलिस्ट हैं, डाक्टर्स हैं, एक्स एम एल एज, एम पीज हैं, उन सबको अगर हटाकर कुछ देना चाहें स्पेशल तो बात दूसरी है, एल पी जी की समस्या और हमारी समस्या भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने क्या कसूर किया है, जिनको हटाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों गसे में मुसीबत डाल रहे हैं, पहले ही पासपोर्ट के फार्म पर दस्तखतों का चक्कर पड़ा हुआ है।

कापुर्डी क्षेत्र (राजस्थान) में ताप-विद्युत का उत्पादन

*227. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल के निदेशों के अन्तर्गत खनिज गवेषणा निगम द्वारा राजस्थान के बाड़मेर जिले में कापुर्डी क्षेत्र में 500 मेगावाट ताप-विद्युत उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त मात्रा में लिग्नाइट के शोधन का काम किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इसके संबंध में परियोजना रिपोर्ट कब तक तैयार की जाएगी; और

(घ) क्या उक्त योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करके रेगिस्तानी क्षेत्र और राज्य के अन्य भागों की विद्युत संबंधी मांग को पूरा करने का सरकार का विचार है ?

[अनुवाद]

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मैसर्ज खनिज गवेषणा निगम बाड़मेर जिले में कापुर्डी क्षेत्र की लिग्नाइट की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया है।

(ख) वर्तमान अनुमान के अनुसार भण्डार लगभग 57 मिलयन टन है। खनन योग्य भण्डारों को अभी सुनिश्चित किया जाना है।

(ग) मैसर्ज खनिज गवेषणा निगम की रिपोर्ट 1987-88 तक तैयार हो जाने की उम्मीद है।

(घ) यदि वाणिज्यिक दृष्टि से खनन योग्य भण्डार सुनिश्चित हो जाते हैं, केवल उसके बाद ही, राज्य के मरुस्थल वाले क्षेत्रों और अन्य भागों की विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस स्कीम को सातवीं अथवा आठवीं योजना में शामिल करने के बारे में विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री बुद्धिचन्द्र जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनरल एक्स्प्लोरेशन कारपोरेशन बाड़मेर जिले के कापुर्डी क्षेत्र में करीब चार साल से ऐक्स्प्लोरेशन का, ड्रिलिंग का कार्य कर रहा है। पहले भी मैंने यह प्रश्न पूछा था, उस समय आश्वासन दिया गया था कि यह कार्य 1986-87 तक कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होकर फिर हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि पावर स्टेशन

5000 मेगावाट का या कितने मेगावाट का बन सकता है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कार्य में बिलंब के क्या कारण हैं। क्या इसका एक कारण यह भी है कि आप वहां पर ड्रिलिंग मशीनें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं ? क्या आप इस कार्य को गति प्रदान करेंगे ?

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, कोई बिलंब नहीं हुआ है और ड्रिलिंग बाकायदा चल रहा है। पहले जो ड्रिलिंग की थी, अब ज्यादा नजदीक से ड्रिलिंग कर रहे हैं, ताकि अन्दर जो सारे माईनेबल रिजर्व्स हैं वे किस तहर से स्प्रैड-आउट हैं, उसका निश्चित अन्दाज लगा पाएं। उसको बाद जब यह काम 1987-88 में कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर यह देख पाएंगे कि कमर्शियली माईनेबल और वाएबल रिसोर्सेस कितने है, उस पर अवलंबित रहेगा कि कितने मेगावाट की क्षमता का पावर हाउस वहां स्थापित किया जाए। ये प्रोसेस है, जब तक सब बातें मालूम न हों तब तक आगे कदम नहीं बढ़ाया जा सकता, 11 एजेंसीज इसमें लगी हुई हैं, पूरे जोर से इसका एक्स्प्लोरेशन चल रहा है।

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि यह जानकारी आवश्यक है कि जो मिनरल डिपोजिट्स निकलें वे कमर्शियली वाएबल हों, तभी कार्य हो सकता है, परन्तु रेगिस्तानी क्षेत्र के बिजली संकट को देखते हुए, राजस्थान में जो बिजली का संकट है, उसको देखते हुए इस कार्य को गति देंगे और युद्ध-स्तर पर कार्य करायेंगे।

श्री बसंत साठे : अध्यक्ष महोदय, युद्ध स्तर पर ही कार्य करा रहे हैं।

[अनुवाद]

कच्चे तेल का आयात और निर्यात

+

*228. **श्री मोहन भाई पटेल** :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 में कितने कच्चे तेल का आयात किया गया और क्या वर्ष 1986 के लिए कोई समझौता किया गया है;

(ख) वर्ष 1986 के दौरान किन देशों ने, कितनी मात्रा में तथा किस दर पर कच्चे तेल का आयात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) आयात को कम करने के उद्देश्य से देश में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या भारत भी कच्चे तेल का निर्यात कर रहा है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 1984 तथा 1985 में कितने कच्चे तेल का निर्यात किया गया और वर्ष 1986 में कितने कच्चे तेल का निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(च) क्या इस बारे में कोई समझौता किया गया है; और

(छ) क्या कच्चे तेल का निर्यात गैर सरकारी क्षेत्र की कुछ फर्मों/कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (छ) एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) : वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान आयात किये गये कच्चे तेल की मात्रा क्रमश: 15.9 मि० मी० टन तथा 13.8 मि० मी० टन थी। वर्ष 1986 के लिए अन्य देशों के साथ की जाने वाली संविदाओं को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 1986 के दौरान 14.664 मि० मी० टन कच्चे तेल का आयात किये जाने की आशा है ।

(ग) देश में कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में अन्वेषण को तेज करना, वृद्धिशील वसूली विधियों का प्रयोग, विकसित प्रौद्यौगिकी को शामिल करना तथा उपभोग को नियंत्रत करने के लिए संरक्षण उपाय शामिल हैं ।

(घ) और (ङ) वर्ष 1984 तथा 1985 के दौरान निर्यात किए गए कच्चे तेल की मात्रा क्रमश: 6.7 मि० मी० टन तथा .9 मि० मी० टन थी । वर्ष 1986 के दौरान निर्यात किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) और (छ) अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में निवदा के माध्यम से निर्यात किया जाता है ।

श्री मोहनभाई पटेल : महोदय, आजकल हम तेल का आयात कर रहे हैं तथा विदेशी मुद्रा काफी भारी मात्रा में खर्च कर रहे हैं। सरकार पैट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क बढ़ा रही है ताकि इसकी खपत कम हो जाये । अत: सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में पैट्रोल की वास्तविक खपत कम हुई है अथवा नहीं, दूसरे, सातवीं पंच वर्षीय योजना के अंत से कुल मांग की पूर्ति के लिए कच्चे तेल का देश में कितने प्रतिशत उत्पाद होगा ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय, सदन में मैंने यह स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पिछले 18 महीनों में पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादकों की खपत में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इस बारे में पूरी जानकारी पहले ही दी जा चुकी है । मैंने यह भी बता दिया है सातवीं पंच वर्षीय योजना में स्थिति में किस प्रकार सुधार किया जायेगा । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हू कि छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान 1980-81 में आत्म निर्भरता 31.6 प्रतिशत थी तथा छठी पंच वर्षीय योजना के अंत में यह आंकड़े बढ़कर 70 प्रतिशत हो गये । परन्तु इस समय के हालात से लगता है कि इसमें कमी होगी तथा 1989-90 तक आत्म-निर्भर का प्रतिशत 61 प्रतिशत तक गिर जाने की संभावना है ।

श्री मोहनभाई पटेल : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या तेल उत्पादक राज्यों, विशेष रूप से गुजरात आदि द्वारा तेल पर रायल्टी की रकम में वृद्धि करने की मांग काफी समय से की जा रही है तथा क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है। यदि हो, तो ब्यौरा क्या है तथा इसे कब लागू किया जायेगा और यदि नहीं, तो इस पर कब निर्णय लिया जायेगा ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय, गुजरात तथा असम दोनों ही राज्यों द्वारा रायल्टी में वृद्धि करने की मांग सरकार के विचाराधीन है। मैंने दोनों राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बातचीत की तथा यह आशा की जाती है कि हम जल्दी ही रायल्टी में वृद्धि कर देंगे।

श्री चिन्तामणि जैना : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि वे कौन से देश हैं जहां से 1985-86 में कच्चे तेल का आयात किया गया था तथा इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई और जब देश में ही कच्चे तेल की आवश्यकता है तो 1985-86 में इसका निर्यात करने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जिन देशों से हम तेल का आयात कर रहे हैं उनके बारे में सब को पता है। सोवियत संघ, साऊदी अरब, ईरान, ईराक, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात तथा ऐसे ही और कई देश हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान किए गये आयात पर वास्तविक रकम 3,527 करोड़ रुपये खर्च की गई। 1985-86 में पुनरीक्षित आकलन 4555 करोड़ रुपये है। 1986-87 में हम इसे घटाकर 4091 करोड़ रुपये करने की कोशिश करेंगे। आयात के कारण विदेशी मुद्रा के खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है। (**व्यवधान**) हमारी तेल शोधन क्षमता की वजह से निर्यात में कुछ बाधायें हैं जोकि छठी पंच वर्षीय योजना में बढ़ गई हैं। अब से आगे हमारे देश से कच्चे तेल को निर्यात करने की कोई संभावना नहीं है।

डा० चिता मोहन : कच्चे तेल के आयात-निर्यात से ओ. एन. जी. सी. को 1985 में 7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। जब आप ओ. एन. जी. सी. के कलकत्ता आफिस में बिलों की जांच करेंगे। तो पायेंगे कि बिल संख्या 20231 से 20750 तक 60 लाख रुपये की रकम की धोखाधड़ी है। तथा यह सब 17 नवम्बर 1985 से 26 दिसम्बर 1985 के बीच हुआ है। अगर सही है तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करना चाहती है? क्या सरकार इस मामले में सी. बी. आई. से जांच करवायेगी ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : महोदय, माननीय सदस्य एक खास मुद्दों को ले रहे हैं। परन्तु में यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि ओ. एन. जी. सी. को तेल के आयात या निर्यात के बारे में कुछ नहीं करना है। आयात-निर्यात के लिए भारतीय तेल निगम नामक एजेन्सी है। ओ. एन. जी. सी. के साथ कुछ और दिक्कतें हो सकती हैं। अगर सदस्य मुझे लिखें तो मैं निश्चत रूप से उनकी जांच करूंगा।

डा० चिता मोहन : क्या सरकार इस विषय में सी० बी० आई० द्वारा जांच कराने का आदेश देने के लिए तैयार है।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : आप मुझे लिख सकते हैं, मैं निश्चत रूप से इसकी जांच कराऊँगा। अगर इसमें प्रत्यक्ष ही कोई गड़बड़ी है तो मैं उसकी जांच कराऊंगा।

श्री तरुण कांति घोष : जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें इतनी ज्यादा कम हो गई हैं अर्थात पचास प्रतिशत तक तो विदेशी मुद्रा में इतनी कम बचत क्यों हुई ?

श्री चन्द्रशेखर सिंह : जैसा कि मैंने बताया हमारा आयात बढ़ने की संभावना है। अगले 4 वर्षों में आत्म निर्भरता में कमी आ रही है। अत: हमारे तेल के आयात में वृद्धि होगी। अत: जबकि तेल की कीमतों में काफी कमी आई है हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है।

परन्तु कुल कमी अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट अनुपात में नहीं है। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि तेल की कीमतों के बारे में विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का हम पूरा फायदा उठा रहे हैं।

श्री सी० माधव रेड्डी : तेल बाजारों में तेल की कीमतों में कमी में सामंजस्य के साथ में मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि तेल कम्पनियों के साथ लम्बी अवधि के ठेके करने की क्या आवश्यकता है बजाय दूसरे देशों से तेल खरीदने के।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : हम दो तरीकों से तेल खरीदते हैं। एक तो निश्चित मात्रा में तेल के लिए लम्बी अबधि का ठेका होता है और अगर यह देश के हित में है तथा तेल उत्पादक देशों के साथ वाणिज्यिक सम्बन्धों को बनाये रखने के हित में हैं तो हम करारनामे कर सकते हैं। परन्तु उन देशों के साथ भी हम सरकारी कीमतों पर सौदा नही करते हैं। हम उनके साथ बाजार-भाव या नकद मूल्य पर सौदा करने के बारे में कोशिश कर रहे हैं। इससे जो तेल हम उनसे खरीदेंगे उसकी लागत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

लेह में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र चालू करना

*229. **श्री पी. नामग्याल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह में वर्ष 1985 के दौरान एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र चालू किया जाना था और इसके लिए इमारत बनकर पूरी हो चुकी है,

(ख) यदि हां, तो टेलीफोन केन्द्र अब तक चालू न किए जाने के क्या कारण हैं, और

(ग) इस टेलीफोन केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) लेह में कम बिजली बनने के कारण राज्य के प्राधिकारी मुख्य बिजली सप्लाई देने के लिए सहमत नहीं हुए हैं।

(ग) एक्सचेंज 1986-87 के दौरान चालू करने की योजना है बशर्ते कि मुख्य पावर सप्लाई मिल सके।

श्री पी० नामग्याल : महोदय उस क्षेत्र की संवेदनशीलता और जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लोग महसूस करते हैं कि वहां शीघ्र ही एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोला जाना चाहिए क्योंकि आपात्तकाल के दौरान आपरेटर रात के समय कॉल सुनते नहीं न ही जवाब देते हैं जबकि इन केन्द्रों से 24 घंटे काम करने की अपेक्षा की जाती है। दूसरा प्रश्न पूछने से पहले, मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूं कि प्रस्तावित स्वचालित केन्द्र की क्षमता क्या है तथा इसके लिए कितनी बिजली की आवश्यकता होगी एवं क्या विभाग ने सेना से बिजली प्राप्त करने की संभावना का पता लगाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मैं··· ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी लेह के बारे में कुछ रुचि ले रहे हैं ?

श्री राम निवास मिर्धा : लेह में स्थापित किए जा रहे स्वचालित केन्द्र की क्षमता 300 लाइनें हैं और राज्य सरकार ने हमें यह वायदा किया है कि पन-बिजली परियोजना के चालू होते ही, जो कि शीघ्र ही चालू हो जाएगा, बिजली की सप्लाई आरंभ कर दी जाएगी। इस बीच, हम सेना अधिकारियों, जो वहां आरक्षित विद्युत संयंत्र चलाते हैं, के साथ संपर्क बनाए हुए हैं कि क्या वे अपने विद्युत संयंत्र से बिजली की सप्लाई कर सकते हैं और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा विभाग लेह के महत्व को समझता है, हमने वहां उपग्रह भू-केन्द्र बनाया है जो लेह को दिल्ली तथा श्रीनगर के साथ जोड़ता है और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इनमें से एक प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय लेंगे और वह स्वचालित केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

श्री पी० नामग्याल : महोदय, हम यह आशा करते हैं कि **सतकना** पन बिजली परियोजना इस वर्ष शुरू हो जाएगी। साथ ही इस वर्ष वर्तमान डीजल इंजनों की विद्युत उत्पादन क्षमता में भी सुधार होने की संभावना है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वहां सड़कों के यातायात के लिए खोले जाने के बाद मशीनें और अन्य उपकरण लगाए जाएंगे ?

श्री राम निवास मिर्धा : जी हां महोदय, राज्य सरकारों द्वारा सड़कें बनाने तक इनकी स्थापना आदि का काम पूरा हो जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह आशा करते हैं कि यह केन्द्र इस वर्ष तक या दूसरे वर्ष के शुरू में चालू हो जाएगा ताकि यह जहां तक पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत का संबंध है, यह केन्द्र काम करना शुरू कर दे। क्या मंत्री महोदय सुनिश्चित करेंगे कि कलकत्ता में खराब टेलिफोन केन्द्र में सुधार किया जाये ताकि लेह से भारत तक आपस में ठीक से संपर्क बना रहे ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था योग्य संपर्क नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह लेह के बारे में हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का संबंध है क्या वहां टेलिफोन प्रणाली काम करेगी। महोदय, इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा टेलीफोन सम्पर्क है, जिसका संचालन नहीं किया जा सकता।

दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से उद्योगों का अन्यत्र स्थानान्तरण

+

*230 **प्रो० के० के० तिवारी** :

श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन उद्योगों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है, जो दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थित है, और जिनसे निकलने वाली गैस जनता के लिए हानिकारक है,

(ख) यदि हां तो इन अध्ययनों के क्या परिणाम निकले हैं, और

(ग) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित उद्योगों को दूरस्थ क्षेत्रों में ले जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन के उद्योग विभाग द्वारा किये गये एक त्वरित सर्वेक्षण से यह बात प्रकाश में आई है कि 1476 औद्योगिक एकक हैं जिनके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इनमें से 1202 औद्योगिक एकक ऐसे पाए गए हैं जिनके गैस उत्सर्जन से वायु प्रदूषण होता है ।

(ग) व्यवसाय में प्रयुक्त भूमि और भवनों के अंतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ को करों से मुक्त रखा गया था और शहरी क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानांतरित करने को बढ़ावा देने तथा भीड़-भाड़ वाले नगरों से भीड़ को दूर करने तथा प्रदूषण घटाने के उद्देश्य से उपर्युक्त सुविधा 1983-84 के आम बजट में मशीनों व संयंत्रों के हस्तांतरण से उत्पन्न पूंजीगत लाभ पर भी दे दी गई थी। राजकोषीय रियायतों तथा सरकार द्वारा लागू स्थापना-स्थल नीति के अनुसार भी सामान्यतया मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं तथा म्युनिसिपल नगरों में नए एककों की स्थापना तथा विद्यमान एककों के पर्याप्त विस्तार की अनुमति नहीं दी जाती । प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम से आशा की जाती है कि वह नई जगह पर अपना व्यवसाय स्थानांतरित करने के लिए उपलब्ध रियायतों/सुविधाओं का लाभ उठाए ।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से हमें अपने देश के इतिहास में हुई सबसे भयंकर औद्योगिक दुर्घटना का सामना करना पड़ा है, और वह घटना भोपाल की है। भोपाल, में भी नागासाकी और हिरोशिमा के समान ही विनाश हुआ। पूरे विश्व में इस विनाश के कारणों का अध्ययन और विश्लेषण किया गया और उद्योगों की सुरक्षा संबंधी उपायों को सुदृढ़ किया गया तथा और उपाय किए गए । मैं नहीं जानता कि क्या हमारे देश में इस संदर्भ में काफी कुछ किया गया है । किंतु मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में जो कुछ बताया है वह बहुत कष्टदायी है ।

महोदय, केवल दिल्ली में ही भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में ऐसी खतरनाक औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1476 है जो पर्यावरण को दूषित कर रही हैं और लोगों के अंदर जहरीले पदार्थ पहुंचा रही हैं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं । विशेष रूप से तब जब भोपाल त्रासदी का एक वर्ष पूरा होने पर भारत की जनता इस बारे में सोच विचार कर रही है । गैस का रिसाव 3 सितम्बर को हुआ । नजफगढ़ रोड पर स्थित श्रीराम फूड्स एंड फरटीलाइजरस फैक्टरी के बारे में सरकार को जानकारी थी·····।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए ।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं । इसका अध्ययन करने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली प्रशासन की आयुक्त, गीता बाली ने इस बारे में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है कि यह कारखाना बंद कर दिया जाना चाहिए और इसका स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए। यहां तक

कि एक ब्रिटिश विशेषज्ञ, डा० लेडर ने भी, जिन्हें यहां बुलाया गया था, ऐसी ही रिपोर्ट पेश की है। श्री मनमोहन सिंह ने यह रिपोर्ट दी.....।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। आप क्या कर रहे हैं?

प्रो० के० के० तिवारी : जब मैं प्रश्न पूछना शुरू करता हूं तो यही सब होता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। मैं आपके हित की बात कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी :यदि आप मुझे सभा में हमेशा चुप कराते रहे तो मैं सभा से बाहर चला जाऊंगा। आपने लोगों की बात 10-15 मिनट तक सुनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न नहीं पूछ कर इस मामले की महत्ता समाप्त कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, वह धमकी दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह मुझे धमकी दे सकते हैं क्योंकि वह मेरे गुरू हैं। मुझे बुरा नहीं लगता। मैं उन्हें केवल यही कह रहा हूं कि वह अपना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें।

प्रो० के० के० तिवारी : इस गैस रिसाव की घटना से पूर्व सरकार द्वारा गठित समितियों द्वारा कई प्रतिवेदन रखे गए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा नियुक्त समितियों के इन सब प्रतिवेदनों का क्या हुआ?

अब मैं वायु और जल प्रदूषण बोर्ड के बारे में कहूंगा। उन्होंने इस घटना से पूर्व श्रीराम फूड् एंड फर्टीलाइजर्स यूनिट को श्रेष्ठता का प्रमाण पत्र दिया। फिर जो उच्चतम न्यायालय की समिति नियुक्त की गई थी उसने भी सुझाव दिया कि इस यूनिट को उस स्थान से हटाया जाना चहिए था। इसे देखते हुए, सरकार क्या कदम उठा रही है?

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न यह है कि क्या आप उनके भाषण से सहमत हैं?

श्री नरायण दत्त तिवारी : मैं समझता हूं कि मैं माननीय सदस्य की बात से मेरा सहमत होना प्रशंसा करने के हमारे स्वभाव पर निर्भर करता है।

माननीय सदस्य ने यह जिक्र किया है कि सारा मामला उच्चतम न्यायालय के सामने है। यहां तक कि आज के समाचार पत्र में भी आप देख सकते हैं कि इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा कल दिए गए आदेश का जिक्र है, जिसमें उन्होंने उसी जगह पर यह रसायन कारखाना पुन: खोलने के संबंध में लगाई गई शर्तों में कुछ छूट दी है और कुछ कड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। उच्चतम न्यायालय का निर्णय जैसे ही हमें प्राप्त होगा उसका अध्ययन किया जाएगा। यह निर्णय कल दिया गया था और हमें आज प्राप्त होगा।

मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जहां तक इस कारखाने को स्थानांतरण का प्रश्न है, मैंने इस बारे में दिल्ली प्रशासन को गंभीरता से विचार करने के लिए कहा है। जहां तक उच्चत्तम न्यायलय द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्णय का संबंध है, हमें इसका पालन करना है। जहां तक कारखाने के स्थानांतरण का प्रश्न है, दिल्ली प्रशासन को यह सलाह दी गई है कि वह इस मामले पर उच्चत्तम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार तुरन्त विचार करे।

प्रो० के० के० तिवारी : उच्चत्तम न्यायालय द्वारा गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। मैं उस रिपोर्ट से पढ़कर सुनाता हूं :

"प्रदूषण के खतरे से स्पष्टतया पूरी तरह तभी बचा जा सकता है जब संयंत्र की स्थापना ऐसे क्षेत्र में की जाए, जहां लोग न रहते हों।"

उच्चत्तम न्यायालय ने इस इकाई के स्थानांतरण के विरुद्ध कोई विनिर्णय या निर्णय नहीं दिया है। अतः पिछले कई वर्षों से इस इकाई द्वारा उत्पन्न खतरे तथा सरकार द्वारा नियुक्त समितियों द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस इकाई के स्थानातरण के लिए तुरन्त कदम उठायगी और पूरे देश में सुरक्षा संबंधी उपायों की समीक्षा करेगी क्योंकि ऐसी हजारों इकाइयां हैं जो जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसे देखते हुए, क्या सरकार ने इस मामले के संबंध में कोई व्यापक नीति बनाई है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं माननीय सदस्य को पहले ही यह आश्वासन दे चुका हूं कि दिल्ली प्रशासन को इस उद्योग विशेष को दिल्ली से स्थानातंरित करने के मामले में विचार करने के लिए कहा जा रहा है। जहां तक सुरक्षा उपायों का संबंध है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उन उपायों का जिक्र किया गया है जिनको उठाये जाने का विचार है। कई संशोधन विचाराधीन हैं। खतरनाक प्रक्रियाओं, उसी स्थान पर नाश नियन्त्रण संयत्र और कड़ी सजा के संबंध में सुरक्षा उपबन्धों को सुदृढ़ करने को ध्यान में रखते हुए, कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन करने का विचार है। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि खतरनाक पदार्थों को लाने ले जाने के समय दुर्घटनाओं से बचने के लिए मोटर यान अधिनियम में संशोधन करे। जल-प्रदूषण अधिनियम, प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम,1974, वायु प्रदूषण अधिनियम, 1981 को, उन उद्योगों के लिए, जिनसे वायु और जल प्रदूषण होने का खतरा हो सकता है कड़े दंड की व्यवस्था द्वारा बन्द करने के अधिक अधिकार देकर और आम नागरिकों को दोषी उद्योगों के विरुद्ध शिकायत दर्ज, कराने की सुविधा देकर सुदृढ़ करने का विचार है।

राष्ट्रपति ने खतरनाक पदार्थों नियन्त्रण विधेयक को भी बनाने का प्रस्ताव किया है।

पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक दूसरा सामान्य कानून बनाने का विचार है। इस कानून में एक उच्च स्तरीय प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है जो इस विषय में विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों को समन्वय करेगा।

इस विधेयक में पर्यावरण प्रयोगशालाओं के निर्माण का भी प्रस्ताव है। जहां तक स्थान निर्धारण नीति का संबंध है, 20 उच्च प्रदूषण उद्योगों के मामले में पहले ही पर्यावरण संबंधी अनुमति लेने की व्यवस्था कर दी गई है।

इनमें से बहुत से उठाये गये कदमों से माननीय सदस्यों के सुझावों को लागू किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्ता : माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने बहुत अच्छी बात कही कि हम इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक लायेंगे जिससे पर्यावरण की समस्याओं का निदान

हो सके। उन्होंने यह भी बताया है कि दिल्ली प्रशासन के उद्योग विभाग ने जो सवेक्षण किया है, इसके अन्तर्गत 1476 ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन के द्वारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और 1202 ऐसी इकाइयां हैं जिन के द्वारा जहरीली गैस का रिसाव होता है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एक ऐसी नीति बनायी है जिस के द्वारा वह औद्योगिक इकाइयां जो कि भीड़-भाड़ वाले इलाकों में हैं, उनको करों से मुक्ति दी जायेगी तथा और सुविधाएँ दी जायेगी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि ऐसी कितनी औद्योगिक इकाइयां हैं जिन को यह सुविधायें मिलने से फायदा होगा और कितनी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जो कि भीड़-भाड़ वाले इलाके से अपने कारखाने को दूर ले गई हैं तथा सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन् माननीया सदस्या दिल्ली की भौगोलिक स्थिति से परिचित हैं कि दिल्ली जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके चारों ओर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पास में राजस्थान भी है। यहां-से हटकर किस प्रकार से उद्योग कहां-कहां पर गये हैं, इसके पूरे आंकड़े जब तक सारी राज्य सरकारों का समन्वय आंकड़ों के सम्बन्ध में न हो तब तक प्राप्त करना कठिन है। मैंने स्वयं इस बात का प्रयास किया है कि पूरे आंकड़ें मेरी समझ में आ सकें। मेरे पास इस समय वह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आसपास के इलाकि जैसे कि नौएडा से लेकर साहिबाबाद, गुड़गांव, धारूहंड़ा और फरीदाबाद से आगे बल्लभगढ़, इनमें तमाम वही उद्योग हैं जो कि दिल्ली में लगने थे या दिल्ली के लोगों ने यहां केन्द्र बनाकर दिल्ली से बाहर चारों तरफ यह उद्योग लगाये हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : मैं उन गैर-सरकारी उद्योग पतियों के निर्मम दृष्टिकोण को समझता हूं जो इन प्रदूषक कानूनों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे उपक्रम, जो पूर्णतया सरकार द्वारा नियन्त्रित हैं, और वह भी केन्द्रीय सरकार द्वारा, लगातार इन प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन रहे हैं। मैंने स्वयं अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक उद्योग की शिकायत की है यह कोट्टायम स्थित अरदबारी कागज का कारखाना, जो पास की नदी में मल निस्राव करता है। कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार उन सार्वजनिक उद्यमों पर क्या कड़े नियन्त्रण लगा रही है जिन पर प्रदूषणों के नियमों के उल्लंघन करने के बहुत से आरोप हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : ये कानून सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी कठोरता से लागू होने चाहिए।

जहां तक केरल के इस उपक्रम विशेष का सम्बन्ध है, मैं वहां गया हूं और हमने प्रदूषण-रोधी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की है और हमने सभी सम्भव उपकरणों को लगाया है। माननीय सदस्य, यदि प्रदूषण को और कम कैसे किया जा सकता है, इस बारे में मुझे लिखेंगे तो मैं उनका आभारी हूंगा।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा अगर किन्हीं तकनीकी कारणों से सुप्रीम कोर्ट आफ इंडिया ने श्री राम फैक्ट्री को

हटाने का नहीं आदेश दिया है तो क्या सरकार यह संकल्प रखती है कि उन तकनीकी कारणों को दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन् मैं अभी इस सम्बन्ध में निवेदन कर चुका हूँ, को देहली के स्थान से हटाने के बारे में दिल्ली प्रशासन कदम उठाने पर विचार करेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत

*231. **श्री पी० कुलनवईवेलू :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत राष्ट्र मण्डल के अन्य विकासशील देशों की तुलना में अधिक है या कम है; और

(ग) यदि यह कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्री श्री वसन्त साठे : (क) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1985 में प्रकाशित की गई पुस्तक "एनर्जी स्टेटिक्स इयर बुक" के अनुसार 1983 में भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 202 किलोवाट आवर थी । कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति खपत लगभग 24 किलोवाट आंकी गई है । यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि क्षेत्र में खपत लगभग 18.7% है ।

ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने घरेलू क्षेत्र के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपयोगी ऊष्मा की 680 किलो कैलोरी की आवश्यकता का अनुमान लगाया है । ऊर्जा नीति (1979) से सम्बन्धी कार्य दल ने ऊर्जा की विभिन्न किस्मों की प्रतिशतता के भाग का अनुमान लगाया है जो कि निम्नानुसार है :

1. बिजली	0.6%
2. तेल उत्पाद	16.9%
3. कोयला उत्पाद	2.3%
4. जलाऊ लकड़ी	68.5%
5. गोबर	8.3%
6. अन्य	3.4%

वाणिज्यिक ईंधन का अंश—20.0%

गैर वाणिज्यिक ईंधन का अंश—80.0%

(ख) "एनर्जी स्टेटिक्स इयर बुक" के अनुसार कुछ विकासशील देशों में 1983 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत नीचे दिये गए अनुसार थी :

	(यूनिट में)
भारत	202
बंगलादेश	39
मलेशिया	820
श्रीलंका	134
केन्या	124
नाइजीरिया	94
मारिशस	422
उगाण्डा	30
तंजानिया	34
जाम्बिया	1106

उपर्युक्त देशों में वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत नीचे दिए गए अनुसार थी :

	(समतुल्य किलोग्राम कोयला)
भारत	231
बंगलादेश	48
मलेशिया	896
श्रीलंका	134
केन्या	95
नाइजीरिया	191
मारिशस	276
उगाण्डा	24
तंजानिया	43
जाम्बिया	354

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई में वृद्धि करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

1. गांवों के विद्युतीकरण और पम्पसेटों के ऊर्जन को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।
2. वनरोपण कार्यक्रमों के जरिए जलाऊ लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि की जा रही है।
3. तापीय दृष्टि से कुशल और धुएं रहित चूल्हों का कार्यक्रम शुरू किया गया है।
4. गोबर गैस संयंत्र स्थापित करने का एक वृहत् कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।
5. सौर, वायु तथा बायोमास पर आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन देकर भी ऊर्जा की उपलब्धता में वृद्धि की जा रही है।

[हिन्दी]

दिल्ली में टेलीफोन कनेक्शनों का प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाना और स्थानांतरण

*232. **श्री राज कुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन टेलीफोन केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां से न तो नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जा रहे हैं और न ही पुराने टेलीफोन कनेक्शनों को स्थानांतरित किया जा रहा है,

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान इन टेलीफोन केन्द्रों से प्राथमिकता के आधार पर कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए और इनमें कितने पुराने टेलीफोनों को स्थानांतरित किया गया, और

(ग) प्राथमिकता के आधार पर नए टेलीफोन कनेक्शन देने और पुराने टेलीफोन कनेक्शनों को स्थानांतरित करने के क्या आधार हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दिल्ली में शाहदरा पूर्व-I और II ("20" तथा "86" एक्सचेंज) तथा शक्तिनगर टेलोफोन कनेक्श एक्सचेंजों से न तो नए टेलीफोन कनेक्शन दिए जा रहे हैं और न ही पुराने टेलीफोन अंतरित किए जा रहे हैं। फिर भी, शक्तिनगर एक्सचेंज में टेलीफोन अंतरण के लिए 31.12.1985 तक दर्ज सभी आवेदकों को शीघ्र ही निपटाए जाने की संभावना है। यह कार्य "74 एक्सचेंज का 1200 लाइनों में विस्तार हो जाने के बाद पूरा होगा जिसके मार्च, 1986 में विस्तार करने का कार्यक्रम है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कुछ विशेष मामलों में, जो मामले के गुणावगुणों पर निर्भर है, ऐसे एक्सचेंजों में नए कनेक्शन और टेलीफोन अन्तरण की अनुमति दे दी जाती है।

[अनुवाद]

तेल की खोज के काम के लिए विदेशी कम्पनियों को भूतकाल में दिए गए ठेकों के लाभ

*233. **श्री जी० भूपति :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों की संख्या और नाम क्या हैं, जिन्हें देश में तेल की खोज के काम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ठेके दिए गए थे और इन कम्पनियों को दिए गए ठेकों की शर्तें क्या थीं; और

(ख) इन ठेकों से देश को क्या लाभ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी विदेशी कम्पनी को अन्वेषण ठेका नहीं दिया गया है।

बंगलौर को अतिरिक्त बिजली सप्लाई

*235 श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर को रामगुन्डम ताप-बिजली घर से उसका बिजली का हिस्सा सीधे मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसका कारण यह है कि कुडप्पा बंगलौर ट्रांसमिशन लाइन पूरी नहीं हुई है;

(ग) यदि हां तो कुडप्पा-बंगलौर लाइन कब तक पूरी हो जायेगी; और

(घ) क्या रामगुन्डम ताप-बिजली घर से बंगलौर शहर को अतिरिक्त बिजली की सप्लाई करने हेतु सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है, क्योंकि बंगलौर में केन्द्रीय सरकार के अनेक उपक्रम हैं और वहां बिजली की अत्यधिक कमी है ?

ऊर्जा मन्त्री श्री वसन्त साठे : रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से कर्नाटक के लिए आबंटित विद्युत राज्य ग्रिड में दी जाती है; ग्रिड से बंगलौर जैसे अलग-अलग शहरों को विद्युत सप्लाई करना कर्नाटक के प्राधिकारियों का दायित्व है। अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान कर्नाटक को केन्द्रीय क्षेत्र के रामागुण्डम ताप विद्युत केन्द्र से अपने 474.4 मिलियन यूनिट के हिस्से की तुलना में 733 मिलियन यूनिट विद्युत प्राप्त हुई थी। केन्द्र सरकार के उपक्रमों सहित राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई करना राज्य प्राधिकारियों का दायित्व है। कुड्डापाह-बंगलौर पारेषण लाइन अप्रैल, 1986 के अंत तक पूरी हो जाने की आशा है।

अनुसूचित जातियों, गिरिजनों और आदिवासी लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

*236 प्रो० के० वी० थामस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों, गिरिजनों और आदिवासी लोगों की आबादी वाले क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा,

(ख) इन क्षेत्रों में अब तक कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं, और

(ग) क्या उद्योगों के लिए अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं जैसे बिजली, सड़क, रेल, संचार के द्वारा अनुसूचित जातियों, गिरिजनों ओर आदिवासियों की आबादी वाले क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलती है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता प्रदान करने के लिए क, ख और ग श्रेणियों में रखा गया है तथा इन जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने के लिए उद्यमी रियायती वित्त, आय कर रियायतें आदि के अलावा श्रेणी "क" में 25 प्रतिशत, "ख" में 15 प्रतिशत और "ग" में 10 प्रतिशत की सहायता के पात्र हैं। गिरीजनों और आदिवासियों वाले अधिकांश जिले इन

श्रेणियों में से एक श्रेणी में शामिल किए गए हैं। अनुसूचित जाति के लोग देश के लगभग सभी जिलों में रहते हैं और इसलिए उनके लिए कोई विशेष केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना तैयार करना संभव नहीं है। तथापि, विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत, जो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को उदरीकृत सहायता दी जाती है। खादी और ग्रामोद्योग के कुछेक कार्यक्रम जैसे ऊनी खादी टसर सिल्क खादी, ग्रामीण चमड़ा, अखाद्य तेल के बीजों का संग्रहण मधुमक्खी पालन, रेशा और वन पर आधारित उद्योग मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कारीगरों को रोजगार प्रदान करते हैं।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ग) जी हां, । सरकार को जानकारी है कि पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित औद्योगीकरण की एक बाधा अवस्थापनापरक सुविधाओं का अभाव है। इसीलिए प्रत्येक उद्योग रहित जिले में एक या दो निर्धारित संवृद्धि केन्द्रों में अवस्थापनापरक विकास करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने का निर्णय किया गया है केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता अवस्थापनापरक विकास की कुल लागत के एक तिहाई तक सीमित होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति जिला 2 करोड रु० होगी अवस्थापनापरक सुविधाएं, जिनके लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है, प्रवेश सड़कें (एपरोच रोडस) वाटरवर्क्स, बहिः प्रवाही, विसर्जन प्रणाली, पुलिया, सामान्य उपयोग की वस्तुएं, विद्युत उप-केन्द्र, जल निकासी (ड्रेनेज) औद्योगिक आवास और अतिरिक्त सुविधाएं हैं, जो सामान्यतया राज्य सरकार द्वारा संवृद्धि केन्द्रों में प्रदान की जाती हैं। पिछड़े जनजातीय जिलों और श्रेणियों को जिनमें इन्हें शामिल किया गया है संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनजातीय जिलों की सूची

राज्य	जिला	वर्गीकरण
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	ख और ग
	वारंगल	ख और ग
	खम्मान	ख और ग
2. असम	गोलपारा	क
	कामरूप	क
	नौगांव	क
	दरांग	क
	शिवसागर	क
	डिब्रूगढ़	क
	लखीमपुर	क
	कछार	क

1	2	3
3. बिहार	पालामू	ख
	सन्थाल परगन	ख
4. गुजरात	डांग	क
	पंचमहल	ख
	भड़ौच	ख
	बनासकंठा	ग
	साबरकंठा	ग
5. हिमाचल प्रदेश	किनौर	क
	लाहौल और स्पीति	क
	चम्बा	क
6. कर्नाटक	मैसूर	ख
	दक्षिण कनारा	ग
7. केरल	इडुक्की	क
	मालापुरम	ख
	कैनानूर	ख
	त्रिवेन्द्रम	ग
8. मध्य प्रदेश	अबुआ	क
	धार	क
	छिंदवाड़ा	क
	बालाघाट	क
	मांडला	क
	सरगुजा	क
	सीधी	क
	सिवनी	क
	मुरैना	ख और ग
	खरगोने	ख और ग
	रतलाम	ख और ग
	रायपुर	ख और ग
	बिलासपुर	ख और ग

1	2	3
	बेतुल	ग
	बस्तर	ग
	रायगढ़	ग
	होशंगाबाद	ग
	राजनन्दगांव	ग
9. महाराष्ट्र	गढ़ चिरौली	क
	चन्द्रपुर	ख
	जलगांव	ग
	नान्देड	ग
	यवतमाल	ग
	धूलिया	ग
10. मणिपुर	मणिपुर-उत्तर	क
	मणिपुर-दक्षिण	क
	मणिपुर-पूर्व	क
	मणिपुर-पश्चिम	क
	टोंगलोपाल	क
11. उड़ीसा	बालासोर	क
	फूलबनी	ख
	कालाहांडी	ख
	मयूरभंज	ख
	क्योंझर	ख
	कारापुट	ख
12. राजस्थान	सिरोही	क
	उदयपुर	ख
	बनासवारा	ग
	डूंगरपुर	ग
13. तमिलनाडु	उत्तरी अर्काट	ख और ग
	दक्षिणी अर्काट	ग
	तिरुचिरापल्ली	ग

1	2	3
14. उत्तर प्रदेश	गोंडा	ग
15. पश्चिम बंगाल	बांकुरा	क
	मालदा	क
	जलपाई गुड़ी	क
	दार्जिलिंग	क
	पुरूलिया	ख
	मिदनापुर	ख
	बीरभूम	ग
	पश्चिम दीनाजपुर	ग
	मुर्शिदाबाद	ग
	बर्दवान	ग
	हुगली	ग
16. त्रिपुरा	उत्तर त्रिपुरा	क
	दक्षिण त्रिपुरा	क
	पश्चिम त्रिपुरा	क
17. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार	क
18. गोवा, दमन और दीव	दमन	क
19. नागालैंड	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	क
20. मेघालय	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	क
21. मिजोरम	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	क
22. अरुणाचल प्रदेश	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	क
23. दादर और नगर हवेली	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	क
24. लक्षद्वीप	समस्त संघ राज्य क्षेत्र	क

अनिवासी भारतीयों के केरल में उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव

*237 श्री सुरेश कुरूप : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों की सहायता से केरल में उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले दो वर्षों में कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं; और

(ख) अनिवासी भारतीयों की सहायता से केरल में अब तक कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री नरायण दत्त तिवारी) (क) नवम्बर 1983 में विशेष अनुमोदन समिति (प्रवासो भारतीय) के गठन के बाद से केरल में एककों की स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्रवासी भारतियों से केवल तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। ये प्रस्ताव पॉलीएसेटल रेज़िन, टी० वी० पिक्चर ट्यूबों और कंप्यूटर प्रणालियों के लिए इलेक्ट्रान गन असेम्बली, डेज़ी व्हील प्रिन्टर्स, सी आर टी मानिटर्स माइक्रोफिश उपकरण तथा स्कैनिंग थिरैपी उपकरण बनाने के लिए थे। ये प्रस्ताव सरकार द्वारा इस आधार पर अस्वीकृत कर दिये गये थे कि पहले से अनुमोदित पर्याप्त क्षमता के कारण और लाइसेंस देना बंद कर दिया गया है, प्रस्ताव ठीक से तैयार नहीं किया गया था, उत्पादन किट आयातों पर आधारित था और आवेदक अपना उत्पादन बेच पाने में समर्थ नहीं होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा के पुनः प्रयोग में लाये जा सकने वाले तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों से बिजली का उत्पादन

*238. **श्री बी० के० गढ़वी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऊर्जा के पुनः प्रयोग में लाये जा सकने वाले तथा गैर-पारम्परिक स्रोतों से कितने मैगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में और परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से तापीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए वर्तमान में चल रहे बड़े पैमाने के कार्यक्रमों के अलावा विद्युतीय क्षमता के 2.75 मेगावाट को पहले ही स्थापित किया जा चुका है तथा अतिरिक्त 5.5 मेगावाट प्रतिष्ठापन के अधीन है।

(ख) और (ग) जी हां। सातवीं योजना अवधि के दौरान सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास तथा अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन के लिए कई परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। इन परियोजनाओं में सौर प्रकाशवोल्टीय, पवन फार्मों की स्थापना, गैसीफायरों पर आधारित विद्युत उत्पादक एकक, शहरी कूड़ा-करकट और कृषि अपशिष्ट से विद्युत तथा लघु जलीय विद्युत आदि द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण शामिल हैं। कुल क्षमता और अवस्था ऐसी परियोजनाओं के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगी।

रायचूर ताप-विद्युत संयंत्र और सूपा स्थित काली परियोजना

*240 **श्री डी० के० नायकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि कर्नाटक में बिजली की अत्याधिक कमी है;

(ख) यदि हां तो रायचूर में ताप विद्युत संयंत्र और सूपा स्थित काली परियोजना का कार्य पूरा करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है तथा इन दो परियोजनाओं को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने और इनमें बिजली का उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) रायचूर ताप विद्युत केन्द्र में 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें क्रमशः मार्च, 1985 और मार्च, 1986 में चालू कर दी गयी हैं। कालीनदी जल विद्युत परियोजना के सूपा बांध की 50-50 मेगावाट की दो यूनिटें भी क्रमशः अगस्त, 1985 और नवम्बर, 1985 में चालू कर दी गई हैं। इन परियोजनाओं से विद्युत का उत्पादन हो रहा है । रायचूर ताप विद्युत परियोजना में विलम्ब के मुख्य कारण सिविल कार्यों में देरी तथा परियोजना स्थल पर आग लगना थे। सूपा बांध की यूनिटों के बारे में विलम्ब बांध के निर्माण के दौरान सामने आई भू-वैज्ञानिक कठिनाइयां हैं।

केरल में टेलीफोन केन्द्रों का आधुनिकीकरण

*242. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेलीफोन केन्द्रों का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि, हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने के बारे में निम्न-लिखित प्रस्ताव हैं :

1. इस वर्ष के दौरान चंगनाचेरी के मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज के बदले 2000 लाइनों की क्षमता का एक स्वचल इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाया गया।
2. 1987-88 के दौरान एर्नाकुलम में इलेक्ट्रानिक ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा।
3. सातवीं योजना के दौरान त्रिवेन्द्रम (10,000 लाइनें) एर्नाकुलम (3000 लाइनें) तथा कोट्टायम (5000 लाइनें) में ई-10 बी किस्म के इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना तैयार की गई है ।
4. 1986-87 में कालपट्टा (600 लाइनें) और मन्नार (400 लाइनें) में छोटे इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे।

विद्युत वित्त निगम

*243 **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में स्थापित किए जाने वाले विद्युत वित्त निगम के मुख्य कार्य क्या होंगे; और

(ख) इस संबंध में उठाए गए कदमों और जो अन्य कदम उठाने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे : (क) और (ख) विद्युत वित्त निगम अन्य बातों के साथ-साथ ताप विद्युत, जल विद्युत और पारेषण परियोजनाओं के लिए, नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमों के लिए तथा प्रणाली सुधार स्कीमों के लिए आवधिक वित्त व्यवस्था करेगा। विद्युत वित्त निगम को 1986-87 में स्थापित किए जाने लिए निगम संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

2173. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को वर्ष-दर-वर्ष भारी घाटा उठाना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 से 85-86 के दौरान कितना घाटा हुआ;

(ग) इसके प्रमुख कारण क्या थे;

(घ) क्या बिजली की चोरी के कारण होने वाले घाटे का कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) बिजली की इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिये क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क)से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान 1973-74 से राजस्व का घाटा उठा रहा है, जिसके मुख्य कारण विद्युत के उत्पादन/सप्लाई के निवेशों की लागत में वृद्धि होना तथा खरीदी गई विद्युत की लागत में वृद्धि होना है 1982-83 और उसके बाद के राजस्व घाटे के अन्तिम आंकड़े नीचे दिए गए अनुसार हैं :

वर्ष	घाटा (करोड़ रुपये में)
1982-83	67.45
1983-84	97.54
1984-85	118.99

वर्ष 1985-86 के दौरान यदि कोई राजस्व घाटा होगा तो वह वर्ष की समाप्ति के बाद पता चलेगा।

(घ) और (ङ) बिक्री के लिए उपलब्ध ऊर्जा और वह ऊर्जा, जिसके लिए बिल बनाया जाता है, दोनों के बीच का अन्तर सामान्यतः पारेषण और वितरण हानियां होती हैं जो लगभग 18% बैठती हैं। पारेषण और वितरण हानियों में निम्नलिखित हानियां शामिल होती हैं; (1) तकनीकी हानियां जो पारेषण और लाइन हानियों के कारण होती हैं; (2) हेराफेरी अथवा

चोरी के कारण होने वाली वाणिज्यिक हानियां। कुल पारेषण हानियों में से ऊर्जा की चोरी को अलग करना सम्भव नहीं है, तथापि पारेषण और वितरण हानियों में काफी बड़ा भाग तकनीकी हानियों का होता है।

विद्युत की चोरी को रोकने के लिए, समय-समय पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान आकस्मिक छापे मारता है। ऊर्जा की चोरी का मामला पकड़े जाने पर, दोषी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में आवश्यक एफ० आई० आर० दर्ज कराई जाती है। इस प्रकार गैर-सरकारी ढंग से ली जाने वाली सप्लाई को काट दिया जाता है तथा इसके अलावा संबंधित पार्टी से वसूली करने के सम्बद्ध किए गए भार के आधार पर ऊर्जा की खपत का निर्धारण किया जाता है।

"इन्सेट-बी" नेटवर्क में, दूरसंचार सर्किटों की क्षमता का उपयोग

2175. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इन्सेट-बी" नेटवर्क के दूरसंचार सर्किट की क्षमता का दिसम्बर, 1985 के अन्त तक उपयोग किये जाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे,

(ख) क्या लक्ष्य क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया गया है,

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1985 के किस महीने में पूरी लक्ष्य प्राप्त की गई थी, और

(घ) इस संबंध में भावी कार्यक्रम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 3956 ट्रंक दूरसंचार सर्किटों की नियोजित क्षमता का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) नवम्बर, 1985

(घ) इनसेट-1-सी के चालू हो जाने के बाद दूरसंचार सर्किटों की क्षमता को लगभग 50 प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली में टेलीफोनों का खराब हो जाना

2176. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 फरवरी की रात को हल्की बूंदाबांदी के बाद अकेले दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में दो हजार से अधिक और दिल्ली के अन्य भागों में हजारों टेलीफोन खराब हो गये थे;

(ख) क्या अधिकांश क्षेत्रों में केबिल में खराबी का पता लगाने वाले दो इलैक्ट्रानिक यंत्र लोकेट, जो 5-15 मिनटों में खराबी का पता लगा लेते हैं, प्रयोग नहीं किए गये; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और टेलीफोनों के इतनी बड़ी संख्या में खराब हो जाने को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 9.2.86 की रात को भारी मूसलाधार वर्षा हुई थी जो पूरी रात चलती रही । लगभग 3000 टेलीफोन दक्षिण दिल्ली में तथा लगभग 2500 टेलीफोन शेष दिल्ली में प्रभावित हुए ।

(ख) खराबियों का पता लगाने के लिए दक्षिण दिल्ली में नवीनतम पल्स प्रतिध्वनित किस्म के केबिल दोष लोकेटर का विस्तृत रूप से प्रयोग किया गया ।

(ग) टेलीफोन केबिलों में पानी रिसने के कारण प्रभावित हुए । केबिल खराबी को दूर करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं :—

(1) डक्ट में नए जंक्शन, प्राइमरी, सेकेण्डरी केबिल बिछाना ताकि उन्हें बाहरी क्षति से बचाया जा सके ।

(2) केबिल खराबियों को कम करने के लिए प्राइमरी, सेकेण्डरी और जंक्शन केबिलों का दाबीकरण ।

(3) वितरण नेटवर्क में जेली भरे केबिलों का इस्तेमाल करना ताकि केबिलों में पानी के प्रवेश को रोका जा सके ।

(4) केबिलों को बंद करने से पूर्व खाइयों में पानी भरा जा रहा है ताकि खाइयों या केबिलों को बिछाने के दौरान किसी खराबी का पता लग सके । जनता से कहा जा रहा है कि वे खुदाई करने से पहले "डायल बिफोर यू डिग" सेवा पर सूचित करें ताकि खुदाई कार्य में व्यस्त अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क कायम रखा जा सके ।

(5) केबिल मार्गों की व्यापक गश्त लगाना जिससे खुदाई कार्य का पता लग सके और केबिलों को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए एहतियाती कदम उठाए जाएं ।

(6) खुदाई संबंधी गतिविधियों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए अंतर उपयोगी सेवा समितियों का गठन किया गया है ।

केरल को मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि

2177. **श्री० टी० बशीर : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) केन्द्रीय पूल से केरल को पिछले वर्ष महीने-वार कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया गया;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मिट्टी के तेल का वर्तमान आबंटन राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है;

(ग) क्या सरकार को केरल सरकार से मिट्टी के तेल के आबंटन में वृद्धि करने के लिये कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1985 के दौरान प्रति माह केरल राज्य को आवंटित मिट्टी के तेल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता का अनुमान 4 महीनों के आधार पर पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि में आबंटित मात्रा में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर लगाया जाता है। केरल को इसी आधार पर आवंटन किया गया है। इसके अतिरिक्त एल० पी० जी० की कमी जैसी विशेष स्थितियों से निपटने के लिए उन्हें तदर्थ आधार पर भी आवंटन किया गया।

(ग) जी, हां।

(घ) केरल राज्य को सर्दी के मौसम नवम्बर, 1985 से फरवरी 1986 तक की अवधि में साढ़े सात प्रतिशत की वृद्धि देकर मिट्टी के तेल का आबंटन किया गया तथा गर्मी के मौसम मार्च-जून 1986 की अवधि में 7 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

विवरण

वर्ष 1986 के दौरान प्रति माह केरल राज्य को आवंटित मिट्टी के तेल का विवरण

(मीट्रक टन)

महीना	मात्रा
जनवरी	15,750
फरवरी	16,250
मार्च	15,000
अप्रैल	14,680
मई	14,000
जून	13,380
जुलाई	14,900
अगस्त	14,900
सितम्बर	14,900
अक्टूबर	14,900
नवम्बर	17,240
दिसम्बर	17,240
जोड़	1,83,140

खम्भात में गंधार में तेल और गैस के भण्डार

2178. **श्री दिग्विजय सिंह :**

श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात बेसिन में नया पता लगाया गया गंधार तेल-क्षेत्र बम्बई हाई के बाद दूसरा सबसे बड़ा तेल क्षेत्र समझा जाता है;

(ख) वहां हाइड्रोकार्बन भंडार की कितनी मात्रा है तथा उसमें तेल और गैस का अनुपात है; और

(ग) इसका उत्पादन कब तक शुरू होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) कैम्बे में गन्धार क्षेत्र का अभी मूल्यांकन हो रहा है ।

(ग) ओ एन जी सी का गन्धार में जुलाई 1986 से परीक्षण उत्पादन आरम्भ करने की योजना है ।

सरकारी क्षेत्र में किए गए पूंजीनिवेश से लाभ

2179. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चत करने का निर्णय किया है कि लाभ प्रदता में/भारी सुधार लाकर और उत्तरदायित्व के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में किए गए/पूंजीनिवेश से लाभ प्राप्त हो जैसाकि 13 फरवरी, 1986 के "इकनामिक टाइम्स" में छपा है; और

(ख) क्या सरकार का विचार शीर्ष प्रबन्ध को व्यवसायिक बनाने और नौकर- शाही के नियंत्रण तथा अत्यधिक केन्द्रीयकरण को हटाने का भी है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन में सुधार करके, उनकी लाभकारिता बढ़ाने के लिए निरन्तर प्रयास करती आ रही है ।

(ख) सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनके दक्षतापूर्ण कार्यचालन के अन्तर्गत देश का सर्वाधिक हित निहित होने तथा संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही के अनुरूप व्यवसायीकरण तथा स्वायत्तता अन्त: क्षेपित की जाय ।

मध्य प्रदेश के खरगौन जिले के गांवों में टेलीफोन सुविधाएं

2180. **श्री सुभाष यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें वर्ष 1986-87 के दौरान टेलीफोन सुविधाएं प्रदान करने की संभावना है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आठ गांवों में टेलीफोन सुविधा सुलभ कराए जाने की संभावना है ।

(ख) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित करने के लिए निधि की व्यवस्था वर्ष के लिए सर्किल को दी गई एकमुश्त अनुदान राशि से की जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए संयंत्रों तथा मशीनों की इन्वेन्टरी होल्डिंग

2181. **श्री एन० डेनिस** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के लिए संयंत्रों तथा मशीनों को "इन्वेटरी होल्डिंग" की एक नई प्रणाली शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी बंगाल में खाना पकाने की गैस सिलैण्डरों की मांग और उत्पादन

2182. **श्री आनन्द पाठक** :
श्री सैयद मसुदल हुसैन :
डा० सुधीर राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल राज्य में खाना पकाने की गैस के सिलेन्डरों की कुल कितनी मांग है और राज्य में इनका कितना उत्पादन होता है;

(ख) क्या राज्य में सिलेन्डरों की मांग और सिलेन्डरों की उपलब्धता में काफी अन्तर है;

(ग) अन्तर को किस प्रकार से कम किया जा रहा है, अन्य राज्यों से सिलेण्डर लाकर या अन्य साधनों से; और

(घ) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं को प्रति सिलेन्डर मजबूरन अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक मूल्य देना पड़ता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) किसी भी क्षेत्र में जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एल० पी० जी० की मांग समय-समय पर विद्यमान उपभोक्ताओं की संख्या, दिये जाने वाले नये कनैक्शनों, भरण क्षमता आदि पर निर्भर करती है । इन मांगों की पूर्ति प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा विद्यमान सिलेण्डरों से और पूरे देश में स्थित निर्माताओं से नए सिलिण्डर प्राप्त करके की जाती है । पश्चिम बंगाल में एल० पी० जी० की सप्लाई करने के लिए सिलिण्डरों की कोई कमी नहीं है ।

(घ) जी, नहीं ।

असम में तेल शोधक कारखाना

2183. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1985 को हुए असम समझौते के अनुसार असम में गैर सरकारी क्षेत्र में नया तेल शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सरकारी क्षेत्र के तेल निगम पर ऐसे कदम के पड़ने वाले प्रभाव का कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) असम में रिफाइनरी स्थापित करने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा सम्भाव्यता के बारे में सिफारिश करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था। इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट विचाराधीन है।

मोदी रबड़ लिमिटेड द्वारा टायरों और ट्यूबों का उत्पादन

2184. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोदी रबड़ लिमिटेड ने मापदंडों का उल्लंघन किया है और टायरों और ट्यूबों का लाइसेंस शुदा क्षमता से लगभग दुगना उत्पादन किया है; और

(ख) यदि हां तो उक्त औद्योगिक कम्पनी के विरूद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार के ध्यान में यह बात लायी गई है कि वर्ष 1979-80 के दौरान मै० मोदी रबर लिमिटेड ने 4 लाख संख्या की स्वीकृत क्षमता की तुलना में मोटर- गाड़ियों के 7.64 लाख टायरों और ट्यूबों का उत्पादन किया था। इस बारे में कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उसकी जांच हुई थी। जांच के दौरान यह पाया गया कि अधिक उत्पादन उन्नत प्रोद्योगिकी, दक्षता और संयंत्र और मशीनों का पूरी तरह उपयोग करके किया गया था न कि कोई अतिरिक्त मशीन स्थापित करके। साथ ही, फर्म के पास 2 लाख टायरों की अतिरिक्त क्षमता के लिए आशयपत्र सं० एल० आई० 735(80), दिनांक 6-12-80 मौजूद है। मामले की जांच की गई थी और 4-9-30 को अधिसूचित सरकारी योजना के अनुसार, लाइसेंस में दी गई उपक्रम की अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता को मोटर गाड़ियों के टायरों और ट्यूबों के लिए अलग-अलग 7.64 (सात दशमलव छः चार) लाख संख्या पर नियमित और पुनर्निधारित कर दिया गया। अतिरिक्त क्षमता को इस शर्त पर नियमित किया गया था कि इस प्रकार नियमित की गई क्षमता कम्पनी को स्वीकृत किये गये आशय पत्र सं० 735 (80), दिनांक 6-12-1980 में ही सम्मिलित समझी जाए।

हिमाचल प्रदेश में लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखायें खोलना

2185. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में हमीरपुर और मेहतपुर में लघु उद्योग सेवा संस्थान की शाखाएं खोलने की स्वीकृति के बारे में नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) यह मामला कब से सरकार के विचाराधीन है तथा विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) स्वीकृति मिलने तथा शाखाएं खोलने की सम्भावित तारीख क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) अगस्त, 1984 में लघु उद्योग सेवा संस्थान, सोलन हिमाचल प्रदेश से हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मेहतपुर में एक विस्तार केन्द्र और हमीरपुर में लघु उद्योग सेवा संस्थान की एक शाखा खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इन प्रस्तावों की अभी जांच की जा रही है ।

नये टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

2186. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े शहरों तथा कस्बों में प्रतीक्षा सूचियों के निपटान के लिए देश में और अधिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन्हें किन स्थानों पर स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) योजना अवधि के दौरान 11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें जोड़े जाने का प्रस्ताव है । यह वृद्धि नए एक्सचेन्ज खोलकर तथा मौजूदा एक्सचेन्जों का विस्तार करके की जानी है । योजना आयोग द्वारा आबंटित वास्तविक वार्षिक धनराशि के आधार पर प्रतिवर्ष जोड़ी जाने वाली नई लाइनों के बारे में लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं । छोटे आकार के एक्सचेन्ज 25 लाइनों के और बड़े आकार के एक्सचेन्ज 10,000 लाइनों से अधिक की क्षमता के होते हैं, इसे देखते हुए इस समय योजना अवधि के लिए समूचे देश में कुल संख्या निर्धारित कर पाना संभव नहीं है ।

भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्ज मजदूर संघ का अभ्यावेदन

2187. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वज मजदूर संघ, 13,-ए ट्रीक लेन, कलकत्ता से दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) उक्त अभ्यावेदन के बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वज लिमिटेड की संयंत्र क्षमता की अध्ययन रिपोर्ट, यूनियन की मांगों जैसे एल० टी० ए०, सी० सी० ए० तथा अन्य मामलों पर एक संक्षिप्त नोट दिया गया है।

(ग) और (घ) इस अभ्यावेदन की जांच की गई है और यह पाया गया है कि संयंत्र की क्षमता के उपयोग के लिए प्रस्ताव वास्तविक आंकड़ों पर आधारित नहीं है और इसका वर्तमान बाजार मांग, मूल्यों, उत्पादन तथा अब तक की उत्पादकता उपलब्धि से कोई सम्बन्ध नहीं है। जहां तक एल० टी० ए०, सी० सी० ए० तथा एच० आर० ए० प्रदान किये जाने हेतु यूनियन की विभिन्न मांगों का सम्बन्ध है इस समय कम्पनी की वर्तमान वित्तीय स्थिति इन मदों पर अतिरिक्त व्यय की अनुमति नहीं देती है। तदनुसार, प्रबन्धकों ने यूनियन को सूचना दे दी है।

भवानी पट्टन, जिला कलांहडि में सब डिवीजनल आफिस (टेलीफोन) खोलना

2188. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी स्थान विशेष के सबडिवीजन आफिस (टेलीफोन) खोलने के लिए क्या मापदण्ड हैं;

(ख) क्या भवानी पट्टन, जिला कलांहडि (उड़ीसा) में सब डिवीजनल आफिस (टेलीफोन) खोलना युक्तिसंगत है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उक्त क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए भवानी पट्टन में एक सब डिवीजनल आफिस (टेलीफोन) खोलने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) एक उप मण्डल कार्यालय (टेलीफोन) स्थापित करने संबंधी मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं।

विवरण

उप मण्डल कार्यालय (टेलीफोन) के लिए मानदण्ड

यदि संकेन्द्रित प्रणाली में कुल कार्यभार .65 अर्थात 4420 यूनिट हो जाता है तो एक उप मण्डल अधिकारी के पद की मंजूरी दे दी जाएगी। कार्यभार सभी परिसंपत्तियों के लिए नीचे दिए गए सहकारी कारणों के अनुसार परिकलित किया जाता है :

क्रम सं०	परिसम्पत्तियां	स्केल यूनिट
(क)	**बाह्य संयंत्र**	
	(i) एक्सचेंजों में डीईएल	0.8
	(ii) ईसी सहित पीवीएक्स/पीबीएक्स	

(क) 99 एक्सटेंशन अथवा कम	10	
(ख) 100 तथा अधिक	40	
(iii) सभी किस्म के एक्सटेंशन	0.3	
(iv) टेलेक्स उपभोक्ता	15	
किराये पर अथवा विभागीय टी० वी० परिपथ	15	प्रति परिपथ
(v) कैरियर/रिपीटर/बीएफटी प्रणालियां	65	
प्रति चैनल	5	
(vi) सी० टी० ओ०	40	प्रति कार्यालय
(vii) डी० टी० ओ०	20	प्रति कार्यालय
(viii) एनईलाइन/प्राइवेट वायर/एलडीपीसीओएस	4	प्रति कार्यालय
(ix) जूनियर इंजीनियर सहित बाह्य संयंत्र	5	
(x) जूनियर इंजीनियर (बाह्य)	15	

(ख) भीतरी संयंत्र

एक्सचेंज जिनकी निम्न सज्जित क्षमता हो।

(i) 1000-1999 लाइन	1100	
(ii) 200-2999 लाइन	1675	
(iii) 3000-4999 लाइन	3300	
(iv) 5000 तथा अधिक	5500	
(v) विशेष सेवा पोजीशन	15	प्रति पोजीशन
(vi) एसएलओडी/एमएलओडी/एलटीडी	2	प्रति सर्किट
(vii) टेलेक्स एक्सचेंज	240	प्रति एक्सचेंज
टेलेक्स चालू कनैक्शन	4	प्रति चालू कनैक्शन
(viii) जूनियर इंजीनियरों सहित भीतरी संयंत्रों के लिए स्वीकृत स्टाफ	8	
(ix) जूनियर इंजीनियर (भीतरी)	15	

(ग)	**ट्रंक संयंत्र**	
	निम्न सहित ट्रंक एक्सचेंज	
	(i) 10-15 परियात संचालन पोजीशन	500 प्रति एक्सचेंज
	प्रति जावक पोजीशन	150
	प्रति आवक/सीआईटी पोजीशन	100
	(ii) 16 अथवा अधिक परियात संचालन पोजीशन	700
	प्रति जावक पोजीशन	175
	प्रति आवक/सीआईटी पोजीशन	125
	(iii) उक्त से संबंधित रिकार्ड इंक्वायरी पोजीशन	15
	(iv) जूनियर इंजीनियर सहित ट्रंक संयंत्र	8
	(v) जूनियर इंजीनियर (ट्रंक)	15
(घ)	संकेन्द्रित प्रणाली में अन्य परिसंपत्तियां, जो उक्त मदों में समाविष्ट नहीं हो सकीं।	
	(1) एक्सचेंज 100-4999 रियायतें	125
	(i) दुष्कर भूभाग के लिए अर्थात भारत सरकार द्वारा माने गए दुष्कर भूभाग	उक्त यूनिट (क) (i) तथा (ख) (i) (ii), (iii) (iv) पर 25%
	(ii) क्रासबार प्रणालियां	उक्त क में यूनिटों पर 15%
	(2) टीएएक्स टर्मिनिशन :	
	(i) एक समान प्रति एक्सचेंज	समान आकार के एक्सचेंजों के बदले
	(ii) प्रति परिपथ	3 यूनिट
	(iii) स्टाफ का प्रति व्यक्ति	8 यूनिट

आवास क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता देने का प्रस्ताव

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की भारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए तथा भवन सामग्री के निर्माण में वृद्धि करने के लिए सरकार का विचार आवास क्षेत्र को उद्योग के रूप में मान्यता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) आवासीय कार्य को उद्योग मानने संबंधी प्रस्ताव को नगर विकास मंत्रालय द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का उत्पादन

2190. श्री सैयद मसूदल हुसैन : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों के उत्पादन के बारे में 23 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4133 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपर्युक्त उत्तर में उल्लिखित खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों को 650 निर्माण यूनिटों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से कितनी यूनिटें सिलेंडरों का निर्माण कर रही हैं और उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिलेंडरों का अब तक निर्माण न करने वाली अन्य यूनिटों के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) आज की तारीख में वैध डी० जी० टी० डी० पंजीकरणधारी एल पी जी सिलिंडर निर्माता यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश	24
हरियाणा	125
कर्नाटक	23
केरला	6
पंजाब	26
राजस्थान	40
हिमाचल प्रदेश	37
गुजरात	32
बिहार	15
जम्मू-कश्मीर	2
दादर नगर हवेली	1
मध्य प्रदेश	39
महाराष्ट्र	38

उड़ीसा	16
तमिलनाडु	22
उत्तर प्रदेश	127
पाण्डेचेरी	14
पश्चिम बंगाल	26
असम	13
गोआ	4
दिल्ली	1
	631

(ख) वर्तमान में 53 एल पी जी सिलिंडर निर्माता यूनिटों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश	12
बिहार	1
गुजरात	3
दिल्ली	1
हरियाणा	5
जम्मू-कश्मीर	1
कर्नाटक	5
मध्य प्रदेश	2
महाराष्ट्र	5
उड़ीसा	2
पंजाब	2
राजस्थान	3
तमिलनाडु	3
उत्तर प्रदेश	6
पंश्चिम बंगाल	2
	53

(ग) सिलिंडर प्राप्त करने के लिए समय-समय पर तैयार नीति के तहत वांछित अनुमति प्राप्त यूनिटों को तेल उद्योग कार्यविश देगा।

केरल में और अधिक पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना

2191. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत उत्पादन के लिए ताप या पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना के प्रस्ताव, केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिए पड़े हुए हैं, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं तथा इन परियोजनाओं को किन-किन स्थानों पर लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1985-86 के दौरान किसी ताप और पन-बिजली परियोजना को मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल में सघन जल-मार्गों को ध्यान में रखते हुए, इस क्षेत्र में अधिक जल-विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने के बारे में विचार किया जाएगा; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को इस सम्बन्ध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) देश की वे जल विद्युत और ताप विद्युत परियोजनाएं जिनके लिए योजना आयोग से निवेश सम्बन्धी अनुमोदन की प्रतीक्षा है, संलग्न विवरण-एक में दी गई हैं।

(ख) 1985-86 के दौरान तीन ताप विद्युत और 15 जल विद्युत परियोजनाएं अनुमोदित की गईं। ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है।

(ग) केरल में और जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की दृष्टि से मूल्यांकन किया जाएगा।

(घ) केरल की निम्नलिखित जल विद्युत स्कीमों का इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में मूल्यांकन किया जा रहा है :

1. चालाकुड्डी चरण-दो	2 × 40 मेगावाट चरण-एक
	2 × 60 मेगावाट चरण-दो
2. पाल्लीवासल	4 × 60 मेगावाट

जिन परियोजनाओं में अन्तर्राज्यीय पहलू निहित है और जिनकी परियोजना रिपोर्ट संशोधित की जानी अपेक्षित है उन परियोजनाओं को उपर्युक्त में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण-एक

वे परियोजनाएं जिनके लिए योजना आयोग के निवेश संबंधी अनुमोदित की प्रतीक्षा है

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3
एक. उत्तरी क्षेत्र		
	जम्मू और कश्मीर	
1.	पहलगांव जल विद्युत (3 × 1 मेगावाट)	3

1	2	3
2.	जम्मू और कश्मीर में डीजल स्कीम (2×20 मेगावाट)	40
	पंजाब	
3.	गुरू नानक देव ताप विद्युत विस्तार भटिण्डा (2×210 मेगावाट)	420
	राजस्थान	
4.	पालना लिग्नाइट ताप विद्युत केन्द्र (2×60 मेगावाट)	120
5.	**राजस्थान में मिनी/माइक्रो जल विद्युत स्कीमें**	
	क. आर. एम. सी. माही 1 (2×.4 मेगावाट)	0.80
	ख. बिरसालपुर (1×.75 मेगावाट) (1×.25 मेगावाट) (1×.35 मेगावाट)	1.35
	ग. इटावा (1×.5 मेगावाट)	0.50
	घ. जालूवाला (1×.09 मेगावाट)	0.09
	ङ. आर० एम० सी० माही—2 (1×.06 मेगावाट)	0.06
	च. नछना (1×.175 मेगावाट)	0.75
	उत्तर प्रदेश	
6.	श्रीनगर जल विद्युत स्कीम (4×50 मेगावाट)	200.00
7.	पाला मानेरी जल विद्युत स्कीम (3×47.5 मेगावाट)	142.50
8.	खारा जल विद्युत स्कीम (3×24 मेगावाट)	72.00
9.	ऊँचाहार विस्तार (ताप-विद्युत) (2×210) (मेगावाट)	420.00
10.	राजघाट जल विद्युत स्कीम म० प्र०/उ० प्र० (3×15 मेगावाट)	45
11.	सोबला जल विद्युत स्कीम (3×2 मेगावाट)	6
बी. पश्चिमी क्षेत्र		
	गुजरात	
1.	गांधी नगर ताप विद्युत केन्द्र विस्तार यूनिट—4	210
2,	कच्छ लिग्नाइट विस्तार	70
3.	पानम नहर तल बिजली घर	2
4.	उत्राण ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्थापन यूनिट	120

1	2	3
	मध्य प्रदेश	
1.	तावा बांया तट नहर जल विद्युत परियोजना	12
2.	भीमगढ़ मिनी जल विद्युत परियोजना	2.4
	महाराष्ट्र	
1.	उरण गैस टरबाइन केन्द्र में 1 × 120 मेगावाट अवशेष ऊष्मा रिकवरी यूनिटों की स्थापना	120
	तीन. दक्षिणी क्षेत्र	
	क. ताप विद्युत	
1.	उत्तरी मद्रास ताप विद्युत केन्द्र (3 × 210 मेगावाट) तमिलनाडु	630
	ख. जल विद्युत	
1.	शरावती टेल रेस (4 × 60 मेगावाट) कर्नाटक	240
2.	मदूर ब्रांच नहर (1 × 1.5 मेगावाट) कर्नाटक	1.5
3.	पयानकुट्टी (2 × 120) मेगावाट)—केरल	240
4.	मुवातुपूझा (1 × 6) मेगावाट)—केरल	6.0
5.	चिमोनी (1 × 2.5 मेगावांट)—केरल	2.5
6.	काकाटैया नहर के डी०-83 पर मिनी जल विद्युत केन्द्र—आन्ध्र प्रदेश	
	(1) 6ठे और 7 वें मील पर (4 × ·475 किलोवाट)	1.9
	(2) 12 वें मील पर (3 × 270 किलोवाट)	0.81
	(3) 14 वें मील पर (5 × 300 किलोवाट)	1.5
	(4) 16 वें मील पर (4 × 410 किलोवाट)	1.64
	(5) 9 वें 10 वें मील पर (4 × 335 किलोवाट)	1.44
	(6) 25 वें मील पर (3 × 100 किलोवाट)	0.30
	चार. पूर्वी क्षेत्र	
	उड़ीसा	
1.	इब घाटी ताप विद्युत केन्द्र (4 × 210 मेगावाट)	840
	पश्चिम बंगाल	
1.	बक्रेश्वर ताप विद्युत केन्द्र (3 × 210 मेगावाट)	630

1	2	3
	पांच. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	
	क. ताप विद्युत	
1.	लक वा अवशेष ऊष्मा (1 × 22 मेगावाट)—असम	22
2.	टागो जल विद्युत परियोजना (3 × 1.5 मेगावाट) (अरूणाचल प्रदेश)	4.5
3.	लीमाखोग चरण-तीन (2 × 500 किलोवाट)—मणीपुर	1.0
4.	थौबल जल विद्युत परियोजना (3 × 2.5 मेगावाट) मणीपुर	7.5
5.	रंगानदी जल विद्युत परियोजना (3 × 135 मेगावाट) अरूणाचल प्रदेश (उत्तर-पूर्वी परिषद परियोजना)	405.0
6.	अपर असम (2 × 7 × 40 मेगावाट) में लकवा और काठलगुड़ी में गैस पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र	560.0

विवरण-दो

1985-86 के दौरान अनुमोदित ताप विद्युत/जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4
	क. ताप विद्युत		
1.	तूतीकोरिन ता. वि. केन्द्र चरण–3	तमिलनाडु	2 × 210
2.	नार्थ मद्रास ता. वि. केन्द्र (सैद्धान्तिक रूप में अनुमोदित)	तमिलनाडु	3 × 210
3.	कहलगांव ता. वि. केन्द्र (केन्द्रीय क्षेत्र)	बिहार	4 × 210
	ख. जल विद्युत		
1.	ककतिया नहर जल विद्युत परियोजना	आन्ध्र प्रदेश	3 × 0.5
2.	नागार्जुनसागर जल विद्युत परियोजना दायां तट नहर तीसरी यूनिट	आन्ध्र प्रदेश	1 × 30
3.	योगेश्वर भिनी/जल विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र	1 × 0.075
4.	डालिमा जल विद्युत परियोजना	असम	2 × 2
5.	तीस्ता नहर जल विद्युत परियोजना	पश्चिम बंगाल	9 × 7.5

1	2	3	4
6.	रोगनीचू जल विद्युत परियोजना	सिक्किम	5×0.5
7.	सूर्य जल विद्युत	महाराष्ट्र	1×5
8.	मानिकडोह जल विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र	1×6
9.	कन्हार जल विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र	1×4
10.	धाम जल विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र	2×1
11.	रेंगाली चरण-दो जल विद्युत परियोजना	उड़ीसा	3×50
12.	मोरण्ड जल विद्युत परियोजना	मध्य प्रदेश	2×0.5
13.	मालमपुझा जल विद्युत परियोजना	केरल	1×2.5
14.	मवु पट्टी जल विद्युत परियोजना	केरल	1×2
15.	डिमभे जल विद्युत परियोजना	महाराष्ट्र	1×5

महाराष्ट्र राज्य में और सीधी एक्सचेंज लाईनें तथा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन

2192. **श्री आर० एम० भोये** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार विभाग की सीधी एक्सचेंज लाइनों तथा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों में कुछ और वृद्धि करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग से जितने आवंटन की संभावना है उसमें दूरसंचार विभाग की देश में 11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें (डी. ई. एल.) तथा 9,000 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने की योजना है महाराष्ट्र राज्य में 1.25 लाख डी. ई. एल. तथा 950 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन सुलभ कराए जाने की संभावना है। इन आंकड़ो में बम्बई और पुणे टेलीफोन जिले शामिल नहीं है। यहां क्रमशः 1.12 लाख तथा 0.12 लाख लाइनें प्रदान किए जाने की आशा है।

गुड़गांव (हरियाणा) में एल० पी० जी० एजेंटों द्वारा कदाचार

2193. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एल. पी. जी. एजेंटों को निर्देश दिये हैं कि उपभोक्ताओं को दूसरा गैस सिलेंडर दिया जाये;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) क्या यह सच है कि गुड़गांव (हरियाणा) के एल. पी. जी एजेंट उपभोक्ताओं को दूसरा सिलेंडर नहीं दे रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गुड़गांव में एल. पी. जी. एजेंट सप्ताहों तक गैस सप्लाई नहीं करते हैं और यह आरोप है कि वे अनधिकृत उपभोक्ताओं को ऊंचे दामों पर गैस सिलेंडर बेच देते हैं; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) सरकार उपभोक्ताओं को दूसरा सिलिण्डर उदारतापूर्वक जारी करने के लिए तेल विपणन कम्पनियों को समय-समय पर सलाह देती रही है । वशर्ते कि कोई कार्यचालन समस्या न हो, तेल उद्योग ऐसे सिलिण्डर जारी करता रहा है ।

(ग) और (घ) गुड़गांवा में एल. पी. जी. सिलिण्डरों में "एफ" टाइप के उपस्कर लगे हैं । पिन टाइप में बदलने का काम जनवरी 1986 में आरम्भ हो गया है । बदलने का काम पूरा होने के बाद डी. बी. सी. जारी करने का काम आरम्भ किया जाएगा ।

(ङ) सर्दियों के मौसम में अधिकतम मांग को पूरा करने में देरी कार्यचालनात्मक और परिवहन की अड़चनों के कारण है ।

वितरक द्वारा अनधिकृत उपभोक्ताओं को ऊंची कीमतों पर रिफिल सप्लाई करने के संबंध में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले की मांग और पूर्ति

2194. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के उत्पादन का क्या लक्ष्य था;

(ख) क्या लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया था, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य क्या है; और

(घ) मांग और पूर्ति में अन्तर कितना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात 1984-85 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 152 मि० टन कच्चे कोयले का था । इस वर्ष वास्तविक उत्पादन 147.45 मि० टन हुआ । कोयला उत्पादन में यह थोड़ी कमी निम्नलिखित कारणों से हुई :

(1) भूमि अर्जन में कठिनाइयां जिनके साथ कानून और व्यवस्था की समस्याएं जुड़ी हैं।

(2) खनन उपकरणों में प्रमुख सामानों का समय पर उपलब्ध नहीं होना,

(3) अपर्याप्त और अविश्वसनीय बिजली सप्लाई,

(4) भराई पदार्थों की कमी।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् ने सातवीं योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए 237 मि० टन कच्चे कोयले की मांग का अनुमोदन किया है। इस मांग को पूरा करने के लिए, उसी वर्ष 226 मि० टन कच्चे कोयले के उत्पादन लक्ष्य का अनुमोदन किया गया है। मांग और उत्पादन के बीच की कमी को स्टाक से कोयला निकाल कर और कोककर कोयले का आयात करके पूरा किया जायेगा।

तम्बाकू कंपनियों का राष्ट्रीयकरण

2195. **श्री सी० सम्बु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू उत्पादकों और कामगारों को दलालों और निजी व्यापारियों के चुंगल से बचाने के लिए तम्बाकू कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में तेल की खोज का कार्य

2196. **डा० कृपा सिन्धु भोई** . क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया ने तेल और गैस का पता लगाने के लिए उड़ीसा में कुछ क्षेत्रों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्वेक्षण कार्य में वहां अब तक क्या प्रगति हुई है और ड्रिलिंग कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) अस्थायी तौर पर सातवीं योजना के दौरान 8 खनन योग्य स्थानों को अन्वेषण खनन के लिए चुना गया है। ये स्थान पुरी, कटक तथा बालासौर जिलों में स्थित हैं।

(ग) उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्रों में नवम्बर 1981 से भूकम्पीय सर्वेक्षण आरम्भ किए गये। दो कन्टेक्ट क्यू द्वारा लगभग 3800 लाइन कि०मी० का सर्वेक्षण किया गया तथा यह सितम्बर 1984 तक पूरा कर लिया गया। ओ आई एल के भू-विज्ञानिकों ने भूकम्पीय आंकड़ों का संसाधन किया तथा उनकी व्याख्या की और विभिन्न संभावनापूर्ण स्थानों को चुना गया। जून-जुलाई 1986 से आरम्भ सातवीं योजना की अवधि में 8 अन्वेषण कूंए खोदने की योजना है।

[हिन्दी]

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में चारी समिति का प्रतिवेदन

2197. **डा० ए० के० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कार्यकरण में सुधार करने, कोयले के भंडारों का वाणिज्यिक दोहन तथा कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में गठित चारी समिति ने नवम्बर, 1985 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक सिफारिश के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) अप्रैल, 1985 में एक समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष श्री के०एस०आर० चारी, परामर्शदाता और कोयला विभाग के भूतपूर्व सचिव हैं। इस समिति का गठन इस दृष्टि से किया गया था कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० को परेशान कर रही विभिन्न समस्याओं का पता लगाने और इन समस्याओं के समाधान के लिए उपचारी कदम/उपाय ज्ञात करने के लिए कंपनी के क्रिया-कलापों का गहन अध्ययन किया जा सके ताकि कम्पनी विभिन्न क्षेत्रों में अपने मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर सके, यह क्षेत्र हैं अपने अधिकार-क्षेत्र में कोयले के भंडारों का वैज्ञानिक विकास, कोयला उत्पादन में वृद्धि और विकास तथा कल्याण कार्यों के लिए अन्य योजनाओं का कार्यान्वयन। समिति ने अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1985 में प्रस्तुत कर दी है और इसकी जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

मेजिया में ताप विद्युत संयत्र

2198. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम द्वारा प्रस्तावित मेजिया में 600 मैगावाट शक्ति के ताप विद्युत संयंत्र का कार्य रोक दिया गया है; और

(ख) इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही, जिसे शीघ्र प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, मेजिया में ताप विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य शुरू किया जायेगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

2199. **श्री जगन्नाथ प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए इस समय प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं,

(ख) उन्हें शीघ्र टेलीफोन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है और प्रत्येक प्रस्तावित केन्द्र की संभावित क्षमता क्या होगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश में 31.1.1986 को टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षासूची में दर्ज आवेदनों की संख्या 39,525 थी।

(ख) इनमें से अधिकांश को 7 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। यह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

(ग) कुछ बड़े स्थानों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने या उनका विस्तार करके उनकी कुल क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, वे इस प्रकार हैं :

1. आगरा	=5,000 लाइनें
2. इलाहाबाद	=5,000 लाइनें
3. कानपुर	=16,000 लाइनें
4. लखनऊ	=17,000 लाइनें
5. मेरठ	=6,000 लाइनें
6. मसूरी	=1,500 लाइनें
7. नौएडा	=4,000 लाइनें
8. वाराणसी	=5,600 लाइनें

[अनुवाद]

बोम्बे डाईंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड द्वारा डी० एस० टी० संयंत्र का आयात

2200. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाम्बे डाईंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड के विरुद्ध, उसके द्वारा आयात किए गए डी० एम० टी० संयंत्र की कार्य अवधि के बारे में सरकार को गुमराह करने के कारण उसके विरुद्ध जांच के आदेश दिये हैं और

(ख) यदि हां, तो सरकार तथ्यों का पता लगाने में कहां तक सफल रही है ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस सिलेंडरों में खराब वाशरों की शिकायतें

2201 **श्री विजय एन० पटिल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डरों में खराब रबड़ वाशर होने के कारण उन्हें होने वाले खतरों और असुविधाओं के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलने की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों के वितरकों की इन शिकायतों की जानकारी भी है कि उन्हें प्राप्त होने वाले 400 सिलेण्डरों की खेप में 50 से अधिक सिलेण्डरों में या तो वाशर होता ही नहीं है या खराब वाशर होती है; और

(ग) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस सिलेण्डरों में खराब रबड़ वाशरों के प्रयोग से होने वाले खतरे को कम करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल कम्पनियों को अपने कार्य व्यापार के दौरान एल० पी० जी० सिलिंडरों में खराब वाशरों के होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इस प्रकार के मामलों का प्रतिशत नगण्य है।

(ग) सभी भरण संयंत्रों में भरे हुए सभी सिलिंडरों की जांच कंपैक्ट वाल्व टैस्टर से यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि रबड़ के वाशर हैं और वे ठीक तरह से कार्य कर रहे हैं। डीलरों को निर्देश हैं कि वे उपभोक्ता को सिलिंडर देने से पूर्व रबर वाशरों की जांच करें।

कोयम्बटूर (तमिलनाडु) में रेसकोर्स में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण

2202. **श्री सी० के० कप्पुस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कोयम्बटूर में रेसकोर्स में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए वर्ष 1979 में तमिलनाडु सरकार से 7.35 लाख के मूल्य से भूमि अर्जित की गई थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त राशि का भुगतान राज्य कोष को कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : राजस्व प्राधिकारियों को उनकी मांग पर 7.53 लाख रुपये की धन-राशि का भुगतान किया गया था।

(घ) राजस्व प्राधिकारी, कोयम्बतूर ने सूचित किया है कि तमिलनाडु सरकार ने भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई समाप्त करने का निर्णय लिया है। अतः राज्य सरकार द्वारा भूमि का कब्जा नहीं दिया गया।

राज्यों में विधिक सहायता समितियां

2203. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूमिहीन आदिवासियों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य स्तर पर कितनी विधिक सहायता समितियां स्थापित क गई हैं; तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान ये समितियां बिहार में अवैध रूप से अन्तरित भूमि, आदिवासियों को वापस दिलाने में कहां सफल हुई है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : विधिक सहायता स्कीम कार्यान्यवन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार :—

(क) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का गठन, भूमिहीन आदिवासियों सहित जरूरतमंद व्यक्तियों को, विधिक सहायता देने की दृष्टि से; प्रत्येक राज्या में किया गया है।

(ख) सरकार के पास इस विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

समानान्तर डाक सेवा चलाया जाना

2204. **श्री मदन पाण्डे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्हें इस बात की जानकारी है कि अपर्याप्त तथा त्रुटिपूर्ण डाक वितरण प्रणाली जो इस समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, के कारण अनेक स्थानों पर अवैध रूप से समानान्तर डाक प्रणाली चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इसे रोकने के लिए कोई वैकल्पिक प्रणाली आरम्भ करने अथवा वर्तमान प्रणाली में सुधार करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार को ऐसे सुझाव प्राप्त हुए हैं कि वर्तमान प्रणाली के संतोषजनक न होने के कारण पुरानी वितरण प्रणाली जो वर्तमान वितरण प्रणाली की तुलना में अधिक कार्यकुशल थी, तो आवश्यक संसाधनों के साथ पुनः लागू किया जाए ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश के विभिन्न भागों में समानान्तर डाक सेवाएं चल रहीं हैं। वैसे, यह कहना सही नहीं है कि अपर्याप्त और दोषपूर्ण डाक वितरण प्रणाली जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है, के फलस्वरूप ये सेवाऐं चल रही हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पुरानी वितरण प्रणाली को पुनः प्रारम्भ करने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच की गई लेकिन इन्हें स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि वर्तमान प्रणाली संतोषजनक ढंग से सेवा प्रदान कर रही है।

[अनुवाद]

आयात पर आधारित आधुनिकीकरण

2205. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात पर आधारित वर्तमान आधुनिकीकरण देश के स्वदेशी और विकासशील उद्योग के हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विशेषरूप से सीमित साधनों और विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रमुख शहरों में बेहतर टेलेक्स सेवाओं के लिए प्रावधान

2206. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बड़े शहरों में बेहतर संचार सुविधाएं विशेषकर टेलेक्स सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं किन-किन शहरों में प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) इस योजना के तैयार करने तथा इन योजनाओं के कब तक प्रारम्भ करने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) बंबई, दिल्ली, कलकत्ता तथा मद्रास में इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की व्यवस्था की गई है। इन एक्सचेंजों की आवश्यकतानुसार विस्तार करने की योजना है। अहमदाबाद,

बेंगलूर, हैदराबाद, एर्नाकुलम, जयपुर, गुवाहाटी, बड़ोदरा, चण्डीगढ़, लखनऊ तथा पुणे में भी सदृश्य इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंजों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

(ग) अहमदाबाद, बेंगलूर, हैदराबाद, एर्नाकुलम, जयपुर तथा गुवाहाटी स्थित एक्सचेंजों में आयातित इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स उपस्कर संस्थापित किए जायेंगे, 1986-87 में इनके संस्थापन की योजना है । चार अन्य स्थानों पर भी 7 वीं योजना के दौरान इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने की योजना है ।

(घ) योजना संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

मुख्य नगरों के लिये प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज

i. **इलेक्ट्रानिक टेलेक्स क्षमता का विस्तार**

स्थान का नाम	इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की मौजूदा क्षमता	प्रस्तावित विस्तार
बंबई	8,500 लाइनें	7,000 लाइनें
नई दिल्ली	7,264 ,,	2,000 ,,
कलकत्ता	3,000 ,,	2,500 ,,
मद्रास	3,700 ,,	1,200 ,,

ii. **नए इलेक्ट्रानिक टेलेक्स एक्सचेंज**

स्थान का नाम	वर्तमान ईलेक्ट्रो मैकेनिकल टेलेक्स एक्सचेंज क्षमता	इलेक्ट्रोनिक टेलेक्स उपस्कर सहित प्रस्तावित क्षमता
1. अहमदाबाद	500 लाइनें	2000 लाइनें
2. बेंगलूर	1100 ,,	2700 ,,
3. हैदराबाद	800 ,,	2000 ,,
4. एर्नाकुलम	500 ,,	1700 ,,
5. जयपुर	250 ,,	1050 ,,
6. गुवाहाटी	200 ,,	500 ,,
7. बड़ोदरा	400 ,,	700 ,,
8. चंडीगढ़	200 ,,	700 ,,
9. लखनऊ	200 ,,	500 ,,
10. पुणे	400 ,,	1000 ,,

खाना पकाने की गैस के सिलेंडर बनाने वाले संयंत्रों की क्षमता का उपयोग

2207. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर बनाने वाले संयंत्रों की क्षमता का उपयोग करने के लिए कोई उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किये गये उपयोग का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण प्रक्रिया के इस तरह के अधिक उपयोग से सिलेण्डरों के सुरक्षित होने के पहलू को खतरा पैदा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) एल० पी० जी० सिलेन्डर संयंत्रों की क्षमता का उपयोग उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप तेल कम्पनियों से क्रयादेशों की प्राप्ति पर निर्भर करता है ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि इस देश में एल० पी० जी० सिलेन्डरों के निर्माण की क्षमता आवश्यकताओं से काफी अधिक है ।

खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों की आवश्यकता/उत्पादन

2208. **श्री जी० एस० बसवाराज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की वर्तमान आवश्यकता क्या है;

(ख) सरकार के स्वामित्व वाली खाना बनाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने वाली कम्पनियों की निर्माण क्षमता क्या है;

(ग) क्या देश की वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाना बनाने की गैस के सिलेंडरों का आयात करने की कोई आवश्यकता है;

(घ) क्या खाना बनाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने वाली गैर-सरकारी यूनिटों से कोई टैन्डर आमंत्रित किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश में एल० पी० जी० सिलेन्डरों की वर्तमान आवश्यकता प्रतिवर्ष 45 से 50 लाख तक होने का अनुमान है ।

(ख) सरकारी कम्पनियों की एल० पी० जी० सिलेन्डरों का निर्माण करने की क्षमता निम्न प्रकार है :—

क्रमांक	एकक का नाम	निर्माण क्षमता (लाख नग प्रतिवर्ष)
1.	हैदराबाद आल्विन मेटल वर्क्स, हैदराबाद	10.00
2.	भारत पम्परा एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद	1.00
3. (क)	बामेर लारी एण्ड कम्पनी, मथुरा	6.00
(ख)	बामेर लारी एण्ड कम्पनी, पहाड़पुर, कलकत्ता	1.25
4.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड मुजफ्फरपुर	1.00
5.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड, कलकत्ता	0.42

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगले वर्ष की खरीद नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

डाक और तार विभाग में आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारियों को बोनस

2209. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग में आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारियों को बोनस की अदायगी नहीं की जा रही है जबकि इस विभाग के नैमित्तिक मजदूरों को भी बोनस का भुगतान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इस श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस का भुगतान करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारियों की नियुक्ति घंटों के आधार पर की जाती है जबकि नैमित्तिक मजदूरों की नियुक्ति पूरे दिन के आधार पर की जाती है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के नए यूनिट स्थापित करना

2210. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन जिलों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां पर केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के एक या एक से अधिक यूनिट हैं;

(ख) उन जिलों के नाम क्या हैं, जहां पर सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाली सरकारी उपक्रम की पहली यूनिट स्थापित की जानी है; और

(ग) उन जिलों में जहां पर सरकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र का कोई बड़ा उपक्रम नहीं है गैर-सरकारी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए किन प्रोत्साहनों की पेशकश की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के एक या एक से अधिक एकक जिन जिलों में स्थित हैं, उनका ब्यौरा नहीं रखा जाता है तथा इन 200 से अधिक संख्या वाले उद्यमों के बारे में आंकड़े एकत्र करने में जितना प्रयास करना पड़ेगा, उसके अनुरूप उनसे उतना लाभ निकलता नहीं जान पड़ता है ।

(ख) केन्द्रीय परिव्यय का निर्णय राज्यवार/जिलावार आधार पर नहीं बल्कि यह तकनीकि आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है तथा यह ऐसे आधार पर पूर्वनिर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(ग) राज्य में उद्योगों की स्थापना करना मुख्यत: राज्य सरकार का दायित्व है, हालांकि केन्द्रीय सरकार पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन/रियायतें प्रदान करके अपना प्रयास पूरा करती है, जिसका ब्यौरा "पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों के लिए प्रोत्साहन" नामक पुस्तिका में दिया गया है, जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

आरक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को दूरसंचार विभाग में नौकरी देना

2211. **श्री बाला साहिब बिखे पाटिल :**
डा० गौरी शंकर राजहंस :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्री बी० एस० विजय राघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके मंत्रालय ने आरक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियमित रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : पदों का सृजन होने पर आरक्षित प्रशिक्षित पूल के कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के बिलों को भेजने में अनियमितता

2212. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली की विभिन्न कॉलोनियों में अनेक मकानों के संबंधों में उनको कनेक्शन देने के 3-4 वर्षों बाद भी बिजली के बिल नहीं भेज रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में घाटा और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले बोझ में वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का संस्थान को आगे से प्रत्येक दो माह के बाद नियमित रूप से बिल भेजने हेतु और हर हालत में इस प्रकार के बिलों पर एक वर्ष के भीतर जारी करने की तिथि दी जाने के बारे में निर्देश जारी करने का विचार है; और

(घ) ऐसा कब से किया जायेगा और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार नए कनेक्शन का पहला बिल सामान्यत: 3-4 महीनों में भेजा जाता है। कुछेक मामलों में विलम्ब से बिल भेजने में जो कुछ कॉलोनियों में हो सकती है, यथा संभव शीघ्र दूर कर दिया जाता है।

(ख) बिल देर से भेजे जाने के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को व्यवहारिक रूप से राजस्व की कोई हानि नहीं होती है। चूंकि खपत के प्रभार अन्ततः उपभोक्ताओं से वसूल कर लिए जाते हैं। जिन मामलों में लम्बी अवधि के बिल भेजे जाते हैं उनमें उपभोक्ताओं की असुविधाओं को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं को किश्तों में भुगतान करने की सुविधा दी जाती है।

(ग) और (घ) डेसू ने 15.5.1985 से एक नई प्रणाली शुरु की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नया कनेक्शन चालू करने के 2-3 महीनों के अन्दर पहला बिल भेजे जाने की व्यवस्था है। डेसू ने जिलों की संख्या भी 15 से बढ़कर 20 कर दी है ताकि उपभोक्ताओं की ओर विशेषकर बाहरी कालोनियों में रहने वाले उपभोक्ताओं की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा सके। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में बिजली के बिल सामान्यतः मासिक तथा/अथवा द्विमासिक आधार पर भेजे जाने की व्यवस्था है। उपभोक्ताओं की सर्विस में सुधार लाने के लिए डेसू अपनी कम्प्यूटर प्रणाली स्थापित कर रहा है। डेसू द्वारा अपने कार्यालय में कम्प्यूटर स्थापित कर दिए जाने के बाद बिलों को जारी करने की तारीख देने के बारे में विचार किया जा सकता है।

विषैले रसायनों संबंधी तिवारी समिति के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

2213. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावतः** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रदूषण के कुप्रभावों का अध्ययन करने तथा स्वदेशी एवं आयातित रसायनों के कुप्रभावों की जांच करने हेतु इस देश में कोई व्यवस्था है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टी० डी० आई० (टोलूनी-डाई-आइसोसाइनेट) जैसे अनेक रसायन प्लास्टिक उद्योग में उपयोग किये जाने वाले एम० आई० सी० (मेथाइल आइसोसाइनेट से अधिक खतरनाक हैं और पी०सी०बी० पोलीक्लोरीनेटिड बाइफेनिल) जिस पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है, भी बहुत विषैला रसायन है;

(ग) क्या हम ऐसे कतिपय रसायनों का भी आयात कर रहे हैं जिनका प्रयोग निर्माता देशों में भी निषिद्ध है; और

(घ) क्या तिवारी समिति ने विषैले रसायनों पर नियन्त्रण रखने के लिए कुछ सुझाव दिये हैं और क्या इन सुझावों को अब तक क्रियान्वित किया गया है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) अनेक एजेन्सियां रसायनों और प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के दुष्प्रभावों का अध्ययन करती हैं।

प्रकाशित सूचना के अनुसार एम० आई० सी० (मिथाइल आइसोसाइनेट) जहरीलेपन के विचार से टीडीआई (टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट) की तुलना में अधिक खतरनाक माना गया है। भारत में, पोलियूरेथेन फीम्स का निर्माण आयातित टीडीआई और पोलिओल्स के आधार पर पूर्णतया: लघु क्षेत्र में किया जाता है।

कारखाना अधिनियम और वायु और जल (प्रदूषण की रोकथाम) अधिनियमों के अधीन उपयुक्त कानूनी प्राधिकरण कारखाना परिसरों के अन्दर सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और क्रमश: पर्यावरण के लिए बचाव भी सुनिश्चित करेगी।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार कुछ देशों में पोलिक्लोरीनेटिड बिफेनिल (पीसीबी) का प्रयोग केवल विशिष्ठ प्रयोजनार्थ ही अनुमेय है।

प्रचलित आयात निर्यात नीति सामान्यत: देश में रसायनों सहित सभी मदों के आयात को विनियमित करती है। इसके अतिरिक्त, इंसेक्टिसाइड्स अधिनियम के अधीन देश में प्रयोग के लिए अपंजीकृत पेस्टीसाइड्स और इन्सेक्टिसाइड्स का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही आयात किया जा सकता।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार उन देशों से रसायनों का आयात, जहां उन पर प्रतिबन्ध है, करने की घटनाओं से अवगत नहीं हैं।

(घ) जी, हां। तिवारी समिति ने सिफारिश की थी कि पेस्टीसाइड् के अलावा अन्य रसायनों की बिक्री, निर्माण, प्रयोग और निपटान से पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जहरीले तत्वों पर नियंत्रण के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता है। जहरीले रसायनों सहित खतरनाक पदार्थों पर एक विधेयक तैयर करने के लिए पहले कार्यवाही की गई है।

[अनुवाद]

प्रौद्योगिकियों का आयात

2214. **डा० सुधीर राय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार महाशक्तियों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियां विश्व के कम संचार और अधिक घनत्व वाले देशों के लिए पूर्णरूप से उपयुक्त हैं;

(ख) क्या ये प्रौद्योगिकियां भारत, जो कि उच्च संचार और कम घनत्व वाला देश है, को अन्तरित की जा सकती हैं; और

(ग) क्या इतने बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकियों के अन्तरण से भारत की आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने सम्बन्धी नीति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और इससे भारतीय तकनीकी तन्त्र बिगड़ जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विदेशों में विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग न केवल टेलीफोन क्षेत्र में अधिक घनत्व वाले विकसित देशों में ही किया जाता है अपितु ऐसे अनेक विकासशील देशों में भी किया जाता है जहां टेलीफोन के क्षेत्र में सघनता कम है तथा परियात अधिक है। डिजाइनर इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रौद्योगिकी तैयार करने का प्रयास करते हैं कि उसका दोनों परिस्थितियों में उपयोग हो सके विशेष कर उस स्थिति में जब कि विकसित देशों के सप्लाईकर्त्ता विकासशील देशों में अपनी उत्पाद वस्तु सप्लाई करना चाहते हैं।

(ख) प्रौद्योगिकी आयात करते समय समुचित रूप से विचार किया जाता है विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन इस बात को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है कि आयातित प्रौद्योगिकी देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

(ग) इस बात का भरसक प्रयास किया जाता है कि प्रौद्योगिकी का आयात कम से कम किया जाए तथा यह सुनिश्चित हो सके कि प्रौद्योगिकी के आयात से प्रारंभिक देशी प्राविधिक तथा अनुसंधान तथा विकास संबंधी क्रिया-कलापों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

प्रौद्योगिकी के विकास तथा अन्तरण के संबंध में नीतियां इस प्रकार बनाई जाती हैं ताकि दूरसंचार के क्षेत्र में सुसंगत, पर्याप्त गुणता तथा उच्च विश्वसनीयता के साथ-साथ हर दृष्टि से आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए।

उच्चतम न्यायालय में लंबित संविधानिक मामले

2215. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा सुनवाई के लिए 14 वर्ष से अधिक अवधि से कितने सांविधानिक मामले लंबित हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 19 सांविधानिक मामले 14 वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

उद्योग में ऊर्जा की बचत

2216. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ के तत्वाधान में नई दिल्ली में जनवरी, 1986 में उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के बारे में हुए सम्मेलन की सिफारिशों/सुझावों की जानकारी है और यदि हां, तो इन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ख) गुणवत्ता, मूल्य और संसाधनों के संदर्भ में ऊर्जा की बचत के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र संबंधी कपूर समिति द्वारा किए गए अध्ययन के क्या परिणाम निकले; और

(ग) क्या कपूर समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा जनवरी, 1986 में नई दिल्ली में आयोजित उद्योग में ऊर्जा संरक्षण के बारे में सम्मेलन की कार्यवाही और सिफारिशें भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद इन पर विचार किया जाएगा।

(ख) श्री डी० वी० कपूर की अध्यक्षता में गठित किए गए ऊर्जा के उपयोग और संरक्षण के बारे में अन्तः मन्त्रालीय कार्यकारी दल की रिपोर्ट से पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण के उपायों के परिणामस्वरूप लगभग 17.5 मिलियन टन कोयले, 1.0 मिलियन टन तेल और 5250 मेगावाट बिजली की बचत की जा सकती है। रिपोर्ट से आगे यह पता चलता है कि औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण संबंधी उपायों के क्रियान्वयन के लिए 3600 करोड़ रु० के

निवेश से 1925 करोड़ रु० के ऊर्जा के आवर्ती बिलों को बचाकर औद्योगिकी क्षेत्रों के प्रचालनों में सुधार लाने के साथ साथ ऊर्जा सप्लाई करने वाले क्षेत्र में क्षमता सृजित करने पर किए जाने वाले 5780 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय को बचाया जा सकता है।

(ग) कार्यकारी दल ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए दीर्घाकालिक तथा अल्पकालिक ऊर्जा संरक्षण सम्बन्धी उपायों की सिफारिश की है। चूंकि सिफारिशों के क्रियान्वयन में अनेक क्षेत्र/एजेंसियां शामिल हैं और नई प्रक्रिया और प्रणालियां सृजित किए जाने की आवश्यकता है। अतः इन सिफारिशों का क्रियान्वयन सोपानबद्ध रूप में किया जा रहा है।

ताप विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता और उत्पादन

2217. **डा० के० जी अदियोडी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के अंत तक देश में ताप विद्युत केन्द्रों की राज्यवार संख्या कितनी थी, उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी थी और उन्होंने बिजली का कितना उत्पादन किया; और

(ख) प्रतिष्ठापित क्षमता को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए और उसके लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की गई ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) प्रत्येक राज्य में ताप विद्युत केन्द्रों के नाम, उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 1984-85 के दौरान विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रतिष्ठापित क्षमता का 100% समुपयोजन करना संभव नहीं है। ताप विद्युत केन्द्रों के मामले में, यूनिटों की स्थिति तथा निर्माताओं के अनुदेशों पर निर्भर करते हुए बायलरों की आवश्यक ओवर हालिंग तथा टरबाइनों के आद्योपान्त अनुरक्षण के लिए विद्युत उत्पादन यूनिटों को बन्द करना आवश्यक होता है। प्रणाली में भार में घट-बढ़ होने के कारण भी उपलब्धता क्षमता का उपयोग नहीं हो पाता है। तथापि, ताप विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में और सुधार लाने के लिए सतत आधार पर अनेक उपाय किए जा रहे हैं। उन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) अपेक्षित मात्रा में और गुणवत्ता वाला कोयला प्राप्त करने तथा स्वदेशी और विदेशी स्रोतों से फुटकर पुर्जे प्राप्त करने में भी राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना;

(2) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों को सहायता देना;

(3) जिन कमजोर क्षेत्रों में सुधार लाया जाना अपेक्षित है उनका पता लगाने और सुधार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए कृतिक बलों और भ्रमणशील दलों द्वारा दौरे करना;

(4) इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना;

(5) कुल 500 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीम को क्रियान्वित करना, जिसमें 32 ताप विद्युत केन्द्र शामिल हैं।

विवरण

31.3.1985 की स्थिति के अनुसार राज्य वार ताप विद्युत उत्पादन क्षमता तथा 1984-85 के दौरान विद्युत उत्पादन

राज्य	केन्द्र	31.3.1985 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन क्षमता (मेगावाट)	विद्युत उत्पादन 1984-85 (मिलियन यूनिट)
1	2	3	4
दिल्ली	बदरपुर (रा.ता.वि.नि.)	720.0	3014
	इन्द्रप्रस्थ केन्द्र	282.5	1527
	राजघाट	28.0	75
	जोड़	1030.5	4616
हरियाणा	फरीदाबाद	195	496
	पानीपत	220	765
	जोड़	415	1261
जम्मू और कश्मीर	कालाकोट	22.5	0
राजस्थान	कोटा	220	1103
पंजाब	भटिण्डा	440	2385
	रोपड़	420	557
	जोड़	860	2942
उत्तर प्रदेश	ओबरा	1550	4038
	हरदुआगंज "क"	90	252
	हरदुआगंज "ख"	450	1162
	पनकी	284	1095
	परीछा	220	27
	आर.पी.एच. कानपुर	65	141
	अन्य	33.5	75
	उ. प्र. रा. वि. बोर्ड	2692.5	6790
	सिंगरौली (रा. ता. वि. नि.)	1050	5315
	जोड़	3742.5	12105

1	2	3	4
गुजरात	धुवारण (ताप विद्युत)	534	3098
	धुवारण (गैस टरबाइन)	54	0
	उकई	850	2910
	गांधी नगर	240	837
	वानकबोरी	630	2768
	उरण	61	319
	अन्य	23	20
	गु. वि. बोर्ड	2392	9952
	अहमदाबाद इलै० कं० (प्राइवेट)	161	1005
	साबरमती (प्राईवेट)	220	732
	जोड़	2773	11689
मध्य प्रदेश	सतपुड़ा	1142.5	4453
	कोरबा—एक	100	483
	कोरबा—दो	200	777
	कोरबा—तीन	240	1181
	कोरबा पश्चिम	630	1131
	अमर कंटक	300	1732
	म. प्र. वि. बो.	2612.5	9857
	कोरबा (रा. ता. वि. नि.)	630	2851
	जोड़	3242.5	12708
महाराष्ट्र	नासिक	910	4141
	कोराड़ी	1100	3403
	खापरखेड़ा	90	147
	पारस	92.5	279
	भूसावल	482.5	1930
	पारली	480	1754
	चन्द्रपुर	420	737
	उरण गैस टारबाइन	240	1294

1	2	3	4
	अन्य	18	44
	म. रा. वि. बोर्ड	3833	13731
	ट्राम्बे (प्राइवेट)	830	4680
	चोला (रेलवे)	40	172
	जोड़	4703	18583
आंध्र प्रदेश	कोठागुडम्	680	2593
	रामागुण्डम "ख"	62.5	276
	नेल्लोर	30	117
	विजयवाड़ा	420	2847
	अन्य	33	5
	आ. प्र. रा. वि. बोर्ड	1225.5	5838
	रामागुण्डम (रा. ता. वि. नि.)	600	1491
	जोड़	1825.5	7329
कर्नाटक	रायचूर	210	0
तमिलनाडु	एन्नोर	450	1427
	बेसिन ब्रिज	70	87
	तूतीकोरिन	630	3423
	त. ना. वि. बोर्ड	1150	4937
	नेवेली	600	4057
	जोड़	1750	8994
बिहार	पातरातू	730	1984
	बरौनी	365	508
	मुजफ्फरपुर	110	0
	जोड़	1205	2492
दामोदर घाटी	चन्द्रपुर	780	3606
निगम	दुर्गापुर	460	1625
	बोकारो	205	915
	जोड़	1445	6146

1	2	3	4
उड़ीसा	तलचेर	470	1326
पश्चिम बंगाल	बन्देल	530	2248
	संतालडीह	480	1039
	कोलाघाट	210	227
	गौरीपुर	28	30
	गैस टारबाइन	100	65
	प०बं०रा०वि०बो०	1348	3609
	कलकत्ता इलै० सप्लाई कारपोरेशन (प्राइवेट)	328	1309
	टीटागढ़ (प्राइवेट)	240	1005
	दुर्गापुर परियोजना लि०	280	705
	जोड़	2196	6628
असम	नामरूप	133.5	373
	चन्द्रपुर	30	92
	बोगाईगांव	120	167
	लकवा गैस टरबाइन	45	149
	अन्य	21	67
	जोड़	349.5	848
अखिल भारत		26460	98770

सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में निदेशकों की भूमिका

2218. श्री बी० तुलसी राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की आदर्श प्रबन्ध व्यवस्था के नमूने पर सरकारी क्षेत्र की प्रबन्ध व्यवस्था में निदेशकों की भूमिका की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रबन्ध-व्यवस्था के फलस्वरूप में सरकारी क्षेत्र के संगठनों के कार्यकरण और कार्य-निष्पादन में कहां तक सुधार होगा; और

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति स्थापित की है, यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

टेलीफोन विभाग-दिल्ली में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन

2219. **श्री काली प्रसाद पांडेय :**

श्री राज कुमार राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 6 फरवरी, 1986 को दिल्ली टेलीफोन विभाग के हजारों कर्मचारियों ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित किये जाने के संबंध में सरकार के समक्ष अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिये संचार भवन पर प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने में यदि कोई कठिनाइयां हैं तो वे क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। नेमित्तिक मजदूरों को नियमित करने तथा अन्य मांगों के लिए कुछ यूनियन नेताओं और नैमित्तिक मजदूरों ने 3 से 10 फरवरी के बीच संचार भवन के सामने प्रदर्शन किया।

(ख) नैमित्तिक मजदूरों की मांगों पर एन० एफ० पी० एण्ड टी० ई० के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श किया गया तथा "समझौता" हो गया था। समझौते को जहां कहीं अनिवार्य हो, लागू करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) विभाग में लगभग 90,000 नैमित्तिक मजदूर हैं। इन्हें ग्रुप '-डी" पदों पर नियमित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रबन्ध व्यवस्था

2220. **श्री गुरुदास कामत :**

डा० के० जी० आदियोडी :

श्री मुरलीधर माने :

श्री पी० आर० कुमारमंगलम :

डा० जी० विजय रामाराव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में विद्यमान प्रबन्ध व्यवस्था की पद्धति में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) सरकार क्षेत्र को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) सरकार सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर किस हद तक नियंत्रण रखेगी ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकारी उद्यमों की विद्यमान प्रबन्ध व्यवस्था की पद्धति में परिवर्तन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है ।

(ख) सरकार का सदा ही यह प्रयास रहा है कि करकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों को पेशेवर बनाया जाय, उनके मार्ग में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाय तथा उनके कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाय ताकि उन्हें अधिक प्रभावकारी एवं परिणामोन्मुखी बनाया जा सके ।

(ग) चूंकि सरकार ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य पूंजी निवेशक है, इसलिये उन पर इसका नियंत्रण इन उद्यमों का बेहत्तर कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अनुरूप है ।

[हिन्दी]

सूखे से प्रभावित आदिवासी जिलों में उद्योगों की स्थापना

2221 : **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा सूखा प्रभावित उद्योग रहित आदिवासी जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में दी जा रही विशेष रियायतों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं । सूखाग्रस्त "उद्योग रहित" आदिवासी जिलों को विशेष रियायत देने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है । "उद्योग रहित जिलों" को उपलब्ध रियायतों का उल्लेख दिनांक 9.4.1985 के प्रैस टिप्पण संख्या-14.2.83-डी0 बी0 ए0 । के साथ पठित "इन्सैंटिवस फौर इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज अप्रैल, 1984' नामक पुस्तिका जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं, में किया गया है ।

मिट्टी के तेल पर राज सहायता

2223. **श्री रामस्वरूप राम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल के मूल्य में की गई वृद्धि पर शतप्रतिशत राज सहायता देने का है ताकि मिट्टी के तेल पर बढ़े मूल्य का बोझ आम आदमी पर न पड़े ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[अनुवाद]

गुजरात में मिट्टी के तेल की कमी

2224. **श्री रणजीत सिंह पी० गायकवाड़ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या यह सच है कि लोगों को उचित दर की दुकानों से मामूली सा मिट्टी का तेल प्राप्त करने के लिए भी लम्बी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो लोगों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल की सप्लाई करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान चार माह के ब्लाक के आधार पर किये गये आवंटन में 5 प्रतिशत की वृद्धि दे कर केरोसीन की मांग का अनुमान लगाया जाता है, और तदनुसार आबंटन किया जाता है। तथापि अधिक मांग को पूरा करने के लिए नवम्बर 1985 से फरवरी 1986 की सर्दियों के मौसम और मार्च से जून 1986 के ग्रीष्म काल के लिए क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की दर से वृद्धि देकर गुजरात को केरोसीन का आबंटन किया गया है ।

विवादों, पर्यावरण शुद्ध न होने आदि के कारण बंद पड़ी परियोजनायें

2225. **श्रीमती बसवराजेश्वरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औद्योगिक परियोजनाएं विवादों, पर्यावरण शुद्ध न होने, उपकरण मिलने में विलंब और विभिन्न विभागों में समन्वय न होने के कारण बन्द पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी परियोजनाएं बंद पड़ी हैं (राज्य-वार) और ये किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित हैं; और

(ग) इनके तेजी से क्रियान्वयन के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) औद्योगिक लाइसेंस, आशय पत्र प्रारम्भ में एक वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किये जाते हैं। उद्यमियों द्वारा विदेशी सहयोग की शर्तों की व्यवस्था, पूंजीगत वस्तुओं का आयात, यदि कोई हो और जहां कहीं आवश्यक हो पर्यावरण और प्रदूषण की अनुमति आदि जैसी आशय-पत्र की शर्तों को पूरा करने के पश्चात आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। औद्योगिक लाइसेंस दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है और इस अवधि के दौरान उद्यमी से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर देने की आशा की जाती है । उद्यमी द्वारा की गयी प्रगति की मानी-

टरिंग उद्योग से सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा की जाती है और इनकी सिफारिशों के आधार पर आशय-पत्रों अथवा औद्योगिक लाइसेंसों की वैधता अवधि बढ़ाई जाती है जो की गई प्रगति और प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर करती है। समय-समय पर योजनाओं की प्रगति सम्बन्धी व्यापक सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती। जहां संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है वहां आशय-पत्रों को व्ययगत होने दिया जाता है और औद्योगिक लाइसेंसों को रद्द कर दिया जाता है।

कोयला संसाधनों के विकास के लिए आन्ध्र प्रदेश का अनुरोध

2226. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कोयला संसाधनों का विकास करने के बारे में उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान कोयला संसाधनों के विकास के लिए रु० 580 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। वर्ष 1989-90 तक 24 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में बेलमपल्ली ओपेनकास्ट परियोजना, मानूगुरू ओपेन-कास्ट परियोजना II, गोदावरी खानी संख्या 10-ए इन्क्लाइन और श्रीरामपुर संख्या 3 एवं 3-ए इन्क्लाइनों के लिए मंजूरी दे दी है। मानूगुरू ओपेन कास्ट परियोजना-III के लिए अग्रिम कार्य-वाई भी मंजूर करली गई है। सरकार कुछ अन्य परियोजनाओं का भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास करने के लिए मूल्यांकन कर रही है।

24 परगना (पश्चिम बंगाल) में बोदरा में तेल हेतु ड्रिलिंग के लिए विदेशी विशेषज्ञों को शामिल करना

2227. **श्री अजित कुमार साहा :**
श्री सैयद मसुदल हुसैन :
श्री रेणुपद दास : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में, बोदरा में तेल हेतु ड्रिलिंग कार्य में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अमरीकी विशेषज्ञों को शामिल किया जाना परिहार्य था और कार्यरत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के उक्त परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों ने इस पर रोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या विदेशी विशेषज्ञों के शामिल किये जाने से परियोजना में कतिपय समस्यायें उत्पन्न हुई हैं; यदि हां तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उनका समाधान कैसे किया है; और

(घ) क्या अमरीकी विशेषज्ञों को शामिल किये जाने से उक्त परियोजना की प्रगति को धक्का लगा है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) खनन कार्य में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए अमरीकी विशेषज्ञों की सहायता लेना वांछनीय समझा गया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमेंट उद्योग में नये, पुराने तथा रुग्ण एककों को उत्पाद-शुल्क में छूट

2228. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार सीमेंट उद्योग में नये, पुराने तथा रुग्ण एककों को उत्पाद शुल्क में छूट देने का है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध छूट का ब्यौरा क्या है और नये, पुराने एवं रुग्ण एककों को विभिन्न उत्पाद-शुल्क में विभिन्न पैमाने पर छूट देने के लिए तथा एककों को वर्तमान एक वर्ष की अवधि से अधिक अवधि के लिए रुग्ण घोषित करने के लिए क्या नवीन व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या अनिवार्य लेवी के फार्मूले में संशोधन करने में भी कुछ समस्याएं अनुभव की जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) नये, पुराने तथा रुग्ण एककों पर 225 रुपये प्रति मी० टन की दर से उत्पादन शुल्क लगाया जा रहा है। इस दर को असान बनाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किंतु 1-1-82 के बाद उत्पादन आरम्भ करने वाले एककों तथा घोषित रुग्ण एककों को अपने वास्तविक उत्पादन का 40% सीमेंट लेवी सीमेंट के रूप में देना होता है जबकि 1-1-82 से पूर्व उत्पादन आरम्भ करने वाले एककों को अपने वास्तविक उत्पादन का 60% लेवी सीमेंट के रूप में देना पड़ता है। इस उद्देश्य से विभिन्न अवधियों के लिए 15 एककों को रुग्ण घोषित किया गया है जैसा कि संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) सीमेंट उद्योग द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग में सुधार किये जाने के वास्ते बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाइसेंसीकृत क्षमता के 100% से अधिक और उसके 125% तक उत्पादन के संबंध में लेवी दायित्व की मात्रा कम कर दी गयी है। पुराने एककों (जिन्होंने 1-1-82 से पूर्व उत्पादन आरम्भ किया था) के संदर्भ में लाइसेंसीकृत क्षमता के 100% उत्पादन पर लेवी दायित्व 60% और 100% से अधिक तथा 125% तक वास्तविक उत्पादन पर लेवी दायित्व 45% है नये एककों (जिन्होंने 1-1-82 के बाद उत्पादन आरम्भ किया हो) और

रुग्ण एककों के मामले में उनकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 100% तक वास्तविक उत्पादन पर लेवी दायित्व 40% होगा और लाइसेंसीकृत क्षमता के 100% से अधिक तथा 125% तक वास्तविक उत्पादन पर लेवी दायित्व 30% होगा।

विवरण

लेवी कोटे में राहत देने के उद्देश्य से घोषित "रुग्ण" सीमेंट एककों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण।

	संयंत्र का नाम	अवधि जिसके अन्त तक रुग्णता रियायतों की सिफारिश की गई है (कंपनियों के संबंधित वित्तीय वर्ष)
1.	ए० सी० सी०, द्वारका	1987/88
2.	ए० सी० सी०, लाखेरी	1987/90
3.	ए० सी० सी०, सिन्द्री	1986/87
4.	इंडिया सीमेंन्ट्स, शंकरनगर	1987/88
5.	जयपुर उद्योग	1986/87
6.	कल्यानपुर	1985/86
7.	सोन वैली	1986
8.	तामिलनाडु आलंगुलम	1987/88
9.	तामिलनाडु, अरियालूर	1987/88
10.	यू० पी० एस० सी०, चुर्क	1987/88
11.	यू० पी० एस० सी०, दाल्ला	1987/88
12.	ए० सी० सी०, खलाडी	31-12-1986
13.	ए० सी० सी० सेवलिया	31-12-1986
14.	सी० सी० आई०, चरखी दादरी	31-12-1986
15.	विश्वदेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील कं० लि०	31-12-1986

त्रिवेन्द्रम और दिल्ली के बीच डाक के वितरण में विलम्ब

2229. प्रो० पी०जे० कुरियन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम से दिल्ली और दिल्ली से त्रिवेन्द्रम में डाक प्राप्त करने में अत्यधिक विलम्ब होता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रकार के विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बम्बई हाई में गैस जलाया जाना

2230. **श्री डी०वी० पाटिल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई में, जहां कच्चा तेल मिला है, प्लेट फार्म में गैस जलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रतिदिन औसतन कितनी गैस जलाई जा रही है और उसका मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। बम्बई हाई में अपर्याप्त अपतटीय कम्प्रेशन सुविधाओं, अपर्याप्त टाउनस्ट्रीम की आधारभूत सुविधाओं, उपभोक्ताओं द्वारा वचनबद्ध आफ-टैक को न उठाने, सुरक्षा तत्वों आदि कारणों से संबद्ध प्राकृतिक गैस को जला दिया जाता है।

(ग) वर्ष 1984-85 में बम्बई हाई में जलाई गई संबद्ध प्राकृतिक गैस की औसत मात्रा 5.19 मिलियन घन मी० प्रतिदिन थी। वर्ष 1984-85 के दौरान बम्बई हाई में जलाई गई गैस का अनुमानित मूल्य 100 रु० प्रति हजार घन मीटर की दर पर 18.93 करोड़ रुपये आंका गया है।

सातवीं योजना के दौरान संचार विभाग के लिए नियतन

2231. **श्री श्रीराम मूर्ति भट्टम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में संचार विभाग का अनुमानित परिव्यय 13 हजार करोड़ रुपये है, जबकि योजना आयोग ने उक्त योजना अवधि के दौरान अन्ततः केवल चार हजार करोड़ की राशि आवंटित की है; और

(ख) क्या सरकार उक्त आवंटित राशि से आगामी पांच वर्षों के दौरान आवेदनों की संख्या में प्रत्याशित वृद्धि से अलग नये टेलीफोनों तथा टेलेक्स संचार सुविधाओं की लंबित मांग को पूरा कर पायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मांग करने पर टेलेक्स कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य है । इस अवधि में 11 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें देना संभव होगा जबकि 31.3.1985 को दर्ज प्रतीक्षा सूची में लगभग 8.29 लाख आवेदक हैं ।

सिक्किम में रंगति जल-विद्युत परियोजना की प्रगति

2232. **श्रीमती डी०के० भंडारी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में रंगित जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने परियोजना को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया है तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही निवेश संबंधी निर्णय हेतु इस पर विचार किया जा सकता है ।

बादली औद्योगिक बस्ती

2233. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री थम्पन थामस : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशालय, दिल्ली ने बादली औद्योगिक बस्ती को वर्ष 1970 में मंजूर किया था जिसमें 250 औद्योगिक प्लाट थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पन्द्रह वर्षों के दौरान जल मल व्यपन और बिजली की सुविधा प्राप्त कितने औद्योगिक एकक अस्तित्व में आए हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, वर्ष 1968-69 से 1983 तक की अवधि में बादली इंडस्ट्रियल एस्टेट फेज-1 और फेज 2 में 276 प्लाट आवंटित किए गए थे ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गये सर्वेक्षण के अनुसार, 31-12-1985 तक 130 एककों की स्थापना की गई है । जहां तक जलमल व्ययन जैसी सेवाएं प्रदान करने का संबंध है । लोक निर्माण विभाग, दिल्ली प्रशासन के अनुसार कम्पलैक्श में सभी को ये सुविधायें उपलब्ध हैं । जहाँ तक विद्युत का संबंध हैं, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार 19-2-1986 तक बादली औद्योगिक बस्तियों में विभिन्न औद्योगिक एककों को 165 के कनेक्शन दिए गए हैं ।

महाराष्ट्र के धुले जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप डाकघर खोलना

2234. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के एक अत्यन्त पिछड़े तथा जनजातीय जिले धुले में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप डाकघर खोले गये है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 के दौरान उक्त जिले में नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा उप डाकघर खोलने का है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) धुले जिले में आजतक 70 सार्वजनिक टेलीफोन घर, 54 उपडाकघर और 368 शाखा डाकघर हैं। इनमें से 14 सार्वजनिक टेलीफोनघर और 8 डाकघर 1983-84 के दौरान, 18 सार्वजनिक टेलीफोन घर 1948-85 में तथा 2 सार्वजनिक टेलीफोन घर 1984-85 में खोले गए। पदों के सृजन पर लगी पाबंदी के कारण 1983-84 और 1984-85 में कोई डाकघर नहीं खोले गए।

(ख) जी हां। 10 सार्वजनिक टेलीफोन घर 1986-87 और 12 सार्वजनिक टेलीफोन घर 1987-88 के दौरान खोलने का प्रस्ताव है। 1986-87 में ककेड़ी में उप डाकघर खोलने की योजना नहीं है। 1987-88 के दौरान नए डाकघर खोलने के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) इन लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों को स्थापित करने के लिये निधि को प्रत्येक वर्ष के दौरान सर्किल को दिए गये एक मुश्त अनुदान से पूरी की जाएगी।

गैस टरबाइन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

2235. **श्री के० राममूर्ति** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस टर्बाइन परियोजनाओं के लिए, जो विद्युत की चिन्ताजनक स्थिति में पर्याप्त उत्पादन वाली समझी गई हैं; किन-किन राज्य विद्युत बोर्डों ने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इन प्रस्तावों पर अपनी मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इन गैस टर्बाइन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) कर्नाटक (कर्नाटक बिजली बोर्ड) तमिलनाडु (तमिलनाडु बिजली बोर्ड) उड़ीसा (उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड) और उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड) बिजली बोर्डों ने गैस टरबाइन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अब तक केवल कर्नाटक बिजली बोर्ड के बंगलौर के प्रस्ताव को तथा तमिलनाडु बिजली बोर्ड के वेसिन ब्रिज के प्रस्ताव को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी है। प्राप्त हुए प्रस्तावों के लिए ईंधन तेल की सुनिश्चित उपलब्धता को अभी स्थापित किया जाना है, केवल तब ही निवेश संबंधी निर्णय पर विचार किया जा सकाता है।

सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करना

2236. श्री हुसैन दलवाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करने सम्बन्धी नई प्रौद्योगिकी को आरम्भ करने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या सरकार विदेशी सहयोग से गैर सरकारी क्षेत्र को सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली पैदा करने के काम में प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है ? और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) सौर प्रकाशवोल्टीय प्रोद्योगिकी के माध्यम से विद्युत उत्पादन को देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जा चुका है। गली रोशनी, सामुदायिक रोशनी और दूरदर्शन, जल पंपन आदि के लिए विद्युत प्रदान करते हुए कुछ गांवों में कुछ लघु सौर विद्युत संयंत्र क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त, स्वतन्त्र प्रणालियों के रूप में 2000 गली रोशनी एककों, जल पंपन प्रणालियों, सामुदायिक रोशनी और सामुदायिक दूरदर्शन प्रणालियों से अधिक की स्थापना की जा चुकी है। तटवर्ती तेल प्लेटफार्मों, सूक्ष्म तरंग आवर्तक केन्द्र, रेलवे संकेतन एककों आदि जैसे विशिष्ट स्थलों पर भी सौर विद्युत प्रणालियों का प्रयोग किया जा रहा है।

सौर तापीय तरीके के माध्यम से भी विद्युत उत्पादन को विकसित किया जा रहा है। क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन आंकड़ा एकत्र करने के लिए कुछ निम्न क्षमता के सौर तापीय विद्युत एककों की स्थापना की जा रही है। मेगावाट आकार के एक सौर तापीय विद्युत संयंत्र पर प्रारंभिक संभाव्यता अध्ययन भी किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) विदेशी सहयोग के साथ सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हुए विद्युत उत्पादन के लिए इस समय निजी क्षेत्र से कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। इस प्रकार के प्रस्ताव जब प्राप्त होंगे तो योग्यता के आधार पर उन पर विचार किया जाएगा।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा घाटा

2237. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड की प्रदत्त पूंजी कितनी है और इसको कुल कितना घाटा हुआ है तथा इसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है; और

(ख) किराया/खरीद विपणन "टर्न की" परियोजनाओं इत्यादि के क्षेत्र में उक्त निगम को कितना घाटा हुआ है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि० की प्रदत्त पूंजी 31-3-85 को 20.80 करोड़ रु० और संचयी हानि 5.66 करोड़ रु० है। देश में लघु उद्योगों की संवृद्धि और विकास करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना एक संवर्द्धनात्मक संगठन के रूप में की गई थी। निगम पिछले 3 वित्तीय वर्षों से लगातार लाभ अर्जित करता रहा है जैसा कि नीचे बताए गए आंकड़ों से पता चलता है।

1982-83	5.59 लाख रु०
1983-84	32.63 लाख रु०
1984-85	84.01 लाख रु०

उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि लाभों में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

पहले हुई हानियों को निगम की सामान्य व्यापारिक हानियों के रूप में माना गया था।

(ख) उपगत संचयी हानियां (31 मार्च, 1985 तक) केवल किराया-खरीद क्रियाकलाप सम्बन्धित हैं। तथापि, 1982-83 से इन क्रियाकलाप में निगम लाभ अर्जित कर रहा है। किराया-खरीद क्रियाकलाप को यद्यपि वाणिज्यक रूप में स्वीकार किया गया है फिर भी, इसमें पर्याप्त संवर्धनात्मक निवेश शामिल हैं।

स्मृति डाक टिकट जारी करना

2238. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सामंत चन्द्रशेखर, जिन्हें पठाणि सामंत के नाम से जाना जाता है, पं० नीलकंठ दास और जयी राजगुरु और "बुनि जगबन्धु" जैसे विख्यात व्यक्तियों की स्मृति में डाक टिकट जारी करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सर्वश्री सामंत चन्द्रशेखर और पंडित नीलकंठ दास के सम्मान में स्मारक डाक टिकट जारी करने के बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वश्री जय राजगुरु और बेनी जगबन्धु के बारे में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

(ख) सर्वश्री सामंत चन्द्रशेखर और पंडित नीलकंठ के बारे में प्राप्त प्रस्तावों को फिलैटली सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था लेकिन इनकी सिफारिश नहीं की गई। सर्वश्री जय राजगुरु और बेनी जगबन्धु के प्रस्तावों को फिलैटली सलाहकार समिति की अगली बैठक में अब प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय पन बिजली निगम द्वारा पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण

2239. **श्री पी० एम० सईद :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम ने देश में कतिपय पन-बिजली परियोजनाओं के निर्माण का सुझाव दिया है;

(ख) दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा उक्त सुझावों की जांच की गई है तथा ये सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं; और

(घ) ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित करने का विचार है तथा इनके निर्माण में लगभग कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने कुल 11,600 मेगावाट से अधिक की 22 जल विद्युत परियोजनाएं प्रतिष्ठापित करने का सुझाव दिया था ।

(ग) और (घ) सुझावों पर विचार किया गया है । पांच जल विद्युत परियोजनाओं नामश: उड़ी, रंजीत, धौलीगंगा, नाथपा झाकरी और टिहरी परियोजनाओं को क्रियान्वयन के लिये निर्धारित किया गया है । धौलीगंगा और टिहरी परियोजनाओं की अनुमानित निर्माण अवधि लगभग आठ वर्ष, उड़ी और नाथपा झाकरी परियोजनाओं की लगभग सात वर्ष और रंजीत परियोजना की लगभग पांच वर्ष है ।

राजस्थान में खाना पकाने की गैस पर राज सहायता

2240. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ईंधन की लकड़ी की मांग कम करने हेतु प्राथमिकता के आधार पर खाना पकाने की गैस को सप्लाई करने के लिए राजस्थान में वन क्षेत्र के आस-पास के कुछ कस्बों को चुना है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पूर्ति उन स्थानों के निवासियों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर की जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो राज सहायता किस सीमा तक दी जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) घरेलू उपभोक्ताओं के लिये सामान्य कीमतों में परिवर्तन होगा ।

शिवसागर और डिबरूगढ़, असम में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

2241. **श्री पराग चालिहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के तेल उत्पादन शहरी क्षेत्रों अर्थात् शिवसागर और डिब्रूगढ़ में घरेलू उपयोग के लिए गैस पाइप लाइनों की व्यवस्था करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) ओ एन जी सी ने असम गैस कम्पनी को 5000 घन मीटर गैस प्रतिदिन देना स्वीकार

किया है जो अपनी व्यवस्था करके शिवसागर नगर में गैस सप्लाई करेगी। गैस की मात्रा को भविष्य की मांग के आधार पर 10,000 घन मीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकेगा।

बिहार में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

2242. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन दिये गये हैं; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान बिहार में खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन दिये जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) लगभग, 299,000

(ख) देश में जिसमें बिहार भी शामिल है, नये कनेक्शन तेल उद्योग की वार्षिक नामांकन योजना के अधीन जारी किये जाते हैं और इसका निर्धारण एल० पी० जी० की प्राप्यता में वृद्धि, भरण क्षमता, परिवहन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

गुजरात में खम्भात क्षेत्र में तेल की खुदायी का कार्य

2243. **श्री नर सिंह मकवाना** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के खम्भात क्षेत्र में खोजे गए तेल के नए क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य के कब तक आरम्भ होने की संभावना है ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में पाए जाने वाले तेल और गैस का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल की खोज न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) गुजरात के खम्भात क्षेत्र में ड्रिलिंग कार्य पहले ही प्रगति पर है।

(ख) इस रीजन में गन्धार क्षेत्र का अभी भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों में कार्यकारी निदेशक के पदों का सृजन

2244. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :**
श्री सरफराज अहमद :
श्री मलिक रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बड़ी संख्या में सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों ने कार्यकारी निदेशक के पदों का सृजन किया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इनको क्या कार्य सौंपे गए हैं;

(ग) क्या ऐसे पदों के सृजन और इन पर नियुक्ति के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है; और

(घ) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ) सार्वजनिक कम्पनियों या निजी कम्पनियों जो सार्वजनिक कम्पनियों की सहायक हैं, की स्थिति में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 2 (24) में यथा परिनिश्चित प्रबन्ध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक और प्रबन्धक की नियुक्ति के निए और पारिश्रमिक की अदायगी के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

"कार्यकारी निदेशक" की परिभाषा को कम्पनी अधिनियम, 1956 में परिनिश्चित नहीं किया गया है।

जहां कहीं भी इस प्रकार की कम्पनियों ने कतिपय निदेशकों/कर्मचारियों को कार्यकारी निदेशकों के रूप में पदनामित किया है। सरकार के पास इस प्रकार की कम्पनियों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरा नहीं है।

टेलीफोन संख्या 176 की सेवायें

2245. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना सेवा प्रदान करने वाली टेलीफोन संख्या 176 की सेवायं समाप्त कर दी गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, विशेष सेवा 176 को 15.2.86 से बंद करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(ख) विशेष सेवा "176" से फिल्म, प्रदर्शनी के कार्यक्रमों, खेलकूद के परिणाम, सड़क, रेल और हवाई परिवहन का निर्धारित समय, विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम तथा अन्य स्थानीय हितों की जानकारी दी जाया करती थी। चूंकि आकाशवाणी, दूरदर्शन जैसे जनमाध्यम तथा रेल, इंडियन एयरलाइन्स, दिल्ली परिवहन निगम आदि अन्य एजेंसियां पहले से ही प्रायः इस प्रकार की जानकारी अधिक शीघ्र एवं ठीक ढंग से दे रही हैं, अतः दूरसंचार बोर्ड द्वारा इस सेवा को बंद करना वांछनीय समझा गया।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा लक्ष्य में वृद्धि के लिए स्वदेशीकरण की योजना

2246. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष एक लाख कार का लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य में आयात की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या बढ़े हुए एककों के स्वदेशीकरण के लिए किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि बढ़ाए हुये लक्ष्य के लिए स्वदेशीकरण की कोई योजना नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड की परियोजना रिपोर्ट में 95% स्वदेशी अंश से 1988-89 तक प्रतिवर्ष 100,000 वाहनों की क्षमता की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) परियोजना रिपोर्ट के 40,000 के लक्ष्य की तुलना में कम्पनी ने 1985-86 में 50,000 से अधिक वाहनों का निर्माण किया। मार्च, 1986 में कार के स्वदेशीकरण का स्तर 36.92% तक पहुँच गया है और मार्च, 1987 तक इसके 68.75 तक पहुँच जाने की आशा है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फोन जंक्शन पिल्लर में अतिरिक्त "हाट लाइन" की व्यवस्था

2247 **डा० टी० कल्पना देवी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीफोन विभाग के मुख्य जक्शन पिल्लरों पर टेलीफोन के फील्ड कर्मचारियों के अपने टेलीफोन केन्द्र से बातचीत करने के लिए एक भी सर्विस लाइन नहीं है जिसके कारण कर्मचारी अन्य प्रयोक्ताओं के टेलोफोन का दुरुपयोग करते हैं और इस कारण बिल अधिक आता है ;

(ख) क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की सुविधा के लिए प्रत्येक फोन जक्शन पिल्लर पर एक अतिरिक्त हॉट लाइन की व्यवस्था करने का है;

(ग) क्या सरकार यह भी सुनिश्चत करेगी कि प्रत्येक जंक्शन पिल्लर पर एक बिजली का प्वाइंट या बिजली की लाइट हो जिससे कि कर्मचारी सायं 8 बजे तक कार्य कर सके;

(घ) क्या सरकार प्रत्येक जंक्शन पिल्लर पर ऊपरी सुरक्षा के लिए शेड की व्यवस्था करेगी ताकि कर्मचारी वर्षा के मौसम में कार्य कर सकें; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक बड़े केन्द्रों के लिए एक प्रभावी सलाहकार समिति बनाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिल्लरों में सर्विस लाइन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए कर्मचारी उपभोक्ता की लाइन का उपयोग करते हैं।

जांच कालें करते समय कर्मचारियों को क्रेडिट स्लिप दी जाती हैं जो उन उपभोक्ताओं को ही जारी होती हैं जिनकी लाइनों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ग) कैबिनेट या पिल्लर में विद्युत प्वाइंट प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह खतरनाक होता है। लाइनमैनों को रात्रि ड्यूटी के समय टार्च और पैट्रोमेक्स प्रदान की जाती है।

(घ) वर्षा के मौसम में तम्बुओं और तिरपाल प्रदान किए जाते हैं।

(ङ) प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लिए एक दूरसंचार सलाहकार समिति तथा प्रत्येक टेलीफोन जिले के लिए एक टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। क्षेत्रीय प्रबंधक/निदेशक (दूरसंचार) के स्तर पर समिति के सदस्यों से उपसमितियों का गठन किया जाना होता है ताकि दूरसंचार नेटवर्क की कार्यप्रणाली में इनका सहयोग लिया जा सके।

पश्चिम बंगाल में प्रबंध ग्रहीत एककों की अधिसूचना रद्द करना

2248 **श्री अनिल बसु : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के छः औद्योगिक एककों, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्ध ग्रहण कर लिया गया है और जिनकी अवधि 31 मार्च, 1986 को समाप्त हो रही है, के संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में इस प्रकार के किसी प्रबन्ध ग्रहीत एकक के संबंध में इस बीच अधिसूचना रद्द की गई है; और

(ग) यदि हां, तो मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक एककों के अधिग्रहण की अवधि, जो 31 मार्च, 1986 तक समाप्त हो रही है, को और आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि राज्य सरकार उनके भावी निपटान के सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठाता।

हाल्दिया औद्योगिक क्षेत्र में टेलीफोन प्रणाली में सुधार

2249. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल्दिया **औद्योगिक** क्षेत्र में वर्तमान टेलीफोन प्रणाली में सुधार करने हेतु दूरसंचार विभाग की योजना और कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : इस समय हल्दिया में 3 एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं --अर्थात हल्दिया इंडस्ट्रीज - 500 लाइनें, हल्दिया टाउनशिप-400 लाइनें तथा

दुर्गचक-200 लाइनें। इन एक्सचेंजों को यू० एच० एफ० प्रणाली द्वारा कलकत्ता के साथ जोड़ा गया है। हल्दिया में 15-2-86 से अन्तराष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग प्रणाली प्रारम्भ कर दी गई है। मौजूदा 20 लाइनों वाले टेलेक्स एक्सचेंज में अन्य 20 लाइनें जोड़ने का प्रस्ताव है सातवीं योजनामें हल्दिया टाउनशिप एक्सचेंज का अन्य 100 लाइनों में विस्तार करने का कार्यक्रम है। इस योजना अवधि के दौरान हल्दिया टाउनशिप के लिए विभागीय इमारत का निर्माण करने की योजना है।

गावों और दूरस्थ क्षेत्रों में डाक की डिलीवरी

2250. **श्री चित्त महाता :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांवों में मनीआर्डर पार्सल, पत्र आदि पखवाड़े में कम से कम एक वार ही डिलीवर किए जाते है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों में इन मदों की शीघ्र डिलीवरी के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) विगत लगभग 10 वर्षों या उससे भी अधिक समय पहले से विभाग ने ग्रामीण इलाकों में डाक वितरण और मनीआर्डरों के भुगतान पर निरंतर ध्यान दिया है । पुरानी प्रणाली के अनुसार ग्रामीण डाकिया जो सप्ताह में एक वार, दो बार/तीन वार गांवों में जाता था, उसे दैनिक वितरण प्रणाली योजना द्वारा धीरे-धीरे बदला जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत किसी ग्रामीण डाकघर में प्राप्त डाक मद या मनीआर्डर को उसके प्राप्तकर्ता गांव को, जहां व्यवहार्य हो, उसी दिन भेज दिया जाता है। इस व्यवस्था को संभव बनाने के लिए, योजना के अधीन सामान्य वितरण व्यवस्था के अलावा समूचे देश में ग्रामीण डाकघरों में 31-3-84 तक 28, 707 वितरण एजेंट नियुक्त किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 1-4-1975 से 31-3-1985 की अवधि के दौरान 23000 से अधिक नए ग्रामीण डाकघर खोलने से प्रत्यक ग्रामीण डाकघर के अधीन एक अत्यंत ठोस वितरण क्षेत्र विकसित हो गया है, जिसके फलस्वरूप डाक के वितरण और मनीआर्डरों के भुगतान की क्रिया तेज हुई है।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में डाक लाने-लेजाने तथा वितरण कार्य की (मनीआर्डरों का शीघ्र भुगतान) पर्यवेक्षकीय अधिकारियों द्वारा निरंतर जांच की जाती है। विभिन्न विकास योजनाओं को मॉनीटर करने की योजना के तहत विभाग द्वारा नियुक्त किए गए निरीक्षकों को हाल ही में यह दायित्व सौंपा गया है। अतिरिक्त नियुक्तियों, जैसे कि उपर्युक्त, पैरा (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, के अलावा ग्रामीण डाकघरों के लिए डाक संचारण की प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से जहां व्यवहार्य और लाभप्रद हैं, वहां "रनर लाइनों" को "मोटर लाइनों" द्वारा बदला जा रहा है।

ग्रामीण डाकघरों में पर्याप्त राशि समय पर न पहुंच पाने के कारण ग्रामीण इलाकों में मनीआर्डरों के भुगतान में यदा-कदा विलंब हो जाता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, विभाग ने हाल ही में विभिन्न यातायात माध्यमों (रेल, मोटर, साइकिल, पैदल आदि) द्वारा भेजी

जाने वाली धनराशि की सीमा में पर्याप्त वृद्धि की है। डाकघर अधिक्षकों को सभी मामलों में, जहां ग्रामीण इलाकों में मनीआर्डरों का तुरन्त भुगतान करने के उद्देश्य से धन-राशि को बढ़ाना आवश्यक हो, वहां ग्रामीण पोस्टमैन/ग्रामीण वितरण एजेंट को भुगतान के उद्देश्य से सौंपे जाने वाली नकद राशि की सीमा को 600/-रु० की सीमा से 1000/-रु० तक बढ़ाने के अधिकार दे दिए गए हैं।

क्रास-बार टेलीफोन प्रणाली

2251. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्रास-बार प्रणाली आरम्भ करने से टेलीफोन व्यवस्था और अधिक दोषपूर्ण हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। क्रासबार प्रणाली से टेलीफोन प्रणाली में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न नहीं होती है। केवल आयातित पेंटाकोंटा किस्म के क्रासबार उपस्करों में कुछ खराबी आ जाने के कारण कुछ दिक्कतें आई थीं।

(ख) इन खराबियों का पता लगया गया तथा सर्किटों में संसोधन करके तथा उपस्कर को सही करके आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाई की गई ।

पन बिजली विकास के लिए धनराशि

2252. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : सातवीं योजना में पनबिजली के विकास के लिए कितनी धन राशि का प्रावधान किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए सातवीं योजना में अनुमोदित परिव्य लगभग 21,300 करोड़ रुपये है, जिसमें लगभग 6500 करोड़ रुपये जल विद्युत परियोजनाओं के लिए है।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा स्वदेशीकरण कार्यक्रम में विलम्ब

2253. **श्री अमल दत्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग को अपने मूल चरणबद्ध स्वदेशीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करने में विलम्ब होने के विरुद्ध उसी तरह की चेतावनी दी गई है जिस तरह की चेतावनी डी0 सी0 एम0 टोयोटा और हीरो-होंडा समूह को दी गई है;

(ख) यदि हां, तो सख्त चेतावनी कब जारी की गई थी और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब जारी किया जाएगा ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) : स्वदेशीकरण के सम्बन्ध में हल्के वाणिज्यक वाहनों, कारों सहित विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। सरकार की नीति यह है कि चेतावनी जारी करने के बजाय सुधारात्मक कदम उठाये जायें।

केरल के जिलों में डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की सुविधाएँ

2254. **श्री के० मोहन दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन-किन जिलों में अभी तक डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की सुविधा नहीं है; और

(ख) वहां यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केरल में 14 जिला मुख्यालयों में से केवल दो जिला मुख्यालयों में अर्थात कसारागोड और पठानमथिट्टा में इस समय एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है। पठानमथिट्टा में मध्यम आकार का एक स्वचल एक्सचेंज है।

(ख) कसारागोड स्थानीय एक्सचेंज जो कि फिलहाल एक मैनुअल एक्सचेंज है को स्वचल बनाने की योजना बनाई गई है। कसारागोड और पठानमथिट्टा को ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के साथ विश्वसनीय संचारण माध्यम से जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में विद्युत उत्पादन करने संबंधी योजनायें

2255. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में ऐसी कुल कितनी विद्युत उत्पादन योजनाएं हैं जिनके बारे में सर्वेक्षण किया गया है और जिन पर आने वाला खर्च केन्द्र सरकार को वहन करना है; और

(ख) केन्द्र सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को कुल कितनी धनराशि देने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) चमेरा जल विद्युत परियोजना केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीयजल विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त, नाथपा झाकरी परियोजना को भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के साझा उपक्रम के रूप में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है सातवीं योजना के अन्तर्गत इन परियोजनाओं के लिए क्रमशः 518 करोड़ रुपये तथा 90 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

भूमि में केबल डालना

2256. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल 3 फुट के मानदण्ड के स्थान पर सड़क की सतह से केवल 6 से 7 इंच नीचे डाले जाते हैं जिसके परिणामस्वरूप केबल बार बार खराब हो जाते हैं; और

(ख) टेलीफोन सेवाओं के कार्यकरण में सुधार करने के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केबिलों को आमतौर से मानकों के अनुसार विछाया जाता है। इन्हें कम से कम 3 फुट की गहराई तक विछाया जाना होता है फिर भी, कुछ मामलों में निर्माण संबंधी दिक्कतों के कारण केबिलों को पर्याप्त मात्रा में अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करके केबिलों को कम गहराई तक बिछाया जाता है।

इन एहतियातों के बावजूद जन उपयोगी सेवाओं के खुदाई कार्य से केबिलों के खराब हो जाने के कारण कभी-कभी गड़बड़ी पैदा हो जाती है।

(ख) केबिलों को बाहरी क्षति से बचाने के उद्देश्य से प्राइमरी और जंकशन केबिलों के लिए दीर्घ कालिक आधार पर भूमिगत डक्टों का निर्माण करने का प्रस्ताव है। पानी के प्रवेश के कारण हुई खराबियों को दूर करने के लिए वितरण नेटवर्क में जैलीभरे केबिलों का प्रयोग किया जा रहा है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित रिट/वाद

2257. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय तथा देश के प्रत्येक उच्च न्यायालय में लंबित रिट, सिविल वादों और दांडिक मामलों की संख्या आज तक कितनी है; और

(ख) उनको शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण एक में दी गई है।

(ख) लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण दो में दिए गए हैं।

विवरण—एक

न्यायालय का नाम	लंबित मामलों की संख्या (1.2.86 (तक)
उच्चतम न्यायालय	
ग्रहण किए जाने वाले मामले	
(क) विशेष इजाजत याचिकाएं	
(i) सिविल	26,210
(ii) दांडिक	3,549

(ख) प्रारंभिक सुनवाई के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन याचिकाएं—	
(i) सिविल	7,289
(ii) दांडिक	1,639
नियमित सुनवाई के मामले	
(क) सामान्य सिविल अपीलें	25,253
(ख) सांविधानिक सिविल अपीलें	672
(ग) सामान्य दांडिक अपीलें	4,078
(घ) अंतिम सुनवाई के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन अपीलें :	
(i) सिविल	12,078
(ii) दांडिक	195
प्रकीर्ण याचिकाएं	
(i) सिविल	55,318
(ii) दांडिक	1,893

उच्च न्यायालय का नाम	लंबित रिट याचिकाओं की कुल संख्या	लंबित सिविल वादों की कुल संख्या	लंबित दांडिक मामलों की कुल संख्या
1	2	3	4
	(31.12.1985 तक)		
आंध्र प्रदेश	31219	1	2521
गुजरात	12969	25	5127
केरल	19793	2	7772
उड़ीसा	9495	2	3484
पटना	12881	15	17072
पंजाब और हरियाणा	9246	—	2816
	(30.6.85 तक)		
इलाहाबाद	86972	7	51527
मुंबई	26097	14956	6712

1	2	3	4
कलकत्ता	1241	9750	12912
दिल्ली	9159	4738	3978
हिमाचल प्रदेश	1604	136	505
जम्मू-कश्मीर	6281	1575	2670
कर्नाटक	65508	--	1919
मध्य प्रदेश	9063	--	13271
मद्रास	34065	2829	11335
राजस्थान	21501	--	11576
सिक्किम	32	—	1
	(31.12.1984 तक)		
गुवाहाटी	5617	—	2642

विवरण-दो

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. मुख्य न्यायमूर्तियों, राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विधि मंत्रियों के 31 अगस्त-1 सितम्बर, 1985 को हुए सम्मेलन में सभी न्यायालयों में बकाया मामलों के निपटारे के विषय में विचार-विमर्श हो गया है और सम्मेलन के संकल्प उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को भेजे गए हैं।

2. उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेंट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100-क)।

3. विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई।

4. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31.12.1977 से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं है।

5. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जिसे। मार्च, 1986 को 431 कर दिया गया है।

6. उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) कुछ मामलों को पूर्विकता दी जाती है;

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं;

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को, जिनमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित होते हैं, एक एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं ;

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अंतर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए ;

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों का 1966 में पुनरीक्षण किया गया और उसमें यह उपबंध किया गया कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः अभी हाल में न्यायालय ने, जहां कहीं भी संभव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेपर बुक पर ही करना आरंभ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब उत्तर में दोनों पक्षकार अपने प्रतिशपथ-पत्र और शपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं ;

(vi) न्यायालय का समय बचवाने के लिए, भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति, न्यायालय के समय के पश्चात् चर्चा कर रहे हैं जिसमें इससे पूर्व कम से कम लगभग एक घंटा लग जाता था ;

(vii) दाण्डिक अपीलों में, अ ीलार्थियों के काउंसेल से यह अपेक्षा की जाती है कि वे साइक्लोस्टाइल अभिलेख को, मुद्रित कराने में लगने वाले समय को बचाने के लिए, फाइल करें जिससे कि मामले पर शीघ्र सुनवाई हो सके ;

(viii) चैंबर में माननीय न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार को कुछ प्रकार के मामलों के निपटाने के लिए, जो कि इससे पूर्व न्यायालय की सूची में थे, सशक्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय नियमों को संशोधित किया गया है। न्यायालय का समय बचाने के लिए ऐसा किया गया है ;

(ix) विधि की उस शाखा से सम्बन्धित विशेष प्रकार के मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए विशिष्ट न्यायपीठों का गठन किया गया है जिसमें विशिष्ट न्यायपीठ गठित करने वाले माननीय न्यायाधीश विशेषज्ञ होते हैं। इससे विशिष्ट न्यायपीठ को ऐसे मामलों को शीघ्रता से निपटाने में सहायता मिलती है।

(x) भारत के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने हाल ही में निदेश दिया है कि यदि प्रत्येक पक्षकार की ओर से बहस में पांच घंटे से अधिक समय लगता हो तो प्रत्येक मामले में काउंसेल लिखित रूप में बहस फाइल करेगा। मौखिक बहस के लिए प्रत्येक पक्षकार को 5 घंटे का समय दिया गया है। किन्तु यदि न्यायालय यह अनुभव करता है कि काउंसेल को और अधिक समय दिया जाना चाहिए तो वह प्रत्येक पक्ष को अधिकतम 10 घण्टे का समय दे सकता है। इस प्रकार दोनों काउंसेलों द्वारा बहस करने के समय में कटौती कर दी गई है जिसके परिणामस्वरूप मामलों का शीघ्र निपटारा होता है।

7. उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्बलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

8. विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए वे सिफारिशें संघ सरकार के सहित उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

9. सरकार ने उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए, तीन मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

10. सरकार ने विधि आयोग को, आवश्यक सुधार लाने के लिए न्यायिक पद्धति का अध्ययन करने का कार्य सौंपा है। विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) (i) ग्रामीण क्षेत्रों में विवादों के निपटारे के लिए न्याय पंचायत या अन्य तंत्र की स्थापना करके उसका विस्तार करके और उसे सुदृढ़ करके;

(ii) उपयुक्त क्षेत्रों और केंद्रों में परिनिश्चित अधिकारिता और शक्तियों सहित भाग लेने वाली न्याय पद्धति स्थापित करके ;

(iii) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कार्य की मात्रा को घटाने के लिए न्यायिक श्रेणी के भीतर अन्य पंक्ति या पद्धति स्थापित करके, न्याय प्रशासन की पद्धति का विकेन्द्रीकरण करने की आवश्यकता।

(ख) ऐसे विषय जिनके लिए संविधान के भाग 14 क में यथा परिकल्पित अधिकरणों (सेवा अधिकरणों को अपवर्जित करते हुए) को शीघ्र स्थापित करने की आवश्यकता है और उनके स्थापन और कार्यकरण से संबंधित विभिन्न विषय ;

(ग) प्रक्रिया संबंधी विधियां साधारणतः मामलों के शीघ्र निपटाने, अनावश्यक मुकदमेबाजी को और मामलों की सुनवाई में विलंब को कम करने की दृष्टि से और प्रक्रिया तथा प्रक्रिया संबंधी विधियों में सुधार और विशेष रूप से मद क (i) और क (ii) में परिकल्पित विषयों के अनुरूप प्रक्रियाओं के लिए उपाय करना ।

(घ) अधीनस्थ न्यायालयों/अधीनस्थ न्यायपालिका में नियुक्ति का ढंग ।

(ङ) न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण ।

(च) न्याय प्रशासन की पद्धति को सुदृढ़ करने में विधि व्यवसाय की भूमिका ।

(छ) ऐसे मानदंडों के निश्चित करने की वांछनीयता जिनका सरकार और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा विवादों के निपटारे में पालन किया जाना चाहिए । इसके अंतर्गत सरकार और ऐसे उपक्रमों की ओर से मुकदमों के संचालन के लिए वर्तमान पद्धति का पुनर्विलोकन भी है ।

(ज) मुकदमेबाजी का खर्च मुकदमा लड़ने वालों पर भार कम करने की दृष्टि से ।

(झ) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन; और

(ञ) ऐसे अन्य विषय जो आयोग उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए उपयुक्त या आवश्यक समझे या जो सरकार द्वारा उसे समय-समय पर निर्देशित किए जाएं ।

दिल्ली में इन्डियन आयल कारपोरेशन संयंत्र में विस्फोट के बारे वासुदेवन समिति की सिफारिशें

2258. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम :**

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1983 में दिल्ली में इन्डियन आयल कारपोरेशन के संयंत्र में हुए भारी विस्फोट के बाद नियुक्त की गई वासुदेवन समिति ने अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्डियन आयल कारपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन ने इन सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित किया है और व्यवहार में इन का अनुपालन किया जा रहा हैं; और

(घ) क्या अहमदाबाद स्थित उपभोक्ता संगठन द्वारा प्रस्तुत एक अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट में बताया गया है कि इन सिफारिशों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है और इन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) वासुदेवन समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ एल. पी. जी. बॉटलिंग संयंत्र के निम्नलिखित पहलुओं पर सिफारिशें कीं :

1. स्थान-निर्धारण
2. आकार
3. सिलिंडर भरण एवं संचालन
4. प्रारूप और सुरक्षा दूरी
5. अग्निशमन सुविधाएं
6. वाल्व और रेगुलेटर
7. रेल तथा सड़क द्वारा थोक में एल. पी. जी. वाले सिलिंडरों के परिवहन के प्रकार ।
8. गोदामों के वितरक
9. उपस्करों का वितरण
10. नियंत्रण और निरीक्षण इत्यादि ।

(ग) तेल कम्पनियों के नए बॉटलिंग संयंत्रों के सम्बन्ध में समिति की सिफारिशों पर कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

(घ) सरकार को इस तरह की किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है ।

तेल की खोज के लिये कम्प्यूटरों का आयात

2259. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस क्षेत्रों की खोज और प्रक्रिया के दौरान प्राप्त भूकम्प सम्बन्धी सूचना तैयार करने के लिए सोवियत संघ से आधुनिक भू-वैज्ञानिक कम्प्यूटर आयात करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो आयात किये जाने वाले ऐसे कम्प्यूटरों की संख्या कितनी है और उन पर कितनी राशि व्यय की जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हाँ । 3 ईसी-1061 जियोफिजिकल कम्प्यूटर सिस्टम 12.97 करोड़ रुपए की लागत से सोवियत संघ से आयात किए जा रहे हैं ।

[हिन्दी]

पश्चिम दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाना

2260. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम दिल्ली में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में लोगों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या व्यवस्था की जारही है;

(ग) दिल्ली पश्चिम जोन टेलीफोन कार्यालय में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(घ) क्या सरकार इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को शीघ्र स्थापित करने की व्यवस्था करेगी और उसके लिए प्राथमिकता क्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नही । पश्चिमी दिल्ली में 1030 से भी अधिक सार्वजनिक टेलीफोन घर हैं ।

(ख) इस क्षेत्र में और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ग) पश्चिम दिल्ली क्षेत्र में सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान करने के लिए लगभग 400 प्रार्थना पत्र लंबित पड़े हैं ।

(घ) सार्वजनिक टेलीफोनघर उत्तरोत्तर प्रदान किए जा रहे हैं बशर्ते कि तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य और उपयुक्त पाए जाएं ।

[अनुवाद]

ट्रंक काल बुकिंग और एस० टी० डी० सेवायें

2261. **डा० जी० विजयारामा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंक कालों की बुकिंग में अकुशलता के कारण सरकार को भारी नुकसान हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सुधारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायतें करने के बावजूद कोई नियमित जांच और पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है; और

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि खुर्शीद लाल भवन और अन्य एक्सचेंजों में सैकड़ों एस० टी० डी टेलीफोन का दुरुपयोग गैर-सरकारी प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। सुपरवाइजरों और अधिकारियों द्वारा नियमित जांच की जाती है एटेंडेंड या सहायक पोजीशन द्वारा जब टेलीफोन पर शिकायतें प्राप्त होती हैं तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) खुर्शीद लाल भवन और अन्य एक्सचेंजों में सैकड़ों एस० टी० डी० टेलीफोन नहीं हैं। किसी गैर सरकारी कार्य के लिए एस० टी० डी० सुविधा के दुरुपयोग का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। सरकारी टेलीफोनों पर पहले से उपलब्ध एस० टी० डी० सेवा को समाप्त कर दिया गया है। इसमें निदेशक और इससे ऊपर के अधिकारियों के टेलीफोन शामिल नहीं है। निदेशक श्रेणी से नीचे के कुछ अधिकारियों के ही टेलीफोनों पर एस० टी० डी० सुविधा दी गई है क्योंकि उनके मामलों में अनुरक्षण संचालन तथा प्रशासनिक कारणों से एस० टी० डी० सुविधा अपेक्षित है। इन मामलों को महाप्रबंधक ने प्राधिकृत किया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की "ओपन कास्ट" परियोजना से कोयले की राख की प्रतिशतता

2262. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की "ओपन कास्ट" परियोजना से उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली कोयले की राख की औसतन प्रतिशतता के तथ्यों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1985 के किसी एक महीने का परियोजना-वार विवरण क्या है;

(ख) कोयले से पत्थर तथा शेल अलग करने के लिए वहां कितने शेल उठाने वाले लगाये गये हैं--परियोजना--वार तथ्यों का विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) क्या उत्पादन आंकड़े अधिक दिखाने के लिए कोयला और पत्थर एक साथ रखकर कोयले से सामान्य रूप से शेल का हटाना जाना बन्द कर दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

बंबई डाकघरों में डाक वितरण की बारंबारता में कमी

2263. **श्री शरद दिघे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई में हाल में कितने डाकघरों में दो बार डाक वितरण को घटाकर एक बार डाक वितरण प्रणाली शुरू की गयी है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि डाक वितरण में इस प्रकार कमी करने से बम्बई में प्रतिदिन अ-वितरित रजिस्टर्ड पत्रों का ढेर जमा हो रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दो डाकघरों में वितरण को कम कर दिया गया है। एक डाकघर (बम्बई प्रधान डाकघर में दो लेखादेय डाक वस्तुओं से एक डाक वस्तु के वितरण को मौजूदा दो सामान्य डाक वस्तुओं के वितरण में परिवर्तन किए बिना कम कर दिया गया है)। अन्य डाकघर में (अंधेरी पश्चिम) मौजूदा दो सामान्य तथा एक लेखा देय डाक वस्तु के वितरण से एक सामान्य डाक वस्तु के वितरण को कम किया गया है।

(ख) बंबई, प्रधान डाकघर में, जहां दो लेखा देय डाक वस्तुओं का वितरण किया जाता था, अधिक प्रतिशत डाक वस्तुओं को वापस किया जा रहा था क्योंकि प्रथम वितरण बहुत जल्दी होता था तथा डाक पाने वाले कार्यालय खुले नहीं होते थे। दोनों डाक वितरणों को मिला देने तथा गश्त की संख्या बढ़ा देने से अधिक प्रतिशतता में डाक वस्तुओं का वितरण प्रथम बार ही किया जा रहा है। अंधेरी पश्चिम डाकघर में नई कालोनियों का निर्माण हो जाने से सेवा में सुधार लाने के लिए गश्त की अधिक संख्या अपेक्षित थी। एक वितरण कम करके वितरण प्रणाली को पुनः व्यवस्थित करके सेवा में सुधार लाया जा सका। इस संशोधित प्रणाली में डाक का नियमित और समय पर वितरण किया जाता है।

(ग) प्रारम्भिक अवस्था में अब इन दोनों डाकघरों में छंटाइ की संशोधित प्रणाली के कारण गश्तों की संख्या में परिवर्तन किया गया, तो इसमें कुछ दिक्कतें होती थी तथा छंटाई का कार्य नहीं किया जा सका। एक सप्ताह के बाद इन दोनों मामलों में प्रणाली सामान्य हो गई। अब इन डाकघरों में पंजीकृत पत्रों का कोई ढेर नहीं लगा रहता है।

पन और ताप विद्युत उत्पादन में संतुलन

2264. **श्री सत्येन्द्र नरायण सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से पन और ताप विद्युत उत्पादन संतुलन का झुकाव ताप विद्युत उत्पादन की ओर होता जा रहा है और सातवीं योजना के दौरान ऐसा जारी रहेगा;

(ख) क्या इससे बिजली के अधिकतम भार के समय बिजली की आवश्यकता पूरी करने में समस्याएं पैदा हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संतुलन को दूर करने लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) जी, हां। यद्यपि जल विद्युत शक्यता के विकास में तेजी लाना अपेक्षित है ताकि व्यस्ततमकालीन मांग जल विद्युत संयंत्र से पूरी की जा सके तथापि इन संयंत्रों की निर्माण अवधि लम्बी होती है और इनमें पर्यावरण संबंधी पहलुओं की आशंका रहती है। कुल क्षमता में जल विद्युत का भाग बढ़ाने की दृष्टि से विदेशी सहायता के लिए अनेक जल विद्युत परियोजनाओं का पता लगाया गया है।

ईरान और ईराक से बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर तेल का आयात

2265. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान और ईराक से कच्चे तेल का आयात पेट्रोलियम के विद्यमान मूल्यों से कहीं अधिक मूल्यों पर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस सौदे में अब तक कितनी हानि हुई;

(ग) ईरान-ईराक से काफी अधिक मूल्यों पर कच्चा तेल खरीदने के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि उक्त भाग (क) का उत्तर नाकारात्मक है तो फिर इन देशों से कच्चे तेल की खरीद किन मूल्यों पर की जा रही है तथा बाजार में कच्चे तेल का वर्ष-वार प्रचलित मूल्य कितना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) वर्तमान बाजार मूल्यों से अधिक मूल्यों पर कोई भी कच्चा तेल ईरान और ईराक से आयात नहीं किया जाता है । इन देशों के उस कच्चे तेल का, जिसकी हमें आवश्यकता है उतनी मात्रा में जितने की हमें समय-समय पर जरूरत होती है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में सक्रिय व्यापार नहीं होता है । अत: हानि यदि कोई हो, का संक्षेप में उस संविदा के पहले वर्षों में ही सांकेतिक मूल्य लगाना संभव नहीं है जिसके सुनिश्चित सप्लाई के दीर्घावधिक लाभ अल्पावधिक मूल्यों की हानि यदि कोई हो की तुलना में अधिक हैं ।

सरकारी क्षेत्र के एककों के कार्य-निष्पादन के लिए मुख्य अधिकारियों की जिम्मेदारी

2266. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार सरकारी क्षेत्र के एककों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के स्तर से ऊपर के उनके मंत्रालय के अधिकारियों तथा अन्य लोगों को उनके मंत्रालय नियंत्रणाधीन एककों के कार्य-निष्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(ख) क्या इस तरह की दण्ड जिम्मेदारी बोर्ड, मुख्य कार्यकारी निदेशकों और मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों सहित सभी स्तरों पर समानरूप से लागू की गई है; और

(ग) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से ऊपर के अधिकारियों सहित सभी स्तरों पर दिये गये दण्ड का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दवाइयों का उत्पादन तथा देश की दवाइयों की मांग

2267. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने मूल्य की दवाइयां उत्पादित की जाती हैं; और

(ख) बीसवी सदी के अन्त तक, जब देश ने "हेल्थ फार आल वाई 2000 ए डी" का लक्ष्य प्राप्त करने का वचन दिया है, देश में दवाइयों की अनुमानित मांग कितनी होगी और उसका मूल्य क्या होगा ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) अनुमान है कि वर्ष 1984-85 के दौरान स्थित मूल्यों पर प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन 377 करोड़ रुपए तथा 1827 करोड़ रुपए का होगा।

(ख) सरकार ने वर्ष 2000 ई० तक औषधों का मांग का अनुमान नहीं लगाया है। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए औषध और भेषज संबंधी कार्यकारी दल ने प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का 1989-90 तक कुल अपेक्षा क्रमशः 1033.4 करोड़ और 3775 करोड़ रुपये आंकी है।

मिट्टी के तेल की उपलब्धता

2268. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1986 के जनसत्ता में "अतरौली में पुलिस ने क्या नहीं किया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या देश के अधिकांश भागों में मिट्टी के तेल की अधिकतर कम सप्लाई की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो देश में बिना किसी कठिनाई के सही तोल और निर्धारित मूल्य पर मिट्टी के तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी नहीं। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में इसकी छुट-पुट कमी होने की घटनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है।

(ग) गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान चार माह के ब्लाक के आधार पर किये गये आवंटन में 5 प्रतिशत की वृद्धि देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की केरोसीन की मांग का अनुमान लगाया जाता है और तदनुसार आवंटन किया जाता है। तथापि नवम्बर 85 से फरवरी 1986 के माह वाले सर्दियों के मौसम और मार्च से जून 1986 माह के ग्रीष्म के मौसम की अधिक मांग को पूरा करने के लिए क्रमशः 7.5 प्रतिशत और 7 प्रतिशत की वृद्धि देकर आवंटन किया गया है।

जबकि केरोसीन का समग्र आवंटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है इसका वितरण आगे संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा उनके

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाता है। देश में केरोसीन की आसानी से और बिना किसी अधिक कठिनाई के सही माप और उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों को समय-समय पर परामर्श दिया गया है कि वे केरोसीन की वितरण प्रणाली को सरल बनाएं और आवश्यकतानुसार संबंधित कानून को लागू करके उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही करें जो कालाबाजारी/जमाखोरी आदि में लिप्त हों।

बन्द औद्योगिक यूनिट पुनः खोलने के लिए असम को सहायता

2269. **श्री सुदर्शन दास : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार का विचार आसाम में बन्द पड़े कुछ औद्योगिक यूनिटों को पुनः खोलने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : केन्द्र सरकार, असम सरकार को बन्द पड़े कुछ औद्योगिक एककों को पुनः खोलने के लिए उनके प्रयास में हर सम्भव सहायता प्रदान करेगी।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरों की नियुक्ति

2270. **श्रीमती पटेल रमाबेन राम जी भाई भावसि : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारुति उद्योग लिमिटेड ने पिछले दो वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुछ डीलर नियुक्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो डीलर्स की नियुक्ति के लिए, नियम, विनियम और मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में मानदण्डों की अवहेलना की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और किन-किन डीलरों के मामले में मानदण्डों की अवहेलना की गई है;

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान नियुक्त किए गए डीलरों के नाम, पते और स्तर क्या हैं;

(ङ) क्या सरकार को डीलरशिप के आवंटन के मामले में लगाए गए आरोपों की जानकारी है;, और

(च) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) डीलरों को नियुक्त करने का मुख्य मापदण्ड पार्टी में निम्नलिखित योग्यता का होना है :—

(1) मारुति की नीतियों के अनुरूप ग्राहक सेवा का स्टेन्डर्ड प्रदान करना;

(2) बाजार अंश को अधिकतम बनाना;

(3) कम्पनी की सर्वोच्च सम्भव छवि बनाना और विकास करना; मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा डीलरों की नियुक्ति खुले विज्ञापन के पश्चात प्राप्त आवेदन-पत्रों तथा कम्पनी द्वारा योग्यताओं के मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(ग) कम्पनी ने इस बात का खण्डन किया है कि डीलरों के चयन के लिए उन्होंने मान-दण्डों की उपेक्षा होने दी है।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) सरकार ने एक पत्रिका में रिपोर्ट देखी है।

(च) सामान्यतः यह कम्पनी के निदेशक मण्डल का काम है कि वह इसकी जांच करे।

विवरण

क्रमांक	केन्द्र	डीलर का नाम और पता	स्थिति
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	मै० वारगी मोटर्स (गुजरात) प्रा० लि०, 16-17 नेशनल चेम्बर्स दिपाली सिनेमा के नजदीक आश्रम रोड अहमदाबाद-380009.	क्रियाशील
2.	बंगलौर	मैसर्स मण्डीवी मोटर्स 28, सेंट मार्टस रोड बंगलौर-960001.	वही
3.	भोपाल	मै० फेयरडील मारबार गैरेज प्रा० लि०, लाल घाटी नया पुरा, भोपाल.	वही
4.	भुवनेश्वर	मै० रोलटा मोटर्स लि० खण्ड गिरी जंगशन के पास, भुवनेश्वर-751030.	वही
5.	बम्बई	1. मै० एनपक मोटर्स प्रा० लि०, श्रीकुंज, वी० एम० रोड, जूहू स्कीम, बम्बई-400056.	वही
		2. मै० रेशम मोटर्स प्रा० लि०, गार्डन एपार्टमेंट, प्रथम तल, लाईन, ट्राम्बे रोड, चैम्बूर, बम्बई-400071	वही
		3. मै० विटसी ट्रेडिंग प्रा० लि०, टर्फ व्यू होर्नवाई बैलार्ड स्टेट, नेहरू प्लेनेटोरियम रोड, बर्ली बम्बई-400018.	वही
6.	कलकत्ता	मै० मशीन टेकनौ (सैल्स) प्रा० लि०, जिन्दल हाउस, 8-ए असीपुर रोड, कलकत्ता-700027.	वही

1	2	3	4
7.	चण्डीगढ़	मै० पेस्को आटोमोबाइल्स, पेस्को हाउस, इन्ड-स्ट्रियल एरिया, चंडीगढ़-160002	वही
8.	दिल्ली	1. मै० कम्पीटेन्ट मोटर्स, 101. कम्पीटेन्ट हाउस एफ०-14 मिडिल सर्कस, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001.	वही
		2. मै० गंगा आटोमोबाईल्स प्रा० लि०, एस-11 ग्रीन पार्क एक्स मार्ग, नई दिल्ली-110016.	वही
		3. मै० एस० अगन्त ट्रेडर्स प्रा० लि०, 1-ई/17, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055.	वही
		4. मै० सिकन्द एण्ड कम्पनी, 50 जनपथ, नई दिल्ली-110001.	
		5. मै० विकास मोटर्स प्रा० लि०, 12-ए, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-1100015.	वही
9.	गुवाहाटी	मै० विमल आटो एजेन्सी, ए० टी० रोड गुवाहाटी-781001.	वही
10.	हैदराबाद	मै० महालक्ष्मी मोटर्स प्रा० लि०, प्लेट नं० 4, मोतीलाल नेहरू नगर, वेगमपेट मैन रोड, हैदराबाद-500016.	वही
11.	जयपुर	मै० एस० अलफा आटोमोबाईल्स, 4-ए, पार्क स्ट्रीट, एम० आई० रोड, जयपुर-302001.	वही
12.	श्रीनगर	मै० अन्सारी मोटर्स, सोनवाड़ नेशनल हाईवे, श्रीनगर (काश्मीर)	क्रियाशील
13.	लखनऊ	मै० आनन्द मोटर एजेन्सीज लि० 21, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001.	क्रियाशील
14.	मद्रास	मै० अन्नामलाइज बस ट्रांसपोर्ट प्रा० लि०, 102, माउंट रोड, गिन्डी, मद्रास-600032.	क्रियाशील
15.	पटना	मै० मिथिला मोटर्स प्रा० लि०, एग्जीविशन रोड, पो० बा० नं 72, पटना-800001.	क्रियाशील
16.	त्रिवेन्द्रम	मै० पापुलर व्हीकल्स एण्ड सर्विसेज लि० किलीपल्लम, त्रिवेन्द्रम कैपकोमरिन, नेशनल हाईवे, त्रिवेन्द्रम-695002.	क्रियाशील

1	2	3	4
17.	अमृतसर	मै० स्वान मोटर्स, 43 दि माल, अमृतसर-143001.	क्रियाशील
18.	अम्बाला	मै० माडर्न आटोमोबाइल्स इंजीनियर्स, जी० टी० रोड, अम्बाला	क्रियाशील
19.	पूना	मै० साई सर्विसेज, 889/90 जंगली महाराज रोड, डक्कन जिमखाना, पूना-411004.	क्रियाशील
20.	नागपुर	मै० आटोमोटिव मैन्यूफैक्चरर्स लि०, 108, बजाज बार्ड, कुर्ला, बम्बई-400070.	डीलर नियुक्त किया गया। अभी क्रियाशील होना है।
21.	औरंगाबाद	मै० रामा आटोमोबाइल्स, 5-ए, बम्बई-पूना रोड, भाले स्टेट, पूना	क्रियाशील
22.	वदोदरा	मै० किरम मोटर्स प्रा० लि०, 909/4, जी० आई० डी० सी० भड़कपुरा इण्डिस्ट्रियल एस्टेट, मड़कपुरा, बड़ौदा-390019.	क्रियाशील
23.	तिरुचि	मै० यूनियन कम्पनी मोटर्स प्रा० लि० 2-सी/3 प्रामिनेन्ड रोड, कैन्टोनमेंट, तिरुचि-1	क्रियाशील
24.	आसनसोल	मै० मैक्मो टैक्नो सेल्स प्रा० लि०, डिगौल एवेन्यू, दुर्गापुर	क्रियाशील
25.	मैसूर	मै० मन्डोवी मोटर्स, 28, सैन्ट मार्क्स रोड, बंगलौर-56001.	क्रियाशील
26.	विजयवाड़ा	मै० मित्रा एजेन्सीज़ पो० बा० नं० 357, बुकिंघमपेट पो० आ०, विजयबाड़ा-502002.	क्रियाशील
27.	कोचीन	मै० पापुलर ह्वीकल्स एण्ड सर्विसेज लि०, पापूलर आटोमोबाइल्स, बेनर्जी रोड, कोचीन.	क्रियाशील
28.	इलाहाबाद	मै० अमित दीप मोटर्स, गोविन्द भवन 37, देव चरण लाल रोड, इलाहाबाद.	क्रियाशील
29.	ग्वालियर	मै० राधिका आटोमोबाइल्स, अमर प्रीत हाऊस, महारानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर म० प्र०.	क्रियाशील
30.	जमशेदपुर	मै० पारिख इन्जीनियरिंग एण्ड बॉडी बिल्डिंग कंम्पनी लिमिटेड, हिन्दुस्तान बिल्डिंग, मेन रोड, बिस्कोपुर, जमशेदपुर-831001.	क्रियाशील

1	2	3	4
32.	जम्मू	मै० कश्मीर मोटर कारपोरेशन, लक्ष्मी निवास बी० सी० रोड, जम्मू-तवी-180001.	क्रियाशील
32.	गोआ	मै० चौगुले इन्डस्ट्रीज, लि०, डा० रेबेलो बिल्डिंग, चिकलिम, वास्कोडिगामा, गोआ	क्रियाशील
33.	मेरठ	मै० प्यारे लाल एण्ड सन्स (ईस्ट पंजाब) लि०, 120-ए सैन्ट्रल रोड, रिवोली बिल्डिंग, मेरठ कैन्ट-250001.	क्रियाशील

राज्यों में बायोगैस संयंत्र लगाना

2271. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य सरकारों ने बायोगैस संयंत्रों के लिए दी गई राजसहायता का उचित उपयोग नहीं किया है तथा संयत्रों के लिए सीमेंट के आवंटन में अनियमितातयें बरती हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1985 के अन्त तक बायोगैस संयत्रों की स्थापना के सम्बन्ध में लक्ष्य की तुलना में उपलब्धियों सहित ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) नहीं। खादी ग्रामोद्योग आयोग (के० वी० आई० सी०) के आर्थिक अनुसंधान निदेशालय ने 1974-75 से 1981-82 (बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के शुरू होने की अवधि से पहले) की अवधि के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग के तत्वावधान में निर्मित संयंत्रों को शामिल करते हुए बिहार, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के 14 चुने हुए जिलों में 13,216 बायोगैस संयंत्रों की गणना की गई। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने बताया कि 826 संयंत्रों को अप्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सर्वेक्षण के समय निर्माणाधीन थे तथा अन्तिम स्थिति का निर्धारण करने के लिए पुनर्सत्यापन किया जा रहा है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने सीमेंट संबंधी कुछ मामलों के संदर्भ में उचित विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ इनके अपने स्टाफ द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद आदि जैसी स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सर्वेक्षण करके राज्य सरकारों और ग्रामोद्योग आयोग का निरीक्षण रिपोर्टों को प्राप्त करने के माध्यम से बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना का मानीटरन देश के विभिन्न भागों में 7 मानीटरन सैलों की स्थापना अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग (डी. एन. ई. एस.) द्वारा किया जा रहा है। अपारपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा इसकी मानीटरन यंत्रियों को मजबूत बनाया जा रहा है।

बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत अप्रैल से दिसम्बर, 1985 के दौरान स्थापित बायोगैस संयंत्रों का राज्यवार लक्ष्य और संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 दिसम्बर, 1985 तक के दौरान स्थापित किए गए परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/एजेन्सी	1985-86 के लिए वार्षिक लक्ष्य	अप्रैल से दिसम्बर, 1985 तक संचयी स्थिति	
			लक्ष्य	प्राप्ति
1.	आंध्र प्रदेश	20,000	9600	6811
2.	असम	1,000	480	39
3.	बिहार	6,400	3072	1215
4.	गुजरात	4,800	2304	4468
5.	हरियाणा	2,200	1056	1560
6.	जम्मू और कश्मीर	120	57	6
7.	कर्नाटक	7,000	3360	3571
8.	केरल	2,400	1152	1145
9.	महाराष्ट्र	35,100	16848	19753
10.	मध्य प्रदेश	3,000	1440	878
11.	उड़ीसा	2,500	1200	1989
12.	पंजाब	1,600	768	802
13.	राजस्थान	5,000	2400	3202
14.	तमिलनाडु	13,000	6240	11,900
15.	उत्तर प्रदेश	20,000	9600	11249
16.	पश्चिम बंगाल	2,800	1344	599
17.	हिमाचल प्रदेश	2,500	1,200	2293
18.	पांडिचेरी	100	48	27
19.	गोवा, दमन और दीव	100	48	24
20.	अन्य राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	380	183	11
21.	खादी ग्रामोद्योग आयोग	20,000	9600	6970
	कुल	1,50,000	7,2000	78,512

नए आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

2272. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंजों के पूरा होने के बावजूद उन्हें चालू नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को पूरा होने के बाद भी चालू नहीं किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि टेलीफोन एक्सचेंज का निर्माण कार्य पूरा होने के तुरंत बाद वे कार्य करना शुरू कर देंगे;

(ङ) यदि इस विलम्ब के लिए अधिकारी दोषी पाये गये हैं तो क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हां।

(ङ) और (च) उपयुक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में रसायन पर आधारित नया उद्योग

2273. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का विचार मध्यप्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र जिला टीकमगढ़ में रसायन पर आधारित उद्योग स्थापित करना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) किसी परियोजना के स्थान का निर्णय गुण दोष के आधार पर निधियों की उपलब्धता, इन्फ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं, कच्चे मालों की उपलब्धता और क्षेत्र के पिछड़ेपन जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय शीरा बोर्ड की न लागू की गई सिफारिशें

2274. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा शीरा और ऐल्कोहल उद्योगों के सम्बन्ध में की गई अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो लागू न की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) 3 कार्यकारी दलों अर्थात शीरा और अल्कोहल पर चुंगी पर कार्यकारी दल, शीरा भण्डारण पर कार्यकारी दल और क्षमता उपयोग पर कार्यकारी दल की सिफारिशें जो केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा 1984 और 1985 में हुई अपनी बैठकों में स्वीकार की गई थी, कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को अनुशांसित कर दी गई थी। कुछ सिफारशें मार्गदर्शनों की किस्म की थी। केन्द्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कुछ अन्य सिफारशें हैं, किंतु उन पर अभी विचार किया जा रहा है। यह आशा है कि इनमें से कुछ को सरकार द्वारा शीरा और अल्कोहल पर नई नीति की घोषणा कर दिये जाने के शीघ्र पश्चात कार्यान्वित भी किया जा सकता है।

सिंगरौनी कोलरीज लिमिटेड द्वारा कोयले का उत्पादन

2275. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिंगरौनी कोलरीज लिमिटेड द्वारा वर्ष 1985-86 में कितने अतिरिक्त कोयले का उत्पादन किया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 की अवधि में 141.64 लाख टन कोयले का उत्पादन हुआ जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि में कुल कोयला उत्पादन 112.29 लाख टन था। इस प्रकार सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी में इस अवधि में 29.35 लाख टन अधिक कोयले का उत्पादन हुआ है।

उड़ीसा में तालचेर में विश्वबैंक की सहायता से उच्च तापीय बिजली घर

2276. **श्री के० प्रधानी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तालचेर में प्रस्तावित 1000 मेगावाट के उच्च तापीय बिजली घर के प्रथम चरण के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक और भारत के बीच एक समझौता हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) उच्च तापीय बिजली घर में उत्पादन शुरू होने में कितना समय लग जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नही ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आर्डर देने के बाद 500 मेगावाट की यूनिट को चालू करने के लिए लगभग 5 वर्ष लगते हैं ।

उड़ीसा और अन्य राज्यों को साफ्ट कोक का आबंटन

2277. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में विभिन्न राज्यों को साफ्ट कोक के कुल कितने वेगन आबंटित किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986 में उड़ीसा और कुछ अन्य राज्यों को साफ्ट कोक के आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986 में उड़ीसा और अन्य राज्यों को साफ्ट कोक के कुल कितने वैगन आबंटित करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को मासिक आधार पर एक बार 6 महीने के लिए साफ्ट कोक का आबंटन कोयला विभाग द्वारा उस बैठक में विचार विमर्श करके किया जाता है जिसमें अन्य लोगों के साथ-साथ संबंधित राज्य-सरकारों के प्रतिनिधि भी भाग लेते हैं । वर्ष 1985-86 में किए गए आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) और (ग) साफ्ट कोक का आबंटन राज्य सरकारें अपनी आवश्यकता का जो निर्धारण करके कोयला विभाग को सूचित करती हैं उसके आधार पर किया जाता है । कोयला कंपनिया राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं । वर्ष 1986-87 के पहले छः महीनों के लिये आबंटन कोयला विभाग में अप्रैल, 1986 में होने वाली बैठक में किया जाएगा जिसमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ।

विवरण

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	छः माह की अवधि के लिये आबंटित कोटा (टनों में)	
	अप्रैल 1985 से सितम्बर 1985 तक	अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986 तक
बिहार	50,000	50,000
दिल्ली	8,000	8,000

हरियाणा	1,500	1,500
हिमाचल प्रदेश	800	1,000
उड़ीसा	2,300	2,300
पंजाब	1,600	1,600
राजस्थान	1,600	3,000
उत्तर प्रदेश	27,000	30,000
पंश्चिम बंगाल	75,000	80,000
असम	शून्य	1,000
सिक्किम	1,000	1,000
अरुणाचल प्रदेश	—	100
मिजोरम	—	250
कर्नाटक	—	220
नागालैंड	—	500
चंडीगढ़	—	1,000
त्रिपुरा	—	500
मणीपुर	—	100
मेघालय	—	100
मध्य प्रदेश	—	5,000

(दिस० 85 और उसके बाद)

तूतीकोरिन ताप विद्युत संयंत्र में यांत्रिक कोयला ढुलाई प्रणाली का कार्य-निष्पादन

2278. **श्री एम० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तूतीकोरिन ताप विद्युत संयंत्र की 7.63 करोड़ रुपये की लागत से बनी यांत्रिक कोयला ढुलाई प्रणाली को लगभग तीन वर्ष पूर्व चालू किए जाने के बावजूद इसकी प्रतिष्ठापित क्षमता की जांच अभी की जानी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के प्रतिष्ठापन से अब तक कोयले की अधिकतम कितनी ढुलाई की है; और

(ग) क्या सरकार को इसके कार्य निष्पादन के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

खराब टेलीफोनों के लिए किराए की राशि, वापस अदायगी की योजना

2279. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : —

(क) क्या दिल्ली अहमदाबाद और बंगलौर में खराब टेलीफोनों के लिए किराया की राशि तथा अधिक राशि के बिलों की वापस अदायगी के संबंध में प्रबंध किये गये हैं और यदि हां, तो क्या ये प्रबंध सारे देश में किए जाएंगे; और

(ख) क्या खराब टेलीफोनों की किराया राशि तथा अधिक राशि के बिलों की कोई वापस अदायगी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। अधिक राशि के बिल संबंधी शिकायतों पर छूट देने तथा टेलीफोन सेवा में अवरोध अवधि के लिए किराए में छूट देने के बारे में अनुदेश पहले ही मौजूद हैं। ये आदेश पूरे देश में लागू हैं।

(ख) जानकारी सभी यूनिटों से मांगी गई है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से नाथपा-झाकरी पन बिजली परियोजना का आरम्भ किया जाना

2280. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश ने विश्व बैंक या अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सहायता से नाथपा झाकरी पन बिजली परियोजना आरम्भ करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध पर सरकार ने क्या निर्णय किया है और निर्णय किस तारीख को किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश की नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना को वित्तीय सहायता हेतु 1985 में विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था।

नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

2281. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 को प्रत्येक महानगर और राज्यों की राजधानी में टेलीफोन के इच्छुक ग्राहकों की प्रतीक्षा सूची में प्रत्येक श्रेणी में कितने आवेदक थे और उनके पंजीकरण की तिथि क्या थी और प्रतीक्षा सूची में किस तारीख के आवेदक तक को टेलीफोन दे दिये गये हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में उक्त शहरों में से प्रत्येक राष्ट्र को समूची प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक श्रेणी में (क) 5 वर्ष (ख) 3 वर्ष तथा (ग) 2 वर्ष से ऊपर की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को किस तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) संबंधित यूनिटों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। इसे यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

महानगरों और राज्यों की राजधानियों में खाना पकाने की गैस की प्रतीक्षा सूचियां

2282. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक महानगर और राज्यों की राजधानियों में पृथक-पृथक 1 जनवरी 1986 को खाना पकाने की गैस की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं;

(ख) गत (एक) पांच वर्षों, (दो) तीन वर्षों, (तीन) दो वर्षों और (चार) एक वर्ष तक की प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त हो जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में गैस की मांग करने पर उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए गैस कनेक्शन में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो ऐसा कब तक संभव होगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) तेल कम्पनियों के वार्षिक उपभोक्ता नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को चरणबद्ध रूप में कनेक्शन दिये जा रहे हैं जिसकी दर इस समय लगभग 16 लाख कनेक्शन प्रतिवर्ष हैं। कनेक्शनों का दिया जाना, एल०पी०जी० की उपलब्धता, भरण क्षमता, परिवहन संबंधी सुविधाओं और डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क की वृद्धि पर निर्भर करता है।

विवरण

महानगर/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियां	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या
1	2
1. हैदराबाद	11,590
2. डिसपुर	—
3. पटना	16,857
4. अहमदाबाद	1,88,774
5. चण्डीगढ़	63,078
6. शिमला	3,450
7. श्रीनगर	34,200

1		2
8.	बंगलौर	1,566
9.	त्रिवेन्द्रम	—
10.	भोपाल	7,210
11.	बम्बई	62,364
12.	इम्फाल	400
13.	शिलांग	1,620
14.	कोहिमा	—
15.	भुवनेश्वर	3,810
16.	जयपुर	38,813
17.	गंगटोक	150
18.	मद्रास	—
19.	अगरतला	3,000
20.	लखनऊ	81,717
21.	कलकत्ता	54,010
22.	इटानगर	80
23.	दिल्ली	5,07,021
24.	अइजवालं	1,470
25.	पाण्डेचेरी	—
26.	पणजो	2,900
27.	सिलवस्सां	625

इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स लि० द्वारा उत्पादकता में सुधार

2283. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख मंजूरी समझौतों और मुद्रास्फीति के कारण इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स लि० के मंजूरी बिल में अत्यधिक वृद्धि हुई है जिसके कारण छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान भुगतान किए गए प्रति रुपया वृद्धि मूल्य में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इससे उपक्रम के मंजूरी बिल में कहां तक वृद्धि हुई है; और

(ग) इंडियन पेट्रो कैमिकल्स लि० द्वारा प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक कर्मचारी के लिए वृद्धि मूल्य क्या है तथा प्रति रुपया मंजूरी भुगतान कितना है और इस प्रकार उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई।

रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1984-85) में प्रति व्यक्ति माह औसत मजदूरी में वृद्धि 5 वर्षों की अवधि के दौरान 48 प्रतिशत थी।

(ग) आईपीसीएल डिमेथाइल टेरेफथालेट, जैलीन, लिनियर अलकाइल बेंजीन, एक्रिलोनिट्राइल, पोलिप्रोपिलीन, आदि की क्षमता को विस्तारित कर के तथा विशिष्ट ऊर्जा खपत को कम करके जोड़े गए मूल्य में वृद्धि करने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

खोई (बगैस) को ऊर्जा के विश्वसनीय स्रोत के रूप में परिवर्तित करना

2284. **डा० बी० एस० शैलेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की कमी को ध्यान में रखते हुए खोई (बगैस), जो चीनी उद्योग का एक उप-उत्पाद है, को ऊर्जा के एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में परिवर्तित करने के लिए कोई परीक्षण किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हासिल हुए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऊर्जा के इस शक्तिशाली स्रोत का इस्तेमाल किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग और अतिरिक्त विद्युत के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग ने तमिलनाडु में एक सहकारी चीनी मिल में 10 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के लिए अभी हाल ही में एक प्रायोगिक संयंत्र को स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया है। यह ग्रिड से संयोजन के लिए विद्युत का लगभग 6 मेगावाट अतिरिक्त उत्पादन करेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि उच्चतर भाप दबाव और तापमान अवस्थाओं के साथ सह उत्पादन सहित नई प्रौद्योगिकी यदि चीनी मिलों में अपनाई जाए तो चीनी उद्योग पिराई के मौसम के दौरान खोई से लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन कर सकेगा।

हावड़ा में टेलीफोनों की खराबी की शिकायतें

2285. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा जिले में कितने टेलीफोन हैं;

(ख) गत वर्ष टेलीफोनों की खराबी की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(ग) उनमें से कितने टेलीफोनों को ठीक किया गया।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हावड़ा जिले में टेलीफोनों की संख्या 19188 है।

(ख) टेलीफोनों के खराब होने की शिकायतों की संख्या 135551 थी।

(ग) टेलीफोन संबंधी 135538 मामलों में टेलीफोन ठीक कर दिए गए।

पश्चिम बंगाल में नये टेलीफोन केंद्र खोलना

2286. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चालू वर्ष में कितने नये टेलीफोन केन्द्र खोले जा रहे हैं;

(ख) सातवीं योजना अवधि में कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगें; और

(ग) हावड़ा जिले की टेलीफोन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चालू वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल में छोटे आकार के लगभग 14 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि आवश्यक मांग दर्ज हो।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 96 टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि आवश्यक भंडार एवं संसाधन उपलब्ध हो सकें।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई।

विवरण

हावड़ा जिले के लिए विकास कार्यक्रम

1. जगतबल्लवपुर एवं कलकत्ता के बीच एक 6/1 चैनल यू एच एफ/वी एच एफ प्रणाली की संस्थापना।

2. शिल्बपुर में 1986-87 के दौरान 4000 लाइनों वाले एक नये मुख्य क्रासबार एक्सचेंज की स्थापना तथा 1987-88 में इसका 1000 लाइनों में विस्तार करने की योजना है।

नेदुमानगड टेलीफोन केंद्र में स्व-चालित टेलीफोन प्रणाली शुरू करना

2287. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेदुमानगड टेलीफोन केन्द्र में स्वाचालित टेलीफोन प्रणाली शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) नेदुमानगड टेलीफोन एक्सचेंज के लिये क्या अन्य प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 1982-83 सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत एक्सचेंज के लिए एक 200 लाइनों वाले मुख्य स्वचल स्विचन उपस्कर का आबंटन कर दिया गया है। एक्सचेंज को स्वचल बनाने की योजना है बशर्ते कि भूमि उपलब्ध हो सके।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नेदुमानगड टेलीफोन एक्सचेंज के लिए विकास प्रस्ताव

1. नेदुमानगड से त्रिवेंद्रम के बीच पी सी एम प्रणाली।

2. नेदुमानगड एक्सचेंज स्वचल बनाने के बाद बिल्दुरा, पाचापालोडु, आर्यानाडु, पोरिंगामाला और कन्या कुलंगरा में एम ए एक्स-111 किस्म के एक्सचेंज के साथ ग्रुप डायलिंग ।

3. जवरान केबिल प्राप्त करने के बाद नेदुमानगड और त्रिवेंद्रम के बीच अंत: डायलिंग ।

केरल में टेलीफोनों का विस्तार

2288. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में टेलीफोनों के विस्तार के संबंध में प्रस्ताव हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की निम्नलिखित योजना बनाई गई है :

	(विस्तार योजना) लाइनों की संख्या
(एक) त्रिवेंद्रम	4400
(दो) कालीकट	2800
(तीन) एर्नाकुलम	7400
(चार) केरल में अन्य कस्बे	94900
कुल	109500

केरल में कानियापुरम टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

2289. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कानियापुरम टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिए कोई कार्यवाही की है, और

(ख) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा : (क) जी हां, ।

(ख) कन्यापुरम में 150 लाइनों वाले आर० ए० एक्स एक्सचेंज का अंतरण एवं विस्तार करके 300 लाइनों वाला एम० ए० एक्स- II किस्म का एक्सचेंज स्थापित किया गया है । यह केन्द्र त्रिवेन्द्रम से भी जुड़ा हुआ है ।

केरल में चिरायिकिल टेलीफोन एक्सचेंज का विस्तार

2290. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में चिरायिकिल टेलीफोन एक्सचेंज के विस्तार के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) चिरायिकिल में इस समय 90 लाइनों की क्षमता का एम० ए० एक्स-III किस्म का एक्सचेंज है। इस केन्द्र के लिए 1982-83 के सप्लाई कार्यक्रम के अधीन 200 लाइनों वाले स्वचल स्विचन उपस्कर का आबंटन किया गया है। एक्सचेंज भवन के लिए भूमि की तलाश है। भूमि अधिग्रहण के बाद एम० ए० एक्स-II किस्म का एक्सचेंज स्थापित किया जायेगा। इसकी क्षमता में अतिरिक्त 200 लाइनों की वृद्धि करने की भी योजना है।

कालाहांडी (उड़ीसा) में कागज/सीमेंट उद्योग की स्थापना

2291. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कालाहांड़ी जिले में बड़े पैमाने अथवा मध्यम पैमाने का उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो जिले का आर्थिक पिछड़ापन और कच्चे माल की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार वहां पर कागज की मिल अथवा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का है।

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल कालाहांडी जिले में कागज अथवा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कालाहाडी उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम

2292. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य के कालाहाडी जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े आदिवासी जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, हां। उड़ीसा राज्य में कालाहाण्डी जैसे आदिवासी जिलों में ग्राम विद्युतीकरण का स्तर राज्य के औसत से कम है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण को बढ़ाने तथा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को संशोधित किया गया है। विद्युतीकरण के स्तर को ध्यान में रखे बिना इस कार्यक्रम में सभी ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों को बिजली के लाभ शीघ्रतापूर्वक पहुंचाने के लिए ऋण सहायता के मानदण्डों को उदार बनाने सहित अनेक प्रकार की योजनाएं तैयार की गई हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में रुग्णता

2293. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में रुग्णता के बारे में 17 दिसम्बर, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4362 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड, कोल इण्डिया लिमिटेड, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया और ऐसे ही अन्य बड़े सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में रुग्णता के मूल कारण का पता लगाने के लिए भी कोई अध्ययन कराने का विचार है, और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लि० की कार्यचालन सम्बन्धी समितियों द्वारा किये गये अध्ययनों के परिणामस्वरूप इस कम्पनी के पुनर्गठन के लिए कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये हैं। इनके विभिन्न पहलुओं एवं निहितार्थों का अध्ययन किया जा रहा है। हालांकि कुल मिलाकर कोल इन्डिया लि० के कार्यचालन का अध्ययन करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि, दो समितियां अर्थात एक ईस्टर्न कोल-फील्ड्स लि० के कार्यचालन की जांच करने के लिए श्री के० एस० आर० चारी की अध्यक्षता में तथा दूसरी भारत कोकिंग कोल लि० के कार्यचालन की जांच करने के लिए श्री० ए०-एन० बनर्जी की अध्यक्षता में गठित की गई है। भारतीय नौवहन निगम एवं भारतीय सीमेंट निगम के कार्यचालन विषयक किसी अध्ययन को हाथ में लेने के लिये फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्य-निष्पादन की निरन्तर समीक्षा की जा रही है तथा उनके कार्य-निष्पादन के विषय में जिन किन्ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें हल कर लिया जाता है।

तेल की ड्रिलिंग, खोज, और तेल की पाइप लाइनें बिछाना

2294. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें तेल की ड्रिलिंग, खोज और तेल की पाइप लाइनें बिछाने का कार्य सौंपा गया है तथा पिछले तीन वर्ष के दौरान दिए गए ठेके की राशि कितनी है;

(ख) क्या इस कार्य के लिए किसी स्वदेशी कम्पनी पर विचार किया गया है और इस कार्य के लिए सक्षम पाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

क्षमता का उल्लंघन करके औषधियों और औषध इन्टरमीडिएन्टस की अतिरिक्त सप्लाई

2295. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत अपनी क्षमता का उल्लंघन करके औषधियों और औषध इन्टरमीडिएन्टस की अतिरिक्त सप्लाई की खरीद की है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, किसी कम्पनी द्वारा बल्क औषधों और औषध मध्यवर्तियों की अधिप्राप्ति पर कोई सीमा निर्धारित नहीं करता ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

अखबारी कागज का उत्पादन

2296. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री चिन्तामणि जेना :
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की कमी है;

(ख) अखबारी कागज की कितने मिलें हैं और उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ ऐसी मिलें हैं जिनको अखबारी कागज का उत्पादन करना है परन्तु वे अखबारी कागज के स्थान पर सफेद छपाई कागज का निर्माण कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी मिलों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ङ) क्या आल इण्डिया स्माल पेपर मिल्स एसोसिएशन ने अपनी अतिरिक्त क्षमता और छपाई के कागज की कम मांग को देखते हुए अखबारी कागज के निर्माण का प्रस्ताव किया है;

(च) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(छ) सरकार द्वारा देश में बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अखबारी कागज का अधिक उत्पादन करने हेतु क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश की अखबारी कागज की मांग स्वदेशी उत्पादन और आयात द्वारा पूरी की जाती है ।

(ख) इस समय देश में 4 अखबारी कागज बनाने वाले कारखाने हैं और 1985-86 (अप्रैल, 1985–जनवरी, 1986) के दौरान इनका अखबारी कागज का उत्पादन निम्नलिखित है :

मिल का नाम	जनवरी, 1986 तक वास्तविक
नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड	55,144 मी० टन
मैसूर पेपर मिल्स लिमिटेड	60,196 मी० टन
हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	65,846 मी० टन
तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स लिमिटेड	42,663 मी० टन

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय कोई विद्यमान अखबारी कागज उत्पादक अपनी लाइसेंस प्राप्त अखबारी कागज उत्पादन क्षमता का प्रयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए नहीं कर रहा है। तथापि, विद्यमान अखबारी कागज उत्पादकों में से दो अर्थात् मै० मैसूर पेपर मिल्स और तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड को अखबारी कागज की क्षमता के अलावा अन्य विविध प्रकार के कागज के उत्पादन के लिए भी लाइसेंस दिया गया है।

(ङ) और (च) आल इण्डिया स्माल पेपर मिल्स एसोसिएशन ने पर्याप्त समर्थन मूल्य, निविष्टियों की आबाधित आपूर्ति, धनराशि के लिए पर्याप्त प्रावधान और कुल उत्पादन की खरीद करने की गारन्टी की शर्तों के आधार पर ऐसा प्रस्ताव किया है। 5 करोड़ रु० तक के निवेश के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और इससे बड़ी परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

(छ) 2.8 लाख मी० टन की विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता के अलावा 7.46 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र स्वीकृत किए गए हैं। ये कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

उड़ीसा में नये डाकघर खोलना

2297. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उड़ीसा में कितने डाकघर हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के दौरान राज्य में नये डाकघर खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इनके किन-किन स्थानों पर खोले जाने की संभावना है;

(घ) उड़ीसा के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने के लिये संशोधित मानदण्ड क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस समय उड़ीसा में 7,539 डाकघर कार्य कर रहे हैं।

(ख) पदों के सृजन पर इस समय रोक लगी है। चूंकि नए डाकघर खोलने में पदों का सृजन करना पड़ता है, अतः 1986-87 के लिए इस संबंध में कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उड़ीसा के पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं है। वैसे, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के विशेष मानदंड हैं जो समूचे देश पर लागू होते हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछड़े/पहाड़ी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मानदण्ड।

(i) ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में निम्नलिखित शर्तों पर डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० के घेरे के भीतर कोई अन्य डाकघर नहीं होना चाहिए, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

(ii) गैर-ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) ग्राम (या 1.5 कि० मी० के घेरे में ग्रामों के समूह) की जनसंख्या 1,000 या उससे अधिक होनी चाहिए।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० के घेरे के अंदर कोई अन्य डाकघर नहीं होना चाहिए।

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत आय होने की संभावना हो।

डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आरम्भ करना

2298. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 में कितनी डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आरम्भ करने का प्रस्ताव है;

(ख) वर्ष 1986-87 में किन शहरों में डिजिटल इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आरंभ किये जा रहे हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के किन नगरों या कस्बों में डिजिटल युग में प्रवेश करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान 51 डिजिटल एक्सचेंज चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) इन एक्सचेंजों के निम्नलिखित शहरों में स्थापित किए जाने की संभावना है : आगरा, अरमूर, अम्बिकापुर, अलीपुरद्वार, बंबई, बाजये, बेतुल, बालाघाट, बिलासपुर, बारीपाडा, कलकत्ता, छत्तरपुर, दिल्ली, दातिया, धार, धेनकनाल, डूगरपुर, घाटव, गुना, गाजीपुर, हमीरपुर, काठगोदाम, कोडिनार, कालपट्टा, कुल्लू, क्योंझर, लखनऊ, मधुबनी, मन्नार, मनमाड नहरलागून, पुणे, पूर्णिया, रामचन्द्रपुरम, शाजापुर, शिवपुरी, सुल्तानपुर, सैंथिया, एस० एल० पुरम, त्रिनी, ऊना, येलवाल।

(ग) भाग (ख) में दिए शहरों/नगरों के अलावा, निम्नलिखित शहर/नगरों के भी सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक डिजिटल युग में प्रवेश करने की संभावना है। अहमदाबाद, अमृतसर, इलाहाबाद, भिण्ड, बेंगलूर, भोपाल, बड़ौदरा, बूंदी, बांदा, भुवनेश्वर, चम्बा, कटक, चण्डीगढ़, दुमका, देहरादून, एर्नाकुलम, फतेहपुर, फरीदाबाद, गुवाहाटी, गुंटाकल, गाजियाबाद, हैदराबाद, हसन, हांजीपुर, होफलॉग, इन्दौर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुनझुनू, जयपुर, जालंधर, जोरहाट, जोधपुर, जबलपुर, कोरापुट, कथुवा, खरगोन, कानपुर, ललितपुर, लुधियाना, लुंगलेह, मांडला, मनगांव, मद्रास, मेंगलूर, मसूरी, नागपुर, न्यू बंबई, नवादा, नाहन, नौएडा, ओरई, फूलबनी, पौड़ी, पिथौरागढ़, पठानकोट, पटना, राजकोट, रानीखेत, रायपुर, रांची, सवाईमाधोपुर, सवाईमाधरपुर, (आर एस) सिरोही, श्रीगंगानगर, श्रीनगर, सूरत, सुन्दरगढ़, टीकमगढ़, टोंक, विशाखापतनम, वाराणसी, विजयवाड़ा।

उड़ीसा को मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फरक्का से बिजली की सप्लाई

2299. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा को राज्य में बिजली संकट का सामना करने के लिए मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फरक्का से बिजली की सप्लाई करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा को इन राज्यों और फरक्का से कुल कितने मेगावाट बिजली सप्लाई करने का विचार है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) उड़ीसा में विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोत्तरी करने के लिए उड़ीसा की आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दामोदर घाटी निगम की पड़ौसी प्रणालियों से मदद की गई है। अप्रैल, 1985 से फरवरी, 1986 के दौरान इन राज्यों/प्रणालियों द्वारा उड़ीसा को दी गई मदद की मात्रा निम्नानुसार है:—

आन्ध्र प्रदेश	:	274.3 मिलियन यूनिट (13.11.85 से मदद बंद कर दी गई)
मध्य प्रदेश	:	277.8 मिलियन यूनिट
बिहार	:	16.4 मिलियन यूनिट
दामोदर घाटी निगम	:	1.5 मिलियन यूनिट

मध्य प्रदेश, बिहार/दामोदर घाटी निगम उड़ीसा की यथासंभव सीमा तक मदद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से मदद में बढ़ोत्तरी करने के लिए रायगढ़-ब्रजराजनगर के बीच लाइन के दूसरे सर्किट के तार कसने का कार्य जारी है। इस प्रयोजन के लिए कोरबा-राउरकेला से एक 220 के० वी० डी०/सी० लाइन भी स्वीकृत की गई है। फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र (3 × 200 मेगावाट) से उड़ीसा को 75 मेगावाट का हिस्सा आबंटित किया गया है। फरक्का से इस आबंटित हिस्से को प्राप्त करने के लिए उड़ीसा को शेष पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड के साथ अपनी प्रणाली का प्रचालन करना होगा। समग्र पूर्वी क्षेत्रीय ग्रिड का समेकित प्रचालन प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

टेलीफोन स्वीचिंग उपकरण के लिए नए निर्माण एककों की स्थापना

2300. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूर संचार व्यवस्था के विस्तार के लिये अपेक्षित उपकरणों का निर्माण करने हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नये निर्माण एककों की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन नये निर्माण एककों में कितने टेलीफोन स्वीचिंग उपकरण और अन्य उपकरण बनाए जाने की संभावना है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उन परियोजनाओं के लिए कितना परिव्यय मंजूर किया है; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय का विचार नये संयंत्रों की लागत पूरी करने हेतु साधन जुटाने के लिये बांड जारी करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सरकार ने इस मंत्रालय के अधीन काम कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के एककों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में नई/अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का निश्चय किया है। सरकार ने पारेषण, स्वीचिंग और प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर सहित विभिन्न प्रकार के दूरसंचार उपस्करों के निर्माण के लिए 128 आशय पत्र जारी किये हैं। इन्हें अभी तक औद्योगिक अनुज्ञप्ति में परिवर्तित नहीं किया गया है।

(ख) इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (आई० टी० आई०) के बंगलौर कारखाने में, डिजिटल इलेक्ट्रानिक्स स्वीचिंग उपस्कर की प्रस्तावित नई क्षमता प्रतिवर्ष 5 लाख लाइनों की रहेगी। आई० टी० आई० के नैनी और बंगलौर दोनों कारखानों में टेलीफोन उपकरण के निर्माण की क्षमता प्रतिवर्ष 5 लाख उपकरण तक हो जायेगी। आई० टी० आई० में मल्टी एक्सेस ग्रामीण रेडियो (एम० ए० आर० आर०) उपस्कर और डिजिटल पारेषण उपस्कर की नई क्षमता प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना काल में आई० टी० आई० द्वारा पूंजीगत निवेश के लिए 335 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया है।

(घ) सरकार ने आई० टी० आई० द्वारा, अपनी विभिन्न परियोजनाओं के खर्च की पूर्ति के लिए, 100 करोड़ रुपये के बांड जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

मोनो इथीलाइन ग्लाइकोल के आयात को नियमित बनाने हेतु निगरानी

2301. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या देश में मोनो इथीलाइन ग्लाइकोल के केवल दो निर्माताओं इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड और नेशनल आरगेनिक कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में इस समय कई महीनों के लिए रसायन का भंडार जमा हो गया है क्योंकि इसके मुख्य प्रयोगकर्ता पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न यूनिटों ने इन दो एककों में रसायन लेना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत इस रसायन के मुफ्त आयात की अनुमति न देने और इसकी बजाय स्थानीय रसायन के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा सरकारी क्षेत्र के उक्त दोनों एककों में जमा भण्डार की निकासी के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रसायन के आयात को नियमित करने के लिए एक निगरानी अभिकरण नियुक्त करने की वांछनीयता पर विचार करने का है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी एम ई जी उत्पादकों अर्थात इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स कार्पोरेशन लि० (आई पी सी एल) और नेशनल-आर्गेनिक कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि० (एन ओ सी आई एल) की पालिस्टर फाइबर और फिलामेंट उत्पादकों के साथ डी जी टी डी द्वारा ली गई संयुक्त बैठक में समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया था। यह मान लिया गया था कि सभी उपभोक्ता एकक इन दो एककों के पास विद्यमान भण्डार को एक निर्धारित अवधि के अन्दर उठाएंगे।

(ग) जी, नहीं। तथापि अलग-अलग एककों द्वारा आबटन/उठान पर विभिन्न एसोसियेशनों द्वारा निगरानी रखी जायेगी।

उड़ीसा में नए उद्योग

2302. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा उड़ीसा में नए उद्योग स्थापित करने के लिए किन-किन जिलों का चयन किया गया है; और

(ख) उन जिलों में किन उद्योगों को स्थापित करने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) उद्योग स्थापित करने के लिए स्थापना-स्थल का चुनाव उद्यमी द्वारा स्वयं किया जाता है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1983 से 1985 के दौरान उड़ीसा में उद्योग स्थापित करने के लिए कुल 84 आशय-पत्र और 54 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। इनमें से 67 आशय-पत्र और 21 औद्योगिक लाइसेंस "नए उपक्रम" स्थापित करने के लिए हैं।

आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस के सम्बन्ध में उपक्रम का नाम और पता (जिले के नाम सहित), उत्पादन की वस्तु (एं) और क्षमता, आदि जैसे ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा नियमित रूप से उसके "मन्थली न्यूज लेटर" में प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद-पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

दूरसंचार उपकरण के लिए प्रौद्योगिकी संसाधित करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय निविदा सूचना

2303. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार उपकरण के लिए प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु सरकारी क्षेत्र के तीन उद्योग समूहों द्वारा दी गई अन्तर्राष्ट्रीय निविदा सूचना का वास्तव में कोई परिणाम नहीं निकला;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की प्रौद्योगिकी की सूचना दी गई थी; और

(ग) इस प्रकार की विफलता के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार एच० वी० जे० गैस पाइप लाइन परियोजना के अलावा दूरसंचार उपकरणों के लिए, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उद्यमों का कोई उद्योग समूह नहीं बना है। एच० वी० जे० गैस पाइप लाइन के निर्माण कार्य के लिए गैस अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा जारी अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के जवाब में टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड के नेतृत्व में एक उद्योग समूह द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई। चूंकि यह निविदा पूरी तरह भरी नहीं गई थी इसलिए इसको विचारार्थ नहीं शामिल किया गया।

पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण की सीमा

2304. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के भंडारण की वर्तमान सीमा में सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर वर्तमान स्तर में काफी कमी हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां। आशा है कि यह सीमा घट कर 1989-90 की मांग के अनुसार 7 दिन की आवश्यकता तक ही रह जाएगी।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वित्तीय कठिनाइयों के कारण स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के नये प्रस्तावों में सिवाय उनके जिन्हें प्रचालन की दृष्टि से आवश्यक समझा गया है, हाथ में लेना सम्भव नहीं हुआ है।

नान-कोकिंग कोल को साफ करने के लिए नई धोवनशालाओं स्थापना

2305. **श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री सोमनाथ रथ : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि नॉन-कोकिंग कोल की किस्म को सुधारने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 300 लाख टन नॉन-कोकिंग कोल को साफ करने हेतु 15 नई धोवन-शालाएं स्थापित की जाए;

(ख) यदि हां, तो धोवनशालाओं की संख्या, उनकी क्षमता और उनकी उपयोग क्या है और पश्चिम बंगाल में ये कौन से स्थानों पर स्थापित की जाएंगी; और

(ग) इससे कोयले की ऊर्जा मात्रा कितनी बढ़ जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खानों को बन्द किया जाना

2306. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री श्रीहरि राव :
श्री वी० तुलसी राम : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने सरकार को कम्पनी के अधीन 25 खानें बन्द करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बन्द की जाने वाली प्रस्तावित खानों के कर्मचारियों/श्रमिकों को अन्य खानों में खपाया जाएगा;

(घ) खानों को बन्द किए जाने का क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या खानों को बन्द किए जाने से बढ़िया किस्म के कोयले के उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा और सीमेंट और ग्लास जैसे उद्योग में इस्तेमाल के लिए इसका आयात करना पड़ेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने अपनी किसी भी खान को बन्द करने का सुझाव सरकार को नहीं दिया है । कोयला विभाग द्वारा ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कामकाज का गहराई से अध्ययन करने के लिए गठित एक विशेषज्ञ समिति ने, अन्य बातों के

साथ-साथ, यह विचार व्यक्त किया है कि कुछ ऐसी खानों को बन्द करने पर विचार किया जा सकता है जिनमें कोयला उत्पादन की लागत बहुत अधिक है और उत्पादकता बहुत कम है। समिति के इस विचार पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है और कोई खान बन्द नहीं की गई है।

प्रदूषण नियन्त्रण के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व

2307. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन में सामान्यत: क्या बाधाएं सामने आती हैं;

(ख) क्या सरकार ने पश्चिम दिल्ली में श्री राम फूड एण्ड फर्टिलाइजर प्लान्ट से भारी मात्रा में गैस के रिसाव और भोपाल गैस त्रासदी आदि का ध्यान रखते हुए खतरनाक उद्योगों को अन्य स्थानों पर स्थापित करने की नीति तैयार करने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ग) प्रदूषण नियन्त्रण उपाय के रूप में सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में प्रत्येक एकक के समक्ष भिन्न-भिन्न बाधाएं आती हैं। सामान्यतया इनका संबंध, प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने हेतु वित्तीय कठिनाइयों, तकनीकी जानकारी के अभाव और प्रशिक्षित कार्मिकों की कमी से होता है।

(ख) खतरनाक उद्योगों का भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से स्थानांतरण करके उनका स्थापनास्थल बदलने की आवश्यकता को अच्छी तरह समझ लिया गया है। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से खतरनाक तथा अन्य उद्योगों को हटाने के लिए प्रोत्साहन देने की दृष्टि से सरकार ने 1983-84 के बजट में कुछ राजकोषीय प्रोत्साहनों की घोषणा की थी जो बाद के वर्षों में भी लागू हैं,

(ग) उद्योग मंत्रालय के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकारी उद्यमों द्वारा आतिथ्य सत्कार

2308. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों को आतिथ्य सत्कार के लिए मदिरा पर धन खर्च करने की अनुमति है; और

(ख) क्या अतिथियों के सत्कार के लिए सरकारी उद्यमों पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सरकार ने सरकारी उद्यमों को आतिथ्य सत्कार सम्बन्धी व्यय करते समय सर्वाधिक सादगी बरतने की

सलाह दी है उन्हें आमंत्रितों की संख्या भी समिति करके न्यूनतम रखनी चाहिए यह सलाह भी दी गई है कि उनके द्वारा किये गये किसी आतिथ्य सत्कार में शराब न पिलाई जाय, चाहे वहां मुख्य अतिथि/प्रधान आमंत्रित, कोई विदेशी ही हों।

कॉयर बोर्ड को वार्षिक नियतन और नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात

2309 : श्री के० कुन्जम्बु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कॉयर बोर्ड को प्रति वर्ष कितना आबंटन किया गया है ;

(ख) इसी अवधि के दौरान कुल कितने मूल्य की नारियल जटा वस्तुओं का निर्यात किया गया है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्कीमों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) पिछल तीन वर्षों के दौरान कॅयर बोर्ड को किए गए वार्षिक आबंटनों को नीचे दिया गया है :--

वर्ष	योग (लाख रु० में)
1982-83	176.30
1983-84	230.75
1984-85	254.75

(ख) योजना अवधि के दौरान कॅयर वस्तुओं के निर्यात का कुल मूल्य :

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1982-83	2,617
1983-84	2,434
1984-85	2,641

(ग) कॅयर उद्योग के अन्तर्गत विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रावधान सातवीं योजना में पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 17.84 करोड़ रुपये कर दिया गया है जबकि छठी योजना में वास्तविक व्यय 8.34 करोड़ रुपये हुआ था। सातवीं योजना में कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में ग्राउन फाइबर क्षेत्र का तीव्र विकास करने पर विशेष बल दिया गया है। सहायता की और अधिक उदार पद्धति प्रदान करने के लिए कॅयर उद्योग की सहयोगीकरण की "चल रही" केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं को संशोधित किया जा रहा है। सातवीं योजना में शामिल की गई अन्य अधिक महत्वपूर्ण योजनाएं ये हैं :-प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए अनुसंधान और विकास का तीव्रीकरण, कॅयर कामगारों, अधिकारियों और कॅयर उद्योग के विकास से

संबंधित अन्यों को प्रशिक्षण देना, घरेलू बाजार का विस्तार, निर्यात संवर्धन, संगठित क्षेत्र को सहायता, कॅयर कामगारों के लिए उपाय आदि ।

[हिन्दी]

उद्योग के लिए उच्च प्रौद्योगिकी का आयात

2310 ? **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उच्च प्रौद्योगिकी के आयात के लिए विभिन्न देशों के साथ कितने समझौते किए गए हैं; और

(ख) अब तक इन समझौतों के अंतर्गत कुल कितनी राशि की अदायगी की गई है और अभी और कितनी राशि का भुगतान किया जाना है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सरकार ने पिछले दो वर्षों (अर्थात् 1984-85) के दौरान 1776 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, उत्पादन की वस्तु और सहयोग के प्रकार को दर्शाने वाले सभी विदेशी सहयोग के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा तिमाही आधार पर प्रकाशित उसकी मन्थली न्यूज लैटर के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

(ख) वर्ष 1981-82 ओर 1982-83 में, जिसके कि आंकड़े रखे गए हैं, कुल 866.81 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया गया। भुगतान की शेष धनराशि के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

टोरपथालिक एसिड आयात नीति के बारे में निर्णय का पूर्व प्रकटन

2311. **श्री बी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालिएस्टर रेशा बनाने के काम आने वाला मुख्य कच्चा उत्पाद, टोरपथोलिक एसिड के बारे में परिवर्तित आयात नीति संबंधी मंत्रालय के निर्णय के पूर्ण प्रकटन के कारण आदेश लागू होने से पूर्व महाराष्ट्र में कुछ फर्मों/कम्पनियों ने अपनी पोलिएस्टर रेशा कारखानों के लिए भारी मात्रा में टोरपथोलिक एसिड का आयात किया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस जानकारी को पूर्व प्रकट करने वाले मंत्रालय के अधिकारियों की इस गंभीर गलती के बारे में जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निर्णयों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (क) : इस बात की जांच करने के आदेश दिए गए हैं कि क्या टेरफथालिक एसिड से सम्बन्धित आयात नीति मे प्रस्तावित परिवर्तन का कोई रहस्योद्घाटन हुआ है। जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

स्वदेशी तथा आयातित अखबारी कागज के मूल्य

2312. **डा० ए० के० पटेल :**
श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी तथा आयातित अखबारी कागज के तीन वर्ष पूर्व विक्रय मूल्य क्या थे और इस अवधि के दौरान प्रत्येक बार कितनी मूल्य वृद्धि की गई तथा किन-किन तारीखों से मूल्य वृद्धि प्रभावी हुई;

(ख) क्या छोटे, मध्यम तथा बड़े समाचार पत्रों के लिए अखबारी कागज के मूल्यों में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बार उनमें कितनी वृद्धि/कमी हुई; और

(घ) क्या कुछ अवधि के लिए मूल्यों में कमी करने अथवा उन्हें स्थिर रखने का कोई प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास में राज्यमंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) समय-समय पर पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज़ के मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबंध)। आयातित अखबारी कागज के मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मूल्य व्यवहार, ढुलाई, बीमा, भाड़ा, लागत आदि जैसे विभिन्न कारणों को ध्यान में रखते हुए तिमाही आधार पर अखबारी कागज़ मूल्य निर्धारण सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। इस समय स्वदेशी अखबारी कागज़ के मूल्यों में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। आयातित अखबारी कागज़ के संबन्ध में बड़े समाचारपत्रों पर 550 रु० प्रति मी० टन की दर से सीमा शुल्क लगता है, जबकि छोटे समाचार पत्रों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

विवरण

समय-समय पर स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज़ के मूल्य
विदेशी अखबारी कागज

मिल का नाम	तिथि	प्रति मी० टन मूल्य
1	2	3
1. नैशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स	जनवरी, 1983	5,200 रु०
	जून, 1984	5,600 रु०
(55 जी० एस० एम०)	मार्च, 1984	6,400 रु०
	31.12.85	7,660 रु०

1	2	3
2. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि०	जनवरी, 1983	7.000 रु०
(52 जी० एस० एम०)	फरवरी, 1984	7,100 रु०
	अप्रैल, 1984	8,000 रु०
	31.12.85	8,960 रु०
3. मैसूर पेपर मिल्स	जनवरी, 1983	7,225 रु०
	अप्रैल, 1984	8,000 रु०
	31.12.85	8,960 रु०
4. तमिल नाडु न्यूजप्रिंट	जून, 1985	8,000 रु०
एण्ड मिल्स लि०	31.12.85	8,960 रु०

आयातित न्यूजप्रिंट

	हाइ सी सेल्स	एक्स-वर्फर
	(सीमा शुल्क को निकालकर प्रति मी० टन मानक अखबारी कागज़)	
जनवरी-मार्च, 1983	रु० 5900	5950
अप्रैल-जून, 1983	रु० 5900	5950
जुलाई-सितम्बर, 1983	रु० 5690	5740
अक्तूबर-दिसम्बर, 1983	रु० 5350	5400
जनवरी-मार्च, 1984	रु० 5350	5400
अप्रैल-जून, 1984	रु० 5750	5800
जुलाई-सितम्बर, 1984	रु० 5750	5800
अक्तूबर-दिसम्बर, 1984	रु० 5760	5810
जनवरी-मार्च, 1985	रु० 5940	5990
अप्रैल-जून, 1985	रु० 6330	6380
जुलाई-सितम्बर, 1985	रु० 6595	6645
अक्तूबर-दिसम्बर, 1985	रु० 6745	6795
जनवरी-मार्च, 1986	रु० 6980	7030

गांवों में धुआं रहित चूल्हे लगाना

2313. **श्री एम० डेनिस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने गांवों में धुआंरहित चूल्हे लगाने के निश्चित लक्ष्य सहित ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन आरामदायक बनाने की योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो योजनाओं का और केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) उन्नत प्रकार के चूल्हों का राष्ट्रीय कार्यक्रम (इसे धुआंरहित चूल्हे भी कहा जाता है) राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्र की एक प्रायोजित योजना है। तमिलनाडु में यह तमिलनाडु सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 1984-85 के लिए तमिलनाडु सरकार को 0,000 चूल्हों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उपलब्धि 79,751 चूल्हों की थी। इस राज्य के लिए वर्ष 1985-86 के लिए 85,000 चूल्हों का लक्ष्य है। जनवरी 1986 के अंत तक 62,457 चूल्हों के लक्ष्य की उपलब्धि हो चुकी है। कार्यक्रम को पूरी वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। वित्तीय सहायता में स्थिर प्रकार के चूल्हों पर हार्डवेयर की लागत पर शत-प्रतिशत राजसहायता और सफरी चूल्हों की लागत की ओर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पहाड़ी क्षेत्रों को 75 प्रतिशत राजसहायता शामिल है। अन्य लाभार्थियों के लिए इस प्रकार के चूल्हे के लिए राजसहायता लागत का 50 प्रतिशत है। कार्यक्रम की अन्य लागतें, जिसमें प्रशिक्षण, स्टाफ संस्थापन और अन्य खर्च शामिल हैं, भी केन्द्र सरकार द्वारा पूरी वहन की जाती हैं। 1984-85 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार को 14.60 लाख रुपये की राशि प्रदान की थी। वर्ष 1985-86 के दौरान अब तक दी गई राशि 65.00 लाख रुपए है।

[हिन्दी]

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा विश्व बैंक से ऋण का अनुरोध

2315. **श्री हरीश रावत :**

डा० वी० एल० शैलेश : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऑयल इण्डिया लिमिटेड ने अपनी परियोजनायें कार्यान्वित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि के ऋण की मांग की गई है; और

(ग) उस पर विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्य बातों के साथ-साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर पूर्वी तट में अन्वेषण परियोजना और असम में उत्पादन सुधार स्कीम तथा तकनीकी सहायता/प्रशिक्षण के लिए विश्व बैंक से लगभग 200 करोड़ रुपये के ऋण लेने के बारे में बातचीत चल रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत ऊर्जा केन्द्र

2316. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने एकीकृत ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान का ऐसे कितने केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अब तक 19 ग्रामीण स्तर समन्वित ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं।

(ख) राज्यवार स्थिति निम्न प्रकार से है :—

(i) आन्ध्र प्रदेश	2
(ii) बिल्ली	2
(iii) गुजरात	1
(iv) मध्य प्रदेश	1
(v) महाराष्ट्र	1
(vi) उड़ीसा	4
(vii) तमिलनाडु	1
(viii) उत्तर प्रदेश	7

सातवीं योजना के दौरान एक परिवर्द्धित कार्यक्रम के विवरण तैयार किए जा रहे हैं और ये वित्तीय साधनों पर निर्भर होंगे जो उपलब्ध किए जा सकते हैं।

उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

2317. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन जल विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उपबन्धों और पर्यावरण नियमों के अन्तर्गत स्वीकृति ले ली गई है ;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं, जिनके लिए अभी स्वीकृति ली जानी है; और

(ग) उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उन्हें स्वीकृति देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लोक अदालतों और न्याय पंचायतों को विधिक प्रास्थिति प्रदान करना

2318. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :**

श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने देश के विभिन्न राज्यों में लोक अदालतों की स्थापना का स्वागत किया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में तालुकाबार न्याय पंचायतें भी स्थापित की जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उन्हें स्थायी रूप से विधिक प्रास्थिति प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार के पास इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विधि आयोग ने इस विषय का अध्ययन आरंभ कर दिया है और उसने अपने विचारों को निश्चित रूप नहीं दिया है।

"इंटीग्रल डिजीटल नेटवर्क सिस्टम"

2319. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "इंटीग्रल डिजीटल नेटवर्क सिस्टम" के अन्तर्गत चुने गये जिलों में अद्यतन तकनीक से युक्त दूरसंचार सुविधायें उपलब्ध कराने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि अभी तक विदेशों से उपकरण और अपेक्षित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, और

(ग) चुने गये जिलों में यह आधुनिक दूरसंचार सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जाने की संभावना है और उसका समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कोहिमा तथा बाड़मेर गौण क्षेत्रों के लिए परियोजना प्राक्कलन अभी मंजूर नहीं किया गया है। मथुरा और नैनीताल के लिए प्राक्कलन का अनुमोदन शीघ्र ही किया जा रहा है। इस प्रणाली के संबंध में देशी उपस्करों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) सातवीं योजना के दौरान दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है। नार्वे के विशेषज्ञों के साथ शीघ्र ही कार्यक्रम पर बातचीत की जाएगी। दूरदर्शन के साथ फ्रीक्वेंसी विवाद को सुलझाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

राजस्थान के जिला मुख्यालयों को सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा जोड़ा जाना

2320. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कितने जिला मुख्यालयों को स्वाचालित इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन प्रणाली से नहीं जोड़ा गया है;

(ख) इन जिला मुख्यालयों को स्वचालित इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन प्रणाली द्वारी जोड़े जाने के संबंध में क्या कार्यक्रम हैं; और

(ग) इन जिला मुख्यालयों को सीधी ट्रंक डायल सेवा द्वारा कब तक जोड़ दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संभवत: स्वचल इलेक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली के साथ जोड़ने से माननीय सदस्य का अभिप्राय एस टी डी के लिए ट्रक स्वचल एक्सचेंज से जोड़ने से है। 27 जिला मुख्यालयों में से 21 जिला मुख्यालयों को ट्रंक स्वचल एक्सचेंज नेटवर्क के साथ नहीं जोड़ा गया है।

(ख) शेष 21 जिला मुख्यालयों से ट्रंक स्वचल एक्सचेंजों के लिए एस टी डी लिंक सुलभ कराने की योजना है जिसके लिए आवश्यक होने पर मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचल बनाया जाएगा तथा जिला मुख्यालयों से ट्रंक स्वचल एक्सचेंज नेटवर्क के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम सुलभ कराया जाएगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) में जिस कार्यक्रम का जिक्र किया गया है उसे सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा करने का कार्यक्रम है।

[अनुवाद]

तेल उत्पादक राज्यों में तेल कुंओं में आग लगना

2321. **श्री मोहन भाई पटेल :**

श्री अमर सिंह राठवा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कितने तेल कुंओं में आग लगाने की घटनाएं हुईं और प्रत्येक तेल उत्पादक राज्य में ऐसी कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है, और यदि हां, तो तेल के कुओं में आग लगने के क्या मुख्य कारण थे; और

(ग) भविष्य में तेल के कुंओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों 1983-84 से 1985-86 के दौरान तेल कूपों में आग लगने की दो दुर्घटनाएं हुईं; दोनों ही गुजरात में हुईं।

(ख) जी, हां। 30 मई, 1984 के सानन्द कूप सं० 65 में उस समय आग लग गई जब जब कम्प्रैसर की मदद से कूप पर कार्य हो रहा था। कोर की खराबी और इसके चलते कम्प्रैसर पर तेल और गैस के छोटे पड़ जाने के कारण कम्प्रैसर में आग लग गई। दक्षिण कादी कूप सं० 53 में आग लगने के कारणों का पता लगाने हेतु ते. प्रा. गै. आ. ने जांच के आदेश दे दिए हैं।

(ग) ते. एवं. प्रा. गै. आ. द्वारा उठाए गए कदमों में सुरक्षा और अग्निशमन हेतु और अधिक विश्वसनीय उपस्कर उपलब्ध कराना, ते. एवं प्रा. गै. आ. के कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देना, सुरक्षा नियमावली में वर्णित सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन कराना शामिल है।

कारगिल में उपग्रह भू-संचार केन्द्र

2322. **श्री पी० नामग्याल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारगिल में प्रस्तावित उपग्रह भू-संचार केन्द्र के कब तक चालू हो जाने की सभावना है, और

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1987 के दौरान कारगिल में भू-केन्द्र चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

संस्थापना कार्य कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

खाडिया (गुजरात) में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र

2323. **श्री पी० कुसनबई बेलू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के निकट खाड़िया में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा केन्द्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह गुजरात विद्युत बोर्ड और गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी की एक संयुक्त सहयोग परियोजना है;

(ग) क्या इन केन्द्रों का विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जा रहा है; और

(घ) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत क्या होगी और इससे कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) बड़ौदा के निकट खांडियां में ग्राम स्तर की एक समन्वित ऊर्जा परियोजना की पहले ही स्थापना की जा चुकी है।

(ख) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी और गुजरात विद्युत बोर्ड की यह एक संयुक्त परियोजना है।

(ग) परियोजना पूर्ण रूप से केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा निवेशित है।

(घ) परियोजना पर कुल व्यय 15 लाख रुपये का है। ऐसा अनुमान है कि वार्षिक ऊर्जा उत्पादन/बचत, 300 मीटरी टन कोयले के बराबर होगी।

[हिन्दी]

आजमगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना

2324. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया अथवा किए जाने का प्रस्ताव था; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान किन-किन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) आजमगढ़ जिले में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मऊ (आजमगढ़) उ० प्र० में आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज

2325. **श्री राजकुमार राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में जिला आजमगढ़ में मऊ में एक औटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इस बीच भूमि प्राप्त की करली गई है परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि इस परियोजना का शिलान्यास हुए लगभग तीन वर्ष बीत चुके हैं, यहां पर कोई काम नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण हैं और निर्माण कार्य कब आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। मऊ, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1984 में शुरु किया गया था और ऐसी संभावना है कि यह मार्च, 1986 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ओबरा विद्युत केन्द्र की मशीनों की मरम्मत

2326. **श्री राजकुमार राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो वर्ष पहले ओबरा विद्युत केन्द्र में आग लगने के कारण जल गई 400 मेगावाट की दो मशीनों की अभी तक मरम्मत नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन काफी घट गया है और राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करना कठिन हो गया है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन मशीनों की शीघ्र मरम्मत करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। 200-200 मेगावाट की ये दोनों मशीनें, जो आग लगने से क्षति ग्रस्त हो गयीं थीं, 14-6-1985 और 14-2-1986 को चालू कर दी गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तेल की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए तेल के नए भण्डार

2327. **श्री के० प्रधानी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी तेल खपत सातवीं परियोजना में परिलक्षित 6 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 8 प्रतिशत हो गयी है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) इस पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) खंभात की खाड़ी और कावेरी बेसिन के नये तेल भण्डारों से इस कमी की कितनी पूर्ति होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) सातवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री/खपत की अनुमानित सकल वृद्धि दर लगभग 6.5% है। (जबकि सातवीं योजना के दस्तावेजों में वार्षिक औसत वृद्धि दर 6.4 रखी गयी है)।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें वेस्ट हीट रिकवरी, ईंधन के सही खपत, सही पृथक्करण, बेहतर संचालन और रख-रखाव कार्य, कार्यकुशल ईंधन स्टोव का विकास और परिवहन और औद्योगिक क्षेत्र के अन्य क्रियाकलाप शामिल हैं।

(ग) इस स्तर पर यह बता पाना असंभव है कि काम्बे और कावेरी बेसिन में खोजे गए वर्तमान तेल भंडार कितनी दूर हैं ताकि मांग के अनुरूप उत्पादन हो सके क्योंकि वे क्षेत्र अभी तक अन्वेषण/प्रारम्भिक स्तर पर हैं।

वर्ष 1986-87 में तेल के आयात के लिए भुगतान

2328. **श्री के० प्रधानी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान कितना तेल आयात किया जायेगा और इसके आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ख) क्या आयात का भुगतान हमारे सुरक्षित विदेशी मुद्रा कोष से किया जाएगा अथवा हमारे द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से लिए गए ऋण से या हमारे निर्यात के स्थान पर समायोजित किया जाएगा जैसा कि सोवियत संघ के साथ द्विपक्षीय व्यापार के मामले में किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान 15.6 मिलियन मी० टन क्रूड ऑयल के आयात करने का प्रस्ताव है। चूंकि वर्ष 1986 के दौरान इन खरीदों की संविदा को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः विदेशी मुद्रा के रूप में इसका मूल्य बताना संभव नहीं है।

(ख) सिवाय उन मात्राओं के जो विनिर्दिष्टतया द्विपक्षीय व्यापारिक अनुबन्धों के अंतर्गत आती हैं, भुगतान सामान्यतः हमारे विदेशी मुद्रा कोष से किया जाता है।

बंगलौर में विकलांगों द्वारा सेवित सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

2329. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में विकलांग व्यक्तियों द्वारा सेवित कितने सार्वजनिक टेलीफोन बूथ हैं;

(ख) क्या बंगलौर शहर के कई क्षेत्र में, विशेष रूप से जयनगर काम्पलैक्स में, सार्वजनिक टेलीफोन की भारी मांग की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो बंगलौर शहर की विभिन्न बस्तियों में विकलांग व्यक्तियों द्वारा सेवित और अधिक सार्वजनिक टेलीफोन बूथ खोलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 3.3.1986 की स्थिति के अनुसार बेंगलूर सिटी में विकलांग व्यक्तियों द्वारा चालित सार्वजनिक टेलीफोनों की सं० 26 है।

(ख) जी, हां।

(ग) सार्वजनिक स्थानों में बूथ लगाने के लिए नगर निगम प्राधिकारियों के सहयोग से विकलांग व्यक्तियों द्वारा चालित और अधिक सार्वजनिक टेलफोनघर खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं।

कोचीन तेल शोधक कारखाने में तेल-पाइपों के लिए सुरक्षा उपाय

2330. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित तेल टर्मिनल से पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थों की प्रेषण के दौरान सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या तेल टर्मिनल से कोचीन तेल शोधक कारखाने तथा भंडारण टैंकों तक तेल-पाइपों की सुरक्षा की पूर्ण जांच की जाती है; और

(ग) क्या तेल भंडारण टैंकों को कोचीन शहर से दूर किसी स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) किये गये सुरक्षा उपायों में बार-बार दबाव दर के दबाव की जांच और मानिटरिंग अग्नि शमन उपकरण क्षमता में वृद्धि और पाइपलाइन की नियमित जांच और गश्त लगाना सम्मिलित है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना

2331. **श्री डा० के० नायकर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुकदमा लड़ने वालों की सुविधा के लिए दक्षिण भारत में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए किस स्थान को चुना गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : संविधान के अनुच्छेद 130 के अनसार "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर नियत करे।"

इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सातवीं योजना में तेल की खोज के लिए धनराशि का आवंटन

2333. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की खोज के कार्य पर कितनी राशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) तेल की खोज के कार्य के लिए चुने गए विभिन्न क्षेत्रों में व्यय की जाने वाली प्रस्तावित राशि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चुने गये नये क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सातवी पंचवर्षीय योजना के लिये अन्तरिम बेसिन/क्षेत्रवार परिव्यय निम्नलिखित है :—

क्षेत्र/बेसिन	अन्तरिम परिव्यय (करोड़ रु०)
तटीय	
कैम्बे	410.0
कच्ज-सौराष्ट्र	17.0
असम, अरुणाचल प्रदेश सहित	382.0
राजस्थान	108.0
त्रिपुरा	105.0
नागालैंड-कोचीन	194.0
बंगाल	76.0
हिमालय की तराईयां और गंगा घाटी	82.0
कृष्णा-गोदावरी	139.0
कावेरी	124.0
महानदी	10.0
श्रेणी-4 के बेसिन	12.0
अपतटीय	
बम्बई हाई	330.0
कच्छ-सौराष्ट्र	145.0
केरल-कोचीन	40.0
कृष्णा-गोदावरी	250.0
कावेरी	48.0
बंगाल	124.0
अन्डमान	151.0
उत्तर-पूर्वी तट	87.0

(ग) और (घ) हाइड्रोकार्बनों की खोज एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और किसी बेसिन का नये रूप में सीमांकन नहीं किया जा सकता है ।

कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना

2334. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत से बिजली पैदा करने के लिए अब तक कितना निवेश किया जा चुका है;

(ख) इस परियोचना के लिए कुल परिव्यय कितना है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय विद्युत परियोजना के लिए अन्वेषण और व्यवहार्यता संबंधी अध्ययन कार्य करने के लिए अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं।

(ख) सातवीं योजना में कुल 4.38 करोड़ रुपये परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) वर्तमान अनुमान के अनुसार व्यवहार्यता रिपोर्ट मार्च, 1988 तक उपलब्ध हो जाने की आशा है।

टेलीफोन के बिल बढ़े-चढ़े होने और टेलीफोनों के अनाधिकृत रूप से इस्तेमाल किए जाने के बारे में शिकायतें

2335. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में टेलीफोन उपभोक्ताओं ने अपने टेलीफोनों का टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से अनधिकृत तौर पर इस्तेमाल किये जाने से बचने के लिये अपने टेलीफोनों से एस० टी० डी० सुविधा समाप्त किये जाने की मांग की है;

(ख) चार महानगरों में कितने प्रतिशत टेलीफोनों से यह सुविधा समाप्त की गई है और इससे राजस्व की कितनी हानि होने का अनुमान है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चार महानगरों में टेलीफोनों को इस प्रकार से अनधिकृत तौर पर इस्तेमाल किये जाने और टेलीफोनों के बिल बढ़े-चढ़े होने के संबंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई तथा कितने मामलों में वसूल की गई अतिरिक्त राशि वापस करने के आदेश दिये गये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। हालांकि पर्याप्त मात्रा में उपभोक्ता अपने टेलीफोनों में एस टी डी सुविधा नहीं रखते परन्तु यह कहना सही नहीं है कि उपभोक्ता ऐसा इसलिए करते है क्योंकि टेलीफोन स्टाफ उनके टेलीफोनों का अनधिकृत तौर पर इस्तेमाल करते हैं।

(ख) चार महानगरों में बिना एस टी डी सुविधा के टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिशत निम्न प्रकार है :-

यूनिट	प्रतिशत
बम्बई टेलीफोन जिला	35.43
कलकत्ता टेलीफोन जिला	21.88
दिल्ली टेलीफोन जिला	53.71
मद्रास टेलीफोन जिला	43.08

इस प्रकार राजस्व की हानि नहीं हो सकती क्योंकि टेलीफोन मैन्ड ट्रंक काल (मोनेड ट्रंक सेल) के जरिए होते हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान चारों महानगरीय जिलों में प्राप्त अधिक राशि की बिल संबंधी शिकायतों की संख्या तथा दी गई छूट की राशि भी नीचे दी गई है :—

यूनिट का नाम	अधिक राशि के बिलों की शिकायतों की संख्या			छूट की राशि (लाख रुपयों में)		
	1982-83	1983-84	1984-85	1982-83	1983-84	1984-85
बम्बई	9,659	11,234	18,615	29.38	27.66	55.41
कलकत्ता	3,715	8,530	10,781	6.63	13.35	6.73
दिल्ली	11,204	14757	15,078	138.79	181.62	212.43
मद्रास	3,681	4,666	5,089	3.94	8.63	16.95

अनधिकृत रूप से टेलीफोन उपयोग करने के मामलों की संख्या संबंधी जानकारी यदि कोई है, सर्किलों से मांगी गई है तथा उसे यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

खाना पकाने की गैस की एजेंसियों द्वारा गैस के चूल्हों की जबरन बिक्री (टाई-अप सेल)

2336. **श्री डी० एन० रेड्डी :**

श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाना पकाने की गैस एजेंसियों द्वारा गैस चूल्हों को जबरन बिक्री (टाई-अप सेल) करने के बारे में उपभोक्ता शिक्षा तथा अनुसंधान केन्द्र से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उपभोक्ता संगठनों के अनुभवों तथा सुविचारित विचारों को ध्यान में रखते हुए गैस एजेंसियों द्वारा जबरन बिक्री के किये जाने वाले प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार का निवारण करने के लिये कोई नीति बनाने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : जी, हां।

(ख) इस पर उपबंध होने के बावजूद, एल पी जी वितरकों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर में इस आशय की एक सूचना प्रदर्शित करेंगे कि उपभोक्ता किसी भी स्रोत से एल पी जी स्टोव खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते कि वह आई एस आई द्वारा प्रमाणीकृत हो।

कालाहान्डि, उड़ीसा में डाक डिवीजन

2337. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1985-86 के दौरान कालाहान्डि, उड़ीसा को एक पोस्टल डिवीजन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान कालाहांडी उड़ीसा को "डाक डिवीजन" के बतौर घोषित करने का प्रस्ताव नहीं है।

नये डाक डिवीजन के सृजन में अन्य बातों के साथ-साथ कुछ नये पदों का सृजन भी करना पड़ता है। सरकार द्वारा पदों के सृजन और भरने पर लगाई गई मौजूदा पाबंदी आदेशों को देखते हुए फिलहाल कालाहांडी डाक डिवीजन का सृजन करना संभव नही है।

उत्तर भारत में गैस पर आधारित कारखाने की स्थापना

2338. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर भारत में गैस पर आधारित एक कारखाने की स्थापना करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना कब तक की जायेगी;

(ग) उत्तर भारत में इसे कौन से स्थान पर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) इस कारखाने की स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) से (घ) यह स्पष्ट नहीं है कि यह प्रश्न किस फैक्ट्री के बारे में है। उत्तर भारत में गैस पर आधारित 5 उर्वरक एकक स्थापित किये जा रहे हैं जो इस प्रकार हैं :

स्थान	परियोजना लागत (करोड़ रु०)	यांत्रिक तौर पर पूरा करने की अनुमानित तारीख
1. सवाई माधोपुर	699.50	जनवरी, 1989
2. जगदीशपुर	662.60	जून, 1988
3. औनला	732.00	जनवरी, 1988
4. बयराला	600.00	जुलाई, 1989
5. शाहजहांपुर	अभी अन्तिम रूप नहीं दिया	दिसम्बर, 1989

बादली औद्योगिक बस्ती में जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किए बिना प्लाटों का आवंटन

2339. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री थम्पन थामस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग निदेशालय, दिल्ली ने बादली औद्योगिक बस्ती में जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किये बिना प्लाट आवंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति प्राप्त प्लाटों का ब्यौरा क्या है और ये प्लाट किन लोगों को मंजूर किये गये हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में किस तारीख को कार्यवाही की गयी और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, जनता से आवेदन आमंत्रित किए बगैर बादली औद्योगिक एस्टेट-फेज-3 में केवल एक औद्योगिक भूखंड (प्लाट) आवंटित किया गया था। औद्योगिक बस्ती फेज-3 में स्थित उक्त प्लाट संख्या-1 का आवंटन भारत सरकार की सिफारिश पर 31.7.85 को मैसर्स के० सी० आगरा प्रा० लि० को भारत की कृषि मदों का निर्यात सम्वर्द्धन करने के उनके प्रयासों को और बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था।

30 दिन अथवा उससे अधिक समय तक खराब पड़े रहने वाले टेलीफोनों के किराये में छूट

2340. **श्री आर०एम० भोये :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने किसी प्रयोक्ता के टेलीफोन के 30 दिन या अधिक अवधि तक बन्द पड़े रहने की स्थिति में किराये में छूट देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रयोक्ताओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। जब टेलीफोन, टेलेक्स, पट्टे पर ली गई लाइनों, या किसी पी ए बी एक्स/पी बी एक्स के उपभोक्ता की जंक्शन लाइन निरंतर 30 दिन या उससे अधिक समय तक खराब रहती है, तो किराए के छूट दी जा सकती है।

(ख) इस संबंध में सरकार के विचाराधीन कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत उत्पादन के लिए बिहार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं को मंजूरी

2341. **डा० गौरी शंकर राजहंस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हेतु अनेक नई योजनाओं के प्रस्ताव किये हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई है; और

(ग) बिहार सरकार प्रस्तावित शेष योजनाओं को मंजूरी देने में विलंब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में बिहार की पांच नई विद्युत उत्पादन स्कीमो का मूल्यांकन किया जा रहा है इनमें से, एक मामले में, बिहार को अन्तर्राज्जीय पहलुओं को हल करने की सलाह दी गई है; दो मामलों में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की टिप्पणियों पर बिहार के प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा है। यद्यपि परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत करने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं, इसमें लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करता है कि प्रस्तावों पर कार्यवाही करने के लिए आवश्यकता पड़ने वाली अपेक्षित सूचना सप्लाई करने के मामले में परियोजना प्राधिकारी कितनी तत्परता से उत्तर देते हैं।

बिजली की चोरी के लिए दंड का प्रावधान

2342. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार का विचार बिजली की चोरी को एक दण्डनीय अपराध बनाने और इसके लिए कड़े दंड का प्रावधान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विद्युत अधिनियम में इस आशय का संशोधन करने का विचार है; और

(ग) अधिनियम में क्या संशोधन करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) जी, हां। बिजली की चोरी को संज्ञेय अपराध बनाए जाने के लिए भारतीय बिजली अधिनियम 1910 की धारा 39 को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है।

तेल और गैस भंडारों के सम्बन्ध में विश्लेषण

2343. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्यारह वर्ष पहले बम्बई हाई की खोज किए जाने के बाद तेल और गैस भंडारों के संबंध में अन्वेषणात्मक प्रयासों और तेलों में वृद्धि के परिणामों का कोई विस्तृत विश्लेषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस विश्लेषण की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई हाई क्षेत्र की खोज के बाद 89 स्थानों पर तेल/गैस मिला है। इनमें से 77 का मूल्यांकन कर लिया गया है तथा इनसे 1.1.85 तक भूमिगत भण्डारों में निम्नलिखित मात्रा की वृद्धि हुई है :—

तेल	702.63 मिलियन मी० टन
गैस	500 बिलियन घन मीटर

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा नई प्रबन्ध नीति का कार्यान्वयन

2344. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विपणन, कच्चे माल की खरीद और सूची, श्रम शक्ति प्रशिक्षण और कार्मिक प्रबन्ध के संबंध में इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई व्यापक नीति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के सभी यूनिटों द्वारा लागू की जायेगी या केवल ऋषिकेश संयंत्र के लिए ही है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) आई डी पी एल द्वारा बाधाओं और अवसरों की शिनाख्त करने और पुनर्वास तथा पुर्नचालन के लिए सुदृढ़ योजनाएं बनाने के लिए आन्तरिक कार्य दल का गठन दिसम्बर, 1985 में किया गया था। इस दल के कार्यों को प्रेरित करने की दृष्टि से कम्पनी द्वारा अंशकालिक आधार पर दो परामर्शदाता कार्यदल से सम्बद्ध किये गये थे। कार्यदल ने अपने अध्ययन अभी पूर्ण नहीं किये हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के एककों का कार्य-निष्पादन

2345. **डा० चिन्ता मोहन** :
श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के मूल्यांकन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के एकक अच्छा काम नहीं कर रहे हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि यह कुछ हद तक सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) 27 फरवरी 1986 को लोक सभा-पटल पर रखे गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 के अनुसार 1984-85 में लाभ कमाने वाले 113 उद्यमों ने 2023.30 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है और घाटा उठाने वाले 91 उद्यमों ने 1094.73 करोड़ रुपये का घाटा उठाया है जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 928.57 करोड़ रुपये निवल लाभ प्राप्त हुआ है, जबकि 1983-84 में 201 उद्यमों ने 240.14 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया था। इस प्रकार यह देखा गया है कि कि समग्र कार्य-निष्पादन में 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान काफी सुधार हुआ है।

(ख) इन उपक्रमों को जिन प्रमुख कठिनाईयों का सामना करना पड़ा हैं तथा इनके कार्य-निष्पादन को समुन्नत बनाने के लिये, जो उपाय किये गये हैं, उनका ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण 1984-85 के खण्ड-1 में "सरकारी उद्यमों में उत्पादकता" नामक 19वें अध्याय में दिया गया है।

बंबई में क्षेत्र-वार परामर्शदात्री समितियां

2346. **डा० चिंतामोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंबई में उपभोक्ता संगठनों के प्रभावी प्रतिनिधित्व वाली खुली सलाहकार समिति के साथ-साथ क्षेत्र-वार परामर्शदात्री समितियां स्थापित की हैं;

(ख) क्या दिल्ली या देश के अन्य किसी स्थान के लिए की गई इसी प्रकार की मांग मंजूर नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। इस उप समिति के बंबई टेलीफोन जिले की टेलीफोन सलाहकार समिति के दो अथवा तीन सदस्य हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने जिला टेलीफोन सलाहकार समिति से सदस्य लेकर क्षेत्रीय प्रबंधकों के स्तर पर तथा राज्य दूरसंचार सलाहकार समिति से सदस्य लेकर निदेशक (दूरसंचार) स्तर पर उप-समितियों का गठन करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं ताकि दूरसंचार सेवाओं की कार्य प्रणाली में इन सदस्यों का व्यापक सहयोग लिया जा सके।

भूमिगत टेलीफोन केबलों को नुकसान

2347. **डा० चिंता मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और अन्य स्थानों पर विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा अनियंत्रित खुदाई से भूमिगत केबलों को होने वाले नुकसान के कारण टेलीफोन का खराब होना सामान्य कारण है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसी भी सरकारी भूमि पर खुदाई करने से पूर्व वहां पर टेलीफोन विभाग के पर्यवेक्षी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य करना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। यह व्यावहारिक तौर पर संभव नहीं है कि प्रत्येक खुदाई कार्य के समय हमेशा सुपरवाइजर को नियुक्त किया जाए। फिर भी, काफी अधिक सीमा तक इसे सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं केबिल मार्गों की गश्त, "डायल बिफोर यू डग" सर्विस और इंटर यूटीलिटी सर्विस कमेटी जैसे कुछ ऐसे मुख्य कदम हैं जो इस दिशा में उठाए गए हैं।

खनन के स्थानों के निकट तेल शोधक कारखानों की स्थापना

2348. **श्री सैयद मसूदल हुसैन** :

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने इस बात का समर्थन किया है कि कच्चे तेल के उत्पादन के बजाए खपत या परिशोधित उत्पाद केन्द्र के निकट तेल शोधक कारखाने स्थापित किये जाने चाहिएं;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के अनुसार कौन से स्थानों को प्राथमिकता दी जायेगी;

(ग) क्या ऐसे स्थानों पर कोई तेल शोधक कारखाने स्थापित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

उत्पादन केन्द्रों, खपत जोनों, परिवहन की आवश्यकताओं, पर्यावरण के पहलुओं आदि सहित विभिन्न तकनीकी आर्थिक विचारों के आधार पर तेल रिफाइनरियों की स्थापना की जाती है ।

जिन स्थानों पर तेल रिफाइनरियों स्थापित की गई हैं वे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	स्थान का नाम	राज्य
1.	गोहाटी	आसाम
2.	बरौनी	बिहार
3.	कोयाली	गुजरात
4.	हल्दिया	पश्चिमी बंगाल
5.	मथुरा	उत्तर प्रदेश
6.	डिगबोई	आसाम
7.	मद्रास	तमिलनाडु
8.	कोचीन	केरल
9.	बम्बई	महाराष्ट्र
10.	बम्बई	महाराष्ट्र
11.	विजाग	आन्ध्र प्रदेश
12.	बोंगाईगांव	आसाम

पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई

2349. **श्री हुसैन दलवाई** : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई हाई से उपलब्ध होने वाली गैस को पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में उर्वरक संयंत्रों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस सप्लाई करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक अन्य गैस लाइन से दक्षिणी राज्यों को गैस की सप्लाई की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) बम्बई हाई से उत्पादित सम्बन्धित प्राकृतिक गैस महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न उपभोक्ताओं को पहले ही भेजी जा रही है।

(ख) मुक्त गैस, जिसका दक्षिण बेसिन से उत्पादन का प्रस्ताव हैं, एच. बी. जे. पाइपलाइन द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की उर्वरक यूनिटों की आवश्यकताओं को समान रूप से पूरा करने ने लिए भेजा जाएगा।

(ग) और (घ) जी, नही।

[हिन्दी]

कोइल कारो योजना पर व्यय

2350. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोइल कारो योजना किस तारीख को मंजूर की गयी थी और मूल रूप से उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया था और इस पर अब तक वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा इस योजना ?. कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितनी बिजली का उत्पादन होने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या इस योजना की लागत यदि इसे समय पर शुरू नहीं किया जाता है, बढ़ जायेगी, यदि हां तो कितनी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कोइल कारो जल विद्युत परियोजना का अनुमोदन लगभग 440 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया गया था। खर्चा किए जाने के संबंध में स्वीकृति जुलाई, 1982 में जारी की गई थी। तथापि, भूमि अधिग्रहण के बारे में स्थानीय लोगों को विरोध तथा उनकी भूमि के बदले भूमि की मांग के कारण इस परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका। प्रभावित हुए कुछ भू-स्वामियों ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका भी दायर कर दी है और मामला न्याय निर्णयाधीन है। इसलिए जनवरी, 1986 तक परियोजना पर केवल 4.75 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। बिहार सरकार द्वारा अधिग्रहीत भूमि उपलब्ध करा दिए जाने के बाद परियोजना को 8 वर्ष में चालू करने का कार्यक्रम है।

(ख) इन परियोजना से अनुमानित वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 1058 मिलियन यूनिट है।

(ग) परियोजना की लागत में वृद्धि निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

भुवनेश्वर के सिविल विंग कार्यालयों के लिए विभागीय भवन के लिए मंजूरी

2351. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भुवनेश्वर में सिविल विंग कार्यालयों के लिए विभागीय कार्यालय भवन की कमी के कारण उस सर्किल में सिविल विंग के कार्य में बहुत रुकावट आने की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो विभागीय भवन की मंजूरी कब तक की जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) विभागीय भवन उपलब्ध न होने के कारण सिविल विंग के कार्य में कोई रुकावट नहीं आई है। तथापि, 3.3.86 को एक विभागीय भवन की मंजूरी दे दी गई है।

डाक-तार सिविल सर्किल, भुवनेश्वर

2352. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार डाक-तार सिविल सर्किल, भुवनेश्वर को 1 मार्च, 1986 से एक स्वतंत्र सर्किल घोषित करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सर्किल को कब तक स्वतंत्र सर्किल घोषित किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) सिविल सर्किल को समन्वय सर्किल के बतौर घोषित करने के मामले पर इसकी आवश्यकता और योग्यता के आधार पर विचार किया जाता है।

तमिलनाडु में गाँवों का विद्युतीकरण

2353. **श्री एन० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा और इस के लिए क्या योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) पिछले तीन वर्ष अर्थात 1982-83, 1983-84, और 1984-85 के दौरान तमिलनाडु में 89 गांव विद्युतीकृत किए गए थे।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत चालू वित्त वर्ष 1985-86 में 9 गांवों को विद्युतीकृत किए जाने का प्रस्ताव है।

तेल और गैस के अतिरिक्त भंडारों का मूल्यांकन

2354. **श्री पी० एम० सईद** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तेल और गैस के अतिरिक्त भण्डारों का मूल्यांकन करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किए गए प्रयासों का कोई विस्तृत विश्लेषण किया गया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया गया है; और

(ग) इस अवधि के दौरान खोज कार्यों पर कितना धन व्यय हुआ उससे कितना लाभ होने का अनुमान है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) 1984-85 को समाप्त 3 वर्षों में अन्वेषण कार्य पर लगभग 1000 करोड़ रुपये खर्च हुए। 1985 के भण्डारों का मूल्यांकन किया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में कूड के भूमिगत भण्डारों में लगभग 250 मि० मी० टन की वृद्धि हुई।

असेम्बली बेस्ड निर्माण प्रौद्योगिकी

2355. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में असेम्बली बेस्ड निर्माण प्रौद्योगिकी को रोकने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के औद्योगिक विकास में ऐसे परिवर्तन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ग) प्रौद्योगिकी के आयात संबंधी सरकार की नीति चयनात्मक और राष्ट्रीय वरीयताओं पर आधारित है। प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति निर्यातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापन उत्पादकों में जटिल प्रकार के तथा उच्च वरीयता वाले क्षेत्रों में अथवा घरेलू आवश्यकताओं को कुशलता से पूरा करने और/अथवा निर्यात बाजार में प्रतियोगी बनने के लिए स्वदेशी उद्योग को भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से दी जाती है।

औद्योगिक लाइसेंस सामान्यतया देश के औद्योगिक विकास को ध्यान में रख कर, जहां कहीं आवश्यक हो, प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम की स्वीकृति की शर्त पर मंजूर किए जाते हैं।

कच्चे तेल में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए उठाए गए कदम

2356. **श्री बी० तुलसी राम :**

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1986 में "इकानामिक टाइम्स" में "सैल्फ सफिशैंसी इन क्रूड में इरोड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में कच्चे तेल के उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) पेट्रोलियम पदार्थों के उपभोग पर इस प्रकार की कमी को किस सीमा तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह किस प्रकार पूरा किया जाएगा;

(घ) कच्चे तेल का आयात करने से राजकोष पर कितना बोझ पड़ेगा;

(ङ) परिवहन तथा अन्य उपायों को प्रभावित किए बिना कच्चे तेल के इस्तेमाल में बचत करने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है; और

(च) सातवीं योजना के अन्त तक कच्चे तेल के उत्पादन में कितनी अनुमानित कमी होगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ कदम ये हैं :—

1. कार्य में तेजी जिससे उत्पादन में स्वतः वृद्धि होगी।
2. वर्क ओवर कार्यों में तेजी।
3. अधिक तेल निकालने की तकनीकों का प्रयोग।
4. उच्च प्रौद्योगिकी को लगाना।

(ग) और (घ) आशा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की खपत आने वाले समय में निरन्तर बढ़ती रहेगी और सम्भावित कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार की बदलती हुई परिस्थितियों के कारण ऐसे आयातों के खर्च के भार का अनुमान लगाना इस समय सम्भव नहीं है।

(ङ) कुछ अपेक्षित कदम ये हैं :—

—वेस्ट हीट रिकवरी

—ईंधन का उचित रूप से दहन

—प्रोपर इंसुलेशन

—ऊर्जा सक्षम उपस्कर का विकास

—बेहतर ड्राइविंग और अनुरक्षण कार्यों का संवर्धन

—ईंधन कुशल स्टोवों का विकास

—पम्प सेटों का समंजन

(च) आशा है कि सातवीं योजना में कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा।

श्री सेलम जल विद्युत उत्पादन केन्द्र की उत्पादन क्षमता

2357. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में श्री सेलम सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है और क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश में फसलों के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए बिजली की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए राज्य में ऐसी कुछ और परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त परियोजना राज्य की सिंचाई/औद्योगिक मांग को कहां तक पूरी करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) श्रीसेलम जल विद्युत परियोजना इस समय देश में प्रचालनाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना नहीं है।

(ख) वर्तमान विद्युत उत्पादन क्षमता 440 मेगावाट है। वर्ष 1986-87 में यह बढ़कर 770 मेगावाट तक हो जाने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) श्रीसेलम बायां तट विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें 9 X 110 मेगावाट की पम्प टरबाइन यूनिटें होगी। राज्य क्षेत्र की इस परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों की मात्रा परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिए जाने और अनुमोदित कर दिए जाने के बाद पता लगेगी।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पूर्वी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भर्ती

2358. **श्री पराग चालिहा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में श्रेणी दो के उन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जो इस समय आयोग के पूर्वी क्षेत्र में तैनात है और उन अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है जिनके असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में स्थायी आवास हैं; और

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में श्रेणी तीन के पदों में भर्ती, जिसे स्थानीय तौर पर किया जाना था, बन्द कर दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र में कार्यरत प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कुल संख्या क्रमशः 1982 तथा 758 है।

असाम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के स्थायी आवास प्राप्त ऐसे अधिकारियों की कुल संख्या की सूचना के संबंध में पता लगाया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) जी, नहीं।

पवन चक्कियां और सौर पम्प लगाना

2359. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने पवन-चक्कियां तथा सौर पम्प लगाने के लिए योजनाएं प्रस्तुत की हैं ताकि ऊर्जा के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतो को उत्पन्न करके ऊर्जा के स्रोतों का संरक्षण किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर कितनी लागत आएगी और इनसे जल विद्युत तथा ताप-विद्युत जैसे ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों पर कितना बोझ कम होगा और इससे पेट्रोल पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या इन योजनाओं के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सहायता मांगी गई है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) प्राप्त अनुरोधों के आधार पर, जल स्रोतों के मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पों और पवन चक्कियों की स्थापना के लिए निम्नलिखित राज्यों को आर्थिक सहायता का 50 प्रतिशत शेयर के रूप में वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान दिया गया :–

		दी गई कुल राशि (रुपये लाखों में)
1.	गुजरात	5.00
2.	कर्नाटक	4.74
3.	मध्य प्रदेश	1.44
4.	उड़ीसा	2.63
5.	त्रिपुरा	1.97
6.	उत्तर प्रदेश	6.231

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग के द्वारा विभिन्न राज्यों में कार्यान्वित किए गए प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत, अब तक 300 सौर प्रकाशवोल्टीय पम्पों और 1,300 पवन चक्कियों की सप्लाई की जा चुकी है। इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार की पहल पर किया गया है।

सौर प्रकाशवोल्टीय पम्प एवं पवन चक्कियां, सूक्ष्म सिंचाई और पीने के पानी की सप्लाई के लिए लाभदायक युक्तियां उपलब्ध कराती हैं और कुछ क्षेत्रों में वे पहले से दी उपयुक्त रूप से डीजल या विद्युत पम्प सेटों के समकक्ष हैं।

पश्चिम जर्मन फर्म द्वारा गहरे पानी में खोज

2360. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी ने गहरे पानी में खोज करने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को आधुनिकतम प्रौद्योगिकी की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो गहरे पानी में खोज कार्य करने वाली पश्चिम जर्मनी की फर्म का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम जर्मनी की कोई अन्य फर्म भी पहले यह कार्य करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पश्चिम जर्मनी की फर्म के साथ किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पश्चिम जर्मनी की मैसर्स प्रकाला सीसमॉस कम्पनी ने 1978 में पूर्वी तट पर कृष्णा-गोदावरी अपतट में भूकंपीय सर्वेक्षण किया था। इसमें निजामपतन से पुरी तक का क्षेत्र सम्मिलित था जो 24 फोल्ड सी० डी० पी० सर्वेक्षणों सहित 4.520 लाइन कि० मी० का था। छः माह की अवधि तक सर्वेक्षण करने के लिए इस कम्पनी के साथ 25.1.78 को अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे।

नई डाक-प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करना

2361. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नई डाक-प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी विदेशी एजेंसी ने इस संबंध में अपनी तकनीकी जानकारी की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण विवरण क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, ।

(ख) निम्नलिखित क्षेत्रों में नई डाक तकनालॉजी शुरू करने करने का प्रस्ताव है ।

एक) डाक की उच्च मशीनीकृत छंटाई ।

दो) कुछ चुनिन्दे क्षेत्रों विशेषकर काउंटर आपरेशन तथा केन्द्रीय डाकघरों के आपरेशन के पीछे कंप्यूटर प्रारम्भ करना ।

तीन) इलेक्ट्रानिक फ्रेंकिंग मशीनों तथा काउंटरों पर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटर मशीन जैसे बुकिंग मशीन, तराजू ।

चार) आधुनिक थैला धुलाई उपस्कर का प्रयोग प्रारंभ करना ।

(ग) जी हां ।

(घ) (एक) यंत्र चालित छंटाई परियोजना के लिए दूरसंचार कंसलटैन्ट इन्डिया लि0 को व्यवहार्यता तथा परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है और इस संगठन ने अपनी सलाह संबंधी सहूलियत के लिए मैसर्स ब्रिटिश पोस्टल कंसलटेन्सी सेवा, यू० के० को अपना सलाहकार नियुक्त किया है ।

दो) संघीय गणराज्य जर्मनी ने भारतीय डाक विभाग के अधिकारियों को डाक मशीनीकरण के क्षेत्र में अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए छात्र वृति का प्रस्ताव किया है ।

तीन) डाक दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग के लिये भारत सरकार तथा फ्रांस के बीच 1980 में पांच वर्ष की अवधि के लिए समझौता हुआ था जिसमें डाक सेवाओं के मशीनीकरण के लिए सहायता अन्तर्राष्ट्रीय डाक के निपटान करने तथा डाकघर सेवा (एजेंसी कार्य) की व्यवस्था शामिल है ।

आटोमोटिव एकर्कों के उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा

2362. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी विकास महानिदेशालय ने देश में आटोमोटिव एकर्कों के उत्पादन कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) वाहन निर्माता तथा उनके अनुषंगी पूर्तिकर्ता बढ़ती हुई बाधाओं को किस सीमा तक दूर कर पायेंगे ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) स्वदेशीकरण में होने वाली अड़चनों को दूर करने की दृष्टि से नये जनरेशन के वाहनों की परिमाणात्मक और गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में वाहनों और सहायक सामान निर्माताओं को हो रही कठिनाइयों का पता लगाने हेतु समीक्षाएंकी जा रही हैं।

पाइपलाइन के माध्यम से खाना पकाने की गैस की सप्लाई

2363. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में तथा अन्य स्थानों पर उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की सप्लाई पाइपलाइन द्वारा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता

(ग) यह प्रस्ताव आर्थिक तथा प्रचालन की दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए वरिष्ठ कर्मचारियों के कर्तव्य

2364. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें तथा सूचना मिली है कि टेलीफोनों के गंभीर रूप से खराब होने की स्थिति में भी वरिष्ठ कर्मचारी मौके पर कभी नहीं जाते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार किसी सहायक इंजीनियर के लिए यह अनिवार्य करने का है कि वह बारी से प्रत्येक मोहल्ले/बस्ती का दौरा करे तथा किसी स्थानीय प्रतिनिधी से जिसकी नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पर की जाय, सम्पर्क करें; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी व्यवस्था अनिवार्य करने का है कि क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रत्येक क्षेत्र का महीने में एक बार दौरा करे तथा महाप्रबन्धक प्रत्येक क्षेत्र का तीन महीने में एक बार दौरा करे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। फिर भी फील्ड अधिकारी नैत्यक निरीक्षण करते समय अनायास उपभोक्ताओं के अहातों में चले जाते हैं।

(ग) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आसाम में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव

2365. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**

श्री हन्नान मोल्लाह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सातवीं अथवा आठवीं पंचवर्षीय योजना में आसाम में तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या विकसित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शोधित उत्पाद की ढुलाई भी कच्चे तेल की ढुलाई के समान कम खर्चीली होगी; और

(ग) उक्त तेल शोधक कारखाने के स्थान निर्धारण के बारे में योजना आयोग के क्या विचार हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) आसाम में नई रिफाइनरी की स्थापना के संबंध में योजना आयोग के पास कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा गया है ।

(ग) उत्पादों के परिवहन से सम्बन्धित कच्चे तेल के परिवहन की अर्थव्यवस्था विभिन्न तथ्यों जैसे उत्पादन के निर्धारित स्थान और उपभोक्ता केन्द्रों तथा लाने-ले-जाने के प्रबन्ध इत्यादि पर निर्भर करता है ।

ब्राजील के खाना पकाने की गैस के सिलेंडरों का आयात

2366. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :**
श्री अनिल बसु :
श्री अमल दत्त :
श्रीमती बिभा घोष गोस्वामी :
श्री रेणुपद दास :
डा० सुधीर राय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 फरवरी, 1986 के "बिजनस स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित इस इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय तेल निगम से आर्डर न मिलने के कारण दुर्गापुर स्थित खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले एकक की 150000 की क्षमता बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो देश में कथित फालतू क्षमता को देखते हुए फर्म को आर्डर न दिए जाने के क्या कारण हैं तथा उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मूल्य देने के अतिरिक्त क्या इससे क्षेत्रीय असंतुलन नहीं बनेगा;

(ग) क्या यह सच है कि कथित फालतू क्षमता के बावजूद भी सरकार ने 8 लाख सिलेण्डरों का ब्राजील से आयात करने का आर्डर दिया है; और

(घ) स्वदेशी उद्योग को आर्डर न देकर आयात करने का विचार क्यों किया गया ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) मैसर्स बंगाल टूल्स लिमिटेड नामक उस सिलिंडर निर्माता कम्पनी को तेल उद्योग की तकनीकी लेखा परीक्षा टीम ने हाल ही में व्यापारिक उत्पादन के लिये अनुमति दे दी है जिसके सम्बन्ध में बिजिनस स्टैण्डर्ड में एक लेख प्रकाशित हुआ था। तेल उद्योग की आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए समय-समय पर तैयार नीति के अन्तर्गत इस यूनिट को आर्डर दिए जाने के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) देशी निर्माताओं से आपूर्ति में होने वाली कमी को ध्यान में रखकर 1983 में सिलेंडरों के आयात का निर्णय लिया गया था।

उड़ीसा के नगरों में खाना बनाने की गैस के कनेक्शन

2367. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1986 के दौरान उड़ीसा के किन-किन नगरों में खाना बनाने की गैस के कनेक्शन दिये जाएंगे;

(ख) ये कनेक्शन कब तक दिए जाने की सम्भावना है; और

(ग) किसी क्षेत्र विशेष के जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों को ध्यान में रखने के पश्चात खाना बनाने की गैस की एजेन्सी आबंटित करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान बाजारों में नए कनेक्शन देने के वार्षिक कार्यक्रम के तहत एल० पी० जी० के कनेक्शन देने के अलावा इस तरह का बंटन निम्नलिखित स्थानों पर समय-समय पर स्थापित किए जाने वाले नए वितरण केन्द्रों के माध्यम से ऐसे कनेक्शन दिए जाएंगे :—

1. भंजनगर	2. बिरमित्रापुर
3. बुरला	4. जेयपुर
5. दमनजोर	6. बेरहमपुर
7. राउरकेला (II)	8. भुवनेश्वर
9. कुलद	10. जरसुगुडा
11. तलचर	22. राजगंगपुर

एल पी जी की उपलब्धता, भरण संयंत्रों, परिवहन सम्बन्धी सुविधाओं और अन्य आधार भूत सुविधाओं को बढ़ाकर बंटन संतुलन स्थापित किया जाता है।

(ग) जिन शहरों की जनसंख्या 20,000 तथा उससे अधिक है तथा जहां पर्याप्त संभाव्यता होती है उन्हें तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजना में चरणवद्ध रूप में एल पी जी एजेन्सियों के आवंटन के लिए शामिल किया जाता है ।

नए ताप विद्युत संयंत्र

2368. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने कुल कितने ताप विद्युत संयंत्रों को स्वीकृति प्रदान की है; और

(ख) उक्त संयंत्र किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे, उनकी प्रतिस्थापित क्षमता कितनी होगी और उनके लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है तथा सातवीं योजना के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लाभ प्राप्त करने के लिये पहले अनुमोदित किए गए ताप विद्युत संयंत्रों के अलावा 1985-86 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है :–

क्रम सं०	परियोजना	राज्य	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	7 वीं योजना में अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु०)
1.	तूतीकोरिन ताप विद्युत केन्द्र चरण-तीन	तमिलनाडु	2 × 210	356.38	642.59
2.	उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना (सिद्धांत रूप में अनुमोदित)	तमिलनाडु	3 × 210	547.79	
3.	कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र(केन्द्रीय क्षेत्र)	बिहार	4 × 210	884.16	150.00

टेलीफोन में खराबी का रिकार्ड रखने के लिए कार्ड

2369. **डा० (श्रीमती) टी० कल्पना देवी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टेलीफोन डायरेक्टरी में दर्ज प्रत्येक टेलीफोन के लिए एक कार्ड रखना आरम्भ किया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि टेलीफोन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगभग प्रत्येक मामले में न तो इन कार्डों का इस्तेमाल किया जाता है और न ही टेलीफोन में होने वाली किसी खराबी का रिकार्ड दर्ज किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रति सौ टेलीफोन के पीछे मासिक शिकायतों का वास्तविक तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) यह कार्ड कर्मचारियों द्वारा किए गए निरीक्षणों की रिकार्डिंग के लिए हैं न कि खराबी को रिकार्ड करने के लिए । खराबी का रिकार्ड दोष मरम्मत सेवा में रखी जाती है ।

(ग) प्रति 100 टेलीफोन की मासिक शिकायतें उपभोक्ताओं द्वारा बुक की गई वास्तविक शिकायतों के आधार पर निकाली जाती हैं ।

औषध मूल्य समानीकरण लेखा के अन्तर्गत राजसहायता के लम्बित पड़े दावे

2370. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार तथा राज्य व्यापार निगम के पास औषध मूल्य समानीकरण लेखा के अन्तर्गत राजसहायता के रूप में वितरण के लिए इस समय कितनी धनराशि उपलब्ध है;

(ख) इस समय सरकार के पास राजसहायता के कितने दावे एक महीने से अधिक समय से विचाराधीन पड़े हैं; और

(ग) विचाराधीन पड़े राजसहायता के दावों को कब तक निबटा दिया जाएगा ?

रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) से (ग) उपलब्धि की सीमा तक सूचना एकत्र की जायेगी और लोक सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

मथुरा, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला जाना

2371. **श्री मानवेन्द्र सिंह** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में 31 दिसम्बर, 1985 को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या कितनी थी;

(ख) मथुरा जिले में वर्ष 1986 में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31 दिसम्बर, 1985 को मथुरा जिले में सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 86 थी ।

(ख) शून्य ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के बारे में सबूर आयोग रिपोर्ट

2372. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के बारे में सबूर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ग) नवीनतम मूल्यांकन के अनुसार डाक सेवा में कितने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी कार्यरत हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) समिति का कार्यकाल (टेन्योर) बढ़ाने की मंजूरी इसलिए दी गई थी क्योंकि समिति द्वारा भेजी गई प्रश्नावलियों के उत्तर प्राप्त होने तथा कम्प्यूटर एजेंसी द्वारा उत्तर तैयार करने की प्रक्रिया और उनका विश्लेषण करने में विलंब हो गया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय डाक-तार संगठनों के महासंघ से भी यह अनुरोध प्राप्त हुआ था कि जब तक नियमित सरकारी कर्मचारियों के बारे में वेतन आयोग अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे देता, तब तक समिति के अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करें।

(ख) यह रिपोर्ट 30 जून, 86 या चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट पर अन्तिम निर्णय लिए जाने से पूर्व, इनमें से जो भी पहले पड़े, प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।

(ग) 31 मार्च, 1985 को डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की संख्या 300,851 (तीन लाख आठ सौ इक्कावन) थी।

केरल में खाना पकाने की गैस की मांग

2373. **श्री के० मोहन दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खाना पकाने की गैस की कुल मांग कितनी है;

(ख) अभी तक मांग कितने प्रतिशत पूरी की गई है; और

(ग) सम्पूर्ण मांग को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) भरण संयंत्र की समस्याओं, परिवहन संबंधी अवरोधों, औद्योगिक संबंध वाली समस्याओं आदि के कारण कभी-कभी होने वाली कमियों के सिवाय केरल में एल. पी. जी. उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति प्रति माह अनुमानतः 2,58,000 सिलिण्डरों की आपूर्ति से की जाती है।

(ग) कोचीन रिफाइनरी में सुविधाओं में स्थिरता आने के कारण एल. पी. जी. के विद्यमान उपभोक्ताओं की आपूर्ति में पहले से अधिक सुधार हुआ है और तेल उद्योग के वार्षिक नामांकन कार्यक्रम के अन्तर्गत नये गैस कनैक्शन दिये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में नए उद्योग

2374. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कितने लाइसेंसों की मांग की है; और

(ख) उस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (5.3.1986 तक) के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार के उपक्रमों से उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आशय पत्रों की स्वीकृति के लिए 10 आवेदन प्राप्त हुए थे ।

(ख) इन 10 आवेदनों में से तीन प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और उनके लिए आशय पत्र जारी किए गए, पांच आवेदन रद्द कर दिए गए/अन्यथा निपटा दिए गए और वर्ष 1986 के दौरान प्राप्त 2 आवेदन विचारण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

हिमाचल प्रदेश में नई पन बिजली परियोजनाएं

2375. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के योजना विभाग को भेजी गई नई पनबिजली परियोजनाओं के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर केन्द्रीय करकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने कुल 693.95 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की छः जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की हैं और ये निर्माणाधीन हैं। इनके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुल 1320 मेगावाट क्षमता की दो जल विद्युत परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दी हैं तथा चार अन्य परियोजनाओं की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

गांवों में टेलीफोन सेवाएं

2376. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ग्रामीण स्तर पर टेलीफोन सेवाएँ नगण्य हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में अब तक कितने गांवों को टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गयी हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग का उद्देश्य अधिकांश गांवों के 5 कि० मी० के भीतर दूरसंचार सुविधा सुलभ कराना है। लगभग 50 प्रतिशत उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) दिसम्बर, 85 तक 23,197 गांवों में टेलीफोन सेवा प्रदान कर दी गई है।

कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल की खुदाई के कार्य में प्रगति

2377. **श्री वी० सोभनाद्रीश्वर राव** : क्या पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा गोदावरी बेसिन तट निकट तेल अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 1977 से अब तक कितने कुओं की खुदायी का कार्य आरम्भ किया गया है और प्रत्येक कुएं पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है;

(ख) प्रत्येक कुएं की अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) जिन कुओं की खुदायी का कार्य पूरा हो चुका है, उनके संबंध में क्या अनुमान निकाले गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) कृष्णा गोदावरी बेसिन के तटवर्ती क्षेत्र में अब तक 18 कुओं को खोदने का काम हाथ में लिया गया है। जिन पूर्ण कुओं के खातों को अंतिम रूप दे दिया गया है उनकी लागत 4 करोड़ रुपए से 14 करोड़ रुपए तक अलग-अलग बैठती है।

(ख) 18 कुओं में से 13 को पूरा कर लिया गया है तथा 5 की ड्रिलिंग हो रही है।

(ग) पूरे किए गए 13 कूओं में से 7 में गैस निकली है।

[हिन्दी]

राजस्थान में नए दूर-संचार केन्द्रों की स्थापना

2378. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेडियो प्रणाली पर आधारित सूक्ष्म-तरंग दूर संचार केन्द्रों की कुल संख्या कितनी है और राजस्थान में ऐसे कितने केन्द्र हैं; और

(ख) उन क्षेत्रों/स्थानों के नाम क्या हैं जहां सरकार का सातवीं योजना के दौरान नए दूर-संचार केन्द्र (सूक्ष्म-तरंग) स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) देश में रेडियो प्रणाली पर आधारित माइक्रोवेव दूरसंचार केन्द्रों की कुल संख्या 161 है जिनमें से 5 केन्द्र राजस्थान में हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का 101 नए माइक्रोवेव केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उन स्थानों के नाम जहां सातवीं योजना के दौरान माइक्रोवेव केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

1. जोधपुर
2. बीकानेर
3. सीकर
4. झुनझुनू
5. नागपुर
6. टुण्डला
7. कपूरथला
8. मैनपुरी
9. फैरोजाबाद
10. मुरैना
11. गुलबर्गा
12. कोलार
13. मेरकेरा
14. हुबली
15. गडग
16. बागलकोट
17. बीजापुर
18. अन्ना रोड
19. कोराटोर
20. चिकमंगलूर
21. शिमोगा
22. देवनगेरे
23. उद्दीपी
24. कोण्डापुर
25. कांची पुरम
26. पोलाची
27. उदूमल पेट
28. होमनाबाद
29. बीदर
30. वीरघनगर
31. शिवाकाशी
32. बापतला
33. चिराला
34. सतनापाली
35. मध्या
36. कोरनूर
37. पालानी
38. सेरीवेल्लूपूट्टूर
39. करीम नगर
40. रामागुंदम
41. मनत्तेरीयल
42. कैल पेटा
43. अर्सीकेरे
44. पल्लाई
45. तिरूरेबेली
46. खम्बावया
47. करवार
48. ओसमानाबाद
49. साथूर
50. सुरेधरा नगर

51. धारेगाधआ
52. कटनी
53. मेहुआ
54. अम्बिका पुर
55. सैत
56. चन्दा
57. छिंदवाड़ा
58. धामत्री
59. जगदल पुर
60. गोदरा
61. मोरबी
62. देवास
63. जूनागढ़
64. मनावडांर
65. रत्नागिरि
66. कम्बाय
67. नरसिंहपुर
68. बोटाड
69. बारामती
70. फालटन
71. सिहोर
72. पोरबंदर
73. वेरावल
74. रानीगंज
75. दुर्गापुर
76. भागल पुर
77. मुंगेर
78. मिर्जापुर
79. धेनकनाल
80. कोरापुट
81. जैपोर
82. बाराबंकी
83. फैजाबाद
84. गोण्डा
85. बारदोही
86. जौनपुर
87. गांगतोक
88. आडरा
89. पुरुलिया
90. बोलनगीर
91. बिहारशरीफ़
92. छपरा
93. बांकुरा
94. गाजीपुर
95. दादरा
96. चिर्क
97. पीपरी
98. सिंगरौली
99. ग्वालपाड़ा
100. बोगांई गांव
101. उत्तरी लखीमपुर

दिल्ली में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

2379. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच भी है कि पिछले कुछ महीनों से नए गैस कनेक्शनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन्डियन आयल कारपोरेशन आदि जैसी कम्पनियों ने दिल्ली में उन उपभोक्ताओं को जिनके नाम 5-6 वर्षों से प्रतीक्षा सूची में हैं, अपने नाम से नए गैस कनेक्शन लेने के लिए पत्र भेजे हैं और डीलरों को इन लोगों को गैस कनेक्शन न देने के निर्देश दिए हैं, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले 3-4 महीनों से गैस कनेक्शन के लिए स्वीकृति पत्र प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को गैस कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(घ) वर्ष 1986 के दौरान कितने नए कनेक्शन देने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० ने पिछले कुछ महीनों में नये एल. पी. जी. कनेक्शन जारी करना सीमित कर दिया है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) विद्यमान नीति के अनुसार, सूचना पत्र जारी होने के बाद उपभोक्ता 90 दिनों में कभी भी नया गैस कनेक्शन प्राप्त कर सकता है ।

(घ) देश में जिसमें दिल्ली भी शामिल है, नये गैस कनेक्शन तेल उद्योग की वार्षिक नामांकन योजना के अधीन जारी किये जाते हैं और इसका निर्धारण एल. पी. जी. की प्राप्यता में वृद्धि भरण क्षमता, परिवहन तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं के आधार पर किया जाता है ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत लाए गए उद्योग

2380. **श्री बनवारी लाल बैरवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत कितने उद्योग लाये गये हैं और गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों में कितने व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुए; और

(ख) कितने नए उद्योगों को खादी तथा ग्रामोद्योग में शामिल किए जाने का विचार है और राजस्थान में इन उद्योगों के विस्तार को क्या सम्भावनाएं हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्य क्षेत्र में खादी के अलावा 26 ग्रामोद्योग हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान इन उद्योगों के अन्तर्गत, जिन्हें रोजगार प्राप्त हुआ, उन व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

(लाख व्यक्तियों में)

वर्ष	रोजगार खादी	ग्रामोद्योग	खादी और ग्रामोद्योग में कुल रोजगार
1982-83	13.61	20.73	34.34
1683-84	13.59	21.92	35.51
1984-85	13.05	24.84	37.89

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम की परिसीमा के अन्तर्गत नए उद्योगों को लाने का कोई औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । इसलिए, राजस्थान में उनके विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अकार्बनिक उर्वरक, औषधियों आदि के उत्पादकों को उदारीकृत औद्योगिक नीति के अन्तर्गत छूट न देना

2381. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार कम्पनियों को उदार बनाई गई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अब तक अकार्बनिक उर्वरक, औषधियों, अखबारी कागज, सीमेंट और चार पहियों वाले वाहनों (मोटरकारों) के निर्माण के लिए कोई छूट नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से उक्त उद्योगों को सरकार ने इस छूट से वंचित रखा है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति में हाल ही में लाइसेंस-भुक्त करने/क्षमता का पुनःपृष्ठांकन करने के सम्बन्ध में किए गए उदारीकरण सम्बन्धी उपाय प्रदूषण नियंत्रण, दुर्लभ वन संसाधनों का परिक्षण, अवस्थापना सम्बन्धी रुकावटों, पहले से स्वीकृत पर्याप्त क्षमता आदि के कारण इन उद्योगों को लिए लागू नहीं होता ।

[हिन्दी]

क्राफ्ट पेपर की किस्म में सुधार

2382. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेडरेशन आफ कोरूगेटेड बाक्स मैनुफैक्चर्ज आफ इंडिया (एफ० सी० बी० एम०) ने क्राफ्ट पेपर के अधिक मूल्य तथा असंगत किस्मों के बारे में चिन्ता प्रकट की है;

(ख) क्या फेडरेशन के अध्यक्ष ने हाल ही में हुए इसके चौदहवें सम्मेलन में यह सुझाव दिया है कि क्राफ्ट पेपर के निर्माताओं से इसकी किस्म में सुधार करने और इसकी उचित मूल्य पर नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए कहा जाए तथा आयात शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जाए ताकि जब तक अच्छी किस्म के क्राफ्ट पेपर का उत्पादन नहीं किया जाता है तब तक क्राफ्ट पेपर के आयात को और उदार बनाया जा सके; और

यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) : फैडरेशन ऑफ कोरूगेटेड बाक्स मैन्युफैक्चर्ज ऑफ इंडिया (एफ० सी० बी० एम०) द्वारा क्राफ्ट लाइनर पेपर और फ्लूटिंग मीडिया पर आयात शुल्क कम करने/समाप्त कर देने की मांग की गई है ताकि उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य किस्म के किफायती पैकेज उपलब्ध करा सके ।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 की अनुसूची के उपशीर्ष सं० 4818. के अन्तर्गत आने वाले प्रिंटेड कार्टून्स बक्से, कंटेनर्स और केसिज को पुनः परिभाषित किया गया है और 1.3.1986 से उत्पादन शुल्क से छूट दे दी गई है। पेपर उद्योग को लुग्दी के शुल्क मुक्त आयात की पहले से ही दी गई सुविधा से छोटी कागज मिलों द्वारा जो अब तक इन वस्तुओं के उत्पादन करने के लिए मुख्य रूप से गैर पारंपरिक कच्चे माल का उपयोग करते थे क्राफ्ट पेपर और अन्य प्रकार के कागजों की गुणवत्ता में भी सुधार होने की आशा है

[अनुवाद]

पर्वतीय/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

2383. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किन्हीं औद्योगिक गृहों/कम्पनियों ने चालू वित्त वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्वतीय और/अथवा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने से इन्कार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष के सम्बन्धी पृथक-पृथक ब्यौरे क्या हैं और ऐसे औद्योगिक गृहों/कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या जो औद्योगिक गृह/कम्पनियों जारी करने के तीन वर्ष के भीतर अपने लाइसेंसों का उपयोग नहीं करती हैं उन सभी को काली सूची में डालने का कोई प्रस्ताव है,

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) उद्योग स्थापित करने के लिए स्थापना-स्थल का चुनाव स्वयं उद्यमी द्वारा किया जाता है। तथापि, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के उद्देश्य से सरकार इन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कई प्रोत्साहन और रियायतें देती है। यदि आशय-पत्र/औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त होने के पश्चात उद्यमी सरकार द्वारा स्वीकृत स्थापना-स्थल में औद्योगिक एकक स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करता है तो वह स्थापना-स्थल में परिवर्तन स्वीकृति मांग सकता है। स्थापना स्थल में परिवर्तन के लिए किए गए ऐसे अनुरोध पर सम्बन्धित राज्य सरकार और प्रशासनिक मंत्रालय से परामर्श करके गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

सामान्यतः, उद्योग स्थापित करने के लिए स्वीकृत आशय-पत्र एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। यदि कुछ उचित कारणों से उद्यमी आशय-पत्र अथवा औद्योगिक लाइसेंस को प्रारम्भिक निर्धारित वैधता अवधि के लिए भीतर कार्यान्वित नहीं कर सका है तो वह अवधि को बढ़ाने के लिए अनुरोध कर सकता है। समय बढ़ाने के लिए ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। जहां सरकार परियोजना के कार्यान्वियन की प्रगति से संतुष्ट नहीं है, कथित परियोजना के लिए स्वीकृत आशय-पत्र/औद्योगिक लाइसेंस को व्यपगत/रद्द मान लिया जाता है।

जारी किये गए आशय-पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के सम्बन्ध में पार्टी का नाम और पता, स्थापना-स्थल, उत्पादन की वस्तु और उसकी क्षमता जैसे ब्यौरे नियमित रूप से भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा उसके "मन्थली न्यूज लैटर" में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन में, जिसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं, व्ययगत/रद्द माने गए आशय-पत्रों और रद्द किए गए औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे भी होते हैं।

केबलों में दोष ढूंढने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग

2384. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वरिष्ठ कार्मिकों सहित बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित कर्मचारी इलेक्ट्रानिक डिजीटल एक्सचेंजों और भूमिगत केबलों को आधुनिक प्रौद्योगिकी के कार्य करने में असमर्थ हैं; और

(ख) क्या केबलों में दोष का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रानिक केबल फाल्ट लोकेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है और उसके बजाय दोष ढूंढने के लिए पुराने तरीके से खुदाई करने का कार्य जारी है जिससे केबलों को और अधिक नुकसान हो रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों और भूमिगत केबिलों की आधुनिक टेक्नालॉजी प्रारम्भ करने में वरिष्ठ कर्मचारियों सहित प्रशिक्षित कर्मचारियों का सहयोग लिया जाता है। कर्मचारियों को, जब भी आवश्यक समझा जाए, समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) भूमिगत केबिल खराबियों का पता लगाने के लिए अन्य पद्धतियों के अलावा, इलेक्ट्रानिक केबिल दोष लोकेटरों का प्रयोग किया जा रहा है।

अधिक राशि के बिल तैयार करने तथा खराब टेलीफोन के बारे में शिकायतें

2385. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन सेवाओं के संबंध में सामान्य रूप से तथा अधिक राशि के बिल तैयार करने और खराब पड़े टेलीफोनों के बारे में विशेष रूप से उपभोक्ता संगठनों तथा व्यक्तिगत प्रयोक्ताओं द्वारा टेलीफोन विभाग के विरुद्ध विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में दायर किये कितने मामले विचाराधीन पड़े हैं; और

(ख) विभाग द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) जानकारी संबंधित यूनिटों से मांगी गयी है और इसे यथाशीघ्र सभापटल पर रख दिया जाएगा।

मारुति कार, बैन और जीप के स्वदेशीकरण की योजना

2386. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति कार, वैन और जीप में प्रारम्भिक आयातित पुर्जों की प्रतिशतता क्या है तथा प्रत्येक श्रेणी की मशीनरी रंग और चेसिज का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन मदों के स्वदेशीकरण की योजना क्या है और तत्संबंधी मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) स्वदेशीकरण-योजना में उत्पादन के पाँचवें वर्ष में 95% स्वदेशीकरण की परिकल्पना की गई है ।

(ग) यद्यपि मारुति उद्योग लिमिटेड ने कारखाने के अन्दर निर्माण के लिए प्रत्याशित स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया है लेकिन सहायक सामान के विकास में कुछ कमियां रही हैं । मार्च, 1986 तक कारों के लिए संचित स्वदेशीकरण 36.92% तथा वैनों के लिए 30.25% है । यह आशा है कि पाँचवें वर्ष तक निर्धारित स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया जायेगा ।

विवरण

श्रेणी	प्रथम वर्ष में आयाति अंश*	इंजन क्षमता तथा अश्वशक्ति	रंग	चेसिस
1–मारुति–800 (स्टैन्डर्ड कार)	80.6%	796 सी. सी. 39.5 एच.पी.	सफेद, नीला, लाल, लाल, ब्राउन तथा हरा ।	मोनोकोक निर्माण
2–मारुति 800 वी/सीटी (वैन)	77.2%	796 सी. सी. 37.5 एच.पी.	सफेद, नीला, लाल, ब्राउन तथा हरा	फ्लोर पेनल से जुड़ी हुई चेसिस
3–जिप्सी (जीप टाइप	67.9%	970 सी.सी. 45 एच.पी.	सफेद, नीला, लाल तथा हरा	इण्डिपेन्डेन्ट चेसिस

*टिप्पण–परीक्षण उत्पादन की संक्षिप्त अवधि को छोड़कर ।

एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र स्थापित करना

2387. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने एक एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा केन्द्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय का भी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ मिलकर कार्यान्वित करने का विचार है;

(ग) क्या प्रस्तावित योजना का उद्देश्य गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना है; और

(घ) यदि हां, तो बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, ग्रामों में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित एवं ऊर्जा उपलब्धि में आत्मनिर्भरता पर लक्षित ऊर्जा परियोजनाओंके लिए एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सहयोग से इस कार्यक्रम को अधिक विस्तृत किया जाए। इसकी सीमा एवं कार्य के पहलू उपलब्ध किए गए वित्तीय स्रोतों पर निर्भर करेंगे।

गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र और "ग्रेट वर्क" पारेषण के लिए येन में ऋण

2388. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना और भारत में पारेषण "ग्रेट वर्क" के लिए विशेष येन ऋण का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिनको जापान द्वारा सहायता दी जाएगी;

(ग) उपलब्ध कराए जाने वाली सहायता की राशि क्या होगी;

(घ) क्या इस संबध में हाल ही में कोई करार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) नवम्बर, 1985 में प्रधान मंत्री के जापान के दौरे की समाप्ति पर अर्थिक सहायता के पैकेज के बारे में एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया था। जिसमें कठलगुड़ी में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र के साथ-साथ बिजली ले जाने के लिए पारेषण प्रणाली के लिए 30 बिलियन येन का विशेष ऋण भी शामिल है। ऋण समझौते के बारे में ओ० ई० सी० एफ० के साथ अभी बातचीत की जानी है।

"एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी" द्वारा सोवियत प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए करार

2389. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजी क्षेत्र ने सोवियत प्रौद्योगिकी में काफी रुचि दिखाई है और "एसोसिएटिड सीमेंट के निर्माण हेतु प्रौद्योगिकी अंतरण करने हेतु करार के लिए बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सोवियत संघ निजी क्षेत्र के लिए सोवियत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(घ) निजी क्षेत्र में किन-किन क्षेत्रों में सोवियत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई गई है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) : मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज लिमिटेड द्वारा कम तापमान पर सीमेंट क्लिन्कर बनाने के लिए सोवियत रूस की मैसर्स लाइसेन्सिटार्ग के साथ विदेशी सहयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा हाल में स्वीकृत किया गया है, जिसके लिए एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनीज ने सोवियत कंपनी के साथ करार कर लिया है ।

(घ) सभी स्वीकृत विदेशी सहयोगों का ब्यौरा, जिसमें भारतीय और विदेशी कम्पनी के नाम, विनिर्माण की वस्तु और सहयोग का स्वरूप दिया गया होता है, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मंथली न्यूज लैटर के एक परिशिष्ट के रूप में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है । इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं ।

उड़ीसा में औद्योगिक प्रगति

2390. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में औद्योगिक प्रगति बहुत धीमी है और इस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उड़ीसा में उद्योगों के विकास की ओर विशेष ध्यान देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर गत पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा के कारखाना क्षेत्र के एककों के सकल उत्पादन और तथा शुद्ध मूल्य में हुई अभिवृद्धि संबंधी उपलब्ध नवीनतम जानकारी निम्नलिखित है : –

(करोड़ रुपये)

वर्ष	सकल उत्पादन	शुद्ध परिवर्धित मूल्य
1978-79	823.58	184.54
1979-80	941.54	229.58
1980-81	1024.21	198.15
1981-82	1306.20	231.05
1982-83	1253.88	361.08

राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतम उपयोग करने ने लिए यथा संभव सभी उपाय किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) उद्योगों के छितराव तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने कई प्रकार के कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पंचवर्षीय योजनाओं तथा वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं :– सरकारी परियोजनाओं का स्थापना स्थल चयन, औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देना, औद्योगिक क्षेत्रों तथा बस्तियों की स्थापना, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, रियायती वित्त, निवेश राजसहायता और परिवहन राजसहायता आदि । 31 मार्च, 1985 को उड़ीसा स्थित केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में निवेश की राशि 2997.74 करोड़ रुपये थी जो सरकारी क्षेत्रों में कुल केन्द्रीय निवेश का 6.3 प्रतिशत है।

ऊर्जा के पुनः प्रयोजनीय स्रोतों का विकास

2391. **चौधरी अख्तर हसन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1985-86 के दौरान ऊर्जा के नये और पुनः प्रयोजनीय स्रोतों का विकास और संवर्द्धन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश में समेकित सामुदायिक ग्रामीण ऊर्जा केन्द्रों के अन्तर्गत कितने गांव शामिल किए जाएंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विभिन्न क्षेत्रों में शुरू किए गए गहन अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों तथा प्रदर्शन कार्यक्रमों के परिणाम-स्वरूप कई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है जिन्हें विद्युत उत्पादन सहित विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी रूप से संभाव्य पाया गया है। बायोगैस विकास का राष्ट्रीय कार्यक्रम, उन्नत प्रकार के चूल्हों का राष्ट्रीय कार्यक्रम, सौर तापीय विस्तार कार्यक्रमों जैसे बड़े पैमाने के विस्तार कार्यक्रमों को देशभर में शुरु किया गया है तथा उन्हें वित्तीय संसाधनों की सीमा तक विस्तृत किया जा रहा है। वे पहले ही देशभर में लाखों लोगों और संस्थाओं के लिए ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं और ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का विकास किया गया है और उन्हें दूरदराज के गांवों को विद्युतीकृत करने तथा अन्य छोटी विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है । पंपन और विद्युत उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के प्रयोग का एक कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए दो पवन फार्म स्थापित किए गए हैं तथा इस क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। बायोमास के उत्पादन, रूपांतरण और उपयोग से संबंधित परियोजनाएं विस्तार के स्तर तक पहुंच गई हैं तथा विद्युत शक्ति उत्पादन के लिए बायोमास गैसीफायरों का वाणिज्यीकरण करना भी आरम्भ किया गया है। ऊर्जा में आत्म-निर्भर कई गांवों की स्थापना की जा चुकी है तथा कई गांवों के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम जिसमें खाना बनाने, रोशनी और पूरे गांवों की अन्य आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा स्थानीय रूप से उपलब्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा प्रदान की जा सकेगी।

लागत को कम करने तथा नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों की कुशलता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों को पुनः बढ़ाया जा चुका है।

(ख) नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के संयोजन पर आधारित गांव स्तर की समेकित ऊर्जा परियोजनाओं को उत्तर प्रदेश के सात गांवों में अब तक पूरा किया जा चुका है। इस प्रकार

की परियोजनाएं राज्य में पन्द्रह और गांवों में कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों में हैं। वित्त की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए इस कार्यक्रम को पुनः विस्तृत करने की योजना है।

इलैक्ट्रानिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी

2392. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सटीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स अपने पाठ्यक्रमों का विस्तार करने की योजना बना रहा है और इलेक्ट्रानिकी तथा दूरसंचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी में अधिक श्रम शक्ति की मांग को देखते हुए नए पाठ्यक्रम आरंभ किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) इन्स्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स ने अपनी संस्था की स्नातक परीक्षा के लिए वर्ष 1981 में एक पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किया था। यह संस्थान अपनी स्नातक परीक्षा के भाग-क में अब 8 विषयों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है। इन्स्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स के पत्राचार पाठ्यक्रम एकक ने अपने पाठ्यक्रमों को बढ़ाने की योजना बनाई है; जो इस प्रकार है :—

(1) अपनी स्नातक परीक्षा के भाग-ख के लिए 5 अनिवार्य विषयों की अध्ययन सामग्री तैयार करना और पत्राचार के माध्यम से प्रशिक्षण देना।

(2) अपनी डिप्लोमा परीक्षा के लिए 12 अनिवार्य विषयों का एक पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करना।

(3) इन्स्टीट्यूशन आफ इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स एक विशेष सांध्यकालीन पाठ्यक्रम (अंशकालीन) भी चला रहा है जिसमें एडवांस लेवल कम्प्यूटर साइंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

घड़ियों के खोलों (वाच केस) का आयात

2393 : **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में घड़ियों के खोलों का निर्माण करने की क्षमता आवश्यकता से अधिक होने पर भी उनका आयात किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो विद्यमान क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) : घड़ियों के खोलों (केसो) का चयनात्मक आधार पर आयात करने की अनुमति स्वदेशी घड़ी उत्पादकों की सुविधाओं/सक्षमताओं/ को ध्यान में रखने के बाद ही की जाती है। इससे मुख्यतः स्वदेशी पूर्ति में होने वाली कमी को पूरा किया जाता है।

टेलीफोन प्रणाली को टेलीफोन निगम को अन्तरित करना

2394. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ प्रमुख शहरों में टेलीफोन प्रणाली को दूर-संचार निगम को अंतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित दूरसंचार निगम के लिए विदेशी कम्पनियों को इस निगम में पूंजी निवेश करने की अनुमति देकर साधन जुटाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार बंबई और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की टेलीफोन प्रणालियां चलाने के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के निगम की स्थापना कर रहा है जिसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में होगा। यह निगम दूरसंचार बोर्ड, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। इस निगम की प्राधिकृत शेयर पूंजी 800 करोड़ रुपये है।

बिजली की कमी के कारण फरीदाबाद में उद्योगों का बन्द होना

2395. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरीदाबाद में बिजली की कमी के कारण अनेक उद्योग बन्द होने की स्थिति में है; और

(ख) यदि हां, तो, स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) हरियाणा में विद्युत की कमी से फरीदाबाद सहित राज्य के उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) सितम्बर, 1985 से फरवरी, 1986 तक की अवधि के दौरान हरियाणा 6 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक की भिन्न-भिन्न मात्रा में विद्युत की कमी के मुख्य कारण फरीदाबाद और पानीपत ताप विद्युत केन्द्रों में विद्युत उत्पादन कम होना तथा सिंगरौली, बैरास्यूल और इन्द्रप्रस्थ केन्द्रों से इसके हिस्से से कम सप्लाई प्राप्त होना है। फरीदाबाद और पानीपत ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए इन केन्द्रों के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण स्कीमें अनुमोदित की गई हैं और क्रियान्वित की जा रही हैं। विद्युत विभाग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सिंगरौली, बैरास्यूल और इन्द्रप्रस्थ केन्द्रों से हरियाणा के लिए सप्लाई बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं।

थीन बांध के लिए विदेशी सहयोग की पेशकश

2396. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** :

श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार थीन बांध के निर्माण के लिए विदेशी सहयोग की पेशकश पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग कर्ताओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या रोपड़ ताप बिजली सयंत्र के लिए नियत की गई धनराशि का थीन बांध के लिए उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा थीन बांध के लिए कुल कितनी धन राशि आबंटित को गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) थीन बांध परियोजना के संबंध में सहायता के प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। मैसर्ज इम्परेगलिओं-मैसर्ज काजिमा के कन्सोर्टिया और मैसर्ज सी इतोह-मैसर्ज शिमिजू-मैसर्ज हिताची ने इस परियोजना में रुचि दिखाई है।

(ग) और (घ) सातवीं योजना में थीन परियोजना के लिए 500 करोड़ का परिव्यय शामिल किया गया है। रोपड़ ताप विद्युत परियोजना के लिए निधियां प्रारक्षित कर दी गई हैं।

चुनींदा उद्योगों में अनिवार्य ऊर्जा लेखा परीक्षा

2397. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अोक चुनींदा उद्योगों में ऊर्जा लेखा परीक्षा अनिवार्य करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चुने गये उद्योगों के नाम क्या हैं और प्रस्ताव का अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार उद्योगों, विशेष तौर पर ऊर्जा का सघन रूप से इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में ऊर्जा के उपभोग के लिए मानीटरिंग को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रही है, तथापि, इस समय उर्जा संबंधी लेखा परीक्षा के लिए अनिवार्यता का कोई प्रस्ताव नहीं है। सघन रूप से ऊर्जा का उपभोग करने वाले उद्योग जिनका पता लगाया गया है, वे ये हैं: लोहा और इस्पात, वस्त्र उद्योग, रसायन, उर्वरक, एल्युमिनियम, सीमेंट, कागज और कोयला उद्योग।

पेट्रोल का राशन

2398. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को कम करने और इसके और कुशल उपयोग के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल की राशन प्रणाली आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार सभी तरह से एक राष्ट्रीय तेल योजना तैयार करने का है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। देश में पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के उपायों का कार्यान्वित किया जाना जारी रहा। गैर-योजना व्यय में बचत करने के लिए सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अतिरिक्त पेट्रोलियम संरक्षण संस्थान, जिसकी स्थापना सरकार ने सन् 1976 में की थी, उद्योग और परिवहन के आयोजित क्षेत्रों में क्षेत्र अध्ययन और परिवहन, घरेलू और कृषि के अनियोजित क्षेत्रों में शिक्षा प्रचार अभियान चलाता रहता है। इसके अतिरिक्त पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान ने ईंधन कुशल उपकरणों और उपायों का विकास किया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तेल उद्योग और सरकार प्रत्येक वर्ष के लिए विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों की मांग की उनके अनुमान सहित पूर्ति की योजना भी तैयार करती है।

वडाला, बम्बई में नये इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज का काम करना

2399. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वडाला, बम्बई में नया इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज ठीक से काम नहीं कर रहा है;

(ख) क्या उक्त "415" वडाला (बम्बई) से सम्बद्ध अनेक टेलीफोन 15 से 30 मिनट तक रोजाना कार्य करना बंद कर देते हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) वडाला के नए इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज के कार्यकरण में किसी प्रकार का दोष नहीं है। यह एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि अधिकांश टेलीफोन रोज 15-30 मिनट तक किसी भी समय खराब हो जाते हैं। केवल दो दिन अर्थात 10 तथा 11 फरवरी, 86 को डिलेड डायल टोन देखने में आई थी।

(ग) 10 तथा 11 फरवरी, 1986 को डिलेड डायल टोन का कारण संबंधित उपस्कर में विशिष्ट प्रकार के हाईवेयर दोष थे। इन हाईवेयर दोषों का शीघ्र ही पता लगा लिया गया तथा शिकायत दूर करने के लिए प्रिंटेड कार्डस लगाए गए। इस प्रकार की दुबारा शिकायत नहीं मिली।

(घ) हाईवेयर की खराबी के बारे में इसके विनिर्माताओं को जानकारी करा दी गई है कि वे इस प्रकार की खराबियों की जांच करें। विनिर्माता इसकी जांच कर रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि इलेक्ट्रानिक उपस्करों के संस्थापन के पश्चात् पहले चरण में हाईवेयर में कुछ खराबी का उत्पन्न होना असाधारण बात नहीं है।

कोयला खान श्रमिकों द्वारा एक दिन की सांकेतिक हड़ताल का आह्वान

2400. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान श्रमिकों ने 9 अप्रैल, 1986 को एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो कोयला खनिकों की क्या मांगे हैं;

(ग) इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मामले को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाने और उक्त हड़ताल को टालने के लिए सरकार द्वारा यदि कोई कदम उठाए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है जिसमें उन्होंने कोयला-कामगारों का आह्वान किया है कि वे उक्त प्रेस वक्तव्य में उल्लिखित मांगों के समर्थन में 9 अप्रैल, 1986 को एक दिन की हड़ताल करें। उनकी ग्यारह मांगे हैं जो संलग्न विवरण में दी गई हैं। इनमें से अधिकांश "राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III" के कार्यान्वयन से सम्बंधित हैं।

ट्रेड यूनियनों को उक्त हड़ताल नहीं करने के लिए राजी करने की दृष्टि से दिनांक 1 मार्च, 1986 को "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को कामगारों की सही मांगें पूरी करने के लिए कोयला उद्योग की प्रतिबद्धता के प्रति आश्वस्त किया गया और उनसे औद्योगिक शांति बनाए रखने का अनुरोध किया गया। "कोयला उद्योग की संयुक्त द्विपक्षीय समिति" की एक अन्य विशेष बैठक 7 मार्च, 1986 को आयोजित की गई ताकि परिस्थिति को और भी सुलझाया जा सके।

विवरण

पांच केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों (इंटक, ऐटक, सीटू, हिंद मजदूर सभा और भारतीय मजदूर संघ) द्वारा प्रस्तुत मांगो की सूची जिसके समर्थन में उन्होंने कोयला कामगारों से दिनांक 9 अप्रैल, 1986 को एक दिन की हड़ताल करने का आह्वान किया है।

1. उन वचनों तत्काल फिर से लागू करना जो प्रबंध मंडल ने एकतरफा वापिस ले लिए हैं, जैसे—सेवाकाल के दौरान मृत अथवा स्थायी रूप से अपंग हो गए कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार देना।
2. "राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III" में उल्लिखित उन कल्याण सुविधाओं को कार्यान्वित करना जिन्हें अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है, जैसे– आवास सुविधाएं, पेय जल की सुविधा, शैक्षिक सुविधाएं, चिकित्सा के लाभ और सुरक्षा के उपाय।
3. राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के अनुसार सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार सुनिश्चित करना।

4. कोयला खनिजों के लिए पेंशन योजना तत्काल बनाना।

5. पूरे कोयला उद्योग के लिए "एक रूप स्थायी आदेशो" को अंतिम रूप देना।

6. केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार, आनुतोषिक के भुगतान की राशि की सीमा रु० 36,000 से बढ़ाकर रु० 50,000 करना।

7. कोयला-कामगारों को बोनस की अदायगी की सीमा हटाना।

8. स्थायी और सदा चलने वाले कामों के लिए ठेका-प्रणाली समाप्त करना।

9. सभी कामगारों को समयबद्ध पदोन्नति देने के लिए पदोन्नति-नीति तय करना।

10. कोयला-कामगारों के विरुद्ध दण्ड की सभी कार्यवाइयां वापिस लेना, जैसे —आठ दिन की मजदूरी की मनमानी कटौती, धारणाधिकार (लियन) की हानि, सेवा में व्यवधान।

11. कोयला-खनिकों के लिए प्रोत्साहन-योजना को तुरंत तय करना।

न्यायाधीशों के नातेदारों द्वारा उसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने पर रोक लगाने के उद्देश्य से अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन

2401. **श्री थम्पन थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिवक्ताओं के लिए आचार संहिता को समाविष्ट करने के लिए अधिवक्ता अधिनियम के संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह भी प्रस्ताव है कि न्यायाधीशों के निकट नातेदार अधिवक्ताओं द्वारा उसी न्यायालय में विधि व्यवसाय किए जाने पर रोक लगाई जाए; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा पुष्टि के लिए लंबित मृत्युदंडादेश

2402. **श्री डी० के० नायकर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मृत्यु दंड दिया गया और जिनके संबंध में पुष्टि के लिए उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में अपील अथवा पुनरीक्षण आवेदन किए हैं ; और

(ख) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में ये मामले कब से लंबित हैं (एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष आदि से)।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

न्यायालय का नाम	मृत्यु दंड से संबंधित लंबित दांडिक अपीलों और विशेष इजाजत पिटीशनों (दांडिक) की संख्या :				
	योग	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	तीन वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6
				(5.3.1986 तक की स्थिति)	
उच्चतम न्यायालय	7	7	—	—	—
उच्च न्यायालय का नाम	मृत्यु दंड दिये गये मामलों में पुष्टि के लिए लंबित मामलों की संख्या				
	योग	एक वर्ष से कम	1 से 2 वर्ष तक	2 से 3 वर्ष तक	तीन वर्ष से अधिक
				(31.12.1985 तक की स्थिति)	
आंध्र प्रदेश	1	1	....	—	...
गुजरात	....	....	....	—	....
केरल	3	3	...	—	....
उड़ीसा	...	....	....	—	....
पटना	5	4	1	....	...
पंजाब हरियाणा	...	...	....	....	....
				(30.6 1985 तक)	
इलाहाबाद	2	....	2	...	...
मुम्बई	2	1	...	....	1
कलकत्ता	12	4	...	....	8
दिल्ली	....	....	....	...	...
हिमाचल प्रदेश	...	....	...	....	....
जम्मू-कश्मीर	27	9	13	3	2
कर्नाटक	....	....	...	....	...
मध्य प्रदेश	1	1	....	....	...
मद्रास	8	7	1	...	...
राजस्थान	3	3	...	...	....
सिक्किम	...	....	....	....	....
				(31.12.1984 तक)	
गुवाहाटी	....	...	..	...	....

पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

2403. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोलियन उत्पादों में हाल में की गई वृद्धि से पहले मुद्रास्फीति को ध्यान में रखा गया था जैसा कि 28 जनवरी, 1986 के "इंडियन एक्सप्रैस/में प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उनके मंत्रालय में किए गए अध्ययनों का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) निर्धारित मूल्य में वृद्धि करते समय जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य भी शामिल हैं आम मूल्य स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव सहित सभी संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखा गया था। इस संबंध में किये गये एक विश्लेषण के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हाल ही में की गई वृद्धि से थोक बिक्री मूल्य सूची पर मामूली सा सीधा प्रभाव पड़ा है।

12.00 मध्याह्न

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए—

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मैंने एक सूचना दी है। मैं मुख्य मंत्रियों के त्याग-पत्र को राज्यपाल द्वारा स्वीकार किए जाने की शक्तियों पर चर्चा करवाना चाहता हूं··· ···

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार नहीं·····यह क्या है ? क्या यह 193 के अन्तर्गत चर्चा है ?·····मैं यह देख लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि क्या इसकी अनुमति है या नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों यही बात दोहरा रहे हैं। मैंने आप से पहले ही कहा कि मैं यह देख लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मान्यवर, जब तक मैं देख नहीं लेता, कैसे होगा ? जब मैं देखूंगा तभी बात बनेगी। विचाराधीन रखूंगा और बात करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने आपको एक दफा जवाब दे दिया उसके बाद आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं ? आपको बात दिया कि मैं देखूंगा, यह विचाराधीन है, अगर यह ठीक हुआ तो इसका जवाब दूंगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बता दिया है मैंने आपको, बैठ जाइये आप ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मि० चौधरी, मेरी बात आप सुन लीजिए । आप उनसे बात क्यों कर रहे हैं ? आप बैठिए, मेरे से बात करिए । मि० चौधरी, आपने यह किताब पढ़ी है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : जी हां ।

[अनुवाद]

हरियाणा में.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिये। क्या आप ने मुझे लिखा है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें जो लिखा है, उसको पढ़ा है ? गवर्नर के बारे में लिखा हुआ है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि आप मुझे बताएंगे तो मैं इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह वह पुस्तक है जो मैंने आप को दे दी है । आप इसी के अनुसार चलिए ।

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : कल प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा का उत्तर देते हुए हमारे कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री मकवाना ने तमिलनाडु के मेरे माननीय मुख्य मंत्री के संबंध में गलत वक्तव्य दे दिया । उन्होंने यह वक्तव्य दिया कि उन्होंने मेरे राज्य के मुख्य मंत्री को फोन किया और मेरे मुख्य मंत्री के पी० ए० ने कहा कि वह सो रहे हैं । वास्तव में यह गलत बयान था । मैं कहना चाहता हूं कि नवम्बर में कोई टेलीफोन नहीं लगा था । वास्तव में यह 23.10.85 को काट दिया गया था और 7 जनवरी, 86 को उसे फिर लगाया गया था । मंत्री ने यह गलत कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप निदेश 115 के अन्तर्गत सूचना दे सकते हैं । आगे मैं इसे और स्पष्ट करना चाहता हूं । मेरे कहने का अर्थ यह है कि सोना कोई अपराध नहीं है । विश्व में तो सभी सोते हैं ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : मैं यह सुझाव देता हूं कि जम्मू-काश्मीर पर चर्चा की अनुमति दे दी जाए। राज्य सभा में एक बार ऐसा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : हम ऐसा करेंगे····· ····

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डाइमंड हार्बर) : हम सदा राज्य सभा से पीछे रहे हैं। यह हास्यास्पद बात है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, आप को किस ने ऐसा कहा ? कुछ ऐसे विषय भी हैं जो हम पहले उठाते हैं। आप सब चीजें एक साथ नहीं ले सकते हैं। वह भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। यह कोई अध्यादेश नहीं है कि हम उनकी तरह काम करें या वह हमारी तरह काम करें। उनका भी बराबर का महत्व है। उनके भी बराबर के अधिकार हैं। वह भी किसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं। अतः हम·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संसद पर एक धब्बा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। हम हर विषय पर चर्चा करते हैं।

श्री अमल दत्त : किन्तु उन्हें बहुत ज्यादा अवसर मिलते हैं। मैं आप को रिकार्ड दिखा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप सिद्ध करें हमने मूल्य वृद्धि पर पहले चर्चा की और उन्होंने बाद में की। दूसरे सदन के साथ मुकाबला मत कीजिए। वह बराबर के जिम्मेवार हैं। वह भी हमारे बराबर के साथी हैं।

श्री अमल दत्त : हम ने कई बार यहां अलग से चर्चा करने का प्रयत्न किया है, किन्तु हर समय हमें टाल दिया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने रोका है ?

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : जी, आपने।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस पर आपत्ति है; मैं इसके लिए आपकी प्रताड़ना कर सकता हूं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय मैंने सूचना दी है ····· ····**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है आप यहां इस संबंध में बात नहीं कर सकते हैं। श्री कुरूप, आप सदा गलत समय पर गलत स्थान पर गलत काम करते हैं। यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यह उचित स्थान नहीं है और न ही यह उचित विषय है। विधान सभा को इसकी ओर ध्यान देना है।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर बात नहीं कर सकते हैं। इस बात पर विधान सभा में चर्चा होनी चाहिए। बैठ जाइये। कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। आपको कोई मतलब नहीं है।

[अनुवाद]

आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा काम है। अब, सभापटल पर पत्र रखे जाएं।

12.06 म० प०

सभापटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विस्फोटकों संबंधी (संशोधन) नियम, 1985.

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं विस्फोटकों संबंधी अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उपधारा (8) के अन्तर्गत विस्फोटकों संबंधी (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 25 जून, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 511 (अ) में प्रकाशित हुये थे, सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2194/86]

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों की परिसीमन (मद्रास) दूसरा संशोधन आदेश, 1985.

विधि तथा न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) दूसरा संशोधन आदेश, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी, संस्करण), जो 25 नवम्बर, 1985 के भारत के राज पत्र में प्रकाशित हुआ था, सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2159/86]।

साइकिल कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा; खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक लेखे कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण

औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) साईकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, खेलापरीक्षित लेखा तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2196/86]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के 31 मार्च, 1985 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण और प्रशासन के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 2197/86]

(3) (एक) खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की उपधारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के वर्ष 1984-85 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वर्ष 1984-85 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2198/86]

12.07 म.प.

बंबई तथा दिल्ली टेलीफोन व्यवस्था के लिए एक निगम तथा सेवाओं के लिए दूसरे निगम का गठन करने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : I. **बम्बई तथा दिल्ली के लिए टेलीफोन निगम/महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड** : सरकार ने संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में तथा बंबई नगर निगम, न्यू बम्बई नगर निगम और थाने नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में टेलीफोन, टेलेक्स और अन्य दूरसंचार सेवाओं (सार्वजनिक तार सेवा को छोड़कर) का प्रबंधक, नियंत्रण और संचालन दूरसंचार बोर्ड के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है। इस कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियमित कर लिया गया है। ऐसी संभावना है कि यह 1.4.1986 से कार्य करना प्रारंभ कर देगी। इस नए निगम को "महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड" नाम दिया गया है।

2. इस निगम के दो प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :

(क) सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना। उन्हें सुव्यवस्थित रखना, उनका विकास करना, उनका संचालन तथा अनुरक्षण करना। इसमें सार्वजनिक तार सेवाओं को छोड़कर टेलीफोन, टेलेक्स, टेलीमेटिक्स सेवाएं भी शामिल हैं।

(ख) कंपनी द्वारा संचालित क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की विकास संबंधी आवश्यकताओं तथा साथ ही दूरसंचार बोर्ड द्वारा संचालित देश में दूरसंचार नेटवर्क के अन्य कार्यों के लिए भी आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना।

3. वर्ष 1985-86 समाप्त होने तक, बंबई और दिल्ली टेलीफोन जिलों के पास लगभग 1200 करोड़ रुपये की सम्पत्ति होगी। 600 करोड़ रुपये की धनराशि को "एक्विटि" तथा शेष को ऋण मान लिया जाएगा।

इस निगम को नियम और शर्तों तथा सरकार के साथ परामर्श करके जो भी वार्षिक सीमा निर्धारित की जाएगी, उसके आधार पर सावधि जमा स्वीकार करने तथा बांडों आदि के माध्यम से बाजार से ऋण लेने का अधिकार प्राप्त होगा।

4. दूरसंचार सेवा एक नेटवर्क सेवा है। इसमें कोई भी उपभोक्ता पहले की भांति किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान के उपभोक्ता से बात कर सकता है। इस निगम और दूरसंचार विभाग के बीच राजस्व का बंटवारा करने के लिए एक उपयुक्त फार्मूला बनाया जाएगा जिसकी परिस्थितियों की मांग के अनुसार समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। नई सेवाओं सहित विभिन्न सेवाओं की दरें निगम द्वारा दूरसंचार बोर्ड की अनुमति लेने के बाद ही निर्धारित की जा सकेंगी। इसी प्रकार नई दूरसंचार सेवाएं शुरू करने और या किसी मौजूदा सेवा को समाप्त करने के लिए प्रमुख नीति निर्णय लेने से पूर्व दूरसंचार बोर्ड की अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

5. इस समय देश में दूरसंचार सेवाओं को चलाने के लिए दूरसंचार विभाग एकमात्र संगठन है। अतः इस नए निगम को सौंपे जा रहे कार्य के लिए भारतीय तार अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाएगा। भारतीय तार अधिनियम के अधीन और लाइसेंस में उपयुक्त शर्तों की व्यवस्था करके यह सुनिश्चत किया जाएगा कि आपातकालीन स्थितियों में सरकार इसका प्रचालन नियंत्रण और साथ ही आपात कालीन स्थिति अथवा जन सुरक्षा के हित में इसके विनियमन की शक्तियां अपने हाथ में ले सकती है जैसा कि वर्तमान में सरकार को अधिकार है। यही बात इस नए निगम के नेटवर्क पर भी लागू होगी।

6. राष्ट्रव्यापी दूरसंचार नेटवर्क के एक अंग के रूप में दूरसंचार विभाग लम्बी दूरी की संचारण प्रणालियों का निरंतर विकास तथा संचालन करता रहेगा। इसी प्रकार, दिल्ली और बंबई महानगरों में ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों की योजना और सर्किलों का अलाटमेंट करने का कार्य दूरसंचार विभाग के नियंत्रण में ही रहेगा।

7. प्रस्तावित निगम के लिए अपेक्षित निधि को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूरसंचार विभागके बजट/मांगों में शामिल कर लिया गया है। निगम को 25 करोड़ रुपये तक का कार्य संचालन अग्रिम देने का भी प्रस्ताव है ताकि निगम अपनी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके।

II विदेशक संचार निगम लिमिटेड

सरकार ने विदेश संचार सेवा को जो इस समय भारत के एक विभाग के बतौर संचार कार्य

कर रहा है, सरकार के स्वामित्व वाली एक पूर्णरूपेण सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में बदलने का निर्णय ले लिया है इसे "विदेश संचार निगम लिमिटेड" कहा जाएगा और यह दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। इस कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित किया जा रहा है। इसका पंजीकृत कार्यालय बम्बई में होगा तथा यह कंपनी 1.4. 1986 से अपना कार्य शुरू कर देगी।

2. विदेश संचार निगम लिमिटेड के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार होंगे :

(1) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कहीं भी सुलभ राष्ट्रीय नेटवर्क के माध्यम से विश्व के सभी भागों के लिए और देश के सभी भागों से विदेशों के लिए टेलीफोन, टेलेक्स और अन्य दूरसंचार सेवाओं की योजना बनाने, उनकी व्यवस्था करने, उन्हें चलाने और उनका रख-रखाव करना; और

(2) देश की विदेश संचार सेवाओं के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाना।

3. चूंकि इस समय देश का बाह्य दूरसंचार भारत सरकार के एक विभाग के बतौर विदेश संचार सेवा द्वारा चलाया जाता है, अतः इस कंपनी को महानगर टेलीफोन निगम की भाँति उपयुक्त शर्तों के साथ अपना कारोबार चलाने के लिए भारतीय तार अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आपात-कालीन स्थितियों में इसका प्रचालन नियंत्रण तथा साथ ही जन-सुरक्षा के हित में इसके विनिययन की शक्तियां सरकार के ही अधीन रहेंगी।

4. वित्तीय वर्ष 1985-86 के समाप्त होने तक विदेश संचार सेवाओं की परिसम्पतियों का अनुमानित मूल्य 120 करोड़ रुपये होगा। इसमें से 60 करोड़ रुपये एक्विटि तथा शेष राशि को नई कंपनी अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड के नाम ऋण के रूप में मान लिया जाएगा।

5. 1986-87 के लिए प्रस्तावित लेखानुदान में मांग सं० 13 संचार मंत्रालय (पूँजी अनुभाग) के अधीन ऋण के लिए 6 करोड़ रुपये और मांग सं० 14 विदेश संचार सेवा के अधीन 60.25 लाख रु० की व्यवस्था की गई है। कंपनी जब तक अपना राजस्व जुटाना प्रारंभ करेगी तब तक प्रारंभिक महीनों के लिए अपनी नैत्यक कार्य चालन पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी को 6 करोड़ रुपये की जरूरत है। यह रकम कंपनी को वर्ष 1986-87 के दौरान दिए जाने वाले कुल 15 करोड़ रुपये के कार्य चालन पूँजी ऋण में से दी जाएगी।

6. संगठन के कर्मचारियों को विदेश संचार सेवा को विदेश संचार निगम लिमिटेड में परिवर्तन करने वाली तारीख। अप्रैल, 1986 को देय मार्च, 1986 के वेतन आदि का भुगतान करने के लिए संचार सेवा की मांग सं० 14 के अधीन 60.25 लाख का लेखानुदान मांगा गया है।

पेंशनभोगियों को कतिपय रियातें देने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : महोदय, उदारीकृत पेंशन नियमावली, 1950 के लागू किए जाने पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जो 30

दिसम्बर, 1938 को स्थायी पेंशन योग्य सेवा में में थे निम्नलिखित विकल्पों की अनुमति दी गई थी :

(क) नई पेंशन योजना को अपनाना अर्थात् परिलब्धियों का 30/80 की दर से पेंशन तथा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान प्राप्त करना; अथवा

(ख) 16 अप्रैल, 1950 को लागू नियमों के अन्तर्गत पेंशन लेते रहना अर्थात् परिलब्धियों के 30/60 की दर से पेंशन प्राप्त करना; अथवा

(ग) नई योजना के अधीन अनुज्ञेय उपदान के समतुल्य पेंशन संबंधी लाभ घटाकर 16 अप्रैल, 1950 को लागू नियमों के अधीन पेंशन लेना तथा इस योजना में की गई व्यवस्था के अनुसार कम/की गई इस राशि के बदले मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान लेना।

2. संक्षेप में, ऐसे कर्मचारी जिन्होंने उपर्युक्त (ग) के लिए विकल्प दिया था अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी कर लेने पर 30/60 अर्थात परिलब्धियों का 50%) की दर से पेंशन के अलावा मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान भी प्राप्त करते थे। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान, उदारीकृत पेंशन नियमावली, 1950 के अधीन 17 अप्रैल, 1950 को, पहली बार लागू किया गया था। फिर भी उन्हें उपदान के समतुल्य पेंशन संबंधी लाभ घटाकर पेंशन प्राप्त होती थी। यह एक जीवन पर्यन्त वचनबद्धता थी।

1.4.1979 से पेंशन के संराशीकरण के लिए स्लैब फार्मूला लागू किये जाने पर कर्मचारियों को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की प्रसुविधा के अतिरिक्त उन्हें अनुज्ञेय पेंशन 1000/- के पहले स्लैब के लिए 50% तक, अगले 500/- रुपये के स्लैब के लिए 45% तक तथा उसके बाद परिलब्धियों के 40% तक बढ़ा दी गई है। 1938 से पहले के भर्ती व्यक्ति जिन्हें कम वेतन मिलता था तथा जो बहुत वृद्ध हैं—वे अपनी पेंशन में से उपादान के समतुल्य पेंशन सम्बन्धी लाभ घटाए जाने की व्यवस्था के बन्द किए जाने के लिए अभ्यावेदन देते रहे हैं।

3. सरकार ने इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है। मैं सहर्ष सदन को सूचित करता हूं कि सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि ऐसे मामलों में उपदान के समतुल्य पेंशन सम्बन्धी लाभ, अप्रैल, 1986 में देय मार्च, 1986 की पेंशन से न घटाया जाए ताकि उन्हें एक सर्वथा अनुग्रहपूर्वक उपाय के रूप में अति-आवश्यक राहत प्रदान की जा सके। इसके बाद, ये पेंशनभोगी पूरी पेंशन के हकदार होंगे।

संबंधित पेंशनभोगी नियमों के अधीन यथा-अनुज्ञेय पूरी पेंशन पर महंगाई राहत पाने के भी हकदार होंगे।

4. सरकार ने आगे यह भी निर्णय किया है कि अन्यथा निपटाए गए पिछले मामलों पर पुनः विचार नहीं किया जाएगा। जिन मामलों में उपदान का भुगतान 1.4.1979 से पेंशन के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था, उनमें उपदान में से पेंशन के समतुल्य लाभों की वसूली भी अप्रैल, 1986 में देय मार्च 1986 की पेंशन में से बन्द कर दी जाएगी।

12.15 म०प०

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री के पद से त्यागपत्र देने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करने वाला वक्तव्य

[अनुवाद]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया है ताकि सदन में मेरे साथी, और मेरे मतदाता और सबसे बढ़कर मेरे देशवासी सही तथ्यों को जान लेंगे। मामला गंभीर भी है और दुःखद भी। गम्भीर इसलिए क्योंकि यह हमारी मातृभूमि की प्रभुसत्ता तथा अखंडता को प्रभावित करता है। दुःखद इसलिए कि रामस्वरूप घटना के सम्बन्ध में आरोप-पत्र में मेरा भी उल्लेख किया गया है। आरोप-पत्र में मेरे बारे में दो बार उल्लेख किया गया है। फिर भी, न मुझ पर कोई आरोप है और न मैं साक्षी हूं। एक प्रकार से, इस स्थिति से यह बात स्वयं सिद्ध होती है कि मेरे विरुद्ध कुछ भी अनुचित नहीं है।

मैं समझता हूं कि विशेष पुलिस ने कुछ दिन पहले राम स्वरूप और अन्य साथी के विरुद्ध जो आरोप पत्र दायर किया है, उसमें मेरे नाम का भी उल्लेख किया गया था, यद्यपि न मुझ पर आरोप था और न ही मैं साक्षी था। शीघ्र ही मैंने यह बात प्रधान मन्त्री की नोटिस में लाई कि संसदीय लोकतंत्र की सर्वश्रेष्ठ परम्पराओं के अनुरूप, मुझे केन्द्रीय सरकार के राज्य मंत्री के रूप में त्याग-पत्र दे देना चाहिए। प्रधान मंत्री मेरी भावनाओं को जान गए और उन्होंने मेरा त्याग-पत्र स्वीकार किया।

महोदय, इस सदन के अन्दर और बाहर प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि मैं 35 वर्ष से अधिक समय से पत्रकार रहा हूं।

इस खतरनाक व्यवसाय ने मुझे विभिन्न राजनैतिक उद्देश्यों से एक सौ से अधिक देशों में जाने का अवसर दिया - सभी स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल नेहरू, स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद, स्वर्गीय डा० राधाकृष्णन, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी आदि जैसे विख्यात नेताओं के साथ गया बहुत बार विश्व ओलिम्पक्स और एशियाई खेलों में गया हूं। मैं एक पत्रकार के रूप में और संसद सदस्य के रूप में नहीं तैवान सरकार के निमंत्रण पर अन्य भारतीय पत्रकारों के साथ तैवान भी गया, जिसका प्रबन्ध राम स्वरूप ने किया था, जिसके साथ न पहले मेरे कुछ सम्बन्ध थे और न अब हैं। मैं उसके किसी भी संघ, ग्रुप अथवा समिति अथवा इसी प्रकार की किसी भी गतिविधि से सम्बद्ध नहीं हूं।

महोदय, यह एक पत्रकार का कर्तव्य है कि वह तथ्यों और सूचना को ढूंढ निकाले और देश की जनता के लाभ के लिए उनको अपने ससाचार पत्र को दे दे। यह अत्यन्त खेद की बात है कि मेरी तैवान यात्रा को मुझे इस प्रकार बदनाम करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है जैसे मैं राम स्वरूप से सम्बद्ध कोई व्यक्ति हूं। इस प्रकार के आरोप से तो रेत के महल की बुनियाद भी अधिक मजबूत होगी अर्थात इस प्रकार का आरोप रेत के महल से भी गया गुजरा है।

यह बात मैं गर्व से इस भव्य सदन के सामने कहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में मान और प्रतिष्ठा से काम किया है और निजी तथा सार्वजनिक जीवन में मैंने उच्च सिद्धांतों का पालन

किया है। मैं महात्मा गांधी के साथ निकट से सम्बद्ध था और मैं उनके प्रार्थना के समय दिये गये भाषणों का समाचार देता रहा हूं इससे अधिक विचित्र बात क्या हो सकती है कि मेरे विषय में यह कल्पना की जाये कि मैं कभी देश को हानि पहुंचा सकता हूं, मैं कभी भी इस सदन और अपने देश की मान-मर्यादा को बनाये रखने में असफल नहीं रहा हूं। मैं अपना स्पष्टीकरण इस भव्य सदन के समक्ष रखता हूं ताकि मेरे साथी स्वयं निर्णय लें। धन्यवाद।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, क्या हमें मूक दर्शकों की भांति रहना है ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, हमें इस बारे में कुछ करना है। मुझे सचमुच इनके प्रति सहानुभूति.....

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार को स्वयं एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सी० माधव रेड्डी : महोदय, आपने वचन दिया था कि आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरी केवल यह समस्या है कि मामला अभी न्यायालय में है। बस यही बात मेरे आड़े आती है।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सदन के अन्य मानवीय सदस्यों से भी पत्र प्राप्त हुए हैं। अकारण ही उनके नाम भी इसमें लाए गए हैं। इससे मुझे बहुत दुःख हो रहा है। यह कब तक ऐसे ही चलता रहेगा ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अब क्या करना है ?

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : अब उन्होंने जबरदस्ती मंत्रियों के नाम इस मामले से जोड़ दिए हैं और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कल, यदि वह प्रधान मंत्री के बारे में ऐसा कहेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा ? यह एक भयानक स्थिति है। एक मामूली सा उल्लेख किया गया था और उन्हें त्याग-पत्र देकर जाना पड़ा ! **व्यवधान**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात मानता हूं। मैं आपके विचारों का आदर करता हूं और इस विषय पर आपके विचारों से सहमत हूं। यही मैंने आपसे कहा।

व्यवधान

अध्यक्ष महोदय : हमें कोई रास्ता ढूंढ निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए मुझे आपकी सलाह भी लेनी है। मैं इस मामले को पूरी तरह सुलझाना चाहता हूं। यह बिलकुल असंगत है।

12.21 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

21 वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य और पर्यटन मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 10 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के 21 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 10 मार्च, 1986 को सभा में पेश किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के 21वें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृति हुआ

12.22 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

(एक) कानपुर केमिकल वर्क्स द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट के कारण भूमिगत जल का प्रदूषण रोकने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदीश अवस्थी (बिल्हौर) : कानपुर महानगर, उत्तर प्रदेश में रासायनिक उद्योगों द्वारा भूमिगत जल के बढ़ते प्रदूषण को रोकने की आवश्यकता।

कानपुर महानगर के अन्तर्गत अनवरगंज क्षेत्र में स्थित कानपुर कैमिकल्स वर्क्स द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट हानिकार रसायनों को पृथ्वी पर छोड़ दिया जाता है जो कि धीरे-धीरे रिसकर भूमिगत जल में मिल रहा है तथा इस जहरीले रिसाव से क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर समस्त कुंओं एवं हैन्डपम्प से पीला प्रदूषित पानी निकल रहा है।

अतः यदि इस जहरीले रिसाव को जमीन के अन्दर फैलने से नहीं रोका गया तो महामारी के साथ कानपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों का भूमिगत जल (खार) प्रदूषित हो जायेगा। अतः उद्योगों द्वारा भूमिगत जल के प्रदूषण को रोकने हेतु केन्द्र तत्काल हस्तक्षेप करे एवं प्रदेश शासन को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं।

[अनुवाद]

(दो) केरल में हवाई अड्डे को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रम (कन्नानोर) : वायुयान द्वारा जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए केरल में हवाई अड्डों की सुविधा पूरी तरह अपर्याप्त है। इस समय केरल राज्य में केवल दो हवाई अड्डे हैं, एक त्रिवेन्द्रम में और दूसरा कोचीन में। यह सचमुच दुःख की बात है कि कोचीन जैसे बड़े शहर में जो केरल का औद्योगिक तथा वाणिज्य केन्द्र है यहां अपना कोई असैनिक हवाई अड्डा नहीं है। कोचिन में, इन्डियन एयरलाइन्स अभी भी निरन्तर बढ़ते हुए हवाई यातायात के बावजूद अपनी घरेलू उडानों के लिए नौसेना हवाई अड्डे का ही उपयोग करते हैं।

अतः यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि अधिक विलम्ब के बिना कोचीन में बड़ा हवाई अड्डा बनाया जाए। जब तक त्रिवेन्द्रम के हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं किया जाता है, तब तक इस बात में सन्देह है कि क्या यह हवाई अड्डा विदेश जाने वाले यात्रियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा कर पायेगा। अतः त्रिवेन्द्रम को अन्तर- राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए शीघ्र व्यवस्था की जाए।

निस्सन्देह कालीकट मे हवाई अड्डा निर्माणाधीन है और इसे तेजी से तैयार किया जाएगा जिससे केरल के मालाबार क्षेत्र से आने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। केरल एक-मात्र दक्षिणी राज्य है जहां वायुदूत सेवा नहीं पहुँची है। वायुदूत सेवा यथासम्भव शीघ्र आरम्भ करने से केरल की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेज की जा सकती है। कृपया सरकार इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करे।

(तीन) **उडीसा राज्य के मिट्टी के तेल के मासिक और त्रैमासिक कोटे में वृद्धि करने की आवश्यकता**

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आम लोगों के लिए मिट्टी का तेल एक अनिवार्य वस्तु है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में देश भर में, खासकर उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल आदि में मिट्टी का तेल एक दुर्लभ वस्तु बन गया है। उड़ीसा में यह 5-6 रुपये प्रति लोटर की दर से बेचा जा रहा है और वह भी न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप मिलता भी नहीं। ऐसा समझा जाता है कि संघ सरकार उड़ीसा सरकार को उसकी जरूरत के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई नहीं कर रही। अतः इस कमी का एक कारण यह भी है। दूसरा कारण हाई स्पीड डीजल आयल की कीमतों में वृद्धि के कारण किसानों आदि द्वारा डीजल पम्प सैटों और पंप सैटों में मिट्टी के तेल का उपयोग करना है। तीसरा कारण है। त्रुटिपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली है। बिजली की कमी के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 16 घंटे से अधिक तथा शहरी क्षेत्रों में 10 घंटे से बिजली बंद रखी जाती है, जिससे राज्य में स्थिति और बदतर हो गई है।

पैट्रोलियम मंत्री से मेरा अनुरोध है कि भविष्य में उड़ीसा राज्य को अधिक मिट्टी का तेल आबंटित किया जाए ताकि इस स्थिति का सामना किया जा सके और मिट्टी के तेल के मासिक तथा तिमाही कोटें को, जोकि घटा दिया गया है, फिर बढ़ाया जाए क्योंकि राज्य भारी कमी का सामना कर रहा है।

[हिन्दी]

(चार) किसानों को कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता ।

श्री राम पूजन पटेल (फूलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से नियम 377 के अंतर्गत भारत सरकार का ध्यान देश में 80 प्रतिशत संख्या वाले मेहनतकश किसानों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । कृषि आयोग किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का समर्थन मूल्य निर्धारित करता है । परन्तु खेद की बात है कि किसानों से सीधे खरीददारी निर्धारित मूल्यों पर नहीं की जाती । क्रय केन्द्र पर गेहूं व धान आदि की खरीद अधिकतर व्यापारी से की जाती है । साथ ही साथ धान जो किसान उत्पादन कर सकता है परन्तु वह स्वयं कूट नहीं सकता, जिससे उसे कम कीमत पर धान को बेचना पड़ता है । जिन प्रदेशों में ऐसा प्रतिबन्ध हो, भारत सरकार को ऐसे प्रतिबन्ध को तत्काल हटाने का आदेश देना चाहिए । उत्तर प्रदेश में इस प्रतिबन्ध से किसानों में बहुत ही निराशा और बेचैनी है । महान दुख होता है जब हम देखते हैं कि किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है और हम उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते । आज देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है और सरकार के पास इतना खाद्यान्न भण्डारण करने की क्षमता भी नहीं किन्तु एक स्थान से दूसरे पर गेहूं एवं चावल ले आने-जाने पर प्रतिबन्ध है । ऐसी नीति बननी चाहिए कि किसी प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित खाद्यान्न वस्तु के आने जाने में प्रतिबन्ध न हो । प्रतिबन्ध होने से चौबीसों घंटे सरकारी तन्त्र पैसा वसूलने में लगा रहता है जिसके कारण प्रशासन को चुस्त करने का समय नहीं मिलता । किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे प्रतिबन्ध को तत्काल समाप्त किया जाए जिससे उन्हें लाभ मिल सके । अन्यथा सारा लाभ बिचौलियों को मिल जाता है और हम किसानों के हित में असमर्थ रह जाते हैं । क्रय केन्द्र पर धान की खरीद के लाखों बोरे आज धान सड़ रहे हैं । आशा है भारत सरकार तत्काल इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार करके किसानों के हितार्थ नियम और कानून बनायेगी ।

(पाँच) बैंकों में नियुक्ति के लिए सभी चयन बोर्डों की बिहार में शाखाएं खोलने की आवश्यकता ।

श्री कुंवर राम (नवादा) : उपाध्यक्ष जी, नियम 377 के अधीन मैं भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि बिहार में बैंकों में सेवा भर्ती की कोई भी संस्था नहीं है । पता चला है कि वित्त मंत्रालय ने बिहार में भर्ती बोर्ड का गठन करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, परन्तु अब तक भर्ती बोर्ड के गठन में विलम्ब के कारण बिहारवासियों को निराशा हो रही है । वहां के जवानों को बैंकों में समुचित स्थान नहीं मिल पा रहा है । अन्यत्र उन्हें भेदभाव एवं पक्षपात का सामना करना पड़ता है । अतः इस विषय में, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि सभी बैंकों में भर्ती के लिए चयन-बोर्ड की बिहार में शाखा स्थापित की जाए ।

[अनुवाद]

(छः) तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा मद्रास रेस क्लब का अधिग्रहण करने के लिए पारित विधेयक पर अनुमति देने की आवश्यकता

श्री पी० कुलन्दईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : मद्रास रेस क्लब के कार्य का प्रबंध ग्रहण करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के दोनो सदनों ने क्रमशः 23.1.86 और 24.1.86 को एक विधेयक पारित किया था। भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए यह विधेयक 27.1.86 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था लेकिन आज तक विधेयक पर सहमति नहीं दी गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत मद्रास रेस क्लब एक ऐसी कम्पनी है जो मद्रास और उठगामंडलम में घुड़दौड़ तथा शर्त लगाने का व्यवसाय करती है। राज्य सरकार को इस बात की पूरी तसल्ली हो गई थी कि मद्रास रेस क्लब का प्रबंध कार्य ठीक से नही चल रहा इसलिए उसने घुड़दौड़ों के व्यवसाय को अधिग्रहीत करने का निर्णय लिया ताकि राज्य सरकार या उसके पूर्ण नियंत्रणाधीन निगम या कम्पनी घुड़दौड़ का काम देख सके ताकि घुड़दौड़ में जाने वाले व्यक्तियों के हितों की पूर्ति हो सके। राज्य सरकार ने विधेयक में उपयुक्त ढंग से संशोधन भी कर दिए थे ताकि भारत सरकार के विचारों को भी उसमें शामिल किया जा सके। लेकिन 27.1.86 से अभी तक विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति नहीं मिली है।

[हिन्दी]

(सात) गुजरात के कच्छ मान्डवी और बद्रेश्वर जिलों के छोटे मछुआरों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देती हूं :—

"मैं माननीय सदस्यों का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहती हूं। ये विषय मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग प्राय मेरे पास यह शिकायत लेकर आते हैं।

श्रीमन, हमारे देश में अनेक जगह ऐसी हैं जहां पर मछली पकड़ने का काम बड़ी-बड़ी बोट वाले करते हैं। मेरे इलाके कच्छ, माण्डवी और बद्रेश्वर आदि ताल्लुके आते हैं, इन क्षेत्रों में बड़ी बोट वाले मछली पकड़ कर ले जाते हैं, जिसके कारण छोटी-छोटी बोट या किश्ती वाले मछली पकड़ने से वंचित रह जाते हैं। इसके कारण वहां के गरीब लोग मछली न पकड़ने के कारण गरीब होते जा रहे हैं और वहां के हजारों लोग इस समस्या के कारण गरीब होते जा रहे हैं जिससे उनका जीवन-स्तर नीचे गिरता जा रहा है। इसके बोरे में मैंने वहां के कस्टम अधिकारियों को भी सूचना दी, पर वे कहते हैं कि हम किसी को रोक नहीं सकते हैं। आजकल सरकार भी कमजोर वर्गों को तथा गरीबों को उठाने के लिए प्रयत्नशील है और उनकी सहायता भी कर रही है।

अत: मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे इस विषय पर एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन करें और इस समस्या के समाधान के लिए शीघ्र कार्य करें और मेरा सुझाव है कि वहां समस्त समुद्रों में जहां 45 फुट से ऊपर पानी हो, वहां सिर्फ बड़ी-बड़ी बोट वाले मछली मार सकें और 45 फुट से नीचे वाले पानी में सिर्फ छोटी बोट वाले मछली मार सकें या कुछ सरकार ऐसा उपाय करे जिससे छोटी-छोटी बोट वाले भी सही ढंग से अपना जीवन-निर्वाह कर सकें।"

[अनुवाद]

(आठ) आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र और इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए रामगुंडम और विशाखापत्तनम में जिन भू-स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उनको रोजगार देने की आवश्यकता

श्री सी० गंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सरकार देश के विभिन्न भागों में उद्योगों की स्थापना कर रही है। भारी उद्योगों के लिए धन भूमि की जरूरत पड़ने पर वे राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अर्जित कर लेती हैं। आन्ध्र प्रदेश में केन्द्र सरकार के संस्थानों ने भारतीय खाद्य निगम की उर्वरक फैक्टरी के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र के लिए रंगगुडम् में तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए इस्पात उद्योग के लिए विशाखापत्तनम में और अन्य औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जित की गई है। भूमि मालिकों की जीविका समाप्त होती जा रही है इससे बचने के लिए केन्द्र सरकार ने भूमि अर्जन अधिकारियों और संबंधित औद्योगिक यूनिटों को निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों की भूमि अर्जित की गई है उन्हें रोजगार दिया जाए लेकिन आन्ध्र प्रदेश में प्रबंधक वर्ग इस नीति को लागू नहीं कर रहा है।

उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपने पिछले आदेशों को लागू करने के लिए स्पष्ट आदेश दे ताकि स्थिति को संभालने के लिए भूमि मालिकों को ऐसे उद्योगों में अधिकारी के पद तक का रोजगार दिया जा सके और उन्हें आन्दोलन करने तथा असंतोष से बचाया जा सके के लिए जिसके कारण विशाखापत्तनम में हाल ही में पुलिस ने गोलियां चलाई तथा भू-मालिकों को जीविका मिल सके।

12.34 म० प०

सामान्य बजट, 1986-87—सामान्य चर्चा

[जारी]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (सामान्य) 1986-87 पर आगे सामान्य चर्चा करेंगे अब श्री आर० जीवरत्नम अपना भाषण जारी रखेंगे।

***श्री आर० जीवरत्नम** (आरकोनम) : उपाध्यक्ष महोदय कल मैं कह रहा था कि अपने गतिशील प्रधानमंत्री के गरीब हटाओ कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे फक्र महसूस हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पर ऋण का भार बढ़ता ही जा रहा है। 31-3-86 को आन्तरिक ऋण की राशि 80,642 करोड़ रुपए तथा विदेशी ऋण की राशि 20,950 करोड़ रुपए होगी। इस पर अगर ब्याज का हिसाब लगाया जाए तो ऋण की कुल राशि संभवत: 1,62,462 करोड़ रुपए होगी। जिस तरह प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, उसी तरह अगर प्रति व्यक्ति ऋण के भार की गणना की जाए तो यह 2321 रुपए होगा। विदेशी ऋण पर ब्याज का भुगतान

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

करने के लिए सरकार विदेशों से ऋण ले रही है। भुगतान शेष भी हमारे पक्ष में नहीं हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पाद का एक प्रतिशत भी आन्तरिक ऋणों के भुगतान के लिए निर्धारित नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री ऋण भुगतान की समस्या पर विचार करें और इस संबंध में सुविचारित ढंग से कुछ करें।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के संस्थानों में 40,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई हुई है। केवल भारतीय तेल निगम को लाभ हो रहा है और अन्य सभी संस्थान घाटे में चल रहे हैं। भारतीय वस्त्र निगम को लगभग 800 करोड़ रुपए की हानि हुई है। सरकारी क्षेत्र के संस्थान औद्योगिक विकास की रीढ़ होते हैं। वित्त मंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान लाभ कमा सकें।

जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र के लगभग 400 बड़े संस्थान और 80,000 से अधिक छोटी एकक रुग्ण है। इन रुग्ण एककों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। इन परिस्थितियों में सरकार कर बढ़ाए बिना अपने संसाधनों में वृद्धि कैसे कर सकती है? मेरा सुझाव है कि अगर जरूरी हो तो सरकार को निजी क्षेत्र में इन रुग्ण एककों की नीलामी करने से नहीं हिचकिचाना चाहिए।

महोदय, भारतीय अर्थ व्यवस्था सदैव बढ़ती हुई इस सरकारी सहायता की बैसाखी के सहारे फलफूल नहीं सकती। पिछले तीन सालों के दौरान सहायता-राशि में 40% की वृद्धि हुई है। वित्त मंत्री के अनुसार सातवीं योजना में सहायता की राशि 40,000 करोड़ रुपए होगी। अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों को बढ़ने से रोकने बचाने के लिए सरकार सहायता देती है। साथ-ही साथ सरकार ने सूखे और बाढ़ जैसी किसी संभावित घटना का सामना करने के लिए खाद्यान्न की खरीद और उसके भंडारण के लिए करोड़ रुपए की पूंजी निवेश किया हुआ है। सरकार के पास लगभग 200 लाख टन खाद्यान्न जमा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें सैकड़ों-करोड़ों रुपए फंसे हुए होंगे। यही समय है जब वित्त मंत्री जी को इस बढ़ती जा रही सहायता के बारे में कुछ सोचना होगा जो कि अर्थ व्यवस्था को पंगु बना रही है।

वित्त मंत्री के अनुसार, 1985-86 में एकत्रित आयकर से पता चलता है कि उसमें 36% की वृद्धि हुई और इसका कारण आयकर की उपयुक्त दर होना है। लेकिन 1974-75 और 1975-76 में आयकर की दर में कोई कटौती न किए जाने के बावजूद उसमें 34% की वृद्धि हुई थी। लेकिन 1976-77 में इसमें कमी आई। इसी तरह 1986-87 में भी हो सकता है। आयकर वसूल करने के लिए 1985-86 में शुरू किए गये प्रयासों को 1986-87 में भी चालू रखा जाना चाहिए। ऐसा समझा जाता है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिक लिमिटेड इंडियन आयल कम्पनी, आई. टी. आई. आदि से आयकर की भारी राशि वसूल की जानी बाकी है। इसी तरह निजी क्षेत्र की कम्पनियों और उद्योग पतियों की ओर 1000 करोड़ रुपए बकाया हैं। आयकर की और अधिक वसूली की जानी चाहिए।

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने आयकर कटौती की सीमा राशि 6000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। लेकिन कीमतों में वृद्धि ने इस लाभ को बराबर कर दिया

है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आयकर में छूट की सीमा को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रु० कर दी जाए। इससे राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव नही पड़ेगा। भविष्य निधि पर ब्याज की दर को बढ़ाकर 12% करने का मैं स्वागत करता हूं। मेरा सुझाव है कि बचत बैंक खातों पर ब्याज की दर 5 से प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत की जाए। इसी तरह एक साल की अवधि के लिए सावधिक जमा पर ब्याज की दर 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। इससे आम आदमी को बचत करने की प्रेरणा मिलेगी।

शिक्षित युवाओं में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगार स्नातकों में व्यापक असंतोष है। सरकार को अपने खर्चों में कमी करनी चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों द्वारा किए जाने वाले अपव्यय पर रोक लगाई जानी चाहिए। प्रोत्साहन के माध्यम से काले धन को उत्पादक कार्यों में लगाया जाना चाहिए। लोगों में बचत की प्रवृति को प्रोत्साहन देना चाहिए। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करके तेजी से रोजगार के अवसर पैदा किए जाने चाहिए। सम्पन्न भविष्य के लिए युवा पीढ़ी ने गतिशील प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी में अपनी आस्था व्यक्त की है। उनकी आशाएं झूठी सिद्ध नहीं होनी चाहिए।

समाप्त करने से पूर्व मैं दक्षिण क्षेत्र में लघु सेवा औद्योगिक संस्थानों को बंद करने के बारे में बार-बार उठ रही अफवाहों का उल्लेख करना चाहता हूं। ये ऐसे समय में हो रहा है जबकि वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में अलग धनराशि की व्यवस्था करके छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया है। ऐसी स्थिति में इन उद्योगों को बंद करना बुद्धिमानी नहीं होगी। मेरी मांग है कि उन्हें किसी भी कीमत पर बंद न किया जाए।

इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुनील दत्त (बम्बई उत्तर पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय मैं भावनाओं से ओत-प्रोत विनय पूर्वक उस पवित्र स्थान पर आपके सामने उपस्थित हूं जिस पवित्र स्थान पर वे महान नेता दार्शनिक एवं देशभक्त खड़े हुए थे जिन्होने भारतीय इतिहास को नई दिशा प्रदान की।

महोदय, आपने मुझे संघ के 1986-87 के बजट पर आपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है, इसके लिए में आपका शुक्रगुजार हूं।

मैं इस बात से और भी प्रसन्न हूं कि ससद सदस्य बनने के बाद यह मेरा प्रथम सम्भाषण है। एक वर्ष तक में अपने योग्य साथियों एवं वरिष्ठ सांसदों को सहजता एवं शान्ति से सुनता रहा हूं, जो देश को एक महान भारत, एक महान देश बनाने के लिए अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि चूंकि मेरा सम्भाषण कुछ लम्बा है, अतः वे भी मेरे साथ उसी सहन शक्ति का प्रदर्शन करें जिसका प्रदर्शन मैं एक साल से करता आ रहा हूं।

इस विषय पर हमने बहुत से सदस्यों के भाषण सुने हैं। विद्वान सदस्यों ने सभा को अपने सुविज्ञ विचारों से रोशन किया है।

महोदय, देश के विद्वानों को पिछले अनुभवों के आधार पर एक ऐसा सुनियोजित एवं संतुलित बजट तैयार करने में महीनों लग जाते हैं जो उनको कम से कम पिछले बजट से बेहतर प्रतीत हो। फिर भी वे ऐसा परिपूर्ण बजट पेश नही कर सकते जो हमारे देश के सभी वर्गों को

[श्री सुनील दत्त]

स्वीकार्य हो। क्या कोई ऐसा बजट पेश कर सकता है जो किसी भी वर्ग को प्रभावित न करे और देश भी सुचारू रूप से चलता रहे ? हमें देश को सुचारू रूप से चलाना है और कर हमारे प्रमुख आधार हैं। जैसा बजट हमारे कुछ सदस्य चाहते हैं। वैसा केवल एक जादूगर ही पेश कर सकता है। जादूगर छलावा उपस्थित करने में माहिर होते हैं और यही कला है जिसमें वे निपुण होते हैं। जब यर्थाथ का सामना होता है तब उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। जादूगर सरकार और यहां तक कि महान हाऊदिनी की आजीविका भी मंच पर पैदा की हुई मुद्रा से नहीं चलती थी। परन्तु उनकी आजीविका उनके करिश्मों से मोहित दर्शकों की सहायता से चली।

कोई वित्त मंत्री ऐसा बजट नहीं बना सकता जो किसी न किसी रूप, में किसी न किसी तरीके से लोगों की जेब को और सभी वर्गों को प्रभावित न करता हो।

इस लिए एक अच्छे बजट की हमारी धारणा में से हमें काल्पनिक और फालतू बातों को छोड़ना होगा। इसका केन्द्र बिन्दु देशहित और विशेष तौर पर गरीब एवं पिछड़े लोग होने चाहिये। इसमें सरकार की दीर्घकालिक नीतियां ठीक ढंग से एवं विवेक पूर्वक ढंग से पिरोई हुई होनी चाहिए।

उनसे अवश्य ही धन वसूल कीजिए परन्तु कर वसूली बहुत चुनिन्दा होनी चाहिए। हमें यह निश्चित कर लेना चाहिये। कि हमें किस वर्ग से अधिक वसूली करनी है। यह कार्य दक्षता पूर्वक किया जाना चाहिये। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि किस सीमा तक जाना है कहां रुकना है। गाय को भरपेट खिलाइये ताकि वह आपको अधिक दूध दे परन्तु उससे अधिक दूध प्राप्त करने के लिए उसे सांटा मत मारिये।

हाल ही की बम्बई यात्रा के दौरान मेरा ध्यान एक विज्ञापन-पट पर गया। यह एक लोकप्रिय मक्खन का विज्ञापन था और संदेश स्पष्ट था। मैं उद्धृत करता हूं :

"स्टॉप वी० पी० इंग (वीपिंग) एबाउट द बजट एण्ड सिंग।" श्रीमान जी यह दुर्भाग्य की बात है कि आप मुझे इस महान सभा में रोने या गाने की अनुमति नहीं देंगे। परन्तु आप मुझे बोलने की अनुमति अवश्य देंगे और उस विषय पर बोलने की अनुमति देंगे जिसका वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण में कोई जिक्र नही है उन्होंने इस महान देश के अमीरों से लेकर गरीबों तक सभी वर्गों का उदाहरण दिया है, उन्होंने साधारणतम व्यक्तियों के सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त की, उन्होंने लगभग सभी व्यवसायों, उद्योगों, सिगार से लेकर सिगार लपेटने के समान एवं चरुट तक का जिक्र किया है, पर बड़े खेद की बात है कि उन्होंने फिल्म उद्योग का जिक्र नहीं किया।

भारतीय फिल्म उद्योग जो देश में सबसे बड़ा है।..... (व्यवधान)

वित्त मंत्री महोदय (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : यह हमारे पेशे से काफी मिलता जुलता है।

श्री सुनील दत्त : फिल्म उद्योग जो 10 लाख लोगों को रोजगार व अन्य प्रकार से रोजगार प्रदान करता है, जिसमें 2150 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है और जो प्रत्येक वर्ष सरकार को 500 करोड़ रु० विभिन्न करों के रूप में देता है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उसका बजट में कोई जिक्र नहीं है उसे कोई राहत प्रदान नहीं की गई है।

परन्तु माननीय मंत्री पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ मैं जानता था। कि यह आ रहा है। मुझे यह तब ज्ञान हुआ जब यह मैंने उनको दूरदर्शन पर अपनी प्रिय धर्मपत्नी को बढ़ती कीमतों से हुए घाटे की पूर्ति करने का तरीका बताते देखा था। दे अपनी धर्मपत्नी को सुझाव दे रहे थे। कि वह सप्ताह में एक बार फिल्म देखने जाती हैं, उसे बन्द कर दें। इस प्रकार यह 6 रु० बचा सकती हैं और उस राशि को वे अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में ला सकती हैं। माननीय मंत्री महोदय यह भूल गए हैं कि राज्य सरकारों का 400 करोड़ रु० का राजस्व घाटा वे किस प्रकार पूरा करेंगे (जो राज्य सरकारों को मनोरंजन कर के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मिलता है।) इस घाटे की पूर्ति के लिए राज्य सरकारें केन्द्र से रुपयों की मांग करेंगी यद्यपि माननीय मंत्री ने शराब न पीने सिगरेट न पीने और तम्बाकू न पीने का सुझाव नहीं दिया जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

मैं इस सम्भावित सभा का ध्यान महत्वपूर्ण मुद्दों से हटाकर फिल्म उद्योग जिसे कुछ सदस्य महोदय तुच्छ मानते हैं, के दुखों की तरफ नहीं लाना चाहूंगा। परन्तु फिल्म उद्योग के पास कटु अनुभव दुःखों भरी कहानियां एवं कहने को और भी बहुत कुछ है।

मैं एक ऐसे उद्योग के अस्तित्व के लिए दलील दे रहा हूं जिसने सरकार को कुछ लिए बिना बहुत कुछ दिया है। ऐसा कौन सा प्रचार माध्यम है जिसने इतनी अच्छी साख बनाई है, जिससे हमारे देश की कला एवं संस्कृति का प्रसार विदेशों में किया है? सरकार के प्रयासों के बिना ही देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी प्रशंसा एवं सम्मान किसने दिलवाया है? भारतीय फिल्मों के अतीत के दिग्गजों के योगदान की कौन उपेक्षा कर सकता है। उन लोगों ने जिन्होंने अपने खून से इस उद्योग को सींचा और फिर विस्मृति के अंधकार में चले गये भारतीय फिल्माकार पर अभी भी महबूबखान, सोहराब मोदी, हिमांशु राय, देवकी बोस, एस० एस० वासन, ए० वी० एम चेट्टियार पृथ्वीराज कपूर, मोतीलाल, चन्द्र मोहन, उत्तम कुमार व संजीव कुमार जैसे सितारों की चमक बाकी है।

दूसरे लोग जैसे शान्ताराम, राज कपूर, सत्यजीत राय, मृणाल सेन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय एम० जी० रामचन्द्रन, आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री माननीय एन० टी० रामाराव, शिवाजी गणेशन, कर्नाटक के राजकुमार, केरल के प्रेम नजीर तथा अन्य बहुत से कलाकारों ने भी जो कि पथ प्रदर्शकों के पद चिन्हों पर चलकर आये हैं बहुत अच्छा कार्य किया है तथा देश को सम्मान दिलाया है।

एक नाम है पंडित जवाहर लाल नेहरू का, जो भारतीय सिनेमा के महान संरक्षक थे। ऐसे समय में जब सिनेमा को बुराई समझा जाता था, इसके कलाकारों को जाति से निकाल दिया जाता था, समाज से तिरस्कृत कर दिया जाता था और घृणा से देखा जाता था, उस समय इस शक्तिशाली माध्यम के विकास, इसकी महत्ता, सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों को चिंतित करने की इसकी शक्ति और ओजस्विता तथा अपने प्रिय देश की अनपढ़ जनता को शिक्षित करने तथा मनोरंजन करने का श्रेय पंडित नेहरू की दूरदर्शिता को जाता है।

हमारे महान संसदविद् पंडित जी ने निष्ठावान सुधारक के रूप में कलाकारों को अपने साथ लेकर इस मरणासन्न छोटे से समूह में नयी चेतना का संचार किया। जब फिल्म उद्योग अभी नवजात शिशु के रूप में उभर रहा था, उस समय सार्वजनिक रूप से उन्होंने फिल्म कलाकारों को

[श्री सुनील दत्त]

अपने साथ रखा। क्योंकि वह प्रबल सुधारवादी तथा मूर्तिभंजक थे। जब तक आज जैसी प्रतिष्ठा और सम्मान इसने नहीं प्राप्त कर लिया तब तक उन्होंने इसका पोषण किया उसे लाड़-प्यार दिया बीमार बच्चे तथा कमजोर व्यक्ति की तरह के इस उद्योग का हर प्रकार से मार्ग दर्शन किया।

उनके कार्यकाल के दौरान 1952 में भारतीय फिल्म उद्योग का एक प्रतिनिधि मण्डल मास्को भेजा गया था और बाकी सब इतिहास है। अगले तीस वर्षों तक सोवियत संघ वासी भारतीय फिल्मी गीत गुनगुनाते रहे।

अमरीका, मध्यपूर्व तथा अफ्रीका में उसी प्रकार का एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया था। आज भारतीय गीत गाने के लिए अफ्रीकावासी हिन्दी सीखते हैं। पांचवे दशक में हमारे देश ने जो महान सांस्कृतिक प्रगति की, उसका श्रेय इस दौरान बनायी गयी फिल्मों तथा पंडित जी ने इसके लिए जो कुछ किया, उसको दिया जा सकता है। भारतीय फिल्म उद्योग अपनी आज की स्थिति के लिए इस महान व्यक्ति की ऋणी है। यदि फिल्म उद्योग की ओर से आपके समक्ष खड़ा हुआ मैं इस सम्मान्य सदन को सम्बोधित कर रहा हूं, तो इसका श्रेय भी उनकी महान दूरदर्शिता को ही जाता है।

मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। फिल्म उद्योग के व्यक्ति उनको कभी नहीं भूले हैं। वे पंडित नेहरू के महान, धर्म निरपेक्ष, शक्तिशाली तथा प्रगतिशील भारत के सपनों को कभी नजर-अन्दाज नहीं करते हैं।

राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में सिनेमा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। यदि हिन्दी सारे देश में समझी जाती है तो इसका श्रेय आंशिक रूप से हिन्दी सिनेमा को जाता है। यदि लोग अनसुने स्थानों पर हिन्दी गीतों को गुनगुनाते हैं तो इसका श्रेय किसी अन्य को नहीं बल्कि हिन्दी सिनेमा को ही जाता है। भारतीय सिनेमा की प्रगति में कुछ व्यक्तियों का विशेष उल्लेख किये जाने की आवश्यकता है। हमारी फिल्मों ने दहेज, विधवा पुर्नविवाह, छूआछूत, वेश्यालयों में कष्ट का जीवन जी रही हमारी अभागी बहनों के भाग्य और उनके पुनर्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा सौ गुना अधिक प्रभावशाली तरीके से निरूपित किया है।

एक थके तथा युद्ध से टूटे हुए जवान के हृदय को कोई अन्य चीज उतना खुश नहीं करती है जितना कि उसके सामने कुछ मीटर दूर सफेद पर्दे पर गुनगुनाती और नाचती हुई सुन्दर नायिका का दृश्य। केवल एक सिपाही ही बता सकता है। कि उसने कैसा अनुभव किया है अपनेपन की भावना तथा सोहार्दता तथा मनोबल को उठाने की भावना जो कि एक जवान को शस्त्र उठाने तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। प्रत्येक अवसर पर, जब हमारे जवानों ने युद्ध के लिए शस्त्रास्त्र धारण किये हैं और सीमाओं पर गये हैं, हमने ऐसा किया है।

प्राकृतिक विपत्तियों के समय फिल्म उद्योग लोगों के साथ रहा है तथा उनके दुखों में हिस्सा बटाया है जो कि प्रकृति की नाराजगी के शिकार बने हैं। अपने घरों से उजड़े तथा धन-सम्पत्ति छोड़कर आये लोगों के पुनर्वास हेतु उनके बरबाद हो गए खेतों के पुनर्निर्माण हेतु उनमें नए बीज बोने हेतु नयी आशा तथा नया जीवन शुरू करने हेतु उन्होंने आवश्यक पैसा जुटाया है।

मैं माननीय मन्त्री तथा सम्मानीय सदस्यों से चाहता हूं कि वे फिल्म जगत व उसकी शान फ्लैश लाइट्स, बड़े-बड़े सेट तथा चकाचौंध के सम्बन्ध में अपनी विचार धाराओं और पूर्वाग्रहों को त्यागें और कृपया खुले दिल से जो मैं कहता हूं उसे सुनें। फिल्म उद्योग के पुराने रास्ते से मैं आपको ले जाना चाहता हूं वह भावशून्य तथा अंधेरी पगडन्डी जिसे आप लोग नहीं जानते हैं। इस उद्योग का वीभत्स पहलू जो कि अति चकाचौंध के कारण आपसे सदैव दूर ही रहा है। आप केवल अशोक कुमार, दिलीप कुमार धर्मेन्द्र और जितेन्द्र को ही वहां नहीं देखेंगे। वे फिल्म उद्योग नहीं हैं बल्कि फिल्म उद्योग के उत्पादन हैं।

आप वहां पर हजारों कर्मचारियों को देखेंगे जो अपनी रोजी-रोटी के लिये कैमरे के पीछे कठिन परिश्रम करते हैं। आप वहां पर 'क्लेपर नो आय' प्रकाश व्यवस्था करने वाले, नर्तक वेश-भूषा तैयार करने वाले, साज-सज्जा वाले सेट, साउन्ड, करतब प्रकाश सहायक, अन्य काम करने वाले, डायलाग आवाज रिकार्ड करने वाले और अन्य बहुत से लोग मिलेंगे जो कि धैर्य पूर्वक उतना ही कठिन कार्य करके अपनी तथा अपने परिवारों की रोजी-रोटी कमाते हैं। समाचार-पत्रों और चमक-दमक वाली पत्रिकाओं में जिस प्रकार फिल्म उद्योग के जीवन का चटकीला चित्रण किया जाता है जो हमें आकर्षित करता है, वैसा नहीं होता है। इस तड़क-भड़क के पीछे एक अलग कहानी होती है।

यहां अधिकांश व्यक्ति प्रतिभाशाली सितारे, अकीर्तित कलाकार मिट गये हैं। शायद आप विगत वर्षों के दो महान कलाकारों मोतीलाल और चन्द्रमोहन को नहीं जानते जिनकी मृत्यु दरिद्र के रूप में हुई। महान कलाकार मीना कुमारी को लें। आयकर विभाग ने उनकी मृत्यु के बाद करों की वसूली के लिये इनकी कार और फ्लैट की नीलामी की थी जबकि इनके फ्लैट को भारतीय सिनेमा की इस महान त्रासदी साम्राज्ञी के स्मारक के रूप में घोषित किया जाना चाहिए था।

अब इस फिल्म उद्योग के उन तथ्यों को देखें कि यह किस प्रकार से बड़ा है जिसे बजट भाषण में भी स्थान नहीं मिला :

1. 1984 में फिल्मों के उत्पादन की संख्या	833
2. वर्ष के दौरान नावनन आफिस वसूली	451.79 करोड़ रुपए
3. वसूल किया गया मनोरंजन कर	330 करोड़ रुपए
4. अन्य कर (लगभग)	100 करोड़ रुपए

इस उद्योग में स्थायी आधार पर 3 लाख लोग, नैमित्तिक आधार पर 20,000 लोग काम करते हैं और अन्य स्थानों पर 5 लाख लोग फिल्म उद्योग से सम्बद्ध हैं। उनमें से यह 10 लाख लोगों के जीवन-निर्वाह की व्यवस्था करता है, साइकिल स्टैण्ड, पान सिगरेट वाला, पूरे देश में सिनेमा घरों के बाहर खोमचे वाले जैसे कुछ इस प्रकार के असंभाव्य स्थान, इश्तहार लगाने वाले, मुद्रक, प्रचार एजेंट और होर्डिंग मेकर जिसमें रिक्शा खींचने वाला भी शामिल है जो बहुत गरीब वर्ग का है तथा जो रात्रि शो के बाद दम्पति को घर तक पहुंचाते हैं।

और पूरे देश में सिनेमाघरों की संख्या (31-3-1985 के अनुसार) 12,448 है। इन सिनेमाघरों के लिए जो लोगों की लाइन बनती है उसकी अविश्वसनीय संख्या 1.3 करोड़ प्रतिदिन है।

[श्री सुनील दत्त]

इस 1.3 करोड़ लोगों को उन 1 करोड़ से कम लोगों के साथ तुलना करें जो प्रतिदिन भारतीय रेलों में सफर करते हैं। उस पर हर समय 17 लाख लोगों की संख्या प्रतीक्षा करती है। उनके पास सदा के लिए पूर्ण मंत्रालय है। सरकार ने इस क्षेत्र में असम्भव ढंग से 10,377.3 करोड़ रुपए रखा है। देश में इस विभाग के पास आय का सबसे अच्छा साधन है। फिर भी 500 करोड़ रुपए की तुलना में गत वर्ष में इसके विशाल आकार, फिल्म से वे ठीक 270.10 करोड़ रुपए का राजकोष लाए जब कि फिल्म उद्योग ने उसी वर्ष के दौरान, सरकार की कोई वित्तीय सम्बद्धता न होते हुए 2150 करोड़ रुपए का पूरा निवेश किया (थियेटरों पर 1600 और अन्य पर 550) जो इन वर्षों में गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा) ने पूरी तरह से जुटाया गया है।

मैं जानता हूं कि मेरी तुलना ठीक नहीं है लेकिन यह किसी तरह से असंगत नहीं है मैं केवल आपको इस उद्योग के प्रति सरकार की उदासीनता के बारे में अपनी बात बताना चाहता हूं।

यदि आपके दिल बहलाने के लिए फिल्म उद्योग की कहानी शुरू की जाती है तो कुछ और आंकड़े हैं :—

1. 1984-85 में फिल्म उत्पादन की लागत—250 करोड़ रुपए
2. फीचर फिल्मों का आयात—100 संख्या
3. अपरिष्कृत चलचित्रों का आयात—9.10 करोड़ रुपए

(आयात सरणीवद्ध करना)

सभी भाषाओं, में अलग अलग फिल्म पत्रिकाओं की संख्या 500 है। क्या किसी को हमारी साक्षरता पर संदेह है ? उसके अलावा, पत्रिकाओं, समाचारपत्रों में लगभग 1,800 पृष्ठ फिल्मों के बारे में होते हैं। ये कालम बहुत प्रसिद्ध हैं। अतः 500 पत्रिकाएं पूरी तरह से फिल्मों पर लगी हुई है जो कर्मचारी वर्ग, लेखक, फोटोग्राफर, मुद्रक, पुस्तकों की दुकान आदि हजारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती हैं।

उपर्युक्त के अलावा अगभग 60,000 वीडियो पार्लर। थियेटर हैं और देश में लगभग 30,000 वीडियो लाइब्रेरी हैं हालांकि ये गैर कानूनी है फिर भी वे फिल्म उद्योग पर निर्भर करती हैं। मुझ पर विश्वास कीजिए परन्तु यह सच है। कोई भी 3 × 7 इंच के आकार का प्लास्टिक केस जिसका वजन 150 ग्राम है वह इस बड़े उद्योग को बन्द करने की सूचना देता है।

वीडियो चोरी की धोखाधड़ी में 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित धनराशि लगी हुई है। वीडियो की दुकानें पैसा कमाने के केन्द्र हैं। वे देश में कहीं भी इसे चालू करते हैं तथा अत्यधिक काला धन बनाते हैं।

वीडियो चोरी से देश की अर्थ व्यवस्था बहुत अधिक गिरती जा रही है। यदि इस 1000/- करोड़ रुपए को फिल्म उद्योग में सही तरीके से खर्च किया जाए जिसका इससे सीधे संबंध है तो सरकार इससे राजस्व प्राप्त कर सकती है।

इसके अलावा, देश में 12000 से भी अधिक सिनेमाघरों को जो कानूनी कार्य कर रहे हैं और इनसे लाखों लोगों को रोजगार मिलता है, नुकसान पहुंच रहा है।

आप में से कुछ जानते होंगे कि कुछ समय पहले फिल्म व्यावसायिकों की आय से राष्ट्र को मजबूत बनाने के प्रयासों में सम्बद्ध करने के लिये सरकार ने वार्षिकी योजना शुरू की है। इस क्षेत्र के व्यावसायिकों में से काले धन को समाप्त करने में भी यह सुव्यविस्थत रूप से छिपा हुआ व्यवसाय था। इस योजना के अन्तर्गत निर्माता कलाकारों को देय पारिश्रमिक का एक भाग सीधे जीवन बीमा निगम को जमा करता है जहां हमारे सरकार के विकास की गतविधियों के लिए इसे लगाया जाता है। हमें केवल खुशी है। और जब अवधि के अन्त पर पैसा दिया जाता है तो इस पर कर लगा होता है। हमें कोई शिकायत नहीं है। हर प्रकार से उचित है। देश का कानून है। परन्तु यह शुरू में था। उच्चतम न्यायालय के सी० डब्ल्यू० टी० (उड़ीसा) बनाम वी० आर० बद्रीनारायण मूर्तिराजा (1985) के अत्यधिक अस्पष्ट उलझे हुए मामले से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने वार्षिकी कर अर्थात बकाया पारिश्रमिक देना खुशी से शुरू किया। उनका तर्क यह है कि वे समझते हैं कि वार्षिकी योजना में बकाया पारिश्रमिक किसी के धन से संबंधित होता है।

मैं ब्यौरों में नहीं जा रहा हूं। इसकी सरकार को अच्छी तरह से जानकारी है। सरकार को बहुत सी याचिकाएं प्राप्त होती हैं और सरकार से कुछ तीक्ष्ण टालमटोल जवाब आता है।

परन्तु क्या उस धन पर कर उचित है जो धन नहीं है, जो वस्तुतः मालिक के लिए उपयोगी नहीं है? एक बार इस प्रकार से धन को बांट दिया जाता है तो यह अच्छे कार्य के लिए जाता है। मालिक इसको तब तक नही लेता है जब तक कि यह अदायगी के लिए देय न हो। इन सभी वर्षों के दौरान मालिक को इस पर कोई अधिकार नहीं होता है, किसी भी तरह से इसका कुछ भी उपयोग नहीं होता है। वह इस पर ऋण नहीं ले सकता, इस नाम के धन की जमानत पर कोई बैंक ऋण नहीं देगा। इसके विपरीत यदि वह एक मकान, एक कार या जवाहरात लेता है तो वह ये सब कुछ और अधिक कर सकता है। सही रूप से यह उसकी सम्पति हैं।

1.00 म० प०

इसी तरह पिछले 20 वर्षों से फिल्म उद्योग फीचर फिल्मों को रिलीज प्रिंटों पर लगाए गए अत्यधिक उत्पाद शुल्क में कमी करने के लिए तर्क कर रही है परन्तु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। आप जितने अधिक प्रिंट लेते हैं उतने ही अधिक उत्पाद शुल्क बढ़ते हैं। यह 30,000 रुपये प्रति प्रिंट तक हो सकता है जो प्रिंट की लागत से भी अधिक है। उत्पाद शुल्क पर कमी आवश्यक है ताकि उत्पादक अपने निवेश की वसूली करने तथा वीडियो की चोरी करने वालों की चुनौती का सामना करने के लिए अधिक प्रिंटों को बना सकें।

नए बजट में कच्चे स्टाक पर सीमा शुल्क बढ़ दिया गया है। इसी तरह, अरक्षित फिल्म पर उत्पाद शुल्क भी बढ़ गया है जो फिल्म उद्योग को 8 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त कर डालती है। यदि यह जो केन्द्रीय सरकार कर रही है तो हमारी राज्य सरकारें अपनी छोर से फिल्म उद्योग के लिए कोई बेहतर कार्य नहीं कर रही है। कुछ राज्यों में मनोरंजन कर टिकट के मूल्य से 18090 तक अधिक है। मनोरंजन कर में एक टिकट की कीमत का सबसे अधिक हिस्सा

[श्री सुनील दत्त]

होता है। अतः किसको हानि हो रही है ? किसका शोषण किया जा रहा है ? केवल निर्धनों का जिनके लिए सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन है।

जनता के स्वास्थ्य, कल्याण, खेलकूद और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय राजकोष से लाखों रुपया खर्च किया जाता है। यदि स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण है तो मनोरंजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गरीबों को इस मनोरंजन से वंचित क्यों किया जाता है ? सभी सांसारिक चिंताओं, दुखों, थकावट शारीरिक तथ्य दिमागी परेशानी से आराम के लिए जिसे वह मजे में देखता है उसे उसकी खुशी से क्यों वंचित किया जाता है ? यहां मैं विख्यात 'बट्रांड रसला' की एक कहावत याद दिलाता हूं; मैं उद्धृत करता हूं :

"फुरसत विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है और फुरसत का विकास अर्थव्यवस्था के विकास का नेतृत्व करता है"

संक्षेप में, आज देश में फिल्म उद्योग बहुत अधिक भारी करों से दबा हुआ है, इसकी अत्यधिक कठोरता से उपेक्षा की जाती है और इसे इस समय अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है। उसकी दशा उस विन्काफ हैंगर की तरह है जिसे हम गत वर्षों की कई फिल्मों में देखा करते हैं।

वहां डांवाडोल स्थिति पर यह सुन्दर युवती खड़ी थी जो अपने मजबूत हाथों को फैलाते हुए हांफते-हांफते बचाने के लिए कह रही थी। लेकिन कौन परवाह करता है। वह नायक जिसे उसकी मदद करनी होती है वह अन्त में खलनायक के साथ खूंखवार लड़ाई में लगा हुआ होता है। परन्तु हम हमेशा यह जानते हैं कि नायक खलनायक पर काबू पा लेगा, उस पर विलफ की ओर झपटेगा तथा युवती को सही समय पर बचाएगा।

परन्तु शायद ही फिल्म उद्योग जानता है कि एक दिन वह वास्तविक जीवन में इस प्रकार के भविष्य पर आश्रित हो जाएगी और उसके आश्रित होते समय हमारे नायक अर्थात माननीय वित्त मंत्री उस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं आपके भाषण को सुन रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा धैर्यपूर्वक पूरे भाषण को सुन रहे हैं।

श्री सुनील दत्त : महोदय, आज फिल्म उद्योग विन्लाफ हैंगर है। क्या वह अपनी पकड़ खोएगी, वह उसके समीप है, उसे बहुत तंग स्थिति बुला रही है जहां से वापस नहीं आया जाता। क्या उसकी निराशा की अत्यंत दुःख की चिल्लाहट कोई सुनता है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रियों और मेरे माननीय साथियो मैं आपके सामने फिल्म उद्योग के प्रवक्ता के रूप में नहीं आया हूं बल्कि उन लाखों लोगों की ओर से आया हूं जिनके लिए उद्योग के पतन की बर्बादी की सूचना हो सकती है। एक समय मैंने इस सुन्दर जहाज के कैप्टन के रूप में उत्तरदायित्व लिया जो कि तेजी से डूब रहा था। किसी न किसी को काम करना होगा। साहसिक मोरेसियस की तरह जो अपने वंश के लिए इजिप्शन फारो के न्यायालय में तर्क के लिए खड़ा हुआ, मैंने इसको बचाने के लिए निवेदन किया। मैं मानता हूं कि

[श्री चरनजीत सिंह वालिया]

पंजाब को नहीं दिया गया तथा यही सबसे बड़ी असफलता महत्वपूर्ण कार्य है। इस संबंध में जितनी देर होगी वातावरण उतना ही खराब होगा। सैकड़ों-हजारों निर्दोष लोग अभी भी जेलों में हैं। वे लोग जोधपुर तथा अजमेर की जेलों में सड़ रहे हैं। सिमरनजीत सिंह मान जेल में हैं। प्रो० दर्शन सिंह रागी भी अभी जेल में हैं। जब तक इस स्थिति में सुधार नहीं लाया जाता तब तक आप सिख समुदाय के विश्वास को नहीं जीत सकते। मेरे विचार से सत्तापक्ष तथा सरकार को अल्पसंख्यकों का विश्वास जीतना चाहिए। यह एक अच्छी बात होगी। दिन-प्रति-दिन सत्तापक्ष अल्पसंख्यकों का विश्वास खोता जा रहा है।

हर रोज पंजाब में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की बात की जाती है। हमारा सुझाव है कि आप देश के सभी राज्यों का सर्वेक्षण करायें, आंकड़े तथा तथ्य इकट्ठे करें तथा फिर उनकी तुलना करें। आप पायेंगे कि किसी भी राज्य की तुलना में पंजाब हालत ज्यादा खराब नहीं है। किसी भी तरह की हत्या, राजनैतिक हत्यायें नहीं होनी चाहियें। परन्तु कोई भी ऐसा राज्य है जहां पर हत्यायें न होती हों? मैं इससे सहमत नहीं हूं। परन्तु केवल पंजाब को ही अलग-अलग क्या किया जाता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ऐसी घटनाएं भारत में हुई तो सिखों के लिए विशेष कानून बनाये गये, उनके लिए विशेष अदालतें गठित की गईं, साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया गया। क्या यह सिखों के साथ भेदभाव नहीं है? हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई यह बहुत गलत था। यह निन्दनीय बात थी, कोई भी व्यक्ति इसकी सराहना नहीं करेगा। परन्तु इस घटना के बाद हजारों लोग मारे गये, दिल्ली, कानपुर, बोकारो तथा देश के अन्य मात्रा में लोगों को बुरी तरह मारा गया। क्या मैं जान सकता हूं सरकार द्वारा कितने लोगों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई? कितने लोगों को दोषी पाया गया?

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिये।

श्री चरनजीत सिंह वालिया : महोदय, अपने दल की ओर से सिर्फ मैं ही एकमात्र सदस्य बोल रहा हूं। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? प्रत्येक दोषी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से घूम रहा है। उनसे निपटने के लिये कोई कानून नहीं बनाया गया है और यदि कानून के तहत किसी को गिरफ्तार भी किया गया था। तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। क्या यह भेदभाव नहीं है? यह स्थिति तभी सुधर सकती है अगर हमारे प्रधान मंत्री जी किये गये समझौते को लागू करें। मुझे ताज्जुब है कि उनके नजदीक के कुछ जिम्मेदार लोग हर रोज वक्तव्य जारी करते हैं और विषय को उलझा रहे हैं और प्रधान मंत्री को असमंजस की स्थिति में डाल देते हैं।

एशियाई खेलों के समय कोई भी सिक्ख नाराज नहीं था परन्तु सम्मानित सेनापतियों, उच्च अधिकारियों तथा महिलाओं को आने से रोका गया तथा सिक्खों को नाराज होने पर मजबूर किया गया। अतः मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह के खराब लोगों के गुट को समाप्त करें उन्हें चुप रहने के लिए कहें तथा अपने द्वारा किये गये समझौते को ईमानदारी एवं गम्भीरता से क्रियान्वित करें।

जल तथा उद्योगों के मामले में हमारे साथ भेद-भाव बरता जा रहा है। आपने चार या पांच परियोजनाऐं दी हैं और आप कहते हैं कि इससे रोजगार सम्भावनाऐं बढ़ेगीं परन्तु केन्द्रीय

द्वारा पंजाब में किस तरह की स्थिति पैदा की गई थी। महोदय, आप जानते हैं कि पंजाब में संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण मोर्चा चलाया जा रहा था। पिछला रिकार्ड तथा इतिहास मुझे याद दिलाता है कि 1921 से जब से अकाली दल बना, देश की आजादी के लिए तथा पंजाब के अधिकारों के लिए कई मोर्चे आयोजित किये गये तथा ये सभी मोर्चे शांतिपूर्ण एवं अहिंसात्मक रहे। हाल ही में आयोजित किया गया मोर्चा भी अहिंसात्मक था। यह हमारा सिद्धांत तथा विश्वास है कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। हमने किसी भी प्रकार की हिंसा में कोई हिस्सा नहीं लिया। उग्रवाद तथा आतंकवाद किस प्रकार शुरु हुआ इस बात की जांच करने के लिए एक सरकार को एक आयोग की नियुक्ति करनी चाहिए। पिछली सत्ताधारी दल के कुछ प्रभावशाली एवं राजनैतिक व्यक्तियों की ही वजह से ऐसा वातावरण बना जिससे आतंकवाद की शुरुआत हुई सिक्ख लोग न तो उग्रवादी हैं और न ही आतंकवादी। देश की आजादी के लिए हमने अत्यधिक बलिदान किये जो हमारी संख्या से भी कहीं ज्यादा है। जब भारत से लोकतंत्र समाप्त हो गया था तो अकाली दल तथा सिक्खों ने इसे पुनः लाने के लिए जोरदार लड़ाई की। अकाली दल द्वारा लगाए गए मोर्चा की वजह से ही लोकतंत्र की वापसी हुई। आज आप और हम सिखों तथा अकाली दल के बलिदानों के फलस्वरूप ही यहां बैठे हैं। जब कभी भी बाहरी देशों ने हमला किया चाहे वह चीन ने किया हो या पाकिस्तान ने, हम लड़े तथा जानें दी तथा भारत की आजादी के लिए खून की आखिरी बूँद भी बहाई। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम देश की स्वतन्त्रता, एकता तथा अखण्डता के लिए अपनी अन्तिम सांस तथा खून की आखिरी बूँद तक लड़ते रहेंगे। परन्तु इस सबके बावजूद भी हमें उग्रवादी कहा जा रहा है तथा हम जैसे देश भक्तों को भारत के देशद्रोही कहा जा रहा है। लोक सभा के पिछले चुनावों में, सत्ताधारी दल तथा प्रधान मंत्री जी ने आनन्दपुर साहिब को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा तथा इस तरह का वातावरण पैदा किया जो उन्हें पैदा नहीं करना चाहिए था।

हम चाहते हैं कि राज्यों को अधिक स्वायत्ता दी जाए। विश्व के दो शक्तिशाली देशों, अमरीका तथा सोवित संघ ने जो संघीय देश हैं, अपने राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दी है। इस तथ्य के बावजूद कि ये अत्यधिक शक्तिशाली देश हैं। अगर भारत राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता दे तो भारत कमजोर किस तरह हो सकता है। इसके विपरीति, भारत भी इन दो देशों के भांति शक्तिशाली एवं मजबूत होगा। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य ज्यादा संघीय होना चाहिए तथा राज्यों को अधिक स्वायत्ता प्राप्त होनी चाहिए। हमें राज्यों को शक्तिशाली बनाना चाहिए तथा इससे हम देश को शक्तिशाली बना सकते हैं। ऐसा सम्भव है अगर राज्यों को ज्यादा स्वायत्ता दी जाये तथा मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे सरकारी या आयोग को अपना प्रतिवेदन जल्दी प्रस्तुत करने के लिए कहें। उसके पश्चात, हमारे प्रधान मंत्री जी, जो उत्साही, प्रगतिशील कर्मठ हैं, परन्तु एक शक्तिशाली गुट से घिरे हुए हैं स्थिति में सुधार लाने के लिए पहल कर सकते हैं। उन्होंने पंजाब तथा असम समझौते पर हस्ताक्षर किए परन्तु उन्हें लागू नहीं किया गया हैं। वह कहते हैं कि वे ईमानदार हैं तथा उन्हें क्रियान्वित करेंगे। परन्तु मेरे विचार से वे अपने कार्य में असफल हो रहे हैं। वही एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इसे लागू करवा सकते हैं।

हमने भारी कीमत चुकायी है। हमारे अध्यक्ष, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किये इसके लिए अपना बलिदान दिया ताकि भारत तथा पंजाब में शान्ति बनी रहे। परन्तु अब सारी जिम्मेदारी प्रधान मंत्री जी पर है जो इस समझौते के उत्तरजीवी हैं। 26 जनवरी को चण्डीगढ़

[श्री चरनजीत सिंह बालिया]

की है जब इनके मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नीचे गिर रहे हैं। आपने कीमतें बढ़ा दी हैं तथा आप दावा करते हैं कि इससे मुद्रा स्फीति पर असर नहीं पड़ेगा। परन्तु इन कीमतों का असर 4 या 5 महीनों बाद पता चलेगा जब से 20 या 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगी। आपने पंजाब तथा भारत के किसानों के बारे में नहीं सोचा। पंजाब के सिक्ख तथा अकाली दल के लोगों का जीवन कृषि पर निर्भर है तथा भारत के 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। आप ने पंजाब के किसानों को कमजोर बना दिया है तथा भारत के किसानों को कुचल दिया है। आपको किसानों को ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए। आपको कृषि संबंधी आदानों की कीमतों में कमी करनी चाहिए थी, उनके उत्पादन के लिए उन्हें लाभकारी मूल्य देना चाहिए था तथा फसलों के बदलाव के लिए ज्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए था।

1.07 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मेरे विचार में यह बजट शहरी लोगों के लिए है। लम्बे समय से हम सुनते आ रहे हैं कि सरकार शहरी सम्पति पर सीमा लगाने के बारे में सोच रही है। कृषि संबंधी सुधार अच्छी बात है। आपने इस संबंध में तो भूमि सीमा लागू की है परन्तु मैं नहीं जानता कि आपने गरीबी हटाने के लिए शहरी सम्पत्ति की उच्चत्तम सीमा निर्धारित करने का सर्वाधिक प्रभावी तथा प्रगति शील निर्णय क्यों नहीं लिया है? इसके लिए आपको तुरन्त ही कानून लाना चाहिए। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि अगर प्रधान मन्त्री जी इसे वाकई करना चाहते हैं तथा सरकार भी गंभीर है तथा सत्तादल भी ऐसा ही सोचता है तो उच्चत्तम सीमा अवश्य ही लागू की जानी चाहिए। आपको ऐसा भारतवासियों की भलाई के लिए करना चाहिए। विशेषरूप से अगर आप काले धन को तथा सामान्तर अर्थ-व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं तो आपको शहरी सम्पत्ति पर उच्चत्तम सीमा अवश्य ही लगानी चाहिए तथा उस सम्पत्ति तथा पैसे को निर्धन एवं जरुरतमंद लोगों में बांट देना चाहिए।

मेरे विचार में हमारी सरकार बहुत से वर्गों के साथ भेद-भाव करती तथा पंजाब इससे सबसे ज्यादा प्रभावित है। कृषि क्रांति में पंजाब अग्रणी रहा है। अब हम ज्यादा से ज्यादा विद्युत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में सम्पूर्ण पन-बिजली क्षमता का उपयोग कर लिया है। उसके बाद पंजाब ने दो ताप विद्युत संयत्रों की स्थापना की है परन्तु वे बहुत मंहगे हैं क्योंकि कोयला पंजाब से काफी दूर है। इसलिए हम इस समय आणविक विद्युत संयत्रों की आवश्यकता है। आणविक विद्युत संयंत्र की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जुलाई, 1982 में एक केन्द्रीय दल पंजाब गया था। तथा उसने पटियाला जिले के पन्ना क्षेत्र में तथा रोपड़ जिले के चमकौर साहिब में एक-2 आणविक विद्युत संयंत्र लगाने की सिफारिश की थी मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस पर कोई भी कार्यवाही क्यों नहीं की गई। इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए तथा पंजाब में आणविक विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

पंजाब के साथ लगातार कई मामलों में भेदभाव किया जाता रहा है। आपको तो मालूम ही है कि इन दिनों भारत में किस तरह का वातावरण है तथा पिछले तीन वर्षों में पिछली सरकार

यह घोर संकट है कि यह मुझे हमारे महान देश के नागरिकों के उच्च न्यायालय में लाया है ताकि मैं अपने उन लोगों के लिए समर्थन कर सकूं जो भारतीय फिल्म उद्योग के लोग नहीं हैं परन्तु पूरे देश के लोग हैं जो बहुत गरीब, साधारणों के बीच बहुत साधारण हैं।

कृपया इसे ऐसे मत देखिए कि सुनील दत्त ने इसे आवेशपूर्ण रखा है। जैसा कि मैं इसे कहता हूं उससे मेरा दिल दुःखता है। मैं एक उद्योग, अत्यधिक संवेदना पूर्ण, तर्क कर रहा हूं— शोक के लिए शांति गीत गाना जो हममें से कोई पसंद नहीं करता मेरा निवेदन है :

1. इस उद्योग को उद्योग का महत्व दिया जाए ताकि बैंकों को इसकी परियोजनाओ के लिए ऋण की मंजूरी की शक्ति मिल जाए।

2. फिल्म कलाकारों तथा अन्य फिल्म व्यावसायिकों की वार्षिकी पर धन कर समाप्त किया जाए उन्हें डाक्टर, वकील, वस्तुविद आदि के समान समझना चाहिए।

3. रिलीज प्रिंटों पर उत्पाद शुल्क को कम करना चाहिए ताकि उत्पादक जितने अधिक प्रिंट लेना चाहे ले सके और वीडियो की चोरी बन्द हो।

4. केन्द्र और राज्यों के बीच मनोरंजन कर की उचित दर को निर्धारित करने के लिए बातचीत शुरू की जाए।

5. देश से वीडियो चोरी के षडयंत्र को समाप्त करने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं।

मेरा केवल यह तर्क है कि रवैये और दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। कुछ थोड़ी अधिक सद्भावना, इसके संरक्षण के लिए सहायता और इसे सही स्थान पर रखा जाए।

अंत में, बाद के दिन के दृश्य पर नजर डालते हुए, भयंकर सन्नाटा और अंधेरे के वातावरण में ठण्डी आवाज के साथ मैं भारतीय लोकतंत्र के इस महान सभा की चेतना में यह प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

भारतीय फिल्म उद्योग से एक एस० ओ० एस :

"क्या वहां कोई है ? किसी भी तरह से कोई है ?

फिल्म उद्योग को दूसरे ज्वाहरलाल नेहरू की आवश्यकता है।

***श्री सरनजीत सिंह वालिया** (पटियाला) : महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट बनाते समय, 'गरीबी हटाओं नारे' का पूरी तरह सार्थक करने की कोशिश की है परन्तु सारा बजट शहरी क्षेत्र के लिये है। ग्रामवासियों, कृषकों तथा किसानों की पूरी तरह अवहेलना की गई है। हम करोड़ों रुपये का खाद्यान्न आयात करना पड़ता था परन्तु अब हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस सम्बन्ध में पंजाब के किसानों ने अगुआई की है। वे इसके पथप्रदर्शक हैं। उन्होंने खाद्यान्न इतनी ज्यादा मात्रा में पैदा किया है कि इस समय भारत खाद्यान्न के मामले में आत्म निर्भर है। बजट से पूर्व करों तथा शुल्कों के लगाए जाने के बारे में घोषणा करना गलत परम्परा है। आपने उस समय पेट्रोलियम उत्पादों, खाना पकाने की गैस तथा अन्य आवश्यक चीजों की कीमतों में वृद्धि

*मूलतः पंजाब में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

परियोजनाओं में एक प्रतिशत पंजाबी व्यक्तियों को भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेगी ?

मैं वित्त मंत्री एवं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे सिक्खों का विश्वास जीतें। हम देशभक्त रहे हैं आज भी हम देशभक्त हैं तथा भविष्य में भी देशभक्त रहेंगे। हमारे रक्त की अन्तिम बूंद देश की स्वतंत्रता के काम आयेगी। तथा हम इसकी अखण्डता एवं एकता के लिए निरन्तर लड़ते रहेंगे सिक्खों में विश्वास रखिये। उन्हें देशभक्त समझिये तथा उनकी नेक नियति पर शंका मत करिये। देश का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने का प्रयास करते हुए हमारे अध्यक्ष लोंगोंवाल साहब ने अपना—बलिदान दिया। प्रधानमंत्री जी को पूरी निष्ठा से इस समझौते को लागू करना चाहिए तथा इसके क्रियान्वयन में जो कुछ भी प्रशासनिक एवं राजनैतिक अड़चने आ रही हैं उन्हें खत्म करके इसे लागू करना चाहिए। इस अनुरोध के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : महोदय जी, सबसे पहले मैं भारत सरकार के वित्त मंत्री को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में जो एक प्रयास किया है, वह सराहनीय है और अगर उसकी तारीफ न की जाये तो यह वित्त मंत्री के साथ ना-इन्साफी होगी।

यह बजट जो सदन में पेश किया गया है, सन्तुलित तो है ही, साथ ही साथ हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के उस लक्ष्य की ओर भी इशारा करता है जो उन्होंने पिछले चुनाव में इस देश की गरीब जनता से, देश के लोगों से वायदा किया था। यह उसकी ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। वित्त मंत्री की तारीफ हम विशेष रूप से इसलिए करेंगे कि उन्होंने समाज के, देश के हर उस वर्ग को छूने की कोशिश की है जो किसी न किसी कारण से पीछे रह गया है और उसको वह मौका, अवसर नहीं मिल सका जिससे समाज में वह उसी प्रकार का जीवन बिता सके, जिस प्रतिष्ठा की वह अपेक्षा करता है।

विशेष रूप से वित्त मंत्री ने एन्टी-पावर्टी प्रोग्राम में जो 65 प्रतिशत का बढ़ावा किया है, इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार इस देश से गरीबी मिटाने का सिर्फ नारा ही नहीं देती बल्कि उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था और जिन कार्यक्रमों की शुरूआत की थी उस पर और अधिक बल देने के लिए और तेजी लाने के लिये वित्त मंत्री जी ने जो कदम उठाया है और आवंटन किया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं।

इसके साथ ही साथ इन्दिरा आवास योजना एक ऐसी योजना है जो वर्षों से हमारे आदिवासी हरिजन भाई जिन के पास रहने को मकान नहीं है, सिर छिपाने की जगह नहीं है, वैसे लोगों के लिए भी करीब 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। इस योजना से एक बहुत बड़ी तादाद को लाभान्वित करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।

एक और नई योजना हमारे वित्त मंत्री जी लाये हैं। देश में रिक्शा चलाने वाले, वाशरमैन, बार्बर, होकर्स और ऐसे अन्य छोटे लोग जिन के पास साधन नहीं हैं, जो मेहनतकश हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है जिससे कि वह कुछ कर सकें, उनके

[श्री तारिक अनवर]

लिए वित्त मंत्री जी ने सबसिडी के साथ कर्ज देने की जो योजना बनायी है, उससे उनको काफी मदद मिलेगी। इससे बेरोजगारी का जो सिलसिला है, उसको भी किसी हद तक रोकने में कामयाब होंगे।

हमारे देश का स्माल-सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। हम जहां पब्लिक सेक्टर में बड़े-बड़े उद्योग लगा रहे हैं, वहीं इस सेक्टर की इंडस्ट्रीज भी हमारे देश की रीढ़ की हड्डी के समान हैं। स्माल-स्केल इंडस्ट्री के जरिये आज हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, उद्योग का रास्ता खोल रहे हैं और पूंजी को एक जगह इकट्ठा करने से रोक रहे हैं। जो एक एक्साइज कनसेशन हमारे वित्त मंत्री जी ने दिया है इससे देश की करीब 85 प्रतिशत स्माल-स्केल इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचेगा।

कहा जाता रहा है कि हमारी सरकार सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पर ही ध्यान देती रही है और उसकी हमदर्दी प्राइवेट सेक्टर के साथ है। यह बजट इस बात का सबूत है कि पब्लिक सेक्टर की तरफ कैसे हमने शुरूआत की थी। देश की आजादी के समय से ही हमने इस पब्लिक सेक्टर को मजबूत किया है। उसी तरह से इस वर्तमान बजट में भी करीब 20.5 प्रतिशत अधिक इनवैस्टमेंट इस बात का प्रतीक है कि हम पब्लिक सेक्टर को इस देश में मजबूत करना चाहते हैं।

इसके साथ ही साथ किसी भी देश की तरक्की के लिए इनफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है। अगर हमारे देश का इनफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो तो हम हर काम को आगे बढ़ा सकते हैं चाहे औद्योगिकीकरण का काम हो या अन्य दूसरे काम हों। इनफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए वर्तमान बजट में एनजी, रेलवे, सरफेज और ट्रांसपोर्ट ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे देश के इनफ्रास्ट्र- बजट को मजबूत करती हैं। इन चीजों को देखते हुए यह जो बजट पेश किया गया है, इससे करीब 23 प्रतिशत इनफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा। यह हमारे देश को आगे बढ़ाने में और तरक्की करने में एक बड़ा अच्छा कदम होगा।

दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो पब्लिक स्कूल हैं वहां पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों; राजनीतिज्ञों तथा जिविलेज्ड क्लास जिसको हम कहते हैं, उनके बच्चे ही पढ़ सकते हैं, तथा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन बेचारे जो गरीब हैं, पिछड़े हुए इलाकों में रहते हैं उनके पास कोई साधन नहीं है कि वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो ऐसे लोगों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए माननीय वित्त मन्त्री जी ने एक नयी स्कीम मॉडल स्कूल चलाने की चालू की है जिसके लिए 25 करोड़ का आवंटन किया गया है। इसके लिए मैं मन्त्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं।

हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष बल ह्यूमन रिसोर्सेज को दिया गया है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, वीमेन वेलफेयर, कल्चर और ब्राडकास्टिंग सम्मिलित है। इसके लिए करीब 40 परसेंट अधिक आवंटन भी किया गया है। वे सारी चीजें इस बात की प्रतीक हैं कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह बहुत संतुलित है और इसमें इस बात की कोशिश की गई है कि इस देश के जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं उनको लाभ पहुंचाया जा सके तथा उनकी सहायता की जा सके।

अन्त में मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बल्क ड्रग्ज पर से जो एक्साइज ड्यूटी एग्जैम्प्ट की है उसकी ओर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके

पीछे आपका मकसद मैं समझता हूं यही हो सकता है कि गरीबों तक जो दवा नहीं पहुंच पाती है उसमें किसी हद तक उनकी मदद की जाए। लेकिन इसको देखने से ऐसा लगता है कि एक तरफ आप मदद करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ उन तक यह मदद ठीक ढंग से पहुंच नहीं सकेगी। आपने करीब 41 बल्क ड्रग्ज पर से एक्साइज ड्यूटी हटाई है लेकिन दूसरी बाकी दवाओं पर दो परसेन्ट अधिक ड्यूटी ड्यूटी लगा दी है। आपने सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्ज के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी हटवाई है लेकिन लाइफ सेविंग ड्रग्ज बराबर इस्तेमाल नहीं होती। इन्सान की जिन्दगी में कभी-कभी ऐसे मौके आते हैं जब उस तरह की दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है लेकिन जो रोजमरी के इस्तेमाल की दवायें हैं, बुखार, खांसी, जुकाम, जैसी छोटी मोटी बीमारियों के इलाज के लिए जिन दवावों की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए जो गरीब लोग हैं उनको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। हम चाहेंगे कि कहां आपने लाइफ सेविंग ड्रग्ज से एसाइज ड्यूटी उठाई है वहीं इस बात की भी कोशिश करें और विचार करें कि मामूली बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं पर से भी एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक दवा पहुंच सके।

इस शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इस बजट के लिए माननीय वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती शीला दीक्षित (कन्नौज) : मैं भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986-87 के लिए पेश किए गए बजट का समर्थन करता हूं। मैं विशेष रूप से वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने गरीबी विरोधी ऐसा बजट पेश किया है जिससे गरीबी दूर करने का सरकार का संकल्प पूरा होगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और आर. एल. इ. जी. पी. (जो गत वर्ष रोक दिये गये थे) हेतु राशियों में 65% की वृद्धि करना एक स्वागत योग्य कदम है। ग्रामीण निर्धनों के जीवन यापत में सुधार और कृषि के बेहतर विकास के लिए ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने का सरकार का संकल्प पूरी तरह पारिलक्षित होता है। एक अन्य मुख्य चिन्ता योजना हेतु पर्याप्त संसाधन जुटाने की संभावना के बारे में थी। वह चिन्ता भी अब दूर हो गई है क्योंकि केन्द्रीय योजना में 22,300 करोड़ रु० की अर्थात 20% की वृद्धि की जानी है। इसके अतिरिक्त हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के एक चिन्ता राज्यों को जुटाये जाने वाली राशियों के परिमाण के बारे में थी। इसके लिए भी राज्यों हेतु, योजना परिव्यय में सहायता के लिए 21% की वृद्धि की गई है।

सबसे अच्छी बात तो यह है कि गत वर्ष राष्ट्र की वित्तीय नीति को दी गई नई और क्रान्तिकारी दिशा अभी भी जारी है। गत वर्ष प्रारम्भ किए गए एवं घोषित किए गये उदारीकृत एवं युक्तियुक्त वित्तीय उपायों से मुंह नहीं मोड़ा गया है।

बेहतर अनुपालन के लिए कर दरों में कमी करने एवं कर तंत्र को सुगठित बनाने से लाभ हुए हैं आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 1985-86 में राजस्व में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मेरे विश्वास के अनुसार एकल वर्ष में सबसे बड़ी वृद्धि थी। आयकर वसूलियों में भी 36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। दोनों के लिए वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।

[श्रीमती शीला दीक्षित]

विलासिता की वस्तुओं अर्थात कारों, एयर कन्डीशनरों पर कर लगाना उपयुक्त है। दूसरी ओर लघु इकाइयों एवं महत्त्वपूर्ण हथकरघा क्षेत्र को राहत देने के लिए अपेक्षित रियायतों की घोषणा की गई है। उद्योगों एवं व्यापार हेतु सरलीकृत शुल्क लगाकार तथा धन कर एवं पूंजीगत लाभों के संगणन में रियायत देने के अलावा उत्पादन को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त बजट में सरकारी क्षेत्र के कार्य निष्पादन के विशेष संदर्भ में औद्योगिक विकास पर काफी बल दिया गया है और बजट में एक चिंता एवं वचनबद्धता, जिसका उल्लेख हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, इस बजट में परिलक्षित होती है।

मेरे पास कई सुझाव हैं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री पर इस बात पर गंभीरता से विचार करें और यह सुनिश्चित करें कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, आर. एल. इ. जी. पी. और एन. आर. इ. पी. के नाम में शुरू किए गए सभी कार्यक्रम एवं योजनाएं सुनियोजित एवं सुविचारित हो और इनका चयन जिला स्तर से किया जाये। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं का पूरी तरह एवं वास्तविक रूप में क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। परियोजनाओं हेतु दी गई निधियां धन आपूर्ति के रूप में बाजार में नहीं आनी चाहिए। प्रत्यक्ष एवं वास्तविक आस्तियां सृजित की जानी चाहिए। क्रियान्वयन न होने एवं आस्तियों के सृजन न होने के सुविदित कारणों के आलावा एक कारण यह भी है कि राशियों को देने में विलम्ब किया जाता है। जिलों के लिए मार्च का महीना दण्डस्वरूप होता है; विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं के लिए अचानक निधियां दी जाती हैं और सबसे बेकार की बात यह है कि यह अपेक्षा की जाती है कि राशियों को 31 मार्च से पूर्व व्यय किया जाए। अचानक लक्ष्य पूरे किए जाने होते हैं और उन्हें कागजों में दिखा दिया जाता है। वित्त मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधियां सहज एवं अनवरत रूप से दी जाती है और लक्ष्य निर्धारित तारीख से पूर्व पूरे कर लिए जाते हैं। परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आधारभूत सेवाओं और दशाओं की स्थानीय उपलब्धता की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री जगन्नाथ राव (बेह रामपुर) : सभापति महोदय, केन्द्रीय बजट मात्र आय और व्यय का विवरण नहीं हैं अपितु इसमें आर्थिक विकास का ब्यौरा भी है। इस संदर्भ में देखा जाए, तो इस वर्ष का का बजट में पिछले वर्ष के बजट के क्रम को आगे बढ़ाया गया है और आगमी वर्ष का प्रक्षेपक्ष किया गया है। अनेक पचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारी अर्थ-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और यह आत्म-निर्भर बनी है। हम अपनी योजनाओं के लिए आंतरिक संसाधन बढ़ाने में सफल हुए हैं, यद्यपि कुछ हद तक हम विदेशी सहायता पर भी निर्भर रहे है अतः इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन का अधिकांश उत्तरदायित्व भारत के लोगों का है। महोदय, राजस्व की वसूली पिछले वर्ष अधिक हुई थी। इस दशक में वसूली में 37% वृद्धि हुई है। इससे पता चलता है कि कर ढांचे में जो संशोधन किया [गया है या उसे जो नया रूप दिया गया है। उससे लाभ हुआ है। साथ ही, संदेहास्पद व्यक्तियों, व्यापारियों और कर-अपवंचकों के घरों में छापे मारे गए हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ पक्षपात भी हुआ है और अनुचित छानबीन की गई है।

मुझे उस मामले के बारे में पता है जिसमें एक कस्बे में जिला के घर छानबीन की गई थी। यदि तस्करों, या काला-बाजारियों अथवा कर-अपवंचकों से उसकी तुलना की जाए तो उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। उसके घर छानबीन करने पर केवल 3000 रुपए ही मिले। अत: मैं कहूंगा कि जब विभाग को ऐसे व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलें तो इस बारे में भी अधिक ध्यान रखा जाना चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं आपको बता दूं कि ऐसे मामलों के बारे में बुनियादी नियम बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम बुनियादी नियम बना रहे हैं और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : कल आपने यह बताया था। धन्यवाद महोदय, मुझे विभाग के उद्देश्य पर संदेह नहीं है लेकिन..... **व्यवधान**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम उसका ध्यान रख रहे हैं।

श्री जगन्नाथ राव : महोदय मेरे विचार से पिछले साल वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि 10,000 या उसके अधिक रुपए की अदायगी चैक द्वारा की जानी चाहिये न कि नकद मैं जानना चाहता हूं कि क्या आयकर अधिकारियों को करदाताओं की प्राप्तियों की जांच करते समय 10,000 रुपये से अधिक की उस धनराशि का पता लगा है। जो करदाताओं को चैक के रूप में या नकद मिली हो? महानगरों में डाक्टर, वकील, परामर्शदाता, वास्तुकार आदि जैसे बड़े-बड़े व्यावसायिक लोग रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बड़े व्यावसायियों के परिसरों में छापे मारे गए हैं। इससे हमें संकेत मिल जाएगा कि पिछले साल वित्त मंत्री द्वारा लगाई गई शर्त का पालन किया जा रहा है या नहीं।

महोदय, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है खेती बहुत-बहुत अधिक अच्छी-हुई है। मुझे 1960 के वे दिन याद हैं जब हर वस्तु की कमी थी। वह कमी का युग था। अब कृषि उत्पादन दोगुना या तिगुना हो गया है। इसका श्रेय पंजाब और हरियाणा को जाता है। अन्य राज्यों में उत्पादन उस सीमा तक नहीं बढ़ा है। वे तिगुना छोड़, दोगुना उत्पादन भी नहीं कर पाए हैं। सभी राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने और अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

मैं समझ सकता हूं कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्य केन्द्र की सहायता ले सकते हैं। हम बड़ी सिंचाई योजनाएं तथा नदी घाटी परियोजनाएं शुरू करने जा रहे हैं। मेरा सुझाव है कि अगर ये परियोजनाएं सिंचाई और बिजली जैसे बहु उद्देशीय परियोजनाएं न हों तो हमें आगे से तालाबों, खुले कुएं आदि के द्वारा लघु सिंचाई परियोजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

मुझे याद है कि लगभग सात साल पहले लघु किसान विकास ऐजेन्सी नामक एक योजना हुआ करती थी जिसके अन्तर्गत 20 डायमीटर के खुले कुएं बनाने के लिए लोगों को सहायता दी जाती थी। इसके द्वारा 10 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती थी। आस-पास रहने वाले चार-पांच व्यक्ति इससे लाभ उठा सकते थे और ऋण की राशि में से एक भाग मिल सकता है ताकि भारत में हर कोई छोटा या सीमांत किसान बन सके और बड़े किसान न रहे। जो परियो-

[श्री जगन्नाथ राव]

नाएं विचाराधीन हों या स्वीकृति मिलने के अंतिम चरण में हो उन्हें छोड़कर भविष्य में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि उनमें समय अधिक लगता है तथा उनके बनाने के लिए लम्बी अवधि की जरूरत होती है। लघु-सिंचाई परियोजनाओं से देरी कम लगेगी और लाभ प्राप्त करने वालों को तत्काल अर्थात् 6 महीने या एक साल के अन्दर लाभ मिल जाएगा।

उद्योग के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। अब हम विश्व के 10 प्रमुख देशों में से हैं। उद्योग अच्छे ढंग से चल रहे हैं, उद्योगपति अमीर होते जा रहे हैं पर एकक रूग्ण हो गये हैं। इस प्रक्रिया को विपरीत क्रम में चलाया जाना चाहिए। अगर उद्योगपति रूग्ण हों, उद्योग नहीं, तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। मेरे विचार से इस रूग्णता को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए गए हैं। मेरा विश्वास है कि जारी किए जा चुके संशोधित निर्देशों से स्थिति में सुधार होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र एक और सिरदर्दी है। यद्यपि उनमें से कुछ लाभ कमाने लगे हैं पर अभी काफी कुछ करना बाकी है। कुछ उद्योग अभी भी घाटे की स्थिति में है। मुझे नहीं मालूम कि वे लाभ कमाना कब शुरू करेंगे ताकि वे देश के अन्य संसाधनों पर बोझ डाले बिना उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

हमारे निर्यात में प्रगति नहीं हो रही। इसमें प्रगति नहीं हो रही है। तेल के आयात पर व्यय की जाने वाली राशि के अलावा आयात पर व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि हुई है हमें निर्यात में वृद्धि करनी है ताकि हमारे भुगतान शेष की स्थिति वह न हो जो आज है। वैसे तेल के आयात में कमी हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले वर्ष उपभोग 6% अधिक हुआ इसलिए पैट्रोलियम उत्पादों, डीजल आदि पर अतिरिक्त कर लगाया गया।

जहां तक काफी, चाय, इलायची जैसी निर्यातयोग्य पारम्परिक मदों का संबंध है, उनका निर्यात करने में हमें कठिनाई हो रही है क्योंकि विश्व में भारी प्रतिस्पर्धा है। विश्व में घाटे की स्थिति है और विकसित देशों ने संरक्षण की नीति अपनाई हुई है। यह भी एक बड़ी बाधा है। यह एक बड़ी चुनौती है। मालूम नहीं सरकार इस चुनौती का सामना किस प्रकार करेगी।

एक तरीका आयात को कम करने का है। हमने निर्यातकों को कच्चे माल के आयात के मामले में बहुत प्रोत्साहन दिए हुए हैं। वे 50% तक कच्चा माल आयात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कास्टिक सोडे का आयात-मूल्य 700 रुपए प्रति मीट्रिक टन है जबकि भारत में इसकी कीमत 2700 रुपए है। इसीलिए उनका आयात किया जाता है। इसलिए हमें आयात नीति में संशोधन करना है ताकि विदेशी मुद्रा के संसाधन व्यय न हो। हमें इन बातों पर दोबारा से विचार करना चाहिए।

बजट का सार गरीबी दूर करो कार्यक्रम है। इन सभी सालों के दौरान हम लाखों गरीबी के आंसू पोंछ पाए हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कुछ लाख लोग शामिल हो पाए हैं। लगभग 150 लाख लोग गरीबी दूर करो संबंधी अन्य कार्यक्रमों में शामिल हो पाए हैं लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं, जिनके आंसू पोंछे जाने बाकी हैं। अगर इन कार्यक्रमों को गंभीरता से लागू किया जाए तो निश्चिय ही इस योजना के अन्त तक हम हर एक को गरीबी की रेखा से ऊपर ला सकते हैं। पर वे गरीब रहेंगे।

ग्रामीण विकास विभाग ने गरीबों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। ये इस प्रकार है—असहाय, बहुत-बहुत गरीब, अत्याधिक गरीब, दरिद्र। इसलिए इन चारों श्रेणी के गरीब गरीबी की रेखा को पार कर लें। तो भी वे गरीबी ही रहेंगे। गरीबी की रेखा से ऊपर आने में उन्हें समय लगेगा क्योंकि आधार भूत संरचना का निर्माण किया गया है और उन्हें कुछ आर्थिक सहारा दिया गया है। ताकि उन्हें महसूस हो कि वे गरीबी की रेखा से ऊपर जा रहे हैं। इसलिए इन योजनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन अधिकारियों की शिक्षा, निष्ठा और ईमानदारी पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि पंचायती राज संस्था के उन लोक प्रतिनिधियों पर निर्भर करता है जिन्हें कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में शामिल होना चाहिए क्योंकि ब्लाक या गांवों में प्रत्येक का दायित्व है कि इन क्षेत्रों में गरीबी दूरी की जाए। इसलिए इन कार्यक्रमों के कार्यक्रम में प्रत्येक को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, केवल गलतियां बताने से काम नहीं चलेगा। इसलिए बजट का प्रमुख सार गरीबी दूर करो कार्यक्रम है। मैं वित्त मंत्री के भाषण के भाग (क) पर अधिक विश्वास करता हूं, भाग (ख) पर नहीं जो अतिरिक्त कर से संबंधित है। अतिरिक्त कर लगाए गए हैं विपक्षद्वारा यह आलोचना की जा रही है कि यह अमीर समर्थक और एकाधिकारी समर्थक बजट है। अमीरों के साथ यही किया गया है कि आटोमोबाइल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी गई है। मिट्टी के तेल की कीमत भी बढ़ाई गई है। मालूम नहीं विपक्ष कैसे कह रहा है कि यह अमीर समर्थक बजट है। बजट में उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई है।

इसलिए अगर आप इसे वस्तुपरक दृष्टि से देखें तो पाएंगे। कि यह एक अच्छा बजट है और अगले बजट की पूर्व सूचना है ताकि हम मजबूत हो सकें। आर्थिक विकास ही न हो बल्कि सामाजिक न्याय भी हो। हमारी योजनाओं का पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा बनाई गई पंच वर्षीय योजनाओं का यही सार है। इसलिए मैं इस बजट का स्वागत समर्थन करता हूं।

श्री के० मोहन दास (मुकुन्दपुरम): यह सच है कि इस साल के बजट पर जनता द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। वित्तमंत्री जी ने अपने इस बजट द्वारा जन उपभोग की बहुत सी मदों पर कर नहीं लगाया है। ऐसा वह सरकारी अधिसूचना द्वारा पहले ही कर चुके हैं। बजट के माध्यम से कर लगाने का सहारा लिए बिना जनता से पैसा एकत्र करने का यह एक अच्छा तरीका है। वस्तुतः निर्धारित कीमतों में वृद्धि के बाद कोई नई लेवी लगाने की जरूरत नहीं थी।

सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की निर्धारित कीमतों में वृद्धि करने से जन उपभोग की सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। सरकार का कहना है कि वह पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग को नियंत्रित करना चाहती है इसलिए कीमतों में वृद्धि की गई है। सरकार के इस दावे को तेल कम्पनियों ने नकार दिया है। उनका कहना है कि उपभोग में मामूली वृद्धि हुई है। सरकारी विभाग, संस्थान आदि 60 प्रतिशत पेट्रोल और डीजल का उपभोग कर रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। कि क्या इन विभागों ने उपभोग में कमी करने के लिए वास्तव में प्रयास किए हैं, यदि हां तो हमें पता चलना चाहिए कि परिणाम क्या रहे? बहरहाल कीमतें बढ़ेंगी और आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। निर्धारित आय वालों, झोपड़ियों में और फुटपाथों पर रहने वालों की जिन्दगी अधिक दयनीय हो जायगी।

इतना कहने के बाद, मैं कहूंगा कि बजट की कुछ अच्छाइयां भी हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री को आयकर कटौती की सीमा राशि को 6000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 करके निर्धारित

[श्री के० मोहन दास]

आय वाले कर दाताओं को कुछ राहत देने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुद्रा प्रसार के कारण इस वर्ग की दशा वास्तव में दयनीय हो गई है। हमें आशा थी कि वित्त मंत्री जी छूट की वर्तमान सीमा को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 कर देंगे। यद्यपि वह नहीं किया फिर भी मैं प्रसन्न हूं कि इस वर्ग को कुछ राहत प्राप्त हुई है।

मैं इसलिए भी प्रशंसा का शब्द अवश्य कहूंगा क्योंकि गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों के संबंध में अधिक आबंटन किए गए हैं। यह कार्यक्रम अधिक संख्या में गरीब व्यक्तियों को गरीबों की रेखा से ऊपर उठाने में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। इन्हें ईमानदारी से क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने राज्य केरल की कुछ समस्याओं पर आता हूं केरल उन कुछ राज्यों में से एक राज्य है जो योजना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हमें हमेशा केन्द्रीय सहायता की आवश्यता है लेकिन हमारी यह शिकायत हमेशा ही रही है कि यह राज्य राजधानी से दूर है इस लिए इस राज्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है जबकि अधिकतर सभी राज्यों को वार्षिक योजना में उच्च योजना के लिए अधिक आबंटन प्राप्त होता है, केरल और उसकी समस्याओं की ओर केन्द्र का रवैया अवहेलनापूर्ण रहा है केरल के लिए आबंटन इस बात का एक स्पष्ट प्रतिबिम्ब है। महोदय आप जानते हैं कि केरल राष्ट्रीय औसत की तुलना में स्वास्थ्य शिक्षा और दूसरे कल्याणकारी उपायों पर अधिक खर्च करता है। केरल में 70.4 साक्षरता है जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 43136 है। इसी प्रकार केरल में स्वाथ्य की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। वहां पर 1 लाख की जनसंख्या के लिए 134 विस्तरें हैं। जो सारे देश में सबसे अधिक है ? मृत्युदर कम से कम है, यह हजार पर 6 हैं। बच्चों की मृत्युदर हजार पर 25 है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हजार के पीछे 125 है। इसलिए इसका कारण यह अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा पर अधिक बल देने से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन केन्द्र जब साधनों का आबंटन करता है। तब वह इन पहलुओं को महत्त्व नहीं देता इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे राज्य के लिए आबंटन की राशि को बढ़ायें।

महोदय केरल की अर्थव्यवस्था अधिकतर नारियल और मसालों की खेती पर निर्भर करती है। इसलिए वास्तव में इन वस्तुओं की कीमतें गिरने से अर्थव्यवस्था नियन्त्रण के बाहर हो जायेगी बिल्कुल ऐसा ही पिछले वर्ष के दौरान हुआ है। नारियल की कीमतों और उसके उत्पादन को बहुत धक्का लगा है। एक नारियल जो 1984 में 4 रु० का बिक रहा था वह अब 90 पैसे या एक रुपये का मिलता है। नारियल-तेल का मूल्य बहुत नीचे गिर गया है। सैकड़ों करोड़ों रुपये की हानि हुई है और किसानों का सर्वनाश हो गया है। यद्यपि केन्द्र ने नेफेड से नारियल को एकत्र करने के बारे में कहा है। पर इस स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। मूल्यों के नीचे गिरने की प्रवृत्ति जारी है। वर्तमान नारियल के लिए न्यूनतम मूल्य की घोषणा करने के लिए सरकार को मनाने के सभी प्रयास असफल रहे हैं और केरल में नारियल के उत्पादकों जिनमें अधिक संख्या छोटे किसानों की है, जो अपनी एक या दो एकड़ भूमि के मालिक हैं और हानि उठा रहे है। इसलिए मैं शीघ्र ही नारियल को न्यूनतम मूल्य घोषित करने की जोरदार मांग करूंगा।

यही हाल मसालों के विषय में है। जो हमें मूल्यवान विदेशी मुद्रा प्राप्त करवाते हैं। इलायची का मूल्य 125 रु० प्रति कि०ग्रा आ गया है। इतना कम कभी नहीं रहा। इसके अलावा सरकार प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करने के लिए हमारे सारे प्रयास असफल रहे और इलायची का मूल्य लगातार नीचे गिरता जा रहा है। मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अल्पकालिक या दीर्घकालिक कुशल नीति बनायें जिसके द्वारा इलायची और मसालों के निर्यात को बल मिले और मूल्यों को उचित स्तर पर रखा जा सके।

महोदय, केरल औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है। यह राज्य उन थोड़े से राज्यों में से एक है, जहां केन्द्रीय निवेश नगण्य है केरल राज्य स्वयं पर्याप्त साधन नहीं जुटा सकता क्योंकि साधनों का आधार बहुत छोटा है। यह साधनों को गतिशील नहीं कर सकता। औद्योगिक पिछड़ापन होने के फलस्वरूप साक्षर लोगों के बीच बेरोजगारी बढ़ गई है। आज केरल राज्य से साक्षर लड़के लड़कियां बड़े-2 शहरों में पलायन कर रहे हैं और बहुत कम आय पर यानि 400 रु० या 500 रु० प्रति माह की कम आय पर नौकरी करते हैं। अगर केरल राज्य उन्हें अपने ही राज्य में नौकरी देने का अवसर प्रदान करे तो उस जनशक्ति और उनके कौशल का प्रयोग राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए उद्योगीकरण ही एक रास्ता है। मैं केन्द्र से अनुरोध करता हूं कि केरल में उद्योगीकरण को तेज करने के लिए निवेश करें। केवल यही उपाय बेरोजगारी की समस्या का समाधान करेगा।

2.00 म० प०

अन्त में, केरल में विद्युतीकरण के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं वर्तमान अनुमानों के अनुसार, केरल को निकट भविष्य में विद्युतीकरण की कमी का सामना करना पड़ेगा। हम राज्य में पूरी तरह जल विद्युत शक्ति पर निर्भर हैं। यह एक जोखिम भरी परिस्थिति है। अगर वर्षा नहीं होती तब केरल में बिजली बिल्कुल उपलब्ध नहीं हो पायेगी। सारा जीवन स्थिर हो जायेगा। यह एक काल्पनिक स्थिति नहीं है। कुछ वर्ष पहले ऐसा हुआ था और हम ऐसे विकास के परिणामों से भली भांति परिचित हैं। हमने एक परमाणु शक्ति संयंत्र की मांग की थी। लेकिन केरल की दूसरी मांगों की तरह सरकार द्वारा इस पर भी कोई विचार नहीं किया गया। केरल की आवश्यकताओं को देखते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से एक परमाणु शक्ति संयंत्र लगाने की प्रार्थना करूंगा।

केरल एक छोटा राज्य है जो देश के धुर दक्षिण में स्थित है, शारीरिक दूरी ने अक्सर मनोवैज्ञानिक दूरी उत्पन्न कर दी है ऐसा आभास मिलता है कि केरल में जो घटता है उसका दिल्ली के शासकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या कम पड़ता है इस प्रकार का व्यवहार राष्ट्र के लिए महंगा सिद्ध हुआ है जैसा कि देश के विभिन्न भागों में विघटनकारी शक्तियों के प्रादुर्भाव से सिद्ध होता है। जब देश में राजीव गांधी जैसे युवा नेता प्रधानमंत्री हैं तो देश में कम विकसित क्षेत्रों के विकास के प्रति सरकार के रवैये में आमूल परिवर्तन की लोग आशा करते हैं। मैं ऐसी मदद की आशा करता हूं और समझता हूं कि ऐसा दृष्टिकोण अपनाया जायेगा और केरल राज्य को केन्द्रीय सरकार से अपने हिस्से के लिए अधिक धन प्राप्त होगा।

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय, यह एक ऐसा बजट है जो धनी लोगों पर कर लगाता है और गरीबी दूर करने तथा लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए धन व्यय करता है। पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इसमें 65 प्रतिशत अधिक धन गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों

[श्री पी० ए० एन्टनी]

के लिए आबंटित करना यह दर्शाता है कि यह एक गरीबी दूर करने वाला बजट है। सामान्य व्यक्ति के लिए आटा, चावल, मिट्टी के तेल में 2250 करोड़ रु० की रियायत आम लोगों की बहुत सहायता करेगी।

रक्षा, वर्तमान ऋणों पर ब्याज भुगतान, अनाज और कृषि के सम्बद्ध में आर्थिक सहायता सरकार द्वारा एकत्र किये गये राजस्व के बराबर है। इसलिए विकासात्मक योजनाओं के लिए देश के अन्दर से या विदेशों से अधिक ऋण लेना अधिक करों की वसूली करना और सरकारी क्षेत्र को अधिक लाभ कमाने के लिए कहना। इस सम्बद्ध में मैं वित्तमंत्री को बधाई देता हूं कि आयकर के रूप में 24 प्रतिशत अधिक राजस्व एकत्र किया है जो कि 1985-86 के बजट अनुमान से 36% अधिक है। समय की मांग है कि राष्ट्र में वित्तीय स्थिरता आये। सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में अधिक राजस्व एकत्र किए जाने, कृषि उत्पादन और औद्योगिक सामान के क्षेत्र में सामान्यतया अधिक उत्पादन होने जैसे अच्छे परिणाम सामने आये हैं इस आधार को ध्यान में रखते हुए, हम समय बद्ध कार्यक्रम द्वारा राष्ट्र के विकास का लक्ष्य रख रहे हैं। वर्ष 1986-87 के लिए योजना निर्माण कार्य को एक दीर्घकालीन वित्तीय नीति के साथ शुरु किया गया जिसका उद्देश्य कृषि, गरीबों के लिए मकानों पीने के पानी की सुविधाएं, संचार व्यवस्था आदि के मुख्य क्षेत्रों को बढ़ा देना है।

यह बजट वास्तव में गरीबों के लिए बनाया गया है जिसका उद्देश्य देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करना, वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देना तथा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि करना है निःसन्देह बहुत हद तक यह बजट एक सन्तुलित बजट है फिर भी इसमें कुछ असन्तुलन हैं जो बिल्कुल प्रत्यक्ष है उदाहरणतया पिछले वर्ष पूरे देश में इस्पात को समान मूल्य पर बेचा जाता था, चाहे कोचीन, कलकत्ता या मद्रास हो लेकिन इस वर्ष ऐसा नहीं है। पहले इस बात का निर्णय किया गया था कि एकता लाने के लिए पूरे देश में इस्पात को समान मूल्य पर बेचा जायेगा। लेकिन अब व्यक्ति को कलकत्ते से लेकर उपभोग के स्थान तक माल ले जाने के मुल्क का भुगतान भी करना पड़ता है। इस प्रणाली में परिवर्तन करके उसे पहले जैसा करना पड़ेगा।

मेरे एक मित्र ने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में केरल बहुत ही आगे है। इसलिए वास्तव में केरल में पढ़े लिखे लोग इतने अधिक बेरोजगार हैं जितने अन्य किसी राज्य में नहीं हैं। केरल बहुत क्षेत्रों में आगे है शिक्षा में तथा अन्य सामाजिक सेवाओं में। यहां राज्य सरकार इन पर अधिक धन खर्च कर रही है। केरल में शिक्षित लोगों की बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। केन्द्र को देखना है कि क्या यहां उद्योगीकरण किया जा सकता है जिससे पढ़े-लिखे लोगों में बेरोजगारी को रोका जा सके। केरल में कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे मछली पालन और पर्यटन जहां शिक्षित और कुशल युवकों को काम पर लगाया जा सकता है पर्यटन को प्रोत्साहन दिया जा सकता है क्योंकि केरल भारत के सुन्दर राज्यों में से एक है। इसी प्रकार मछली पालन को भी प्रोत्साहन दिया जा सकता है। क्योंकि यह विदेशी मुद्रा कमाने का एक साधन है।

महोदय आप जानते हैं कि केरल में नारियलों का उत्पादन बहुत होता है। कोपरे कर वापिस लेने के लिए वित्त मंत्री का धन्यवाद करता हूं लेकिन श्रीमन् केरल में नारियलों के कुल

उत्पादन के केवल 2 प्रतिशत भाग में से कोल्हू द्वारा तेल निकाला जाता है केन्द्रीय सरकार केरल में कोल्हू संयंत्र सरकारी क्षेत्र में आरम्भ कर सकती है।

केरल में बिजली की कमी है हम बिजली उत्पन्न करने के लिए जल विद्युत परियोजना पर निर्भर करते हैं इसलिए केरल में इस कमी को दूर करने के लिए एक तापीय विद्युत केन्द्र की बहुत आवश्यकता है।

भारत में लगभग 436 जिले हैं इनमें से 92 जिले बहुत ज्यादा पिछड़े हुए घोषित किए हैं। प्रत्येक जिले को 2 करोड़ रु० की मशीनरी देने के लिए मैं वित्त मंत्री का आभारी हूं लेकिन जहां तक मेरी सूचना है, इन 92 जिलों में से किसी भी जिले में कोई सरकारी उपक्रम नहीं है।

2.08 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निर्धन जिलों में भी धन आबंटन की औसत केवल 2 करोड़ रुपए है अगर 432 जिलों में से आप इन 92 जिलों में सुधार लाना चाहते हैं तो 2 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है सरकार 8 सरकारी उपक्रमों को इन 92 जिलों में शुरू करने के बारे में सोचती है। यह सामान्य रूप से देश के हित में आवश्यक है।

इस समय मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने आयकर कानूनों को क्रियान्वित करने के विषयों में विशेष रूप से काफी कुछ किया है। वित्त मंत्री के बहुत से निजी दुश्मन हैं क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए उन्होंने काले धन का पता लगाया है। इसलिए मैं इस सदन और अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि वे वित्त मंत्री को अपना अधिक नैतिक समर्थन प्रदान करें और मैं मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे अपने प्रयासों को जारी रखें।

मैं माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे अपने प्रयत्न जारी रखें।

श्री राजीव गांधी की सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी का उन्मूलन करने की घोषणा की है। लेकिन लोगों का एक समूह ऐसा भी है जिसे हमारे देश की राष्ट्रीय आय का लाभ नहीं पहुंचता और यह समूह ऐसे लोगों का है जो बहुत वृद्ध हैं, जो कड़ी मेहनत नहीं कर सकते, जिन्हें कोई पेन्शन नही मिलती, जिनके पास कोई सम्पत्ति नहीं है, हमारे सारे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए हैं, जो काम कर सकते हैं। लेकिन जो 65 वर्ष या 70 वर्ष के नजदीक पहुंच रहे हैं, जिनके पास कोई धन सम्पत्ति नहीं है, जिनके पुत्र या बच्चे उनको सहारा देने को तैयार नहीं हैं, वे वास्तव में भूखों मर रहे हैं।

धनी परिवारों में भी, जब कि पिता 70 वर्ष की उम्र में सारा पैसा बच्चों को दे देता है, इन लोगों को सिगरेट या बीड़ी के लिए एक पैसा भी नहीं मिलता, यह हाल है इन हालत में, क्योंकि हमारा एक कल्याणकारी राज्य है, अतः मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे 70 वर्ष उससे ऊपर के सभी लोगों को पैन्शन देने के बारे में विचार करें। आपको यह नहीं देखना चाहिए कि वे वित्तीय रूप से अच्छी स्थिति में हैं या नहीं, या क्या वे आय-कर दाता हैं या नहीं। इन बातों से प्रभावित हुए बिना आपको 70 वर्ष से ऊपर वालों के लिए पैन्शन की घोषणा कर देनी चाहिए। भले ही उनके पास आय का दूसरा स्त्रोत भी हो, आप इस पैन्शन को उनकी आय में

[श्री पी० ए० एन्टनी]

जोड़ सकते हैं और उन पर कर लगा सकते हैं। इन लोगों में से केवल 10 प्रतिशत ही अपनी आय पर निर्वाह करते हैं, 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों मे से लगभग 90 प्रतिशत धन के लिए परेशान रहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को पैन्शन देने पर विचार करे क्योंकि हमारा एक कल्याणकारी राज्य है। मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं। यह एक अत्यन्त संतुलित बजट है, और इसका उद्देश्य देश में गरीबी उन्मूलन करना है। इन शब्दों के साथ ही मैं समाप्त करता हूं।

श्री अनन्त प्रसाद सेटी (भद्रक): महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं एक ऐसे बजट के लिए, उन्हें व्यक्तिगत रूप से बधाई देता हूं। जो कि लगभग सभी पहलुओं से प्रशंसनीय है, बजट विकासोन्मुख है और प्रगतिशील है। इस का लक्ष्य हमारे समाज के गरीब वर्गों का कल्याण करना है। इस बजट का उद्देश्य रोजगार बढ़ाना है, तथा यह लघु उद्योगों को तीव्र विकास के लिए तथा गरीबी उन्मूलन के लिए भी प्रोत्साहन देता है। उन्होंने इस बात के लिए 52,860 करोड़ रुपये निर्धारित किये हैं। गरीबी उन्मूलन के लिए तथा विकासात्मक कार्यों के माध्यम से रोजगार देने हेतु, इसमें आर० एल० जी० पी०, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लिए आबंटन में 65 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आर एल जी पी, एन आर ई पी तथा आई. आर. डी. पी. जैसे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में हमारा अनुभव यह रहा है कि इन कार्यक्रमों को गलत ढंग से कार्यान्वित किये जाने के कारण, उनके अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं। आई आर डी पी कार्यक्रम निर्धन वर्गों के लोगों की, जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहें हैं, आय को बढ़ाती है। निःसन्देह यह योजना भी बहुत ही अच्छी है। लेकिन कार्यान्वयन की प्रणाली दोषपूर्ण है। गरीब लोगों को जो लाभ मिलने की आशा थी, वे लाभ उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। कार्यान्वयन का स्तर इतना गिरा हुआ है कि हमारे लोग निश्चित रूप से यह कहना कठिन समझते हैं कि इस कार्यक्रम ने निश्चय ही गरीबों को लाभ पहुंचाता है। यह कार्यान्वयन तीन तरीकों से होता है। एक है लाभभोगियों का चुनाव; बैंक ऋणों का प्रावधान और प्रस्तावित वृत्ति को लाभभोगियों द्वारा जारी रखा जाना, आजकल ऐसा किया जाता है। लेकिन सामान्यतया, लाभभोगियों के चुनाव में हम देखते हैं कि ऐसा बड़े अव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।

सबसे पहली अवस्था में, जब लाभभोगियों का चुनाव किया जाता है, तो सबसे महत्वपूर्ण एजेन्सी अर्थात् पैसा देने वाली एजेन्सी को सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि उनसे शामिल होने को कहा भी जाता है तो वे जनशक्ति की कमी के कारण इस स्थिति में नहीं होते या वे ऐसा करने से कतराते हैं या वे भाग नहीं लेना चाहते। अतः, इस आई. आर. डी. पी. को सफलता में लाभभोगियों का चुनाव निश्चिय रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा क्योंकि जब इस लक्ष्य को ब्लाक स्तर पर निर्धारित किया जाता है तो यह वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा कि इस योजना को पहली अवस्था में 2-वर्ष के लिए निर्धारित किया जाय और उसके बाद वार्षिक योजना तैयार करने का कार्य एक वर्ष पहले ही कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्ष के बिल्कुल आखिर में लाभभोगियों का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं रहेगी और गुणवत्ता में सुधार होगा। चुनाव प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि लाभभोगी स्वयं ही किसी योजना के लिए इच्छुक हो। यह न हो कि वह योजना ही उन पर लाभ

दी जाय जैसा कि इस समय होता है चूंकि अधिकांश निर्धन ग्रामीण और निरक्षर हैं अतः हो सकता है कि विभिन्न योजनाओं तथा भिन्न-भिन्न प्रकार की गतिविधियों की जानकारी उन्हें न हो। बाकी लाभभोगियों की ग्राम स्तर पर समय-2 पर बैठक बुलाकर, इस दिशा में उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिये। समुचित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरु की जाने वाली विभिन्न योजनाओं के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अतः किसी विशेष वर्ग के लिए इस लक्ष्य को पूरे दो वर्ष पहले ही तय कर लिया जाना चाहिये अर्थात् पिछले वर्ष के प्रारम्भिक भाग में किन्हीं कारणों वश यदि किसी विशेष माह के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जाता तो अगले माह के लक्ष्य में केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिये तथा लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यान्वयन के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। यदि लक्ष्य नहीं प्राप्त होता तो प्रशासकों को कार्यकुशलता के पहलू की जांच करनी चाहिये तथा तद्नुसार दोषी को दण्ड दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात है बैंक ऋणों का प्रावधान, क्योंकि यह इस योजना के कार्यान्वन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है तथा सार्वजनिक धन के कुछ भाग का इस योजना के लिए पैसा जुटाने में उपयोग किया जाता है अतः केवल उधार देने के निम्न स्तर के कारण ही वसूली महीने की घटनायें दिन पर दिन बढ़ रही हैं और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण देने में इतना समय तथा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है जो शायद बैंक प्रबन्धक महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अतः मैं अनुरोध करूंगा कि भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह करके इस जनशक्ति की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त न हो।

पुनः, लाभभोगियों द्वारा व्यापार को जारी रखने के सम्बन्ध में, सामान्यतया यह महसूस किया जाता है कि जो सरकारी सहायता उसे मिली है, उसे वह मिलेगी ही, चाहे वह ऋण चुकाता है अथवा नहीं। इस समय, सम्पत्ति खरीदने के समय सरकारी सहायता के समायोजन की प्रक्रिया कुछ कदाचार को जन्म दे रही है। अतः, सरकारी सहायता को इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि लाभभोगी को बैंक से पूरी राशि मिले और सरकारी सहायता का एक पृथक खाता होना चाहिए जिस पर ऋण प्राप्त करने वाले को उसी दर से ब्याज मिलेगा जिस दर पर वह ऋण लेता है।

महोदय, जिस दिन वह किस्त चुकाता है, उसी समय और उसी अनुपात में सरकारी सहायता का समायोजन किया जाना चाहिए। सरकारी सहायता का समायोजन केवल मूलधन के सम्बन्ध में ही किया जाना चाहिये तथा ऋण लेने वाला जो रकम अदा करता है, उससे पहले ब्याज का समायोजन करना चाहिये। यदि यह प्रक्रिया अपनायी जाय तो मुझे विश्वास है कि लाभभोगी हमेशा ऋण अदा करने को प्रेरित होगा क्योंकि केवल उसी से सरकारी सहायता का समायोजन हो सकता है। ऋण अदा न करने की स्थिति में या दुरुपयोग की स्थिति में, सरकारी सहायता को तभी समायोजित किया जा सकता है जब वसूली सम्भव न हो तथा इसकी अनुमति देना प्रमाणित करने वाले अधिकारियों के विवेक पर निर्भर होना चाहिए।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए पिछड़े राज्यों पर, विशेषकर पिछड़े जिलों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारा राज्य उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है। बार-2 हम अपने राज्य की दो बड़ी परियोजनाओं, बृहत ताप विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में मिलते रहे

[श्री अनन्त प्रसाद सेठी]

हैं तथा अनुरोध करते आ रहे हैं। हम गहन विद्युत-संकट का सामना कर रहे हैं तथा औसतन विद्युत में कटौती 60 प्रतिशत है। घरों के लिए विद्युत सप्लाई में 75 प्रतिशत की कटौती होती है। 90 प्रतिशत लघु उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं। इसके लिए हम इबंवल्ली वृहत (सुपर) ताप-विद्युत परियोजना तथा तालचेर वृहत ताप विद्युत परियोजना के लिए सम्पर्क कर रहे हैं। लेकिन ये दो परियोजनाऐं बजट में नहीं हैं जबकि विभिन्न राज्यों हेतु अन्य सुपर ताप विद्युत योजनाओं को आपने सम्मिलित किया है। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इन दो परियोजनाओं को कम से कम अगले पूरक बजट में शामिल करें।

इन शब्दों के साथ ही मैं एक बार फिर बजट का समर्थन करता हूं।

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में ही मैं माननीय वित्त मंत्री जी को, वित्तीय मामले में उन्होंने जो गहरी पैठ दिखाई है उसके लिए, बधाई देता हूं। बजट के विभिन्न पहलुओं के विषय में बहुत से लोग बोल चुके हैं। लेकिन मैं केवल दो ही विषयों पर ध्यान केन्द्रित करूंगा, वे हैं : जनसंख्या तथा पर्यावरण।

जब आप एक ऐसे बजट की बात करते हैं जिसको गरीबों की दशा सुधारने हेतु तैयार किया गया है, तो हम गरीबी की समस्या से कैसे निबट सकते हैं जब तक हम जनसंख्या विस्फोट पर ही ध्यान न दें। ये दोनों समानार्थी हैं। यदि आप एक ऐसे बजट की बात करते हैं जो गरीबों के लिये है तो परिवार-नियोजन कार्यक्रमों के लिए उचित आबंटन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए अच्छी राशि की व्यवस्था नहीं की गई है। आखिर, परिवार-नियोजन से ही गरीबी दूर करने में सहायता मिलेगी।

जहां तक पर्यावरण का प्रश्न है, यदि आप जीवन स्तर तथा देश के स्वास्थ्य में सुधार लाना चाहते हैं तो आपको पर्यावरण पर ध्यान देना होगा। मैं केवल संसद में पूछे गये कुछ प्रश्नों को ही दोहराना चाहता हूं। मैं कोई महत्वाकांक्षी से वक्तव्य नहीं देना चाहता। पिछले वर्ष 18 अप्रैल को मैंने एक प्रश्न पूछा था, वह यह, कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जन्म दर, मृत्यु दर तथा जनसंख्या में वृद्धि की दर क्या रही है और किन लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

जन्म दर तथा मृत्यु दर में समायोजन के पश्चात, जैसा कि उत्तर बताता है, जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि की दर इस प्रकार है :

1977 में	18,3%
1978 में	19.1%
1979	20.70%
1980	21.1%
1981	21,4%
1982	21,9%

अब भी, प्रतिशत वही है। इसका अर्थ है कि मृत्यु दर में तीव्र गिरावट के कारण कुल वृद्धि दर पहले की तुलना में ऊंची ही है। जब स्थिति यह है तो विशिष्ट प्रोत्साहन देने के लिए

मैंने एक प्रस्ताव रखा है। दंड का भी सुझाव दिया गया। सभा में गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक को पुरः स्थापित करने के लिए भी सूचना दी गई है। बैलट प्रणाली के कारण, यह सब आयेगा मुझे नहीं मालूम क्योंकि बैलट प्रणाली न्यूनाधिक रूप से एक लाटरी की तरह ही है, मैंने जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु 4 प्रोत्साहन देने तथा 4, दण्ड देने का सुझाव रखा है। जहां तक प्रोत्साहनों का सम्बन्ध है, मैंने 19 दिसम्बर को एक प्रश्न पूछा :—"क्या 1985-86 तथा 1986-87 के दौरान आप किन्हीं नये प्रोत्साहन का प्रस्ताव ला रहे हैं जिससे कि परिवार नियोजन सम्बन्धी कदम अधिक कारगर बन सकें, यदि हां, तो इन पुरस्कारों के वित्तीय पहलू क्या हैं ?" उत्तर यह है कि परिवार नियोजन को बहाना देने के लिए नई योजनाओं हेतु कोई पैसा नहीं दिया जायेगा, इसके बाद सारे प्रोत्साहनों का अन्त हो जाता है, यह अत्यधिक निराशाजनक है आखिर भारत जैसे देश में दण्ड की व्यवस्था निश्चय ही अरुचिकर होती है, हम एक प्रजातांत्रिक देश हैं। दण्डों का जहां तक प्रश्न है यद्यपि मैं समझता हूं कि वे सर्वाधिक करगार होते हैं पर उनका उलटा प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन उस दशा में हमें और भी प्रोत्साहन देकर उनका घाटा पूरा कर देना चाहिये, और भारत सरकार ने प्रोत्साहनों तथा दण्डों के सुझाव के लिए दो बहुत महत्त्वपूर्ण आयोगों की स्थापना की थी। आयोगों ने अपनी रिपोर्ट दी। मैंने उनको पढ़ा एक रिपोर्ट को एक निजी निकाय द्वारा तैयार किया गया था तथा दूसरी रिपोर्ट को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया था। उन्होंने 150 सुझाव दिये थे जिनमें से मैंने 4 या 5 सुझाव चुने और उन्हें गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक में स्थान दिया। जब इतना अधिक अनुसंधान कार्य किया गया है तो क्यो नहीं हम कुछ और पैसे का निर्धारण करते और इन प्रोत्साहन देने का कार्य प्रारम्भ करते हैं ? अब चूंकि मुझे लाटरी में कोई अवसर नहीं मिला है, मुझे आशा है कि कम से कम मैं उस मुद्दे को या तो धारा 193 के अन्तर्गत, और या आधे घण्टे की चर्चा के रूप में उठा सकूंगा। लेकिन सिद्धान्ततः, पिछले वर्ष के बजट में हमने परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिये लगभग 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इस वर्ष यह राशि मामूली सी अधिक है, यह 575 करोड़ रु० है जिसका अर्थ है कि यह पिछले साल के कार्यक्रम को जारी रखना ही है जिसमें सम्भवतः आधे से अधिक धन आधारभूत ढांचे में लग जाता है लेकिन नये प्रोत्साहन देने के लिए कोई धन निर्धारित नहीं किया गया। मैंने उसी विषय पर एक प्रश्न पूछा था, इसका उत्तर इसी वर्ष 6 मार्च को दिया गया। हमने एक ऐसी प्रणाली की नकल करने की बात सोची थी जिसको कुछ दूसरे देशों द्वारा अपनाया जा रहा है अर्थात् हरे कार्ड जारी करने की प्रणाली। यदि आपके पास हरा कार्ड है तो आपको कई सुविधाएँ मिलती हैं। प्रश्न यह था कि क्या लोगों को हरे कार्ड की सुविधा का लाभ उठाने के लिए आकर्षित करने हेतु राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित किए गये थे और इस लक्ष्य की प्राप्ति का प्रतिशत क्या था और यदि कोई कमी थी, तो उसका कारण क्या था ? मैं जानता हूं कि जहां तक हरे कार्ड वाले तरीके की व्यवस्था का सम्बन्ध है, कुछ भी नहीं किया गया है।

इस हालत में आप गरीबों की दशा सुधारने की आशा कैसे कर सकते हैं ? यदि परिवार नियोजन के लिए पिछले वर्ष के बजट में 500 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई थी तो मुझे आशा है कि इस वर्ष के बजट में इसके लिए 1000 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की जाएगी। इन प्रोत्साहनों की जांच-पड़ताल की जानी चाहिए और विवरण सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

[श्री दिग्विजय सिंह]

अब मैं दूसरे विषय पर्यावरण पर बात करना चाहता हूं। 18 दिसम्बर को एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सरकार की जिला पर्यावरण समितियां गठित करने की योजना है। अब देखिए यह बात सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। यह एक नई योजना है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई है। यह एक नई योजना है जो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है। जिला पर्यावरण समितियां गठित करने का तात्पर्य आम आदमी में इस सम्बन्ध में जागृति पैदा करना है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि एक विशुद्ध पर्यावरण के लिए समाज में कितना खर्च करने की क्षमता है। एक विशुद्ध पर्यावरण मुफ्त में नहीं मिलता। हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अत: आम आदमी में यह जागृति पैदा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में जिला पर्यावरण समितियों के गठन का सुझाव दिया गया था। इस विषय पर एक प्रश्न पूछा गया था। इसका जबाब दिया गया है कि संसाधनों की कमी के कारण इसे शामिल नहीं किया जाना चाहिए। यही आम आदमी में यह जागृति पैदा करने को प्राथमिकता देने की बात आती है।

एक अन्य प्रश्न पूछा गया था – मैं इन्हीं प्रश्नों के अनुसार चलना चाहूंगा। मैंने एक प्रश्न ऊर्जा संरक्षण के बारे में पूछा था जिसका जबाब इस महीने की 4 तारीख को दिया गया था। प्रश्न यह था कि आप ऊर्जा स्रोतों के रक्षण की बात कैसे करते हैं जबकि आप अपने द्वारा खपत की गई ऊर्जा का रक्षण ही नहीं करते है? सभा में ऊर्जा रक्षण के बारे में यह जबाब दिया गया था इस सम्बन्ध में बहुत से आयोग गठित किए जा चुके हैं।

सेन कमेटी की रिपोर्ट के साथ-साथ अन्य कई रिपोर्ट हैं पर कुछ भी नहीं किया गया है। पैट्रोलियम पदार्थों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने के बावजूद जब इस वर्ष हमने पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाई, तो स्पष्ट है कि एक अन्तर है, एक निश्चित संतुलन है, एक निश्चित राशि है जो हम विदेशी मुद्रा के रूप में बचा रहे हैं। क्या मैं एक विनम्र सुझाव पेश कर सकता हूं कि जो राशि पैट्रोलियम पदार्थों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आने और भारत में कीमत वृद्धि से, बचाई गई है, हम उसे ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम प्रोग्राम हेतु प्रयोग में लाये। क्योंकि केवल यही तरीका है जिससे दीर्घकालीन आधार पर आप इस समस्या को सुलझा सकते हैं।

वित्त मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह) : मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इस बात को अक्सर दोहराया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें गिरी हैं। एक मूल तथ्य ध्यान में रखना चाहिए। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, फिर भी भारतीय कच्चे तेल से यह महंगा है। यहां यह मूल तथ्य है। पिछले वर्ष हमने अपनी खपत का 20 प्रतिशत कच्चा तेल आयात किया था। चालू वर्ष में हम होने वाली खपत का 33 प्रतिशत आयात कर रहे हैं। जब महंगा तेल अधिक अनुपात में आ रहा है, तो तेल की औसत दर बढ़ रही है।

श्री दिग्विजय सिंह : फिर भी यह एक सुझाव है। अभी मुझे तीन प्रश्न और पूछने हैं फिर मैं समाप्त करूंगा। पर्यावरण के बारे में एक विशिष्ठ सुझाव दिया गया था। किसी उद्योग को पर्यावरण के आधार पर या वायु प्रदूषण, या स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरों के आधार पर गहन आबादी वाले क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित कर करने पर कुछ धनराशि देने की बात विशेष तौर पर 1983 के बजट में शामिल की गई थी। तब उस खाली जमीन, भवन तथा मशीनें जो प्रयोग में नहीं लाई

जा रही, को बेचा जा सकता है। जब तक उस प्राप्त राशि का शहर से बाहर दूसरे उद्योग में पुनः निवेश नहीं किया जाता, उससे अधिक आय नहीं होगी। अब मैं एक विशेष प्रश्न पूछता हूं कि 1983 के बजट में जब यह प्रावधान रखा गया तब से क्या किसी उद्योग ने इस प्रावधान का लाभ उठाया है ? इसका जवाब नकारात्मक है। क्योंकि उद्योग मंत्रालय और पर्यावरण मन्त्रालय में इस सुझाव को कार्यान्वित करने के बारे में सामंजस्य नहीं है।

मैं एक और चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। पर्यावरण मन्त्रालय ने पर्यावरण प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव रखा है। 5 मार्च को मन्त्री महोदय' ने यह कहते हुये जवाब दिया था कि सातवीं योजना में संसाधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय पर्यावरण प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। खनन विधियों पर भी यही बात लागू होती है। आप यह जानते हैं कि खनन प्रक्रिया, विशेष तौर पर छितरी खनन प्रक्रिया में क्या हो रहा है। खनन प्रक्रिया के दौरान भूमि कट जाती है और इसके समाधान के लिए खानों पर एक विशेष कर लगाया जाना चाहिए ताकि उस पैसे से भूमि को पुनः ठीक किया जा सके।

पिछले चार पांच वर्षों से खनन कानूनों में संशोधन की बात कही जा रही है। 10 मार्च को यानि कल एक विशेष प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर यह है कि इस समय यह बता पाना सम्भव नहीं है कि किस तारीख तक खनन कानूनों को संशोधित किया जायेगा।

हार्ड बोर्ड, कार्ड बोर्ड और नालीदार बोर्ड के सभी निर्माताओं को रियायतें देने के लिए मैंने कुछ निश्चित सुझाव भी माननीय मन्त्री को दिए थे जिससे विभिन्न उत्पादों, विशेष रूप से कृषि उत्पादों तथा फलों को डिब्बा बंद करने में लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाए। यदि उन निर्माताओं को रियायतें दी जायें जो कि विभिन्न वस्तुओं को डिब्बा बन्द करने के लिए लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं तब आज इसका अर्थ यह होगा कि किसी भी राजस्व की हानि का न होना क्योंकि आज कोई भी उस तरह के उत्पादों का उत्पादन नहीं करता है जिसमें कि लकड़ी का प्रयोग न हो। लेकिन यदि प्रोत्साहन दिए जायें तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाए और इस प्रकार के उत्पादों का निर्माण किया जाए तब इस प्रकार के उत्पादों द्वारा लकड़ी का स्थान ले लिया जाएगा इसका तात्पर्य है राजस्व की हानि। सरकार इस प्रकार के भावी उद्यमियों को क्यों नहीं सुविधायें देती है। जो कि इस प्रकार के उत्पादों का निर्माण कर सकते हैं जो कि हमारे लकड़ी के संसाधनों पर कम बोझ डालती हों जो हमारे वनों को बहुत तेजी से समाप्त कर रहे हैं। मैं सोचता था कि मैं इन दोनों बातों को साथ-2 कह सकता था।

डा० दत्ता सामंत (बंबई दक्षिण मध्य) : मैं सीधे-2 गरीबी उन्मूलन की योजना पर आता हूं। मेरे विचार में पिछले एक वर्ष से मैं इस सभा में यह सुनता आ रहा हूं कि हमारी सरकार और वित्त मंत्री हमारे देश के गरीब लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं अब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर बोलूंगा। 300 मिलियन श्रम दिवसों के कार्यों में से केवल 200 मिलियन मानव दिवसों, औसतन मुश्किल से 15 लाख परिवारों की मुश्किल से रु० 300 से 400 तक का प्रतिवर्ष कार्य मिलेगा। तत्पश्चात ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम है। मुख्य बात केवल यह है कि आपने 60 प्रतिशत अधिक धन आवंटित किया है वहां केवल 264 मिलियन श्रम दिवस हैं। इसमें से मुश्किल से 10 लाख लोग 500 रु० से 600 रु० तक प्रति वर्ष प्राप्त

[डा० दत्ता सामंत]

करेंगे। तीसरी योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। इस योजना के लिए 428 करोड़ रु० रखे गए हैं और उससे केवल 15 लाख लोगों को अपने विकास हेतु 300 रुपए मिलेंगे। यदि आप इन सभी की गणना करें तो देखेंगे कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से, जिस पर इस सभा में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने बहस की है, मुश्किल से हमारे देश के 300 मिलियन से 400 मिलियन गरीब लोग 400 रु० से 500 रु० तक प्राप्त करेंगे। श्रीमन्, उनका उपयोग कैसे किया जाता है? मूल भूत सुविधायें क्या हैं। यह एक अलग बात है। यह मान लेने पर कि यह सब पैसा गरीब लोगों को दे दिया जाता है। 3000 लाख लोगों में से केवल 30 या 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मैं सोचता हूं कि मैं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को परिभाषित नहीं कर रहा हूं। यह मान लेने पर कि इस राशि को गरीब लोगों को दे दिया गया है तो भी इस देश के 1 या 2 प्रतिशत गरीब लोग, ही इससे लाभान्वित नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत जो कार्यक्रम है तथा वे कार्यक्रम जो कि छठी योजना में है उनको अधिक धन दिया जायेगा। इस देश के एक से दो प्रतिशत गरीब लोग ही इसका लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

महोदय, दूसरे मूल भूत सुविधायें क्या है? मैं महाराष्ट्र रोजगार गारण्टी योजना का सदस्य था वे अंगूठों का प्रयोग करते थे बाए अंगूठे का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के अंगूठों का प्रयोग किया जाता था। मृत व्यक्तियों के अगूठों का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार के 40 मामलों की जांच की गयी। मैं आश्वस्त हूं कि इस समस्त धन में से, यहां तक कि 50 % भी गरीब लोगों तक नहीं पहुंचेगा।

एक ओर बात यह है कि आप स्त्रीपरों, मोचियों, धोबियों और नाइयों को 400 रु० या 500 रु० का अल्प ऋण दे रहे हैं। क्या इस प्रकार के लोगों के लिए वास्तव में कुछ करने के इच्छुक हैं? मैं नहीं ऐसा सोचता हूं, कि यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है। पिछले डेढ वर्षों से मैं इस सभा में सुन रहा हूं, हम बात करते आ रहे हैं कि निगम करों को घटाया जा रहा है। कुछ मामलों में लाइसेंस समाप्त किए जाते हैं तथा कुछ मामलों में पूर्व लाइसेंस बनाये जाते। हम यह भी कह रहे हैं कि एम० आर० टी० पी० और एफ० ई० आर० ए० में अधिकतम सीमाओं को बढ़ा दिया गया है। हम भूमि की अधिकतम सीमा की बात कभी नहीं करते हैं। हम कभी नहीं कहते हैं कि बड़े जमीदारों के आयकरों पर कुछ सीमा होनी चाहिए। क्या सरकार और सत्तापक्ष को इसकी चिन्ता है?

आप देश में समाज के केवल 5% उच्च वर्ग के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जबकि 90% लोग बिल्कुल दरिद्रता में हैं। इस बारे में किसी को कोई चिन्ता नहीं है। आप इस बजट में छूट की बात करते हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि सरकार को जो दृष्टिकोण है उससे एक भी गरीब व्यक्ति को लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि इसके विपरीत गरीबी बढ़ जायेगी। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि संसद सदस्यों की एक समिति बना कर इसका अध्ययन कराया जाये। उन्होंने बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया है। सच महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा है। केवल 5% श्रमिकों को लाभ मिला है। आपने बोनस के लिए सीमा बढ़ायी है लेकिन फार्मूला पहले जैसा ही है। अब आपने श्रमिकों के लिए भविष्य जमा निधि पर ब्याज की दर को बढ़ाया है। मैं कहना चाहूंगा कि 30 से 40% लोग श्रमिक वर्ग के हैं। स्वतन्त्रता के 40

वर्षों पश्चात् इस देश के इन श्रमिक वर्ग के लोगों की हालत के बारे में सोचिये कि अगर किसी विशिष्ट श्रम-मालिक का मुनाफा होता है तो उसमें श्रमिकों का क्या हिस्सा होगा ?

इस देश की 30 से 40% जन संख्या मजदूर है लेकिन सरकार उनके बारे में चुप है और इस पर ध्यान नहीं दे रही कि इन श्रमिकों का हिस्सा निश्चित करने का कानून कहां है ? यह प्रश्न सदन के समक्ष में फिर रख रहा हूं। पिछले वर्ष भी मैंने इसे उठाया था। इस देश की 50% जनसंख्या मजदूर है, ठेका श्रमिक या नेमित्तक श्रमिक या बदली या प्रशिक्षार्थी या अप्रेंटिस के रूप में आप केवल निगम करों, रियायतों, आयात शुल्क, निर्यात शुल्क और ऐसे ही करों के बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आप इस देश की 30 से 40% श्रमिकों का हिस्सा कब निर्धारित करने जा रहे हैं ? क्या आप देश को केवल बड़े उद्योगपतियों और व्यापारी लोगों के लिए विकसित कर रहे हैं ? असंगठित श्रमिकों के लिए आप क्या कर रहे हैं ? खेतिहर श्रमिकों निर्माण श्रमिकों, विद्युत चालित करधा श्रमिकों आदि के लिए क्या कर रहे हैं ? गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 50% लोग ऐसे श्रमिक हैं। आप उनकी मजदूरी की गारंटी दे दें, तो 50% गरीबी दूर हो जायेगी। भूमि हीन श्रमिकों को 3 रुपये की दैनिक मजदूरी पर सड़क निर्माण कार्य में लगा लेना "गरीबी रोको कार्यक्रम" नहीं कहा जा सकता। यह उन्हें केवल भूखमरी से बचा लेने की योजना है जो आप लागू कर रहे हैं। इन व्यक्तियों को केवल कुछ अनाज दे देने और सड़क निर्माण में रोजगार पर लगा लेने से कभी भी उनका जीवन स्तर ऊपर नहीं लाया जा सकता। अगर सरकार वास्तव में गम्भीर है तो उन्हें उनकी मजदूरी की गारंटी देनी चाहिए। इन लोगों की न्यूनतम मजदूरी लागू करनी चाहिये। तब इस देश की 50% गरीबी दूर होगी।

पिछले वर्ष 100 जिलों को दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य बजट में रखा गया था। गरीब लोग मर रहे हैं। परन्तु आप न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर जब कोई मरता है तो आप किसी अन्य व्यक्ति को कुछ कर रियायत देते हैं। किसी को भी गरीब में रुचि नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में कितने गरीब लोगों को यह लाभ दिया गया है।

कारखाने बन्द होने पर सरकार कहती है कि कर्मचारियों को पहले लाभ प्राप्त होगा। लेकिन पिछले वर्ष में एक कर्मचारी को भी यह रियायत नहीं दी गई है। मैं यह स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसे बहुत से लोगों से सम्पर्क रखता हूं।

लगभग 3600 करोड़ या 9% बैंकों की पूंजी 90,000 रुग्ण उद्योगों में फंसी हुई है आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं ? 2000 करोड़ रुपयों के राजस्व को प्राप्त करने लिए आपने पेट्रोलियम पदार्थों और दूसरी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये हैं लेकिन 3,600 करोड़ रुपये की पूंजी अवरुद्ध है और उद्योग मालिको ने डकार ली है परन्तु सरकार इस बारे में कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है।

अब मैं मंहगाई भत्ते के बारे में जो कि 1.30 से बढ़ाकर 2.60 किया गया है कहूंगा। इसकी बजट में व्यवस्था रखी गई है। लेकिन भारत पेट्रोलियम, मजगांव डाक, और बम्बई स्थित अन्य ईकाइयों के बारे में क्या स्थिति है ? इनमें अधिक महंगाई भत्ता मिल रहा है और अब आप उनका महंगाई भत्ता घटाकर वह राशि बचा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

डा० दत्ता सामन्त : केवल 2 या तीन मुद्दे और हैं। जिनका उल्लेख मैं सदन में करना चाहूंगा।

दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का मूल्य लगातार कम हो रहा है। यू. एस डालर की तुलना में रुपये का मूल्य 1981-85 में 39.5% नीचे गिर गया है। मैंने इसकी जानकारी प्राप्त की है। पिछले पांच वर्षों में जापानी येन की तुलना में रुपये का मूल्य 48.78 नीचे चला गया है। फरवरी तक गत 14 महीनों में जापानी येन की तुलना में रुपए के मूल्य में 27 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यहां तक कि पौंड की तुलना में भी रुपये का मूल्य गिर गया है। इस विश्व में आपकी आर्थिक स्थिति क्या है ? हम दिन प्रतिदिन निर्धन होते जा रहे हैं। मुझे डर है कि समय आने पर आप रुपए का अवमूल्यन कर देंगे।

अप्रत्यक्ष करों के संबंध में सरकार पूर्णतया चुप है। 1983-84 में, अगर आप कुल उत्पादन देखें तो उसके अनुसार उत्पादन कर की कुल वसूली 16000 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी। लेकिन वास्तविक वसूली 8000 करोड़ रुपये हुई है। आपके विभाग के साथ उद्योग मालिकों का होने के कारण समायोजन अप्रत्यक्ष करों में 8000 रु० की कम वसूली हुई। इतनी बड़ी धनराशि या राजस्व की ओर सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

मोडवेट योजना आरम्भ की गई है। लेकिन कोई इसके बारे में नहीं जानता। मैंने बम्बई में पूछताछ की है। कोई व्यक्ति इस बारे में नहीं जानता। मैं साफ साफ प्रश्न पूछता हूं कि मूल्य या सहायक उत्पादक को दी गई रियायत का लाभ आपके विचार से क्या उपभोक्ता तक पहुंचेगा ? इसके विपरीति मोटरकार उद्योग में क्या हुआ है। वहां मूल्य में वृद्धि हो गयी है। प्रारम्भिक और सहायक उत्पादक को जो भी छूट दी जाती है वह उसे बड़े कारखाने वाले को नहीं दे रहे जिसके कारण आपका कर पहले जैसा ही रहता है। इससे बहुत भ्रम पैदा हुआ है।

मैं बम्बई से हूं। प्रधानमंत्री 13 दिसम्बर को कांग्रेस शताब्दी समारोह के सम्बन्ध में बम्बई आये थे और आजाद मैदान की सभा में लोगों को आश्वासन दिया था कि गन्दी बस्तियों की मरम्मत के लिए 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे और बाणी-बेलापुर·····

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह कांग्रेस का शताब्दी समारोह था।

डा० दत्ता सामन्त : इस 100 करोड़ रुपयों में से रेलवे को लाभ पहुंचेगा। हम महाराष्ट्र सरकार से धन देने के लिए तैयार हैं। इस बजट को देखते हुए ऐसा लगता है कि विशेषाधिकार के रूप में प्रधानमंत्री ने जनता को जो आश्वासन दिया था, अब सरकार उससे पीछे हट रही है और बम्बई से 300 करोड़ रुपये वसूल कर रही है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : गन्दी बस्तियों के लिए 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं रेलवे कांडों के लिए महाराष्ट्र सरकार·····

डा० दत्ता सामन्त : बम्बई की गन्दी बस्तियों के लिए सौ करोड़ की व्यवस्था नहीं की गई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम देने के लिए सहमत हैं।

डा० दत्ता सामन्त : यह योजना में शामिल नहीं किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह योजना में नहीं होगा। यह गैर योजना के अधीन होना है।

डा० वत्ता सामन्त । कितने वर्षों में किया जायेगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : चार वर्षों में।

प्रो० मधु दण्डवते : बम्बई से एक स्पष्टीकरण आया था कि केवल बस्तियों की सफाई और सुधार के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है। कृपया रिकार्ड देखें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं नही जानता यह किसने कहा। लेकिन यह हमारी आपसी समझने की बात है।

प्रो० मधु दण्डवते : वास्तव में वित्त मंत्री का आश्वासन अन्तिम है।

डा० वत्ता सामन्त : 100 करोड़ रुपये वहां नहीं हैं। लेकिन अगर आप कह रहे है कि चार वर्षों में 100 करोड़ रुपये दिये जायेंगे तो यह अच्छा है।

रेलवे के संबंध में हम महाराष्ट्र सरकार से धन दिलाने के लिए तैयार हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम महाराष्ट्र सरकार की योजना से सहमत हो गये हैं।

डा० वत्ता सामन्त : आपने रेलवे बजट में केवल 10 लाख रुपये दिये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का कहना है कि इसे सहमति दे दी गई है।

डा० वत्ता सामन्त : इसलिए महोदय यह बजट केवल 5% धनी व्यक्तियों के लिए है, बड़े आदमियों और उद्योगपतियों के लिए है और गरीब लोग वैसे ही रहेंगे। इसलिए मैं इस बजट का दृढ़तापूर्वक विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री जी ने जो वर्ष, 1986-87 का बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। जैसे कि आम जनता की यह प्रतिक्रिया रही है, सभी समाचार पत्रों ने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि इस बार का बजट काफी संतुलित, अर्थ-व्यवस्था को मजबूत करने वाला और उत्पादकता को बढ़ाने वाला रहा है। मेरा भी यह विचार है कि इस वर्ष का बजट पिछले वर्ष के बजट से बेहतर है। बेहतर इस माइने में है कि सुधार की प्रक्रिया जो 1985-86 में अपनाई गई थी, उसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं, चाहे लांग टर्म फिजकल पालिसी का सवाल हो, चाहे करों की प्रणाली में सरलीकरण करके, उनको नये सिरे से कम-कर नीति की तरफ ले जाकर अधिक राशि इकट्ठी करने का सवाल हो, उसके जो परिणाम हमारे सामने आये है और बेहतर टैक्स कलैक्शन चालू वित्त वर्ष में हुआ है, उसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा।

उन्होंने कर-प्रणाली को सरल बनाकर एक प्रयोग किया था, उसकी अच्छी प्रतिक्रिया आम जनता में हुई और उसके अच्छे परिणाम राष्ट्र के हित में प्राप्त हुए हैं।

[श्री प्रताप भानु शर्मा]

हमारे साथी श्री दत्ता सामन्त जी चर्चा कर रहे थे कि गरीबी निवारण के कार्यक्रम, एंटी-पावर्टी प्रोग्राम हैं, उनमें कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 7 वीं लोक-सभा में भी आप लोक-सभा में थे और बराबर चर्चा प्रश्न,काल के दौरान और विभिन्न बहसों में होती रही है कि एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत लाखों को ही नहीं, इससे भी आगे की संख्या में पहुंच कर लोगों को लाभान्वित किया गया है और ऐसे लोगों को जो गरीबी की सीमा से नीचे रहते थे, उनको भी लाभान्वित किया है। अगर आप राष्ट्रीय सर्वेक्षण और जो अध्ययन दल बना था, उसके भी संकलित आंकड़ों को एकत्रित करें तो विश्वास योग्य बात है और समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में डेढ़ करोड़ लोगों को लाभान्वित किया गया है। एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत भी लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये गये हैं।

मेरे भाई ने यह भी शंका व्यक्त की कि जो इस बजट में एन्टी पावर्टी प्रोग्राम पर जोर देकर ज्यादा प्रावधान किया गया है, और वित्त मंत्री ने करीब 1851 करोड़ रुपया आगामी वित्त वर्ष में इस गरीबी निवारण के कार्यक्रम और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने के लिये रखा है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक है। मैं उनका ध्यान इस बात की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा कि जो इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास योजना है यानि कि आई. आर. डी. पी. उससे करीब 2 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है। उसमें भले ही राशि 428 करोड़ रुपये रखी गई हो। उनको जानकारी होनी चाहिये कि यह राशि सिर्फ सहायता और अनुदान के रूप में रहती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्जा आई. आर. डी. पी. के अन्तर्गत स्वःरोजगार योजना के अन्तर्गत दिया जाता है, उसके अतिरिक्त/वह राशि होती है। हमें विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में करीब 5 हजार करोड़ रुपया जो कि अनुदान के रूप में 500 करोड़ राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण के रूप में है, यह अधिक भी हो सकता है। हमारे इन कार्यक्रमों से गरीबी की सीमा से नीचे रहने वाले ग्रामीण जनों, हरिजन आदिवासियों और गरीब तबके के लोगों को उपलब्ध होगा। हमें इन सब योजनाओं को नकारात्मक दृष्टि से देखने की बजाय राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और राष्ट्रीय हित में देखना चाहिये। यह कार्यक्रम उन गरीबों तक लाभ पहुचाने के लिये है जिनके लिये वास्तव में केन्द्र सरकार ने यह योजना बनायी है। सभी को मिलकर प्रयास करना होगा।

हमारी स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने ग्रामीण विकास कार्यक्रम और गरीबी निवारण कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। आज उन्हीं योजना को पूरा जोर लगाकर हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव जी, इस नवीन बजट के माध्यम से दूर-दराज ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाना चाहते हैं। वे बधाई के पात्र हैं।

जहां तक उद्योगों का और पब्लिक सेक्टर का सवाल है, वित्त मंत्री जी के भाषण से यह स्पष्ट है कि इस बार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1 लाख 80 हजार करोड़ रुपया उन सभी पब्लिक सेक्टर को सबसे ज्यादा आवंटित किया गया है जो कि हमारी कोर सेक्टर इंडस्ट्री में आती हैं, जिनका सर्व-साधारण से संबंध रहता है चाहे वह हैवी इंडस्ट्री हों, चाहें विद्युत से

जुड़ी हुई हों, ता स्टील, या सीमेंट, परिवहन से जुड़े उद्योगों को मदद करने का सवाल हो। निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर या इनके अन्तर्गत आने वाली कोर इंडस्ट्री को जो अधिक धन आवंटित किया है वह इस बात का संकेत है कि हमारी जो मूल नीति राष्ट्र के विकास की ओर औद्योगिकीकरण की है, उसको ध्यान में रखते हुए ही हमारे वित्त मंत्री जी ने पब्लिक सेक्टर को पब्लिक के उपयोग में आने वाले सभी संसाधनों को अधिक से अधिक धनराशि देने का प्रयास किया है।

इस अवसर पर मैं खास तौर पर सरफेज, ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म (परिवहन एवं पर्यटन) के सम्बन्ध में उल्लेख करना चाहूंगा। इस मामले में इस बजट में थोड़ा कम ही प्रावधान रखा गया है। यदि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता के विचार से या राष्ट्र में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए यह चाहें कि देश में आवागमन का साधनों का विकास होना चाहिए तो निश्चित रूप से सरफेज, ट्रांसपोर्ट विभाग और पर्यटन विभाग को अधिक धनराशि की आवश्यकता होगी। जैसा कि कहा जाता है कि "आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।" मेरे विचार में इनके विकास के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वह आने वाले वर्षों में कम होगी।

आखिर में मैं बैंक से संबंधित कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे पुजारी जी भी इस समय यहां बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से आपने 1986-87 के बजट में स्वःरोजगार योजना के लिए ज्यादा धनराशि रखी है। पहले जो 65 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 1986-87 में 103 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन इसमें अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्डस्ट्री सेंटर हैं, उनके जनरल मैनेजर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स बने हुए हैं। उसका कार्य सुचारु रूप से नहीं हो रहा है। उसमें चुनाव जो किया जाता है, हमारे उम्मीदवार का जो चयन किया जाता है उसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में जाने के बाद फाइनेन्स नहीं मिलता है। बैंकों के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि टास्क-फोर्स में लीड बैंक के वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं इसलिए बैंकों में पुनरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर ही बैंकों से ऋण मिल जाना चाहिए।

अन्त में मैं फसल बीमा के सम्बन्ध में एक मिनट बोलना चाहूंगा। किसानों के हक में फसल बीमा योजना बहुत अच्छी साबित हुई है परन्तु कुछ इलाकों में ही (सौ जिलों में ही) इसको लागू किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदायें आती रहती हैं – चाहे सूखा हो, अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो—इन सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश के सभी जिलों में फसल बीमा को लागू किया जाना चाहिए।

इन बातों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा तथा यह कहूंगा कि माइन्स टैक्नालाजी, एटामिक एनर्जी के मामले में कलपक्कम तथा अन्य फास्ट-ब्रीडर्स के लिए भी अधिक धन का आवंटन करने के सम्बन्ध में जो उन्होंने ध्यान रखा है तथा विशेष आवंटन करके विशेष धनराशि दी है और उसकी प्राथमिकता बताई है उसके लिए भी बधाई देता हूं।

श्री राम समुझावन (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1986-87 के बजट पर आपने जो मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने

[श्री राम समुझावन]

जो बजट यहां पर पेश किया है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग, चाहे वे देश के किसी भी कोने में रहते हों उनकी ओर उनका ध्यान गया है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। मन्त्री महोदय ने अपने बजट में गरीबों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया है चाहे वे गरीब देहात के रहने वाले हों या शहर के रहने वाले हों। उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की योजनायें उन्होंने बनाई हैं। लेकिन आज तक के अनुभव के आधार पर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। गरीबों के लिए सरकार की ओर से काफी पैसा दिया जाता है लेकिन सही-सही माने में यदि देखा जाए तो वह धन उन गरीब लोगों तक पहुंच नहीं पाता है जितना कि वास्तव में पहुंचना चाहिए। चाहे ब्लाक के माध्यम से हो चाहे बैंकों के माध्यम से हो, बीच में जो लोग मध्यस्थता करते हैं वे अधिकतर राशि का अपहरण कर लेते हैं। इसलिये गरीबों के लिये जो धन खर्च किया जाता है उसके सम्बन्ध में इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाए कि बिचौलियों से उनको बचाने का प्रयास किया जाए।

मैं मन्त्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर भी ले जाना चाहूंगा। संयोग से उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ आदि जो कि बहुत पिछड़े हुए हैं, वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हो पाया है। 1962-63 में वहां पर पटेल आयोग गया था और उसने अध्ययन करके वहां की उन्नति के लिए कुछ सिफारिशें की थीं। संयोग से जो मेरा क्षेत्र है सैदपुर, वह गाजीपुर, जौनपुर और बनारस को मिलाकर बनाया गया है। वहां पर मेरे सामने लोगों की ओर से जो प्रश्न आते हैं उनका जवाब मैं नहीं पाता हूं क्योंकि वहां पर कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और न कोई उद्योग-धंधे ही स्थापित किए गए हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि उस इलाके के लिए वे कोई आयोग या कमेटी नियुक्ति करें जो वहां पर जाकर जांच करे कि वह क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है और उसकी उन्नति के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मेरे पड़ोस में जब मैं सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और राय बरेली की ओर देखता हूं तो पता चलता है कि वहां पर कितने विकास कार्य किए गए हैं लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हम से प्रश्न करते हैं कि आखिर वे भी एमपीज के ही क्षेत्र हैं जहां पर इतना विकास कार्य हुआ है लेकिन हमारे इलाके में एक फैक्टरी तक नहीं है इसका क्या कारण है?

3.00 म० प०

वहां के लोग जब मुझ से पूछते हैं कि यहां कोई कार्य नहीं हुआ है, तो मुझ से कोई जवाब देने को नहीं बनता है। विकास के नाम पर वहां कोई काम नहीं हो रहा है। सैदपुर और वहरियाबाद में कस्बे की आबादी बहुत अच्छी है, लेकिन यह बीस किलोमीटर की दूरी पर है। सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन यदि वे एक दूसरे से सम्पर्क रखना चाहें, तो बीच में उदन्ती नदी पर पुल न होने के कारण उनको सौ किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इसलिए वहां का विकास कैसे हो सकता है। पुल छोटा है और उस पर मेरे विचार से एक लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस नदी पर पुल बनवाने की व्यवस्था करें। यदि उस क्षेत्र का आवागमन का कार्य हुआ होता तो वहां के क्षेत्र का विकास हुआ होता। उसी तरह से पहाड़पुर में गांगी नदी बहती है, यदि उस पर भी पुल बनाया जाए, तो उस क्षेत्र का विकास हो सकता है।

आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां प्रतिवर्ष बाढ़ें आती हैं। हमारे जिले में गोमती व गंगा नदी बहती है, जो बाढ़ की वजह से प्रतिवर्ष उस इलाके को बर्बाद करती है। वहां पर तो गरीब लोग हैं ही और बाढ़ की वजह से और तबाह हो जाते हैं। वहां पर सिंचाई के साधन उतने अच्छे नहीं हैं, जितने कि होने चाहिए। पिछले साल भी गोमती नदी पर केराकल में पुल बनवाने के लिए प्रार्थना की थी और इस साल भी मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। इसके साथ ही वहां काफी तेजी के साथ कटाव हो रहा है, लेकिन उसको रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यह क्षेत्र बहुत ही गरीब है और काफी पिछड़ा हुआ है। आबादी भी काफी ज्यादा है। वहां के लोग रोजी-रोटी के लिए कलकत्ता, बम्बई आदि शहरों में जाकर अपना जीवन-यापन करते हैं। जैसा मैंने बताया, यह क्षेत्र हरिजन क्षेत्र है और उसमें तीन हरिजन एसेम्बली कान्स्टीचूयेंसी भी हैं। उस क्षेत्र के विकास के लिए मैं सरकार से बराबर प्रार्थना करता आ रहा हूं और आज भी सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वे उस क्षेत्र के विकास के लिए एक विकास योजना बनाएं और उस क्षेत्र को जाकर देखें कि सचमुच में वह क्षेत्र इतना पिछड़ा क्यों है और उसके विकास के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है।

जहां तक हरिजनों का सवाल है, हरिजन आज भी गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए हर प्रयास करता है। सरकार द्वारा मदद मिलती है लेकिन हरिजनों का नाम लेकर उनका शोषण कितना किया जाता है, यह भी सरकार को देखना चाहिए। उस क्षेत्र में हरिजनों को सुविधा देने के लिए बिजली लगाई गई। उस क्षेत्र का दौरा करें, तो उस बस्ती के शुरू में तीन खम्बे लगा दिए गए हैं और कागज में लिख दिया जाता है कि इस गांव का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

जहां तक उस क्षेत्र में शिक्षा-भवन का सवाल है, वहां पर 80 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं, जहां पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई-लिखाई होती है। यदि कभी आंधी या तूफान आ जाता है, तो उन दिनों बच्चों को छोड़ दिया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि चहुंमुखी विकास के लिए सरकार द्वारा काफी धन दिया जाता है, लेकिन उस धन का सदुपयोग नहीं किया जाता है। इसलिए आवश्यक है कि गांवों में स्कूल बिल्डिंग्स बनें, ताकि गांव के बच्चे देश की हालत को देखकर आगे बढ़ें और उस गांव का विकास हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो विकास का बजट पेश किया है, उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि वह हमारे क्षेत्र सैदपुर की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें।

3.06 म० प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

***श्री आर० अण्णामलै** (पोल्लाची) : सभापति महोदय, अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कणगम की ओर से मैं 1986-87 के सामान्य बजट पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

*मूलतः तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० अण्णानम्बी]

वित्त मंत्री द्वारा गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु प्रावधान में की गई 65% की वृद्धि का मैं स्वागत करता हूं। हमारे पुराची थलैवार डा० एम० जी० आर० के प्रबुद्ध नेतृत्व में गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को पूरे जोश और उत्साह सहित लागू कर रहे है। वर्ष 1984-85 में तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र इस सम्बन्ध में प्रथम स्थान पर हैं, ऐसे राज्यों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों हेतु, और अधिक धनराशि की आबंटित की जानी चाहिए।

ऐसा कहा जाता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक देश के सभी ग्रामों को पीने का पानी उपलब्ध होगा। 1985-86 में 298.83 करोड़ रुपये की उपलब्ध धनराशि करायी गयी थी लेकिन केवल 167.01 करोड़ रुपये व्यय किये गये थे, केन्द्र के पास 131.82 करोड़ रुपये की धन राशि जो व्यय नहीं की जा सकी, शेष है। ऐसा क्यों है? इस 131.82 करोड़ रुपये की शेष राशि का क्या हुआ? इसे पेयजल कार्यक्रमों पर क्यों नहीं खर्च किया गया? माननीय वित्त मंत्री को इस बात का उत्तर देना चाहिए। 1985-86 में 31.370 ग्रामों को पेयजल देने की योजना थी लेकिन केवल 17,128 ग्रामों को पेयजल की पूर्ति हुई। इसका कारण यह है कि इस योजना के लिए जिस धन का प्रावधान किया गया था उसे आबंटित नहीं किया गया और व्यय नहीं किया गया। यदि ऐसी महत्वपूर्ण योजना के लिए ऐसा उपेक्षा पूर्ण रुख अपनाया जाता है तो सातवीं योजना के अन्त में भी सभी ग्रामों को पेयजल नहीं मिल पायेगा, इस महत्वपूर्ण योजना पर माननीय मंत्री जी द्वारा उचित ध्यान दिया जाना चाहिए।

1986-87 के बजट में कृषि को जो बढ़ा हुआ आबंटन किया गया है तथा कृषि को अधिक महत्व दिया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। कावेरी जल विवाद के कारण तमिलनाडु में उत्पादन खतरे में पड़ा हुआ है। यद्यपि विश्व बैंक ने कावेरी डेल्टा का आधुनिकीकरण करने के लिए सहायता का आश्वासन दिया है परन्तु इस विवाद के कारण इस योजना को प्रारम्भ नहीं किया जा सका। केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये तथा कावेरी जल विवाद का शीघ्र समाधान, सुनिश्चित करना चाहिए। 1974 से, पिछले 12 वर्षों से तमिलनाडु के किसान बड़ी परेशानी में हैं। मेरी मांग है कि कावेरी जल विवाद को सुलझाने में केन्द्र सरकार के प्रभाव का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

भारत में भूतल जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता केवल 0.14 एम० क्यूबिक फिट है, तमिलनाडु में यह 0.03 एम० क्यूबिक फीट है। 1978 में भारत सरकार ने पश्चिम ओर की बहने वाली नदियों के, जिनमें कि 218 टी० एम० सी० जल का अतिरेक है, जल का उपयोग करने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति बनायी थी। यह सारा जल केरल से होकर अरब सागर में गिर कर बेकार चला जाता है, तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों को पेय जल की आपूर्ति के लिए हमें केवल 17 टी०एम०सी० जल की आवश्यकता है। राष्ट्रीय जल विकास एजेन्सी को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए तथा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से 17 टी०एम०सी० जल को उपलब्ध कराने के लिए, कार्यान्वयन हेतु योजना बनानी चाहिए। 1972 के सिंचाई आयोग ने भी इस महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख किया है।

जल के बाद, कृषि के विकास के लिए बिजली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, 1989-90 में तमिलनाडु को 3300 मिलियन इकाइयों के बराबर बिजली की आवश्यकता होगी। 1994-95 में तमिलनाडु की आवश्यकता 10,200 मिलियन इकाईयों के बराबर होगी।

तमिलनाडु ने विद्युत उत्पादन के लिए पूरी जल क्षमता का उपयोग कर लिया है। तमिलनाडु में अब केवल ताप विद्युत संयंत्रों के विषय में ही सोचा जा सकता है। लेकिन उसके लिए कोयले की पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, यहां तक कि वर्तमान ताप विद्युत संयंत्र भी अच्छी श्रेणी के कोयले के अभाव के कारण मुश्किल में हैं। केन्द्र सरकार द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों के लिए उत्तम किस्म के कोयले की बड़ी मात्रा के आयात के लिए राज्य सरकार को अनुमति देनी चाहिऐ। तमिलनाडु में एक और आणविक इकाई स्थापित की जानी चाहिए। तिरुनेलवेली जिले में कूदांगुलम नामक स्थान को अणु ऊर्जा आयोग के दल ने इस उद्देश्य हेतु चुना था। इस स्थान को टूटोकोरीन के भारी पानी संयंत्र के निकट स्थित होने के कारण चुना गया था। सातवीं पंच-वर्षीय योजना में 10,000 मेगावाट अणु शक्ति के उत्पादन का लक्ष्य है, यदि कूदांगुलम में एक आणविक इकाई स्थापित की जाती है तो इससे तमिलनाडु की ऊर्जा समस्या का समाधान हो जायेगा।

नियोजन के लाभ ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुँचे हैं। उनके पास आवास नहीं है, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा नहीं है, शिक्षा सुविधा नहीं है, और यद्यपि खाद्यान्नों के उत्पादन में हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है, फिर भी उन्हें पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, मैं इन बातों को नहीं कह रहा हूं। इन बातों को वरिष्ठ मंत्री श्री नरसिंह राव ने कड़की विश्वविद्यालय में दिये गये अपने दीक्षांत भाषण में कहा था, 6 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी यह स्थिति है मैं नहीं जानता कि इस देश के ग्रामीण लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए अभी और कितनी पंचवर्षीय योजनाओं की जरुरत पड़ेगी। महात्मा गांधी बार-2 कहा करते थे कि भारत ग्रामों में बसता है लेकिन इन ग्रामों की अब उपेक्षा की जा रही है।

हमारे मुख्यमंत्री डा० एम० जी० आर० इन ग्रामों को छोटे कस्बों में बदलना चाहते हैं, स्थानीय निकायों के चुनावों से पहले उन्होंने प्रत्येक पंचायत संघ को आत्म-निर्भरता योजना के अन्तर्गत, अर्थात मकानों, छोटे पुलों, अच्छी सड़कों, स्कूल की इमारतों के निर्माण तथा पेयजल आपूर्ति आदि के लिए, एक करोड़ रुपये प्रदान किये। आज तमिलनाडु के गाँव छोटे कस्बों की तरह दिखाई देते हैं। यदि ग्रामों का नाश हो जाता है तो क्या भारत जीवित रह सकता है? यदि भारत ने जीवित रहना है तो केन्द्र सरकार को देश के सभी ग्रामों के लिए मूलभूत सुविधाएं जुटानी चाहिए।

यदि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों का पिछड़ापन दूर किया जाना है तो सेतुसमुद्रम नहर परियोजना को कार्यान्वन हेतु हाथ में लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की पिछली बैठक में भी हमारे मुख्यमन्त्री ने इसका उल्लेख किया था। इस योजना से दक्षिणी तटों को भी आवश्यक सुरक्षा प्राप्त होगी। पिछले 30 वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में कई व्यवहार्यता रिपोर्ट दी गई हैं। नौसेना अध्यक्ष की हाल की मद्रास यात्रा के दौरान हमारे मुख्यमन्त्री ने उन्हें इस सेतुसमुद्रम नहर परियोजना के सामरिक महत्व के बारे में बताया केन्द्र सरकार द्वारा बिना अधिक बिलम्ब के इस योजना को हाथ में लिया जाना चाहिए।

[श्री आर० अण्णानम्बी]

कुछ दिन पूर्व हमारे कृषि राज्य मंत्री श्री मकवाना ने इस सदन में एक गलत वक्तव्य दिया उन्होंने कहा कि जब तमिलनाडु के मुख्य मंत्री से उन्होंने चक्रवात सहायता उपायों के विषय में सम्पर्क किया तो मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने उन्हें बताया कि मुख्यमंत्री सोने जा चुके हैं और उनको जगाया नहीं जा सकता। निजी सचिव चाहता था कि मंत्री उसे ही सब कुछ बता दें ताकि वह उसको बाद में मुख्यमंत्री को बता सकें, यह एक गलत सूचना है। पिछले वर्ष अक्टूबर से इस वर्ष की जनवरी तक उनके निजी सचिव के घर का फोन कटा हुआ था। उस समय मुख्य मंत्री के रामावरम हाउस में बाढ़ का पानी भरा हुआ था और मुख्यमंत्री कालेमारा होटल में ठहरे हुए थे। यह अच्छी बात नहीं है कि राज्य मंत्री सदन में ऐसे गलत वक्तव्य दें। जब बाढ़ सहायता कार्यों और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वन में तमिलनाडु सरकार प्रथम स्थान पर है तो मंत्री जी के लिये यह उचित नहीं है कि वह मुख्यमन्त्री के खिलाफ सभा में ऐसे आरोप लगायें एक राज्य के प्रतिष्ठित मुख्यमन्त्री के विरुद्ध ऐसे वक्तव्यों की मैं भर्त्सना करता हूं।

इन बातों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डा० संकटा प्रसाद (मिसरिख) : सभापति महोदय, कांग्रेस और हमारी सरकार का लक्ष्य इस देश को समाजवाद और आत्म-निर्भरता की ओर ले जाने का है। वित्त मंत्री जी ने इस सदन में वर्ष 1986-87 का जो बजट पेश किया है, वह समाजवाद की तरफ और आत्म-निर्भरता की तरफ बढ़ने के लिए मजबूत और साहसिक कदम है। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, खेती इस देश का मुख्य धंधा है और राष्ट्र की पचास फीसदी आमदनी खेती से होती है। इस देश में 75 प्रतिशत लोग खेती करते हैं या खेती पर आश्रित हैं। खेती को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया जा चुका है और अभी बहुत कुछ करना शेष है। हम खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भर हो चुके हैं और हमें विदेशों से खाद्यान्न मंगाना नहीं पड़ता है जबकि दुनिया के कई देश अभी तक खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और इसके लिए मैं भारत सरकार की सराहना करता हूं।

इन्दिरा जी के भागीरथी प्रयासों, उनकी मेहनत और कार्यों के परिणामस्वरूप ही हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो पाया है लेकिन इस सबके बावजूद हमें बहुत कुछ करना शेष है। हमें अब भी तिलहन और शक्कर जैसी चीजें विदेशों से मंगानी पड़ती हैं। तिलहन के अलावा हमें जिन चीजों की जरूरत होती है, देश में उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए बजट में समुचित व्यवस्था की गई है ताकि हम उनमें भी आत्म-निर्भरता प्राप्त कर सकें। इतना कुछ होने के बावजूद भी हमें अभी काफी काम करने हैं।

यद्यपि लैंड सीलिंग को हमने कड़ाई से लागू किया है परन्तु आज भी खेती की जमीन बड़े-बड़े लोगों ने अपने कुत्ते और बिल्लियों के नाम से ग्रैब की हुई है और लाखों एकड़ जमीन उनके कब्जे में है जो कि गरीब लोगों को जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि लैंड सीलिंग एक्ट को और ज्यादा कड़ाई के साथ लागू किया जाना चाहिए ताकि देश में उत्पादन बढ़ाया जा सके...

(व्यवधान)....मैं जानता हूं कि आज भी देश में लाखों एकड़ भूमि को लैंड ग्रैबर्स ने कुत्ते और बिल्लियों के अलावा न जाने किन-किन नामों से अपने कब्जे में किया हुआ है, जिनका कोई अता-पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि जमीन उसको दी जानी चाहिए जो उसको जोत सके जब कि आज खेती योग्य जमीन ऐसे लोगों के कब्जे में है, जो उसको जोतते नहीं हैं बल्कि जबर्दस्ती हड़पे बैठे हैं। इन लैंड ग्रैबर्स की वजह से जमीन का ठीक से उपयोग नही हो पाता।

सभापति महोदय, अभी हमारी सरकार ने काफी जमीनें गरीबों को दी हैं और उन जमीनों के पट्टे किए हैं, लेकिन वे जमीनें अभी तक बहुत से गरीबों को नहीं मिल पाई हैं। उन जमीनों पर उनका कब्जा कड़ाई से कराया जाना चाहिए। इसके लिए प्रदेश सरकारों को भारत सरकार की ओर से लिखा जाना चाहिए कि जो पट्टे जमीनों के गरीबों के लिए किए गये हैं, उनको उस जमीन पर कब्जा दिला दिया जाए।

सभापति महोदय, वीकर-सैक्शन के लिए, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए इस बजट में काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है जिससे इन लोगों को अगले वर्ष काफी राहत मिलेगी और इनकी तरक्की होगी। इसी प्रकार बैकवर्ड लोगों के लिए रोजगार देने के लिए काफी धनराशि की व्यवस्था की गई है। लेकिन महोदय, जो धन बैंकों से कर्जे के रूप में या दूसरे रूप में इन लोगों को दिया जाता है, उसका काफी भाग बिचौलिए खा जाते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जहां कर्जे की व्यवस्था इन लोगों के लिए की गई है, वहां सेंट्रल मानिटरिंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर यह नहीं होता है, तो उसका सदुपयोग नहीं होगा और 25-30 परसेंट धनराशि दूसरों के हाथों में चली जाएगी। इसलिए सेंट्रल मानिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय, वित्त मंत्रालय और हमारे वित्त मंत्री जी ने होर्डर्स और ब्लैकमार्किटियर्स के खिलाफ भी एक मुहीम चलाई है, यह एक साहसपूर्ण कदम है। ब्लैक मार्किटियर्स और होर्डर्स ने एक पैरेलल इकनौमी चलाई हुई है। इस पैरेलल इकनौमी की वजह से कीमतें बढ़ती हैं और देश की इकनौमी खराब होती है और अगर इन होर्डर्स ब्लैकमार्किटियर्स पर कब्जा किया जाए और छिपा हुआ धन निकाला जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कीमतों में भी स्थायित्व आएगा, जिससे आम आदमी को सहूलियत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारे देश और समाज में जो क्राइम होते हैं, उनमें से 70 फीसदी क्राइम देश के अर्थ से जुड़े हुए हैं। इन अर्थ से बंधे हुए क्राइम को रोकने के लिए हमारे सामने एक ही रास्ता है कि हम समाजवादी व्यवस्था को इस देश में मजबूत करें। जितनी समाजवादी पकड़ बढ़ती जाएगी उतनी ही गति से ये जो 70 फीसदी क्राइम होता है, शनैः-शनैः कम होता जाएगा और अगर आप यह नहीं कर सकते हैं। तो यह जो आर्थिक क्राइम होता है, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। हमारे पं० जवाहर लाल नेहरू ने 1936 में लखनऊ में, कांग्रेस अधिवेशन में कहा था —

[अनुवाद]

मैं उदधृत करता हूं : "मुझे भारत के लोगों की निर्धनता, व्यापक बेरोजगारी उनके पतन और गुलामी को खत्म करने का और कोई तरीका दिखाई नही देता सिवाय समाजवाद के जिसका अर्थ होगा हमारे राजनैतिक और सामाजिक ढांचे में व्यापक क्रान्तकारी परिवर्तन और भूमि तथा

[डा० संकटा प्रसाद]

उद्योग के क्षेत्र में निहित स्वार्थों का खात्मा, इसका अर्थ है निजी सम्पत्ति को समाप्त करना, सिवाय एक संकुचित अर्थ में और वर्तमान मुनाफे की प्रणाली को सहकारिता सेवा के उच्च आदर्श द्वारा प्रतिस्थापित करना, इसका अर्थ है हमारी वर्तमान आदतों और इच्छाओं में अन्ततः एक परिवर्तन।"

संक्षेप में इसका अर्थ है एक नयी सभ्यता जो कि वर्तमान पूंजीवादी प्रणाली से पूरी तरह भिन्न होगी।"

[हिन्दी]

कांग्रेस और देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि कांग्रेस पार्टी व देश की सरकार ने जब भी कोई ऐसे बड़े मुद्दे या सवाल देश के ऊपर आए या देश के उपर कष्ट पड़ा, तो कांग्रेस ने मजबूती से कदम उठाया है। चाहे वह जमींदारी एबोलिशन एक्ट हो, प्रिवीपर्स को समाप्त करने का काम हो, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का काम हो, चाहे बंगला देश से लड़ाई का मसला हो या और भी कोई ऐसा देश का सवाल हो, हर मौके पर कांग्रेस पार्टी और भारत सरकार ने बड़ी मजबूती साथ कदम उठाया है। यह भी हुआ कि हमें पार्टी को बांटना पड़ा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटे, हमने किसी चीज की परवाह नहीं की। हमारी लीडरशिप ने हर वह काम किया जिससे देश में मजबूती आये, देश आगे बढ़े।

यहां विरोधी भाई बीच-बीच में टोकते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमने पार्टी का बंटवारा कई मुद्दों पर किया और देश के हित में किया।

आपकी पार्टी बनती हैं, बिगड़ती हैं, आपकी पार्टी का पता ही नहीं चलता है। हमारी पार्टी का इतिहास देश को बनाने का है। हमारी कांग्रेस सरकार देश में आगे बढ़ी है और हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं हैं। मैं इसके साथ वित्त मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : सभापति महोदय, वित्तमंत्री जी के बजट प्रस्तावों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

पिछले बजट में वित्त मंत्री ने बचत को बढ़ावा देने के कई उपायों की घोषणा की थी और उनके अच्छे परिणाम सामने आये। इसमें मेरा मन जरा उत्साहित हुआ कि वित्तमंत्री को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। हालांकि जो प्रस्ताव इस बजट में उन्होंने पेश किए हैं, उनमें से कई अरुचिकर हैं, पर कुल मिलाकर बजट अच्छा बना है, इस लिए उनको धन्यवाद दिया जाता है।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बोंडों की एक और शृंखला प्रारम्भ करने पर, जिस पर कर मुक्त ब्याज मिलेगा, उसका में स्वागत करता हूं। निर्माण गतिविधियों में अवरोध पैदा करने वाले वित्तीय और गैर-वित्तीय तत्वों के बारे में जो खुलकर उन्होंने विचार-विमर्श आमंत्रित किया है तथा सरकारी खर्चों को किस प्रकार से कम किया जाये, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इस पर भी उन्होंने जो वाद-विवाद आमंत्रित किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

पिछले बजट में हमारी प्रत्यक्ष-कर प्रणाली में जो महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे और उसके परिणाम स्वरूप करों की वसूली में 22% तथा व्यक्तिगत आय कर में 36% की जो वृद्धि हुई

है, यह प्रशंसा की बात है। इस वर्ष के बजट में भी ग्रामीणों की गरीबी दूर करने के कार्यक्रम पर ज्यादा खर्च तथा ग्रामीण जल-पूर्ति, विद्युत उत्पादन और रक्षा आदि पर जो खर्च के प्रस्ताव आये हैं, वह भी प्रशंसनीय हैं। जिन चीजों पर करों पर रियायत दी गई है, खासकर दवाओं पर, वह भी स्वागत-योग्य है।

वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में मुख्यतया काले-धन पर किस प्रकार रोक लगानी चाहिये, दूसरे व्यय में किस प्रकार कमी की जानी चाहिये, मुद्रास्फीति को बढ़ाये बगैर आयोजना के लिए साधन जुटाने तथा सरकारी क्षेत्र के आर्थिक ढांचे को किस प्रकार से मजबूत किया जाना चाहिये और निर्यात को किस प्रकार प्रोत्साहित करें, विदेशी व्यापार संतुलन को ठीक किया जाना चाहिए, इस पर जो विचार आमंत्रित किए गए हैं, इनमें से कुछ ही मुद्दों पर मैं अपने विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं।

जहां तक काले धन का प्रश्न है, तस्करों, कालाबाजारियो तथा कर चुराने वालों के खिलाफ अभियान आपने तेज किया, उनमें डर पैदा किया, छापे डाले, परन्तु में यह नहीं मानता कि उससे कालेधन की बढ़ोत्तरी रुक गई हो या आपको कोई बहुत ज्यादा सफलता मिल पाई हो। इस बुराई की जड़ को उखाड़ फेंकने की जो आपने कसम खाई है या वायदा किया है, मैं समझता हूं कि उसमें आप सफल नहीं होंगे, क्यों कि जिन दो-तीन चीजों पर यह कालाधन मुख्यतया निर्भर करता है, खासकर रीयल स्टेट पर, सम्पत्तियों और स्टाक-एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पर जिनमें सबसे ज्यादा यह लगा हुआ है, उस पर आपका ध्यान कम है। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यह घोषणा कर रखी है कि कोई भी सम्पत्ति जिसकी कीमत घोषित अर्थात बताई गई कीमत से 15% ज्यादा देकर उस सम्पत्ति को सरकार द्वारा खरीद करने का प्रवीजन है। मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितनी सम्पत्तियों को इस घोषणा के अनुसार 15 परसट से ज्यादा रकम देकर खरीद लिया गया। इस प्रकार के प्रवीजन बना कर रखने से क्या फायदा है।

आम चर्चा के अनुसार आज अफसरों के पास काफी काला धन है। अफसरों के लिए अपनी सम्पत्ति घोषित करना आवश्यक होना चाहिये तथा उनके पश्चात उनकी तलाशी होनी चाहिये।

सेल्स टैक्स की भी बड़े पैमाने पर चोरी होती है। मेरे विचार से सेल्स टैक्स हटाकर कोई विकल्प ऐसा ढूंढ़ा जाना चाहिये कि उत्पादन की जगह ही सारे टैक्स लिए जाएं। अलग-अलग जगह से टैक्स लगाने से चोरी अधिक होती है।

काला धन घोषित कर उत्पादन एवं निर्माण गतिविधियों में लगाये जाने की कोई योजना की घोषणा की जानी चाहिये। पहले भी कई बार इस प्रकार की योजनायें सरकार द्वारा घोषित की गई हैं। इटली में ऐसी ही योजना है। वहां पर काले धन से मकान बनाने की छूट दी हुई है।

सरकारी व्यय में कमी करने की बात पर भी आप विचार करें। एक तरफ तो सरकार कहती है कि पेट्रोल और डीजल के दाम इस वजह से बढ़ाये जा रहे हैं क्योंकि इसकी खपत कम हो दूसरी तरफ सरकारी महकमों में रोज नई कारें खरीदी जाती हैं और जो पैसा जिस अफसर को पेट्रोल और डीजल के लिए पहले मिलता था, उससे ज्यादा अब मिलने लगा है। यह बात आप पहले अपने सरकारी स्तर से चालू करें। अगर डीजल और पैट्रोल की खपत कम करनी

[श्री शांति धारीवाल]

है तो जितनी कारें रखी हैं सब विद-ड्रा करें और उनको बाजार में बेचिए। अफसर चाहे किसी भी लैवल का हो उनको आप कार एलाउन्स दीजिए। जैसे कि निजी क्षेत्र के कारखानों में अफसरों को एलाउंस दिया जाता है वैसा ही आप अपने यहां पर करें।

सभापति महोदय, आप यह घंटी बजा देते हैं तो जो बातें मुझे याद होती है वह भी भूल जाती हैं। ....(व्यवधान)

मुद्रास्फीति से मजदूर एवं वेतनभोगी वर्ग काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। श्रमिकों की आय में उस गति से वृद्धि नहीं हुई है जिस गति से कीमतों में वृद्धि हुई है। मुद्रास्फीति ने आय व धन का वितरण असमान कर दिया है। धनी अधिक धनी होने लगा है तथा गरीब अधिक गरीब हो गया है। इससे व्यवसायिक वर्ग एवं सरकार को जरूर फायदा पहुंचा है, परन्तु इसके बुरे प्रभाव करोड़ों कृषि श्रमिकों, सीमान्त कृषकों, श्रमिकों, पेंशनभोगियों और बेरोजगारों पर पड़ा है। ऐसी स्थिति में सरकार का यह उत्तरदायित्व हो जाता हैं कि प्रभावशाली एवं कठोर उपायों के द्वारा मुद्रास्फीति पर काबू पाया जाये।

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में हो रहा नुकसान भी चिन्ता का विषय है।

हमें निजी क्षेत्र के अच्छे प्रबन्धकों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्धकों को ठीक करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए और अच्छे मैनेजरों को वहां पर लगाया जाना चाहिए। साथ ही पब्लिक सेक्टर की बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज में वहां के प्रबन्धकों पर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए ताकि कुप्रबन्ध को रोका जा सके।

विदेशी मुद्रा भण्डार को संतुलित करने के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। 1984-85 की हालत को हमने देखा है। 5263 करोड़ का घाटा बरदाश्त करना पड़ा है जोकि एक चिन्ता का विषय है। लिब्रलाइजेशन आफ इम्पोर्टस तथा इस प्रकार की अन्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर हो रहे इस वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।

महोदय, मैं इस राज्य से निर्वाचित सदस्य हूं जो हाल ही में इस सभा में तथा जनता के लिए चिंता का विषय बना रहा। यह जो चिंता व्यक्त की गई है वह अधिकतर निराशा, वैमनस्य और निंदा करने के उद्देश्य से की गई है, ऐसा बजट का सही और उचित मूल्यांकन करके नहीं किया गया है। प्रायः सभी पर अनुचित ढंग से कीचड़ उछाला गया है। हमारे लोगों के धैर्य और प्रधानमंत्री जी की राजनीतिक सूझ-बूझ और बुद्धिमता के कारन ही असम समझौते पर हस्ताक्षर किए जा सके और सत्य को प्रतिष्ठापित किया जा सका।

देश के बजट से पता चलता है कि इसमें निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई है, सरकारी क्षेत्र सुदृढ़ बनाने, आत्म-निर्भर पर बल देने, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर बल देकर देश को

करोड़ों लाखों की संख्या में जनता के लिए खुशहाली का रास्ता खोला है। हमारे देश की वित्तीय नीति के आर्थिक उद्देश्यों की जटिलताओं में गहराई से बनाए बिना मैं विशेष रूप से असम के आर्थिक क्षेत्र की स्थिति के बारे में कुछ पहलू बताना चाहूंगा ताकि बड़ी संख्या में लोग यह जान सकें और इस पर विचार कर सकें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की हालत इतनी खराब क्यों है। इतना अधिक क्षेत्रीय असंतुलन बने रहने पर कोई भी देश कैसे प्रगति कर सकता है ?

असम की जनता को यह गौरव प्राप्त है कि देश को विरासत में प्राप्त सदियों पुरानी कला, संस्कृति, सभ्यता, पुराण-विद्य धर्म, भाषा आदि में उनका भी योगदान है। यद्यपि असम पर अंग्रेजों का कब्जा सबसे आखिर में हुआ, यहां की जनता ने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध पहला आंदोलन 1830 में यहीं से शुरू हुआ। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, सैकड़ों लोग अपंग हो गए और हजारों लोग जेल गये तथा कई तरह से अपना बलिदान दिया। आपके ये नए साथी स्वयं को पहला स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं और जिन्हें असम की पहचान बनाए रखने के लिए 6 वर्ष से चले आ रहे आंदोलन में बहुत कुछ सहना पड़ा, आज गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारी इस दुखद कथा में सबसे अधिक दुर्भाग्य की बात यह है कि निहित स्वार्थों वाले व्यक्तियों को असम तथा असम की जनता में दोष नजर आए और उन्होंने हमारे हाल ही के आन्दोलन को....

इस समय आप आस्त पर नजर डालिए। कौन व्यक्ति यह कहेगा कि मैं भारतीय नहीं हूं, निश्चय ही वह अपने आप को राष्ट्रभक्त मानेगा। इस पावन सभा की छत के नीचे बैठे सदस्य तथा इस सभा से बाहर के व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रभक्त से कम नहीं मानते और कोई भी व्यक्ति यह बात कदापि नहीं करता कि कोई दूसरा स्वयं को उससे बेहतर भारतीय कहे। महोदय, जबकि मैं स्वयं को भारतीय कहलाने में गर्व महसूस करता हूं, मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आती कि मैं अपनी पहचान असम के नागरिक के रूप में दूं। क्योंकि यह भारत में ही है, यहां विभिन्न भाषायें, धर्म और जातियां हैं जिन्हें हम उप-राष्ट्र कह सकते हैं और जो भारत के अभिन्न अंग हैं, जिनके कारण यह देश आदर्श बना है और इसे विविधता में एकता कहा गया है। अंग्रेजों के विरुद्ध किए गये संघर्ष के दौरान स्वराज्य के आदर्शों का प्रचार करते समय हमने यह आशा की थी कि प्रत्येक भारतीय जिसमें असम के लोग भी शामिल हैं, का भविष्य उज्जवल होगा, हमारे देश में उपलब्ध असीमित संसाधनों का प्रयोग जनता के कल्याण के लिए किया जाएगा और आर्थिक तथा अन्य क्षेत्रों में हो रहे शोषण को समाप्त किया जाएगा, कि कठिनाई के दिन समाप्त होंगे। लोगों को क्या मिला ? स्वतंत्र भारत में पिछले 38 वर्षों से असम को इतिहास में धोखा दिये जाने, सहायता से इंकार किये जाने, उसे वंचित रखने अप्रतिष्ठित रखने और हताश करने, यहां तक कि उसे कुचल डालने की घटनाओं से भरा पड़ा है।

असम राज्य में प्राकृतिक साधनों की बहुतायात है किंतु यहां के लोग शोषण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए चिल्ला रहे हैं, यहां की करोड़ों की जनता का आज भी शोषण हो रहा है और वे दुःखों के अंधेरों में पलते रहे हैं। असम में 780 चाय बागान हैं जिनमें से इनका 10 वां हिस्सा भी ऐसा नहीं है जो राज्य के लोगों के हों। इन 780 बागानों में से 70 के मैनेजर भी इस राज्य के नहीं हैं और यहां तक कि करीब 2000 ऐसे अधिकारियों में से 70 सहायक और इंजीनियर भी असमी लोग नहीं है।

[श्री पराग चालिहा]

अंग्रेजों के राज्य में, कम से कम लिपिकीय कर्मचारी उन क्षेत्रों से थे जहां चाय का उत्पादन किया जाता था किंतु स्वतंत्र भारत में श्रेणी 3 के कर्मचारियों की भर्ती धीरे-धीरे अन्य राज्यों से की जाती रही। केन्द्र सरकार, और पश्चिम बंगाल सरकार को भी विभिन्न शुल्कों जैसे उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, प्रवेश या निर्गम परमिटों के रूप में असम से अधिक राजस्व प्राप्त होता है। असम में बहुत से तेल उद्योग हैं जिनमें केवल उच्च ही नहीं अपितु श्रेणी 1 तथा 2 के 75% से भी अधिक अधिकारी असम के नहीं हैं। ऊपरी असम में सैकड़ों तेल तथा गैस के कुओं में करोड़ों क्यूबिक प्राकृतिक गैस रोज नष्ट की जाती है। यहां पेट्रोलियम-रसायन उद्योग और गैस पर आधारित अनेक उद्योग सफलता पूर्वक लगाए जा सकते थे जैसा कि बम्बई या गुजरात में तो किया गया किंतु असम में नहीं। करोड़ों क्यूबिक फुट कीमती लकड़ी रोज फेंकी गई और विभिन्न तैयार उत्पादों को आयात बाजार भी मिल गया है।

इसमें भी वैसे ही शोषण हुआ जैसा कि चाय बागानों के मामलों में। जब करीब सौ वर्ष पहले दिगबई में पहली बार तेल मिला, तो अंग्रेज दिगबई में बड़ी रिफाइनिरी लगा सकते थे। किंतु जब तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने ऊपरी असम में नए तेल क्षेत्रों की खोज की तो असम में प्राप्त तेल के लिए 800 मील दूर बरौनी में स्थित नए तेल शोधक कारखाने में ले जाया गया जिसकी स्थापना राजनैतिक कारणों से की गई थी। असम के लोगों में व्याप्त उत्तेजना को शांत करने के लिए, गोहाटी में एक छोटा तेल शोधक कारखाना लगाया गया है जिसकी क्षमता शुरू में केवल 7.5 लाख टन थी जबकि बरौनी स्थित कारखाने की क्षमता 3 करोड़ टन थी, जिसे बढ़ाकर 6 करोड़ टन कर दिया गया है जबकि गोहाटी के तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाकर 1 करोड़ टन ही की गई है। करीब एक दशक से कच्चे तेल पर मिलने वाली रायल्टी के बारे में झगड़ा बना हुआ है जिससे असम के सीमित आर्थिक संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तटवर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां बाढ़ों से भी भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। किंतु राज्य सरकार यहां उपलब्ध अपर्याप्त संसाधनों से निरंतर आने वाली बाढ़ों का सामना करने में भी असमर्थ है, किंतु इस क्षेत्र के बारे में केन्द्र सरकार को बिलकुल चिंता नहीं है। ब्रह्म पुत्र परियोजना को दबा दिया गया है। यहां तक कि राज्य सरकार ने योजना की सामान्य आवश्यकताओं में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए जो 150 करोड़ रुपए की मांग की थी, उसे भी 50% कम कर दिया गया है।

असम को विभाजन का धक्का भी बर्दाश्त करना पड़ा। संचार साधनों और आर्थिक विकास के लिए जरूरी अन्य साधनों के अभाव में राज्य के संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। तेल, चाय और इमारती लकड़ी जैसे मूल्यवान कच्चे सामान को व्यवस्थित ढंग से बाहर ले जाया जाता है जिससे राज्य से बाहर आर्थिक केन्द्र बनाए जा सकें। वहां पर एक रेलवे व सड़क पुल जो इसे भारत के शेष भाग से जोड़ता है यह काफी अर्से तक चले आन्दोलन का परिणाम है। रेलवे की बड़ी लाइन का भी यही मामला है जिसे अब बढ़ाकर गोहाटी तक कर दिया गया है और जिसमें अधिकांश अन्य भागों को छोड़ दिया गया है। पुरानी छोटी लाइन केवल ब्रिटेन के चाय उत्पादकों का ही हित साधन करती थी। असम की रेल यात्रा एक कटु अनुभव है। असम में बरसात के मौसम में रेल सेवा ठप्प हो जाती है। मेरे राज्य की जनता काफी अर्से

से यह मांग कर रही है कि बड़ी लाइन का बढ़ाकर नवगांव, गोलाघाट, जोरहाट और शिवसागर, जिसे अब तक मुख्य लाइन से नहीं जोड़ा गया है, जैसे जिलों और उप-विभागीय नगरों से जोड़ते हुए डिब्रूगढ़ तक किया जाए। डाक, तार और टेलीफोन सेवा भी जनता के धैर्य की परीक्षा लेने के साधन बन गए हैं। यदि मुझे मेरे घर से जिला मुख्यालय से एक हफ्ते के अन्दर पत्र मिल जाता है तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं। केवल फरवरी के ही महीने में दिल्ली से शिवसागर की टेलीफोन की 6 कॉल इसलिए रद्द करनी पड़ी कि वह लाइन खराब थी। इस सबसे असम की जनता का यह महसूस करना स्वाभाविक है कि वे उपेक्षित हैं।

असम में बड़े पैमाने पर आ रहे शरणार्थियों/विदेशियों की समस्या के प्रति केन्द्रीय सरकार की उदासीनता से असम के लोगों में उपेक्षा की यह भावना और भी अधिक घर कर गई है।

जैसा कि हम जानते हैं, असम एक छोटा सा राज्य है, जिसकी जनसंख्या मुश्किल से 2 करोड़ है। कोई भी आसानी से उस स्थिति का अंदाजा लगा सकता है, जब सीमा पार से 40 से 50 लाख लोग आकर वहां बस जाएं। केवल जनसांख्यिकीय ढांचा ही नहीं बदल जाता, बल्कि इससे सारी भाषा, संस्कृति, प्रशासन और राजनैतिक प्रणाली के ढांचे को ही खतरा पैदा हो जाता है। विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुई इस राजनैतिक समस्या को केवल असम पर ही क्यों थोपा जाए और केवल उसे ही इसका भार क्यों वहन करना पड़े? लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि इस आगमन के पीछे एक राजनैतिक चाल है? यह बात निरुद्देश्य नहीं थी कि मौलाना आशानी, जो आरम्भ में असम में बसे हुए थे, यह सोचते थे कि उनका पाकिस्तान का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक असम उनके प्रभुत्व में न आ जाये। लोग यह भी भूल जाते हैं कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन ने असम को ग्रुप (ग) से सम्बन्ध करने का निश्चय किया था। ग्रुप (ग) अब बंगला देश है। अगर गांधी जी का आशीर्वाद और हमारे (असम) के लोगों ने जन-आंदोलन न चलाया होता तो, हमारा राज्य आज कहीं दिखाई न पड़ता। विदेशियों के विरुद्ध किये गये अपार जन-आंदोलन का मकसद असम और भारत की अखण्डता को कायम रखना था। स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने अपने हितों के लिए इसके टुकड़े किये और इसे साम्प्रदायित्व रंग दिया। उन्हें भारत माता के इस अभिन्न अंग के स्रोतों के भविष्य और भाग्य की चिन्ता नहीं थी, बल्कि वे अपने वोटों के प्रति अधिक चिन्तित थे। शान्ति पूर्ण आन्दोलन को गोलियों से दबाया गया। कम-से-कम सात सौ नौजवान युवक-युवतियां जो कि अहिंसक-आन्दोलन में भाग ले रहे थे, मारे गये। सैकड़ों युवतियां और गृहस्वामिनियां सामूहिक बलात्कार की शिकार हुईं। पर इस सम्मानीय सभा में एक भी आंसू नहीं बहाया गया। क्यों? असम के लम्बे इतिहास में 1979 से 1985 तक का समय, "लोकतंत्र की हत्या का अध्याय" के रूप में याद रखा जायेगा। हमने हिटलर के गेस्टापो (नाजी गुप्त पुलिस) द्वारा आधी रात को घरों के दरवाजों पर दी गई दस्तक को सुना था। लेकिन हमने पिछले छः वर्षों में अपने दरवाजों पर सैकड़ों बार हमला होता देखा है। दर्दनाक उदाहरणों में स्कूल जा रहे बालकों की पीछे से पुलिस द्वारा बंदूक मारकर हत्या किया जाना, जानवरों की तरह आधी रात को गांवों वालों को इकट्ठा करके मारने के लिए ले जाना, पुलिस वालों के प्रश्नोंका उत्तर न देने पर निर्दोष बूढ़ी महिलाओं की हत्या करना, कालेज के विद्यार्थियों की पीछे से गोली मारकर हत्या करना और उसके पिता द्वारा लड़के की लाश देखने जाने पर उसे सिर पर भारी बोझा उठानेके लिए मजबूर करना, आदि सम्मिलित हैं। असम में पिछली कांग्रेस (आई) राज्य सरकार और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य में साम्प्रदायिकता का जहर तेजी से

[श्री पराग चालिहा]

फैलाया गया। सारे वातावरण में जाति, सम्प्रदाय, वर्ग आदि का बोल-बाला था। मानव-धर्म-मूल्यों को ताक पर रख दिया गया था।

श्रीमन्, मेरा दल-असम गण परिषद देश की एकता और अखंडता में विश्वास करता है। हमने एकता, शांति और प्रगति के झंडे तले चुनाव में भाग लिया। हम चाहते हैं कि हमारा महान् देश समृद्धि की ओर अग्रसर रहे? और इस हेतु हम चाहते हैं कि इस महान् राष्ट्र का प्रत्येक राज्य प्रगति करे और इस प्रयोजनार्थ हम चाहते हैं कि असम को उसके वर्तमान आर्थिक संकट पिछड़ेपन और राजनीतिक विस्मृति से उभारा जाये।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे सुमन (अकबरपुर)—माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर अपने विचार रखने का मौका दिया।

मान्यवर, यह स्वागत योग्य बजट है। इस बजट की सब से खास बात जो है वह यह है कि यह एक संतुलित बजट है और देश को विकास की दिशा में ले जाने वाला बजट है। इस बजट की दिशा, लक्ष्य, उद्देश्य और संसाधन सभी सन्तुलित हैं। इसीलिए स्पष्ट रूप से यह बजट आम आदमियों का, गरीबों का और उनको आगे बढ़ाने वाला बजट है। यह देश को भी आगे बढ़ाने वाला बजट है।

सही मायनों में इस बजट में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है जिसके लिए इस बजट का कोई विरोध करे। जब हमारे विरोध पक्षों के साथियों को इसमें कोई बात नजर नहीं आई तो उन्होंने चूंकि विरोध करना था इसलिए शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें लगता है कि उन्हें चूंकि कोई न कोई बात कहनी है और बात कह कर उन्हें विपक्ष की भूमिका अदा करनी है, इसलिए वे ऐसी बात कर रहे हैं।

मान्यवर इस बजट में स्पष्ट रूप से सभी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए गए हैं, सरकारी क्षेत्र को सुदृढ़ करने की बात की गई है, गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को गति प्रदान करने की दिशा में काफी अच्छे पैमाने पर पहल की गई है, देश को आत्म-निर्भरता की तरफ ले जाने के लिए काफी कुछ करने की कोशिश की गई है। जन-साधारण को विशेष रूप से राहत पहुंचाने की बात को यदि आप देखें तो शिक्षित बेरोजगारों के लिए इन्दिरा जी ने 1983 में स्वत: रोजगार योजना इस देश में चालू की थी, अब उसको और प्रभावी तरीके से चलाने के लिए सरकार ने पहल की है। इस वर्ष स्वत: रोजगार योजना के लिए 130 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार इस दिशा में कितनी जागरुक है, ईमानदारी, लगन और निष्ठा से कार्य कर रही है।

मान्यवर खादी और ग्रामोद्योगों के विस्तार के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं जिसके माध्यम से लघु उद्योगों का जाल बिछाने की सरकार की योजना है। ये उद्योग उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे जो ग्रामीण अंचल हैं, जहां कोई उद्योग स्थापित नहीं है, उद्योग-रहित इलाके हैं, वहां पर कुछ करने की सरकार की योजना है। इसी के लिए बजट में धन आवंटित

किया गया है। यहां मान्यवर, मैं एक निवेदन मंत्री जी से करना चाहता हूं। चूंकि हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और दूसरी ओर जितने हम विकास के काम कर रहे हैं, हमारा देश तरक्की कर रहा है, लेकिन जनसंख्या तेजी से बढ़ते जाने के कारण लोगों को उस तरक्की का अहसास नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रमों पर विशेष बल देना चाहिए और विशेष रूप से धन का आबंटन करना चाहिए। जब तक देश में जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश नहीं लगाया जाएगा, हमें किसी भी क्षेत्र में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होगी और स्थित ऐसे ही बनी रहेगी, हमें तरक्की कम दिखायी देगी। इसलिए मंत्री जी को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

इसके अलावा स्वास्थ्य सुधार के लिए वित्त मंत्री जी ने कृपा जरूर की है लेकिन उसके लिए बहुत कम बजट का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य इतनी आवश्यक चीज है कि अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो देश का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और यदि आम आदमी का स्वास्थ्य खराब रहेगा तो इस देश का स्वास्थ्य खराब रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य सुधार के लिए विशेष रूप से धन आबंटित किए जाने की आवश्यकता है और अलग से ज्यादा प्रावधान इसके लिए हो ताकि सभी लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे और देश भी ठीक रहे।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने काफी पहल की है और आजकल में नई शिक्षा नीति भी हमारे सामने आने वाली है और इस बजट में उसके लिए समुचित धन का प्रावधान रखा गया है लेकिन हमें इस बात को स्पष्ट रूप से जनता के सामने लाना है कि उस धन का इस्तेमाल अच्छी तरह से ऐसे इलाकों में हो, जो पिछड़े हैं, ग्रामीण अंचल हैं, वहां शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। यद्यपि कुछ है, लेकिन वह अपर्याप्त है और उसकी ओर हमारे अधिकारियों और दूसरे लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि शिक्षा के विस्तार के लिए जो धन आबंटित किया जाए, सरकार सुनिश्चित करे कि प्रदेश सरकारें उसका सही तरीके से क्रियान्वयन करें और ग्रामीण अंचल में शिक्षा की सुविधायें लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करायें ताकि वहां के लोग लाभान्वित हो सकें।

इसके साथ मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि जो इलाके बहुत पिछड़े हैं, जब भी हमारे यहां कोई नया उद्योग स्थापित किया जाना प्रस्तावित हो तो उनको ऐसे स्थानों या इलाकों में लगाया जाना चाहिए जहां बेरोजगारी ज्यादा हो, जहां समस्या-ग्रस्त इलाका हो, पूरबराज का इलाका हो, पिछड़ापन हो, ताकि उन उद्योगों से वहां की जनता लाभान्वित हो सके। आजकल जो भी नये उद्योग प्रस्तावित होते हैं; वे कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह जाते हैं, जहां पहले से काफी उद्योग लगे हुए हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न योजनाओं के लिए केन्द्र से धन आबंटित कर दिया जाता है, लेकिन उन योजनाओं या प्रोजैक्टस का काम निर्धारित समय के अन्दर पूरा नहीं होता, जिससे कई तरह की समस्याएं हमारे सामने उठ खड़ी होती हैं। मैं आपको अपने क्षेत्र का उदाहरण देना चाहता हूं जहां टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना का कार्य चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित, इस परियोजना की एक यूनिट 1984 में चालू हो जानी थी और इसका टोटल एस्टीमेट 159 करोड़ रुपये का था लेकिन आपको यह जानकर शायद कष्ट होगा....

[श्री रामप्यारे सुमन]

लेकिन, मान्यवर, आपको यह जानकर कष्ट होगा, हमें तो दुख हो ही रहा है, जो यूनिट वर्ष 1984 में चालू होनी थी, वह लापरवाही के कारण अभी तक चालू नहीं हो पाई है और उसका प्रस्तावित व्यय बढ़कर तीन सौ करोड़ रुपया हो गया है और अब यह मालूम पड़ रहा है कि उसका एक यूनिट वर्ष 1987 में शायद चालू हो जाए। इस लापरवाही के कारण महोदय, पूरी योजना जब तक चालू होगी, तब तक प्रस्तावित व्यय 159 करोड़ रुपए से बढ़कर चार-पांच सौ करोड़ रुपया हो जाएगा। अगर महोदय, सही मायनों में और समय के अनुसार, समयबद्ध ढंग से काम होता, तो यह योजना उतनी ही धनराशि में पूरी हो जाती और बढ़ी हुई राशि में उतनी ही क्षमता की एक और योजना पूरी हो जाती। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है चूंकि इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रदेश सरकारें करती हैं इसलिए आप इनके लिए धनराशि पहले से ही स्वीकृत करे दें, ताकि काम में रुकावट न आए।

सभापति महोदय, अब मैं टाण्डा-तापीय शक्ति परियोजना के बारे में कहना चाहता हूं कि इस योजना के लिए गत वर्ष 63 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे, लेकिन 31 दिसम्बर 1985 तक सिर्फ 11 करोड़ रुपया ही रिलीज किया गया और 52 करोड़ रुपया नहीं दिया गया जिनके कारण इस योजना का कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। इसलिए मेरा अनुरोध है मान्यवर कि ऐसा योजनाओं को उच्च प्राथमिकता दें और धन की स्वीकृति तुरन्त दें, ताकि उन्नति हो सके।

सभापति महोदय, सरकार ने नगरपालिका के स्वीपरों, रेल्वे पोर्टरों के लिए दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, यह बहुत अच्छी बात है। इसके लिए माननीय मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा सामाजिक सुरक्षा योजना देश के 100 जिलों में शुरू की गई थी, लेकिन उसको अब बढ़ाकर 200 जिलों तक लागू कर दिया गया है। इस बारे में मेरा आप से निवेदन है कि इसको सारे देश में लागू किया जाए ताकि इसका फायदा देश के सब लोगों को मिल सके।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आवास की गम्भीर समस्या है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है कि उसने श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम/पर इन्दिरा आवास योजना का शुभारम्भ किया है और उसके लिए धनराशि भी 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दी गई है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि इसका सदुपयोग तभी होगा जब यह योजना समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में चलाई जाए और निश्चित समय के अन्दर पूरी हो जाए और मकान बनाकर इन लोगों को मिल जाए। तब इन वर्ग के लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

सभापति महोदय, मान्यवर वित्त मंत्री जी ने यहां अभी स्पष्ट किया था कि आयकर अधिकारियों को और अधिकार दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। यह खुशी की बात है उनको अधिकार दिए जाने चाहिएं और यह आवश्यक भी है। लेकिन अधिकार दिए जाने के साथ-साथ उनके ऊपर नियंत्रण भी रहना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि उनको अनियंत्रित अधिकार मिल जाएं और वे बेजा तरीके से लोगों को परेशान करना शुरू कर दें।

क्योंकि कुछ इलाकों में ऐसा हुआ है जहां पर ज्यादा अधिकारों का इन लोगों ने दुरुपयोग किया और बेजा तरीके ये इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया वैसा भविष्य में न करें।

सभापति महोदय, काला-बाजारी के संबंध में भी व्यापक रूप से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए क्योंकि कालाबाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए, इस पर रोक लगाने के लिए यह जरूरी है कि छिपा हुआ धन निकले और काला बाजारी की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, उसके लिए छापे मारे जाएं तभी इस पर रोक लग सकती है और देश की स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।

सभापति महोदय, इसमें दो राय नहीं हैं कि देश काफी तेजी से तरक्की कर रहा है। मैं एक निवेदन किसानों के लिए करना चाहूंगा। किसानों के लिए जो योजनाएं शुरु की जाती हैं उनका सफल कार्यान्वियन नहीं हो पाता है। अभी धान-क्रय केन्द्रों की बात की गई थी कि धान क्रय-केन्द्रों की स्थापना की जाएगी, लेकिन वह नहीं की जा सकी जिससे किसानों की लूट हुई और बहुत सस्ते में उनको अपना धान बेचना पड़ा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गेहूं की फसल आ रही है और गेहूं के बारे में किसानों की लूट न हो इसलिए आप अभी से गेहूं-क्रय-केन्द्र खोल दीजिए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बजट का पुनः स्वागत करते हुए कुछ बातें मिट्टी के तेल और डीजल पर जो वृद्धि की गई है जिससे आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं, उनकी तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह बात सही है कि इन चीजों पर वृद्धि से आम जनता बहुत प्रभावित हुई है और उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए पेट्रोलियम पदार्थों में जो वृद्धि की गई है, उसमें कमी की जाए। जिससे किसानों और आम जनता को राहत मिल सके। अन्त में, मैं बजट का स्वागत करते हुए, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री भरत सिंह (बाह्य दिल्ली) : माननीय सभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर चर्चा हो रही है। यह बजट बड़े ध्यान से, समझदारी और सूझबूझ से बनाया गया है। इसमें गरीब और बीच के दर्जे के लोग काफी मजबूत होंगे। यह बजट इतनी अच्छी तरह से, मजबूती से बनाया गया है कि भारत इससे तरक्की करेगा। मैं इसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

इस बजट में, आपने देखा होगा कि कई ऐसी राहतें मिली हैं जिससे छोटे किसान, गरीब मजदूर, छोटे दुकानदार, छोटे फैक्टरी वाले, हरिजन, भूमिहीन सब को राहत मिलेगी।

मैं खासतौर से कृषि के बारे में कहना चाहता हूं। हमारी सरकार ने इसके बारे में 1950 करोड़ रुपये की सब्सीडी दी है जो कि खाद के बारे में है। यह सब्सीडी उन लोगों को जायेगी जो कि छोटे लोग हैं, गरीब हैं, राशन का आटा खाते हैं या छोटे-छोटे दुकानदार हैं, उन सबको ही इससे राहत मिलेगी।

कृषि के बारे में जो आपने बीमा योजना चलाई है, इसमें आपने फलों को भी लिया है। यह एक नया काम आपने किया है। बजट से हर किसान को राहत मिलेगी चाहे वह फल बेचने वाला हो या सब्जी पैदा करने वाला हो या गेहूं या चावल पैदा करने वाला हो, उसे इस बीमे से

[श्री भरत सिंह]

राहत मिलेगी। इसमें थोड़ी सी रुकावट किसानों को आती है। जो बैंक से लोन लेता है, उसकी फसल का बीमा होगा लेकिन जो बैंक से लोन नहीं लेता है, उसका बीमा नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें छोटे किसान को जरूर लिया जाये, जिसके पास ढाई या 4,5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है, उन सब की फसल इस बीमा योजना में शामिल कर ली जाये।

जो छोटी-मोटी रोजाना के इस्तेमाल की चीजें हैं, उनके लिये भी आपने 1750 करोड़ रुपये की सब्सीडी इसमें दी है। इससे भी गरीबों का फायदा होगा और हर तरह से जब भारत के गरीब लोग मजबूत होंगे तो भारत भी मजबूत होगा।

आज चर्चा गांव की हो रही है, इसमें दो राय नहीं कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। 20-सूत्री प्रोग्राम में ग्राम पंचायत ने रैज्यूलूशन पास करके जो भूमिहीन हैं उनको एक-एक एकड़ जमीन दी है। जहां 8,10 एकड़ जमीन गरीबों को दी गई है, वहां सरकार ने ट्यूबवैल लगाया है जिससे उन्होंने सिंचाई की है और अपने खाने-पीने के लिये अनाज पैदा किया है।

20-सूत्री प्रोग्राम में हर गांव में तीसरे-चौथे दिन नम्बर आ जाता है। हमारे दिल्ली में जो रिहाइशी प्लाट 500,600 रुपये गज में मिलता है, हमारे गांव में हरिजनों, भूमिहीनों को जिनके पास रहने की जगह नहीं है, चाहे वह किसी जाति का हो, उसको हम फ्री प्लाट देते हैं। इस पर 10,20 रुपये पंचायत का खर्चा आता है। यह हम 20-सूत्री कार्यक्रम में कर रहे हैं।

यहां शिक्षा पर बहुत चर्चा चली है। इसमें दो राय नहीं कि शिक्षा आजकल आप अनपढ़ों को भी दे रहे हैं। स्कूल भी काफी हैं। शिक्षा को आपने बढ़ावा दिया है। शिक्षा के लिये पहले 221 करोड़ का बजट था, अब आपने 352 करोड़ का किया है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा के बजट में जो आपने पैसा बढ़ाया है, उसे ज्यादा से ज्यादा देहात में ही आप लगायें जहां कि गरीब लोग रहते हैं, पुनर्वास कालोनियां हैं। स्कूलों की वहां बिल्डिंग बनानी चाहिये। शिक्षा के बारे में अच्छी तरह से ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो जिससे अच्छी तरह से लोगों को शिक्षा दी जा सके।

दिल्ली के देहात में कोई एग्रीकल्चर कालेज नहीं है। हम किसान लोग, गांव के लोग, गांव सभा के, पंचायत के प्रधान हम सरकार को फ्री जमीन देने के लिये तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं फ्री जमीन हम इसलिये देंगे कि वहां कोई एग्रीकल्चर कालेज नहीं है, अगर एग्रीकल्चर कालेज खुल जायें और उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम पायें इससे उन्हें कृषि का ज्ञान होगा।

4.00 म०प०

आज जो पुनर्वास कालोनियां और अन-आथोराइजड़ कालोनियां बनी हुई हैं उसमें लाखों लोग रहते हैं। उनके छोटे-छोटे मकानों में बिजली का कनेक्शन भी उन्हें नहीं मिल पाया है। बिजली का कनेक्शन लेने के लिये वह बीच में तार डाल देते हैं जिससे बिजली का उतना ही खर्चा आता है। अगर आप मीटर लगा दें तो उससे सरकार को अच्छी आमदनी भी होगी और उनको बिजली भी मिल जायेगी। आज जितने भी अन-आथोराइजड़ कालोनियां हैं उसमें कोई हरियाणा का, कोई राजस्थान का और कोई यू. पी. का निवास करता है। साथ ही साथ जितने ड्राइवर

और डी० टी० सी० के कंडक्टर हैं, वह इनमें निवास करते हैं। मैं चाहूंगा कि इन कालोनियों में हर तरह से कोशिश की जाये कि उन्हें बिजली और पानी मुहैय्या हो सके।

हमारे यहां पर पुनर्वास कालोनियां हैं उनकी हालत भी काफी खराब है। जो बाहर से लोग आये थे और जो कि झुग्गी झोंपड़ियों में रहते थे, वह आज इनमें निवास करते हैं। स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी जी जब प्रधान मंत्री थी, उन्होंने कहा था कि उनको सड़कें और नालियों आदि की सहूलियत दी जायेगी। आज इन कालोनियों में बहुत से भूमिहीन और कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं। आज उन पुनर्वास कालोनियों में जमीन काफी खाली पड़ी है। उस जमीन में उद्योग-धंधे आदि खोल दिये जायें तो उन गरीबों को रोजगार मिल जायेगा और वह गरीब जो दिल्ली में के भीड़-भाड़ वाले के इलाके में काम करने के लिये आते हैं, नहीं आना पड़ेगा। उनको अपने यहां ही पूरी सहूलियत मिल जायेगी।

आप जानते हैं कि आज दिल्ली में भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है जिससे उनके लिये बिजली, पानी और यातायात के साधन मुहैय्या कराने में दिक्कत आती है। मेरा सुझाव है कि पुनर्वास कालोनियों में और डिस्ट्रिक्टों में जिम्मेदार अफसरों की नियुक्ति कर दें जो कि गाइड करें कि उनको अपने घर के पास में कैसे काम मिलेगा और वह कैसे अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। ऐसा करने से उनको दिल्ली में नहीं आना पड़ेगा और वहीं पर काम उपलब्ध हो जायेगा।

आज आपने डी० टी० सी० का भी किराया बढ़ा दिया है। हम दूसरे तरीके से इस किराये को कम कर सकते हैं। अगर उन गरीबों के लिये घर के पास में यानि कि 10 किलोमीटर के अन्दर ही, उनके रोजगोर की व्यवस्था कर दी जाये तो अच्छा होगा। इससे उनका किराया भी कम लगेगा और किराया कम करने की भी जरूरत नही पड़ेगी। मैं चाहूंगा कि गरीब लोगों को तभी राहत मिल सकती है अगर उनकी तरफ ध्यान देंगे।

हाउस में अधिकतर इस संबंध में चर्चा होती है कि ग्रामीण इलाकों का विकास किया जाये। आज जो लकड़ी का काम करता है, लोहे का काम करता है और बर्तन आदि बनाता है, उनको आप सबसिडी और लोन आदि देते हैं। लाखों की संख्या में दिल्ली में यह लोन मिलता है। मैं चाहूंगा कि जो छोटे छोटे उद्योग चलाने वाले छोटे दुकानदार, कारीगर, मजदूर, मिल चलाने वाले और सब्जी बेचने वाले हैं उन सब का काम बढ़ाने के लिये भी बैंकों की तरफ से लोन दिया जाये जिससे गरीब लोग ऊंचा उठ कर मजबूत हों।

आप जानते हैं कि हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का भी यही ध्यान रहता है कि हम किस तरह गरीब लोगों को ऊंचा उठाकर मजबूत करें और कैसे काम दें जिससे कि भारत मजबूत हो।

मेरा एक सुझाव यह भी है कि हमारा इलाका जो कि एक देहात का इलाका है, वहां पर आप ट्रेनिंग स्कूल खोलें जैसे ही युवा लड़के स्कूल से निकलें उन्हें इन स्कूलों में विभिन्न किस्म की ट्रेनिंग मिल जाये। इससे वह अपने पैरों पर भी खड़े हो जायेंगे।

अन्त में आपने मुझे जो बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

4.05 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : जनाब चेयरमैन साहब, हर साल बजट पेश होता है और देश के अवाम इस बजट के करीब अपनी रीढ़ की हड्डी में सरदी महसूस करते हैं कि अब क्या होने वाला है क्योंकि हर साल टैक्स में इजाफा होता चला गया है। शायद ही कोई ऐसा साल हो जब इजाफा न हुआ हो। टैक्सों में इजाफे के साथ कीमतें बढ़ी जिससे लोगों को परेशानी हुई। पर हर साल यह भी कहा गया कि गरीबों के लिए यह रखा गया है, गरीबों के लिए वह रखा गया है। मगर हम जब अदादों शुमार निकालते हैं तो पता चलता है कि गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। पर अब एक नया तरीका बजट का शुरू किया गया है जिससे अवाम को परेशानी न हो यानी यह महसूस किया गया कि नफसियाती तौर पर किसी को एकदम बुरी खबर न दी जाये जिससे कि हार्टफेल हो जाये। उसी तरीके से हुकूमते हिन्दुस्तान का बजट भी है कि बजट से एक महीना पहले पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया, पकावन गैस की कीमत में इजाफा कर दिया गया और उसके लिये अब ऐसी बेहतरीन दलील दी जाती है कि वाकई मैं समझता हूं दुनिया की नादिर चीजें होती हैं जो ये दलीलें दी जाती हैं, यानी इसलिए इजाफा किया गया कि पेट्रोल ज्यादा खर्च हो रहा है इसलिए हमने इसकी कीमत में इजाफा किया है। यानी एकतरफा खर्चे को कम करने के लिए आपने इजाफा किया और दूसरी तरफ कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से गरीब परेशान हो रहा है फिर आपकी दलील का मजाक उड़ जाता है उस वक्त जब हम देखते हैं कि मोटर इण्डस्ट्रीज का इजाफा हो रहा है, मोटरों की तादाद में इजाफा हो रहा है तो आखिर कौन सी चीज सही है यह हमारी समझ में नहीं आता।

बजट में आप देखिए कि जहां आपने 3,650 करोड़ का खसारा रखा है इसके नतीजे में आप बताइये कि कितना इफरात-जर और बढ़ जायेगा ? इसके नतीजे के अन्दर जो परेशानी होगी वह अलग चीज है। गुजिश्ता साल ही कीमतों में काफी इजाफा हो चुका है और फिर कीमतों के इजाफे का सिलसिला चला जायेगा तो वह कहां पर जाकर रुकेगा ? इस बीच में हमको 445 करोड़ रुपये और ज्यादा अदा करने पड़ेंगे।

आज दूसरी आलमगीर जंग के बाद जो कौमें आजाद हुई हैं उनसे अगर हम मवाजन करें और देखें कि हमने कितनी तरक्की की है तो हमारे सामने आता है कि जापान जिसके ऊपर एटामिक बम गिरा था, जर्मनी जिसके टुकड़े हो गये थे, चीन जिसको कहा जाता था कि अफीम खाकर सो रहा है —उनकी तरक्की और हमारी तरक्की का मवाजन करके आप बताइये कि इतना बजट लेने के बाद भी हमारी तरक्की कहां से कहां जा रही है ? यह नहीं कि हमने तरक्की नहीं की है। यह मैं नहीं कहता कि तरक्की नहीं की लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप बताइये कि हमारे पास कार की इण्डस्ट्री है लेकिन जो कार बनाई जाती है, 6 महीने के बाद उस कार की हर चीज बजती है, अगर नहीं बजता है तो हार्न नहीं बजता है—बाकी सभी चीजें बजनी शुरू हो जाती हैं। यह हमारी तरक्की का आलम है। अगर सनतकार से पूछा जाए तो वह कहता है कि हम क्या करें, इतने टैक्सेज के बाद कैसे काम अच्छा बना सकते हैं।

फिर आपकी तकरीर का मवाजन भी मैंने देखा है। आपकी तकरीर का बहुत बड़ा हिस्सा सियासी मफादात के ऊपर गया है। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसका एक बड़ा हिस्सा आपकी पार्टी के मेनिफेस्टो का हो सकता है लेकिन बजट का जुज नहीं हो सकता है। लेकिन आपने उसको बजट का जुज बना दिया। आपको उन तमाम चीजों को प्लान के

अन्दर लेकर आना चाहिए था। आपने कहा हरिजनों के लिए, शेडयूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लिए ये चीजें होंगी, उनके लिए यकीनन हमारी हमदर्दी है उनके लिए और किया जाये लेकिन आपकी तकरीर ऐसी मालूम हो रही थी कि एक मेनिफेस्टो हो सियासी अगराज के लिए। उसके लिए आप प्लान के अन्दर लाते तो एवान का वक्त भी बच जाता। फिर यह सवाल पैदा होता है कि जहां आपने उन तमाम चीजों का जिक्र किया तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज इस देश की असलियत भी रही है। जिसको मैं समझता हूं कि अकलियत नहीं कहा जा सकता है। क्या आपने अपनी बजट तकरीर में उनका जिक्र किया, क्या आपने उनकी भलाई के लिए कुछ कहा, जहां करोड़ों की तादाद मे मुसलमान रहते हैं ? आप उनकी भलाई के लिए भी कोई स्कीम बनाते, आप उनकी भलाई के लिए, माशी तरक्की के लिए कोई स्कीम लाते। आपकी तकरीर क्या मुल्क के अन्दर यकजहती पैदा करेगी या ताफरका पैदा करेगी। इस तरीके से इस तकरीर को पढ़ने के बाद जहनों के ऊपर असर होगा, क्योंकि ये जो गरीब हैं, आज इनके पास से हर चीज छिन चुकी है। अगर इनके पास कुछ बाकी है, तो सुबह उठते ही खबर आती है कि यहां फसाद हो गए और वहां जान-व-माल की तबाही हो गई। क्या आपके पास इन तमाम चीजों को रोकने के लिए कोई स्कीम है ? रोजाना सुबह आता है कि फलां मस्जिद कब्जे से छीन ली गई। बाबरी मस्जिद कब्जे से छीन ली गई। सारे हिन्दुस्तान में हंगामा शुरू होता है। क्या इस चीज को रोकने के लिए आपके पास कोई तजवीज है ? क्या आपने इन तमाम चीजों को रोकने के लिए कुछ किया ? यही नजर आएगा कि आपने न तो हिन्दुस्तान के अन्दर इन हंगामों को रोका और रोजाना 500 बरस पहले के मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं कि यह पांच सौ बरस पहले बाबर ने बनाई थी, लिहाजा आज यह नहीं है। भला आप बताइये कि यह क्या है। क्या आपकी हकुमत या उत्तर प्रदेश की हकुमत, जो आपकी ही हकूमत है, वे इतना नहीं कर सकते थे कि उसकी रोकथाम कर सकते। अब इस तरह की तमाम चीजें हो रही हैं, उसकी रोक-थाम के लिए हकूमत आगे बढ़े और लॉ-एण्ड-आर्डर को संभाले। जहां आपने इन तमाम चीजों को जिक्र किया, वहां मैं आपके सामने एक चीज और रखना चाहता हूं। शाहे-हैदराबाद में निजाम के जमाने में जो कुछ हुआ, उसके बाद वहां कोई तरक्की नहीं है। वहां पर तीन लाख की आबादीहै। उस वक्त तीन लाख की आबादी के ऊपर दो तालाब बनाए गए थे, लेकिन आज आबादी 20 लाख हो चुकी है। आज आवाम पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहा है। वाटर टेप खोलते हैं, तो बेवा के आंसू की तरह वाटर टेप टपक रहा है। वहां एक दिन पानी मिलता है। में चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब थोड़ा हैदराबाद के ऊपर भी रहम फरमायें। आप कम से कम उनको पैसा दे दीजिए, ताकि वहां पर पानी का इन्तजाम हो सके। वहां पर और तमाम चीजों का इन्तजाम हो सके। वहां पर ड्रेनेज नहीं है। जहां आपने बम्बई के लिए सौ करोड़ रुपया दिया और मुख्तलिफ बड़े-बड़े शहरों की आप मदद और इमदाद कर रहे हैं।

सभापति महोदय (श्री जेनुल बशर) : समाप्त कीजिए।

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : यहां पर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ रहा है –

"यह दस्तूरे जबांबन्दी कैसी है तेरी महफिल में,
यहां तो बात करने को तरसती है जबां मेरी"

मैं इतना ही कहूंगा कि टैक्सों में इजाफा हो रहा है, अब यह बर्दाश्त के काबिल नहीं रहा। मुझे वह वाक्या याद है, जब नादिरशाह ने दिल्ली में कत्ले-आम का हुकुम दिया। तमाम दिल्ली के

[श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी]

लोग मरने लगे तो आसिफशाह अव्वली नादिरशाह के पास गए और उन्होंने फारसी में एक शेर कहा, जिसका मतलब यह था। ऐ बादशाह जितने इन्सान थे, वे कत्ल हो गए, अगर तेरी ख्वाहिश है कि और लोगों को कत्ल करूं, तो पहले तुम इन तमाम लोगों को जिन्दा कर और उसके बाद फिर कत्ल कर। यही हाल आज गरीबों का हो चुका है। वक्त की कमी है और टी वी पर जो कुछ कहा गया, वह मैं कहना नहीं चाहूंगा। घर के अन्दर भी इख्तलाफ कर रहे हैं। बहरहाल इन तमाम चीजों के ऊपर आप गौर कीजिए। हैदराबाद में काफी किल्लत है। वहां कोई इन्डस्ट्री नहीं। वहां पर कुछ ऐसे इलाके हैं, जो कहत के लिए पैदा हो चुके हैं और एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बेरोजगारी है, मुरबत है--- आपसे गुजारिश है कि आप वहां तवज्जह फरमायें; ताकि वहां आवाम की रक्षा हो सके। आज सवेरे ही टेलीफोन आया है कि वहां के लोग एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और अब दो दिन के बाद पानी दिया जाएगा, ताकि रोना चाहें तो आंसू भी न निकल सकें। इसलिए अब मैं कह सकता हूं, बहरहाल आंसू भी नहीं निकल सकेंगे। यानी अब तो आलम यह है कि—

बहरहाल अब इनसे शिकवा क्या करें
जब तवक्की ही उठ गई गालिब
क्यों किसी का गिला करे कोई।

अगर आप से कोई तवक्की है तो आप मेहरबानी फरमाइये, आप इनकी तरफ तवज्जो दीजिए। वरना हालात बद से बदतर होते चले जायेंगे।

आप बताइये हैदराबाद में पानी के लिए क्या हालत है। एक दीनार पानी मिल रहा है। आज मुझे टेलीफोन करके लोगों के कहा कि दो दिन में एक दफा पानी मिल रहा है, वह भी दो घंटे के लिए। नलों का प्रेशर इतना जैसे कि किसी बेवा के आंसू हों। एक-एक कतरा टपक रहा है। इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर नहीं है कि फलां वक्त से फलां वक्त मिलेगा। इसका भी शाहाना मिजाज है। जब चाहे रात के दो बजे खुल गया और दो घंटे बाद चला गया। जब आदमी रात को चार बजे तक क्यू में लगकर पानी लेगा तो वह सुबह में जाकर क्या कमाई करेगा क्या काम करेगा। बहरहाल शाही मिजाज है।

आप देखते हैं कि एक मिजाज होता है कि कभी हम फिल्म देखते थे। चेअरमेन साहब जैसे फिल्म में होता था कि फौरी तौर पर एक टक्कर हो गई और मोहब्बत हो गई। उसके बाद गाना गाते हैं, शादी कर लेते हैं फिर बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन यह फिल्म पांच वर्ष का होता है। चूंकि मिजाज मेरा फिल्म का है, इसलिए मैं समझता हूं कि शायद ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।

बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया।

श्री जुझार सिंह (झालावाड़) : सभापति महोदय, मैं इस बात को महसूस करता हूं कि समय बहुत कम है इसलिए बहुत इम्पार्टेन्ट मसले जिनको मैं महसूस करता हूं, उन पर ही इस सदन का समय लूंगा।

माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसमें बहुत सी बातें कही गई हैं और सभी बातें इम्पार्टेन्ट हैं। लेकिन मैं सबका जिक्र न करते हुए, इसमें खास तौर से गरीबी उन्मूलन और खेती के बारे में जो बात कही गई है उसी के ऊपर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस बजट में गरीबी उन्मूलन के लिए पहले के मुकाबले में 50 परसेंट अधिक रकम रखी गई है, यह स्वागत योग्य है।

सभापति महोदय, जहां तक गरीबों का सवाल है, उनकी गरीबी दूर करने के लिए सब से ज्यादा जो आवश्यक बात है वह पैसा भी है, लेकिन जो देहात में काम करने वाले व्यक्ति हैं जिनके माध्यम से गरीबी दूर करने के प्रोग्राम चलाये जाते हैं वे किस तरह से काम कर रहे हैं, गांवों में वे कितने इफेक्टिव ढंग से काम कर रहे हैं, उन पर भी इन प्रोग्राम्स की सक्सेस और फेल्योर निर्भर करती है।

अभी जो एजेन्सीज गांवों में काम कर रही है, चाहे वह बी०डी०ओ० की हो, चाहे वह ग्राम सेवक की हो, चाहे वह प्राइमरी हेल्थ सेन्टर की हो, उनको देखने से ऐसा लगता है कि वे ठीक से काम नहीं कर रही हैं। प्राइमरी हेल्थ सेन्टरों में जो काम करने वाले लोग हैं, मेरा खुद का अनुभव है कि 75 परसेंट लोग उनमें अपने-अपने स्थानों में नहीं होते हैं और दूसरे-दूसरे स्थानों में वे जाने का रास्ता निकाल लेते हैं या वे अपने स्थानों से एक्सेन्ट कर लेते हैं।

हमारा सबसे इम्पार्टेन्ट प्रोग्राम फेमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है अगर उसको कार्यान्वित करने वाले व्यक्ति गांवों में न हो तो यह प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल हो सकता है इसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा कि गांवों में पावर्टी दूर करने के लिए लेबर इन्टेंसिव प्रोग्राम हाथ में लिया जाना चाहिए। मेरी ऐसी रियासत है, जहां से मैं आया हूं, उसमें काफी लेबर इन्टेंसिव प्रोग्राम लिया जा सकता है। राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रान्त है और हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा वेस्टलेंड राजस्थान में ही है। मेरे पास फिगर्स उपलब्ध हैं। जिनके हिसाब से सोयल इरोजन का सब से ज्यादा प्राब्लम राजस्थान में है। उसके बारे में फिगर्स बताते हैं। सारे हिन्दुस्तान में सौयल इरोजन की जो फीगर दी गई है, उसके अनुसार 998.76 लाख एकड़ जमीन इसके अंतर्गत आती है जिसमें से रास्थान में करीब 172.65 लाख एकड़ है जो देश के दूसरे किसी भी हिस्से या राज्य से अधिक है। दूसरे नम्बर पर महाराष्ट्र है और तीसरे नम्बर पर मध्य प्रदेश आता है। जहां तक सौयल इरोजन को बीट करने का प्रश्न है, हमारी सरकार ने भी कई एन्टी सौयल इरोजन वर्क्स चलाये हुए कहे हैं, जिन पर काम हो रहा है परन्तु और अब तक करीब 12.56 लाख एकड़ मात्र काम हुआ है। वित्त मन्त्री जी ने जो नया कार्यक्रम दिया है—वेस्ट लेंड डैवलपमैंट का, उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि इस पर तेजी से काम होना चाहिए यही नहीं फौरैस्टस के मामले में जो फार्म फौरैस्ट स्टैन्डर्ड रेख्यो मानी जाती है उसके आधार पर 33 परसेंट फौरैस्ट लैंड होनी चाहिए और बाकी फार्म लैंड होनी चाहिए, उसके मुकाबले राजस्थान में सिर्फ 9 प्रतिशत भाग में ही फौरैस्ट हैं। 9% भी फौरैस्ट नहीं कहे जा सकते, एरिया जरूर फौरैस्ट का है। फौरैस्ट से कवर वाला यदि हम राजस्थान का एरिया देखें तो इसका मात्र वह 10 परसेंट भी नहीं है। उससे आप समस्या की गहनता का अनुमान लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जितने पावर्टी रिलीफ के प्रोग्राम्स लेते हैं यदि उनमें फौरैस्ट के कार्यक्रमों को

[श्री जुहार सिंह]

तरजीह दें तो उसमें लेबर भी ज्यादा लगेगी और राजस्थान में फौरेस्ट बढ़ने की गुंजाइश भी होगी।

मैं राजस्थान के ऐसे इलाके से आता हूं जो साउथ ईस्टर्न भाग में पड़ता है और जिसमें ट्रैडीशनली, हमेशा से अच्छा फौरेस्ट रहा है, उस एरिया में आज सबसे ज्यादा रविन्स हैं। कहा यह जाता है, कि फ्यूल की कमी की वजह से हमारे जंगलों पर प्रैशर है, और मवेशियों के लिए चारा लेने की वजह से जंगल नहीं रहते हैं लेकिन सभापति महोदय, मेरा अनुमान और अनुभव यह है कि आज कल जो जंगल कट रहे हैं, या खत्म हो रहे हैं, वे ग्रेजिंग की वजह से नहीं, या लकड़ी की फ्यूल के लिए कटाई की वजह से नहीं, बल्कि ज्यादातर जंगल कान्ट्रैक्टर्स और वन विभाग के अधिकारियों की साजिश से, मिलीभगत से, काटे जा रहे हैं, उन लोगों की कनाईवैंस की वजह से जंगल कट रहे हैं। क्यों कि जलाने की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जंगल नहीं काटे जाते हैं और जहां तक वाइल्ड लाइफ का सम्बन्ध है, गरीब आदमी जानवर नहीं मारता। फिर भी वाइल्ड लाइफ का जिस तरह से हमारे देश में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, टिम्बर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जितना डिस्ट्रक्शन हमारे साउथ-ईस्टर्न राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ है, वह सब कनाइवैंस की वजह से हुआ है। यह एक व्यावहारिक और मानी हुई बात है कि फ्यूल के लिए कोई टिम्बर जंगलों को नहीं काटता बल्कि फौरेस्ट विभाग के अधिकारी और स्मगलर्स मिलकर इन जंगलों को काटते हैं। मेरा निवेदन है कि ईस्टर्न राजस्थान में जिस तरह से सौयल इरोजन हो रहा है, वहां रविन्स हैं, उस भाग में सौयल को बचाने की आवश्यकता है। यदि आप वहां एफौरैस्टेशन का प्रोग्राम चलायें तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। मेरी मान्यता है कि सोय्यल फौरैस्ट्री या पौधे लगाने का कार्यक्रम अपने आप में सही कार्यक्रम हो सकता है लेकिन जो ट्रैडीशनल फौरैस्टस हैं, उनमें मात्र फैन्सिंग करने से या एन्क्लोजर करने से अथवा लोगों या मवेशियों का आना-जाना बन्द कर देने से अधिक काम हो सकता है, उनमें आपको पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वहां की जमीन में पहले से बीज मौजूद है जो पेड़ों के फूटने के लिए काफी है, उसमें मात्र सुपरवीजन की जरूरत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि वहां कोई कार्यक्रम न चलाकर यदि हम उसके प्रौपर सुपरवीजन की तरफ ध्यान दें तो हम जंगलों के विनाश को रोक सकते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में 35,891 स्क्वैयर किलोमीटर क्षेत्र में जंगल कहे जाते हैं लेकिन उसमें से 22,891 किलोमीटर में डिग्रेडिड फौरैस्टस है अथवा बिल्कुल नंगी हिल्स हैं····ऐसी हिल्स हैं जिनके ऊपर कोई पेड़ नहीं है, 11500 स्क्वेयर किलोमीटर फौरैस्ट ऐसा ही बताया गया है जिसके ऊपर एक भी झाड़ी नहीं है। तो जो वेस्ट लैंड का प्रोग्राम राजस्थान में जहां-जहां लागू है, वहां-वहां फारैस्ट की ओर ध्यान दें, तो मैं समझूंगा कि इसका कुछ फायदा हो सकेगा।

यही मुझे कहना है, सभापति महोदय, ज्यादा समय मुझे नहीं लेना है क्योंकि आप इशारा कर रहे हैं कि अपना भाषण समाप्त करूं। वैसे मुझे सारी बातें कहनी थीं। मुझे बताया गया है कि राजस्थान में पिछले सालों में 540 एकड़ पर डे के हिसाब से फारेस्ट का डेस्ट्रक्शन हुआ है। यह अपने आप में बहुत ही सीरियस बात है। खासकर ऐसे प्रान्त में जहां पर पहले से ही फौरैस्ट की कमी है। ये जो गड़बड़ी हुई है, यह ज्यादातर अधिकारियों की वजह से हुई है। पॉवर्टी एलीमिनेशन प्रोग्राम और अन्य डिवेलपमेंट के जो प्रोग्राम चलाये जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा कमी आज जो हम लोग महसूस करते हैं वह है इन अधिकारियों की नेग्लीजेंस। ग्रामीण प्रोग्रामों को इम्पली-

मेंट करने वाले अधिकारियों की नेग्लीजेंस की वजह से ही ये प्रोग्राम ठीक से कार्यान्वित नहीं हो पाते हैं । यदि ये अधिकारी इन प्रोग्रामों की इम्पलीमेंटेशन की तरफ तवज्जुह नहीं देंगे, तो ये कार्यक्रम कभी पूरे नहीं हो सकेंगे । इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इन प्रोग्रामों को रुपए के हिसाब से न देखिए बल्कि इन प्रोग्रामों की इम्पलीमेंटेशन इन अधिकारियों से करवाइए । ऐसा तरीका निकालिए कि ये अधिकारी इन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में सक्षम हो सकें, तब ही तो देश को इन कार्यक्रमों का लाभ मिल सकता है ।

मान्यवर, इन कार्यक्रमों को इम्पलीमेंट करने के लिए जिले में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है वह कलेक्टर होता है । आजकल मान्यवर अनुभवी व्यक्तियों को कलेक्टर नहीं लगाया जाता है बल्कि अनुभवहीन आई०ए०एस० को कलेक्टर लगा दिया जाता है जिनको उस के बारे में, उस जिले के बारे में, उस जिले की समस्याओं के बारे में और जिले के लोगों के बारे में जानकारी नहीं होती है । जानकारी करना भी नहीं चाहते हैं । इसलिए मेरा आप से अनुरोध है कि जिलों में ऐसे-ऐसे कलेक्टरों को लगाएं जिनको गांवों का अनुभव हो, जो जिले के लोगों और जिले के गांवों की समस्याओं को जानते हों, उनकी समस्याओं को समझने व सुलझाने में इंटरेस्ट लेते हों । अगर कलैक्टर "की-मैन" पोस्ट पर आप ऐसे लोगों को नहीं लगाएंगे, तो इन प्रोग्रामों का इम्पलीमेंटेशन नहीं होगा । इसलिए मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी को जिसको इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का पूर्ण दायित्व होता है, सही चुनें व उस पद पर आप सही आदमी ही लगाएं ।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० विजयराघवन* (पालघाट) : श्रीमन् मैं बजट का स्वागत करता हूं । यह एक महत्व पूर्ण कदम है जो कि हमें 21 वीं शताब्दी की ओर ले जायेगा । इस बजट में 48,767 करोड़ रु० की आमदनी और 52,862 करोड़ रु० का व्यय दिखाया गया है, जिसके अनुसार 4,095 करोड़ रु० का घाटा रह जायेगा । यह अनुमान लगाया गया है नये करों से 445 करोड़ रु० की अतिक्ति आय होगी । अतः वास्तविक घाटा 3,650 करोड़ रु० का रह जायेगा । पिछले वर्ष, राज्य सरकारों को ओवर ड्राफ्ट की समस्या से निपटाने के लिए केन्द्र ने 1,628 करोड़ रु० के मध्यावधि ऋण दिये इस राशि को मिलाकर पिछले वर्ष कुल घाटा 6,118 करोड़ रु० का हो गया था । अतः हम पाते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1986-87 का बजट घाटा बहुत कम है । तथापि सरकार को एक महत्व पूर्ण बात का ध्यान रखना चहिये । पिछले वर्ष के बजट में 3,316 करोड़ रु० का घाटा दिखाया गया था । जो कि संशोधित अनुमानों के अनुसार बढ़कर 4,490 करोड़ रु० हो गया है, यानि घाटे में 1,174 करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई है । तथ्य यह है कि करों से आमदनी में 22% वृद्धि के बावजूद घाटे में वृद्धि हुई है । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि इस घाटे में और वृद्धि न हो और यह नियन्त्रण से बाहर न हो और मुद्रा-स्फीति-दबाव न पैदा हो ।

इस वर्ष का बजट आम आमदनी, विशेषकर मध्य वर्ग और निश्चित आय वर्ग के लोगों के हित में है वित्त मंत्री द्वारा बजट में दी गई रियायतों से यह स्पष्ट हो जाता है । आयकर में दी गई छूट का स्वागत है । निश्चित आय वर्ग के लोग ही मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि से अधिक प्रभावित

*मूलतः मलयालम में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

होते हैं अतः में इस कदम का स्वागत करता हूं। इस संदर्भ में, मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार समय-समय पर अपने कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की किस्तें प्रदान करती है। यह मूल्य वृद्धि के विरुद्ध राहत है। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें इस पर भी आयकर देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि कुछ मामलों में कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की राशि से दोगुनी रकम आयकर में देनी पडती है। ऐसा आय के कुछ स्लेबों में वृद्धि करने से होता है। ऐसे मामलों में राहत कहां मिली ? अतः मेरा अनुरोध है कि मंहगाई भत्ते की सारी रकम को आयकर से छूट मिलनी चाहिए। अगर ऐसा सम्भव न हो तो कम से कम मंहगाई भत्ते की आधी रकम को आयकर में न शामिल किया जाए।

इस बजट की अन्य विशेषता है कि इसमें आई. आर. डी. पी., एन.आर.ई.पी., आर. एल.ई. जी.पी. जैसे गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए 65% अधिक रकम का प्रावधान किया गया है। इससे सरकार की, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करने की वचनबद्धता का पता चलता है। इससे कमजोर वर्गों की दशा में सुधार होगा। एन० आर० ई० पी० के लिए राशि 230 करोड़ रु० से बढ़ाकर 443 करोड़ रु० कर दी गई है। आर० एल० ई० जी० पी० के लिए राशि 400 करोड़ रु० से बढ़ाकर 633 करोड़ और आर० आर० डी० पी० के लिए प्रावधान 283 करोड़ रु० से बढ़ाकर 428 करोड़ रु० कर दिया गया है। इसी प्रकार, अनुसूची जातियों, अनुसूचित जनजातियों और बंधुआ मजदूरों के लिए आवास-निर्माण के लिए 125 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इस बजट में गरीबों की दशा को सुधारने की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। स्व० प्रधान मंत्री इन्दिरा जी हमेशा ही गरीब वर्गों के प्रति संघर्ष करती रहीं। उनका स्वप्न था कि ये वर्ग अच्छा जीवन यापन करें। यह बजट उनके इस स्वप्न को पूरा करने की दशा में एक कदम है। मैं माननीय प्रधान प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी और माननीय वित्त मंत्री को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं।

कर क्षेत्र में मोडवेट योजना एक नया प्रयोग है। इससे कई वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क में कमी आयेगी और अंततः उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसी प्रकार, वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वर्तमान कर-प्रणाली को तर्कसंगत बनाने के लिए और इनकी कमियों को दूर करने के लिए प्रत्यक्ष-कर संहिता बनायी जाएगी इसे जून, 1986 से लागू किया जायेगा। यह एक सराहनीय घोषणा है। इस क्षेत्र में की जाने वाले आकर्षक परिवर्तनों का यह संकेत है। में इस वर्ष के बजट को राहतों और रियायतों का बजट कहना चाहूंगा।

श्रीमन, बजट में विकासात्मक कोशिशों की कुल तस्वीर हमें मिलती है। इसका उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। इस कारण, बजट चर्चा में राज्यों की समस्यावों का उल्लेख करना तर्कसंगत है। अतः मैं इस सम्मानीय सभा के समक्ष मेरे राज्य केरल द्वारा जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है मैं उनका उल्लेख करना चाहता हूं। श्रीमन, अगर आप राज्यों के लिए गरीबी रेखा का निर्धारण करें तो, पायेंगे कि शायद केरल का स्थान गरीबी की रेखा से नीचे वाले राज्यों में शामिल है, इस राज्य के समक्ष वित्तीय समस्यायें हमेशा बनी रहती हैं। अपनी कई योजना परियोजनाओं को पूरा करने के लिए इसे स्रोतों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि केन्द्र द्वारा दी गई सहायता और राज्य द्वारा खुद एकत्र की गई राशि

इसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। योजना आयोग का राज्यों के प्रति रुख अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य किसी न किसी तरह अपने रोजाना के खर्चों को ही पूरा कर पाते हैं, और नई योजना परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इसी कारण केरल में औद्योगिक विकास नहीं हुआ और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। हमें शीघ्र ही इस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। योजना परिव्यय में वृद्धि करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं सरकार से केरल के योजना परिव्यय में वृद्धि करने का अनुरोध करता हूं।

नारियल की कीमतों में भारी कमी के कारण केरल की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है। जो नारियल 1983-84 में 4 रुपये प्रति गोला की दर से बिक रहा था आज 1 रुपये से भी कम में बिक रहा है। केरल सरकार के इस अनुरोध को कि नारियल का न्यूनतम मूल्य निश्चित किया जाये और इसे तिलहन घोषित किया जाये, सरकार द्वारा नहीं माना गया है। यदि ये दोनों बातें मान ली जायें तो हम केरल में नारियल की खेती करने वाले लाखों लोगों को राहत पहुंचा सकेंगे। इसलिए मैं इस मामले में शीघ्र निर्णय लेने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं। नारियल के तेल की देश में ही खपत बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने चाहिये।

अब मैं केरल में औद्योगिक विकास की बात पर आता हूं। तीसरी, चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजनाओं में केरल में केन्द्र द्वारा नाम मात्र के लिए भी पूंजी निवेष नहीं किया गया। इस राज्य में इसी कारण औद्योगिक विकास नहीं हुआ। एक सरकार जो रोजमर्रा के प्रशासकीय व्यय को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही हो वह उद्योगों में पूंजी कैसे लगा सकती है? इसलिए केरल में केन्द्र द्वारा शीघ्र ही केन्द्रीय क्षेत्र में पूंजी-निवेश किए जाने की आवश्यकता है। के० करुणाकरण की सरकार के सत्तारुढ़ होने के बाद औद्योगिक क्षेत्र में शांति रही है। आजकल उद्योग में पूंजी निवेश के लिए बड़ा अच्छा वातावरण है, मैं आशा करता हूं कि सरकार इस संबंध में उचित उपाय करेगी।

महोदय, सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिए 139 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि छठी पंचवर्षीय योजना में आवंटित राशि से 93 प्रतिशत अधिक है। मुझे प्रसन्नता है कि सरकार पर्यटन के विकास के लिए एक व्यापक योजना बना रही है, जिससे हम भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। इस संदर्भ में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र पालघाट में पर्यटन विकास की व्यापक संभावनाओं के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस जिले में कई क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। कुछ समय पूर्व यह मांग की गई थी कि इस जिले में मलम-पूजा, परपीकुलम, नेलियमपटी तथा साइलेंट वैली जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाला एक पर्यटन कम्पलैक्स स्थापित किया जाए। किन्तु इस संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया। मैं इस अवसर पर अपनी मांग पुनः दोहराता हूं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मांग को पूरा करने के लिए समुचित कदम उठाएगी।

महोदय, कुछ दिन पहले सभा में देश में सूखे की स्थिति पर विचार किया गया था। इस मौके पर मैं यह बात सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र पालघाट के कई इलाके भयंकर सूखे की चपेट में हैं। इनमें से अधिकांश इलाके पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में बार-बार सूखा पड़ता रहता है। बहुत से प्रभावित क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बहुत से पशु मर गए हैं और इस कारण बहुत से लोग आजीविका के

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

इस साधन से भी वंचित हो गए हैं। उन किसानों के लिए जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है, ऋण चुकाना कठिन हो गया है। इन परिस्थितियों में लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए केन्द्रीय सहायता अत्यन्त आवश्यक है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पालघाट के लोगों को सूखे से बचाने के शीघ्र उपाय करे। मेरी गुजारिश है कि एक केन्द्रीय दल पालघाट की स्थिति का अध्ययन करने के लिए वहां भेजा जाये और वह राहत उपायों के संबंध में सुझाव दें।

महोदय, कूरीयारकुट्टी-करपाड़ा एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिस पर केन्द्र सरकार की स्वीकृति मिलनी बाकी है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कम से कम परियोजना के सिंचाई वाले हिस्से को स्वीकृति प्रदान कर दी जाय ताकि पालघाट के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को पानी मिल सके।

अन्त में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है यह बजट आम आदमी के लिए राहत और रियायतों का बजट है। मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री जी को देश के निर्धन लोगों के लिए अच्छा बजट पेश करने पर बधाई देता हूं।

श्री एम० बी० एम० सोमू (मद्रास उत्तर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार भविष्य में बजट-पूर्व कर लगाने की प्रथा को समाप्त करे। यह लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत है। आकलित मूल्यों में वृद्धि करने के बावजूद भी, जिससे कि सरकार को 2000 करोड़ रुपये की आय होगी, बजट में 3650 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में वित्त मंत्री जी ने शहरी जनता जैसे रिक्शा चालक, कुली, मोची, धोबी, नाई बैलगाड़ी खींचने वाले आदि को शामिल किया है और उन्हें राहत देने के लिए कुछ उपाय किए हैं।

तमिलनाडु सरकार ने लगभग पंद्रह वर्ष पहले डा० करुणानिधि के नेतृत्व में कई प्रगतिशील उपाय किए थे। हमने मनुष्यों द्वारा खींचे जाने वाली रिक्शा को समाप्त करके साईकिल-रिक्शा शुरू की। एक 'स्लम क्लीयरेंस बोर्ड' स्थापित किया गया और दलितों के लिए मकान बनवाने हेतु 40 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। उनके द्वारा गरीबों में चश्में वितरित करने की बहुत लोगों द्वारा प्रशंसा की गई। उन्होंने जन-कल्याण के लिए भिखारी पुनर्वास योजना भी शुरू की। हमने पन्द्रह वर्ष पूर्व ये सभी उपाय कार्यान्वित किए थे।

श्री पी० कुलनदईवेलु : अनकही कहानी !

श्री एम० बी० एम० सोमू : किंतु हमारे वित्त मंत्री इसके प्रथम चरण में हैं।

एक विधि-वेत्ता श्री पालकीवाला ने प्रो० राज कृष्ण को उद्धृत करते हुए कहा कि "गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रवृत्ति दल के पक्ष में कार्यक्रम में चलाने की है"। ऋण मेले इस प्रकार आयोजित किए जाते हैं जैसे दल के समारोह हों। जहां तक मद्रास-शहर का संबंध है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र उत्तर मद्रास तथा दक्षिण मद्रास के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को 10,000 ऋण-फार्म दिए गए थे। हमारे जिले के पार्टी सचिव को भी कुछ फार्म क्यों नहीं दिए गए? ऋण मेलों के आमन्त्रण पत्रों में संबंधित संसद-सदस्यों के नाम भी नहीं दिए जाते हैं। सार्वजनिक धन व्यय करके ऋण मेलों को केवल दल के समारोहों में बदल दिया जाता है। इसे रोकना चाहिए।

वित्त मंत्री राष्ट्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर काफी बल देते हैं। इस कार्यक्रम से 1985 में 2656.6 लाख श्रम दिवस रोजगार उत्पन्न किया गया जबकि इससे एक वर्ष पूर्व 2642.2 लाख श्रम दिवस रोजगार उत्पन्न हुआ था। इस कार्यक्रम के लिए 1985 में 439.67 करोड़ रुपये खर्च किए गए जबकि 1984 में 409.08 करोड़ रुपये खर्च हुए। यहां मैं कहना चाहता हूं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को बढ़ाने का मतलब है अधिक राजस्व व्यय। गरीबी का उन्मूलन तभी किया जा सकता है यदि छोटे से छोटे स्तर पर भी मजदूरी के रूप में पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं दी जाएं, रोजगार के अवसर श्रम आपूर्ति से अधिक तेजी से बढ़ें, और सामान की कीमतें कम अथवा स्थिर हों। किंतु दैनिक इस्तेमाल की चीजों जैसे खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, सरकारी यातायात शुल्क की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। 1976 में एक किलो चावल की कीमत 2.20 रुपये थी और अब इसकी कीमत 5.20 रुपये है।

श्री पी० कुलनदईवेलु : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। किस राज्य में चावल 5.20 रु० प्रति किलो बेचा जा रहा है ?

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब आपकी बारी आए, आप उन्हें इसका उत्तर दे सकते हैं।

श्री एन० वी० एन० सोमू : नारियल के तेल का भाव 10.60 रुपये होता था और अब यह 27 रुपये है, काली मिर्च 17 रुपये से 60 रुपये हो गयी है। जिंजिल आयल 9.50 रु० से 19 रु० है। रिफाइन्ड आयल 7 रुपये से 20 रुपये, चीनी 3 रुपये से 6.50 रु० मिर्च 8.40 रु० से 16 रु०, हल्दी जो महिलायें अपने चेहरे पर प्रतिदिन लगाती हैं 14 रु० से 60 रुपये हो गई हैं। लोगों की क्रय शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। इस बढ़ती हुई मंहगाई को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र प्रयास किये जाने चाहिए।

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि वे मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव पर उत्पाद शुल्क हटा रहे हैं। लेकिन उन्होंने मिट्टी के तेल के भाव पहले ही बढ़ा दिए हैं। इस प्रकार आप एक ओर राहत देने के साथ-साथ दूसरी ओर मंहगाई बढ़ा रहे हैं।

वित्त-मंत्री की तेल नीति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जब विश्व बाजार में तेल की कीमत 36 डालर प्रति बैरल से कम होकर 15 डालर प्रति बैरल हो गई है जो कि आधे से भी कम है, वहीं वित्त मंत्री 4600 करोड़ रुपये तेल के आयात पर खर्च करने की क्यों सोच रहे हैं जबकि पिछले वर्ष 3500 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। इस व्यय से बचा जा सकता है। इसकी अपेक्षा उन्हें तेल को खोजने और निकालने के लिए विशेषकर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, जो कि तेल से भरा हुआ है, कोशिश करनी चाहिए।

बढ़ती हुई कीमतों ने समाचार पत्रों को भी नहीं छोड़ा। नेपा मिल्स के कागज की कीमतों में की गई नवीनतम भारी वृद्धि के अनुसार दिसम्बर 1985 से कीमतों 1000 रुपये से बढ़कर 1600 रुपये हो गई हैं जो कि तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल के इस आश्वासन के विपरीत हैं कि कीमतों में वृद्धि की अनुमति देने से पूर्व उद्योग से परामर्श किया जाएगा। निसंदेह, इससे समाचार पत्रों के आर्थिक पहलू पर प्रभाव पड़ेगा। उन्हें समाचार पत्रों की कीमत तथा विज्ञापन दरें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ेगा इस प्रकार देशी न्यूजप्रिंट मिलों की अक्षमता तथा

[श्री एन० वी० एन सोमू]

ऊंची परिचालन लागत के कारण समाचार पत्रों, उसके पाठकों तथा विज्ञापनदाताओं को सजा मिलेगी। और अन्त में केवल समाचार-पत्र कर्मचारी ही परेशान होंगे जो अब वेतन बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इकॉनामिक एण्ड सांईस रिसर्च फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चलता है कि यदि योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब न हुआ होता तो राष्ट्रीय आय में 1,20,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की वृद्धि होती, निर्यात 9600 करोड़ रुपये वार्षिक बढ़ता, खाद्यान्नों का वार्षिक उत्पादन 504 लाख टन अधिक होता, 404, लाख रोजगार के अवसर पैदा होते ओर प्रति व्यक्ति आय में तीन गुना वृद्धि होती। इस प्रकार इन सभी कमियों के लिए कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं श्री पालकीवाला को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा है; "प्रोग्रेस शब्द 'कांग्रेस' के लगभग विपरीत है।"

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को मुबारक बाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीबों के हक में, किसानों के हक में, मजदूरों के हक में, लघु उद्योग के हक में, पटरी पर सामान बेचने वालों के हक में, रिक्शा वालों के हक में एक अच्छा बजट पेश किया है। उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की देश से गरीबी मिटाने की नीति को श्री राजीव गांधी की कयादत में एक नई दिशा दी है।

मैं वित्त मंत्री जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 50 रुपए तक के काटन और मैन-मेड फाइबर पर आपने कोई ड्यूटी नहीं लगाई है। जूतों पर जो छूट दी, वह बढ़ा कर 40 रुपए कर दी। छूरी, कंघों और छातों पर से आपने एक्साइज ड्यूटी हटा ली। आई डी बी आई में स्माल स्केल इण्डस्ट्री के लिए जो फण्ड की व्यवस्था की है, उससे इन्डस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। इन्वैस्टमेंट सीलिंग लिमिट जो 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दी गई है, उससे लघु उद्योगों को फायदा होगा। जनता इस बात से खुश है कि आपने 41 दवाइयों पर से एक्साइज ड्यूटी हटा ली है।

लघु उद्योगों को आपके इस बजट से थोड़ी परेशानी होगी। एग्जैम्पशन लिमिट जो लघु उद्योगों को 20 लाख थी, उसको घटा कर 7.5 लाख कर दिया गया है, जिससे उनको व्यापार चलाने में और रात को जो इन्सपैक्टर उनका गला घोंटता था, उसमें और ज्यादा उनको परेशानी होगी। स्माल स्केल इन्डस्ट्री के रजिस्ट्रेशन को आपने 7.5 लाख पर जरूरी कर दिया है, उससे उनको दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत सारी स्माल स्केल इन्डस्ट्री नॉन-कन्फर्मिंग क्षेत्रों में है, जहां उनको लाइसैंस नहीं मिल सकता है। एक्साइज लाइसैंसिंग तिमिर है, वह भी एग्जैम्पशन लिमिट तक होनी चाहिए। जो छूट पहले 49 वर्क्स या दो होर्स-पावर वाले बिजली के लघु उद्योगों को मिली हुई थी, वह दोबारा मिलनी चाहिए। बहुत सारी लघु उद्योग ईकाइयां अलग-अलग स्थानों पर लगी हुई हैं, ऐसी ईकाइयों में जहां पर वातावरण सही नहीं है, उनको अपना व्यापार बढ़ाने में परेशानी हो सकती है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से गरीब आदमियों को मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, उसी तरह से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उनको फैक्ट्री बनाकर दी जानी चाहिए, ताकि वे अपना कारोबार सुचारू रूप से चला सकें।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान खिलौना इन्डस्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूं। इसमें तकरीबन एक हजार लघु उद्योग हैं, जिनकी टर्न-ओवर 50 करोड़ रुपए के लगभग है। पहले जहां खिलौनों के लघु उद्योग पर 20 लाख की छूट थी, उस पर अब ड्यूटी लगा दी गई है और वह भी पांच परसेंट से 15 परसेंट तक है। छोटे खिलौने जो प्लास्टिक से बनते हैं, इनके रॉ-मैटिरियल पर पहले ही 30 प्रतिशत ड्यूटी दी जा चुकी होती है। मैटीरियल पर जो रिफण्ड मिलेगा वह सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो सीधे मेन्युफेक्चरर से रा मैटीरियल खरीदते हैं। पांच लाख से ऊपर टर्न-ओवर वालों को एक्साइज में रजिस्टर कराना होगा। इससे लघु उद्योग वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

मैं इसमें एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बेबी वाकर पर ड्यूटी है, ट्राई साईकिल जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं उस पर ड्यूटी नहीं है। इसी तरह से स्पोर्ट्स गुड्स पर ड्यूटी नहीं है। जो खिलौने बच्चों के इस्तेमाल में आते हैं उन पर भी हमें ड्यूटी नहीं लगानी चाहिए।

मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान लेदर इंडस्ट्री की तरफ दिलाना चाहता हूं। पहले लेदर क्लाथ मेन्युफेक्चरर के लेदर क्लाथ पर वेल्यु पर ड्यूटी लगती थी लेकिन वह अब बढ़ा कर स्क्वेअर मीटर पर लगा दी गई है। इससे जो सस्ते दाम का कपड़ा था उस पर 491 परसेंट ड्यूटी ज्यादा हो गई है और बढ़िया किस्म का जो लेदर था उस पर 65 परसेंट ड्यूटी घट गई है। जो पांच रुपये मीटर का कपड़ा था उस पर एक रुपये पिचहत्तर पैसे ड्यूटी थी। उसे अब बढ़ा कर दस रुपये मीटर कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बढ़िया लेदर था जो कि सौ रुपये मीटर का था जिस पर कि 35 रुपये मीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी वह घटा कर साढ़े बारह रुपये कर दी गई है।

सभापति महोदय, मैं एक्सपोर्ट के लिए दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। एक्सपोर्ट में जो लोग लगे हुए हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंटल एक्सपैंसिज हैं जो उनको बीयर करने पड़ते है। अगर आप देश में एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते है तो जो दर दस परसेंट कर दी गई है उसे बढ़ा कर पन्द्रह परसेंट किया जाना चाहिए। केश इन्सेन्टिव कोटा आइटम्स पर दिया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

लदान से पूर्व उधार दी गई राशि न्यूनतम होनी चाहिए अथवा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में प्रीशिपमेंट क्रेडिट पर 160 दिन तक कोई इन्ट्रैस्ट नहीं लिया जाता है। अगर हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा चाहिए तो 3 साल से 5 साल के लिए इस पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए। केश इन्सेन्टिव की दर पाकिस्तान में 28 परसेन्ट है, चीन में 40 परसेन्ट है और भारत में सिर्फ 5 परसेन्ट है। अगर हम अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें केश इन्सेन्टिव की दर भी बढ़ानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सलाउद्दीन (गोड्डा) : महोदय, इस प्रकार का संतुलित और आशाजनक बजट प्रस्तुत करने का श्रेय भारत के वित्त मंत्री को जाता है, और इसके लिये मैं उनका अत्यधिक अभारी हूं।

महोदय, जहां तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का संबंध है, भारत के इतिहास में इस समय वह सर्वाधिक है और एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसी प्रकार जहां तक औद्योगिक विकास का संबंध है; इसमें भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और गत वर्ष के आंकड़ों की तुलना में इस बार 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेरे विचार में यह एक बहुत ही उल्लेखनीय उपलब्धि है। मेरे विचार में यह बजट देश आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। देश के महान हित में वित्त मंत्री महोदय बहुत ही साहस पूर्वक यह जोखिम पूर्ण कदम उठा रहे हैं। इस बजट से एक नया आर्थिक वातावरण तैयार होगा जिससे हमारी वित्तीय नियन्त्रण, वित्तीय प्रशासन और वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ होगी। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिये विभिन्न कदम उठाने का विचार है।

खाद्य पदार्थ तथा उर्वरकों के लिये जो राशि राज सहायता के रूप में दी जाती है, वह अब बढ़कर 3,700 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। और इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भारत जैसे विकास शील देश में यह लक्षण बड़ा ही शुभ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पर्याप्त राशि की राजसहायता दी जा रही है, किन्तु राजसहायता किस मात्रा में दी जाये, उसका भी कोई मानदण्ड होना चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिये विभिन्न प्रकार के मानदण्ड निर्धारित किये जाने चाहिये। यदि किसी करोड़पति को किसी निर्धन व्यक्ति के बराबर ही राजसहायता राशि प्राप्त हो रही है, तो मेरे विचार से वह उचित नहीं है। चावल गेहूँ, पेट्रोल तथा अन्य उत्पादों के संबंध में करोड़ पति व्यक्ति को निर्धन व्यक्ति के बराबर ही राज सहायता की राशि प्राप्त हो रही है। मेरा विचार है कि भारत के वित्त मंत्री को राजसहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई न कोई प्रगतिशील प्रणाली अथवा मानदंड अपनाना चाहिये। यह मेरा सुझाव है और मेरे विचार से वित्त मंत्री उस पर विचार करेंगे।

इसी प्रकार, चालू वर्ष के दौरान हमें केवल तेल के आयात पर लगभग 1100 करोड़ रुपया अधिक व्यय करना पड़ेगा, इस प्रकार कुल मिलाकर हमें 4,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय करनी होगी। यह आशा की जाती है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं पर इतनी राशि तो व्यय करनी ही पड़ेगी। मैं वित्त मंत्री को सुझाव देता हूं कि लघु उद्योगों को और अधिक रियायतें तथा और अधिक सुविधायें दी जायें। निर्यात के मामले में लघु उद्योगों पर अधिक पाबंदियां और प्रतिबंध लगे हुए हैं। मेरे विचार में आयात के सम्बन्ध में यदि लघु उद्योगों के प्रति उदार निर्यात नीति अपनाई जाए तो वे अधिक प्रगति कर सकेंगे।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

[हिन्दी]

श्री सलाउद्दीन : मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं ऐसे इलाके से आता हूं जो बिहार का सबसे पिछड़ा जनजातीय क्षेत्र है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान संथाल परगना की ओर ले जाना चाहता हूं जो बिहार राज्य के इन्टीरियर में स्थित वादी है। वहां के आदिवासियों को आज तक टेलीविजन की सुविधाएं नहीं प्रदान की गई हैं, मैं मंत्री जी से प्रस्ताव करना चाहता हूं कि संथाल परगना में अविलम्ब एक टेलीविजन ट्रांसमिशन स्टेशन स्थापित किया जाए और वहां के आदिवासियों को टी० वी० की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।

बड़े दुख की बात है कि आजादी प्राप्त होने के इतने दिनों बाद तक भी संथाल परगना की ट्राइबल बैल्ट में रेलवे लाइन नैट वर्क शुरू नहीं हुआ है और उसके जिला मुख्यालय, डिवीजनल हैडक्वार्टर तक में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है।

इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि बजट में ट्राइबल बैल्टस के विकास के लिए अलग से प्रावधान किया जाए। उसका कारण यह है कि जब आप स्टेटस को पैसा देते हैं और जैसा आपने स्वयं स्वीकार किया है कि स्टेट गवर्नमैंट उस पैसे को दूसरे कामों में, दूसरे प्रोजैक्टस में डाइवर्ट कर देती हैं और ट्राइबल बैल्ट के विस्तार का काम नहीं हो पाता, मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि ट्राइबल बैल्ट की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आप स्पेसिफिकली अलग से प्रोजैक्ट-वाइज प्रावधान करें। मैं समझता हूं कि स्टेट गवर्नमैंट आज हमें ईमानदारी के साथ, उन प्रोजैक्टस के लिए जो एलोकेशन होता है, वह आबंटित पैसा नहीं देती है।

5.00 म.प.

यह बजट, मान्यवर, जैसा मैंने अभी कहा—

[अनुवाद]

स्वतंत्रता का लाभ प्रायः निर्धनतम वर्ग के लोगों को नहीं मिल पाता है।

[हिन्दी]

आपका इन लोगों के लिए बजट में 65 परसेंट की वृद्धि करना, बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। इससे सभी लोग इत्तफाक करेंगे और मैं भी इत्तफाक करता हूं, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि कम्प्यूटर प्रोग्राम के बदले सबसे पहले हमें कैरेक्टर प्रोग्राम अपनाना चाहिए। जब तक हम कैरेक्टर प्रोग्राम को नहीं अपनाते हैं सच्चाई के साथ, तब तक हम इन लोगों को 65 प्रतिशत अमाउण्ट नहीं दे पाएंगे।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक क्रिमिनल गैंग डिस्ट्रिक्ट में पैदा हो गया है जो कि गरीबों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पैसा यहां से दिया जाता है, उस पर गिद्ध की तरह दृष्टि गड़ाए बैठा रहता है और जैसे ही पैसा यहां से जिले में पहुंचता है, वह सक्रिय हो जाता है। महोदय जिस प्रकार से मरे हुए पशु को गिद्ध चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे नोच-नोच कर खाते हैं, वैसे ही यह गैंग इस पैसे को खा जाता है और गरीबों का भला नहीं हो पाता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यह पैसा ईमानदारी के साथ गरीब लोगों को मिले ऐसी व्यवस्था आप करें, तभी हमारे देश में रहने वाले लोगों को बहुत सही मायने में लाभ पहुंचेगा।

[श्री सलाउद्दीन]

मैं वित्त मन्त्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने देश के लिए एक आशावादी और बैलेंस्ड बजट पेश किया है और मैं समझता हूं कि राजीव जी की जो नए भारत को बनाने की कल्पना है, उसमें यह बजट बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगा अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि—

[अनुवाद]

इससे देश में एक नए युग का सूत्रपात होगा और एक नये तथा आधुनिक भारत का निर्माण होगा।

17.02 म. प.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मानकू राम सोढ़ी (बस्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसका में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जिस ढंग से देश को तेजी के साथ आगे ले जाना चाहते हैं, उस तेज गति में यह प्रगतिशील बजट सहायता देगा। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी देश को आगे ले जाने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर दूरदराज के क्षेत्रों में आदिवासियों से मिलने और उनकी हालत को देखने के लिए स्वयं जाते हैं। उनसे स्वयं बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब तक के विकास में उनको क्या लाभ मिला है और कितनी समस्याएं उनकी सुलझ सकी हैं। इस प्रकार से वे उन बातों को उन इलाकों में जाकर पता कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले समय में खर्च किए जाने वाले रुपयों के आंकड़ों का अनुमान लगा सकें। आज जो हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, उनसे इस बात का पता चल रहा है कि उन लोगों के विकास के लिए जो पैसा अब तक खर्च हुआ है उससे उन लोगों को गरीबी से ऊपर आने में कितनी सफलता मिली है। ताकि देश के इक्कीसवीं सदी की तरफ बढ़ते वक्त ये लोग पीछे न रहें और वे भी साथ मिलकर आगे बढ़ सकें, यह वे चाहते हैं। उनको पिछड़ेपन से आगे लाने के लिए उन क्षेत्रों में विशेष योजनाओं को इसीलिए चलाया जा रहा है ताकि वे पीछे न रहें और सब लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ सकें इसके लिए वे अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर वहां जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग दूसरी तरफ ऐसे हैं, जो उनके इस कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास करते हैं और उनकी इच्छा के विपरीत कार्य करने लगते हैं। बल्कि मैं तो यह भी कहूंगा कि ऐसे कुछ लोग प्लानिंग के अन्दर भी हैं जो प्रधान मंत्री की गति में शिथिलता लाना चाहते हैं।

"नव भारत टाइम्स" के 5 तारीख के पत्र में छपा है—

"कि अफसरशाही की नींद डंके से नहीं टूटेगी। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि" वित्त मन्त्री विश्वनाथ प्रताप सिंह गरीबी दूर करने का कितना ही डंका बजायें, लेकिन कार्यान्वयन के प्रश्न पर श्री राजीव गांधी द्वारा बस्तर क्षेत्र के लिये घोषित 500 करोड़ रुपये की योजना लाल फीताशाही के कारण खटाई में पड़ गई"।

इस ढंग से जो भी विकास की योजना बनाकर केन्द्र ने रखी है, उसमें भी कुछ ऐसे अफसर हैं जो इसको ध्यान से सामने नहीं रख रहे हैं। प्रधान मंत्री जी ने बस्तर प्रवास में 500 करोड़ रुपये देने के लिये एनाउन्स किया था, उसमें भी ये लोग टालमटोल कर रहे हैं और 7 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश को जो 7,000 करोड़ रुपये दिये गये हैं, उसमें से ही निकालकर यह देने का प्रस्ताव कर रहे हैं। प्रदेश सरकार निश्चित रूप से उसमें से 500 करोड़ रुपये निकाल कर देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में यह योजना खटाई में पड़ने की स्थिति में दिखती है। वहां के लोग इस बात पर विचार करने में भी लगे हुए हैं कि अगर यह योजना खटाई में पड़ती है तो हमें मजबूत होकर केन्द्रीय शासन से अपने को सम्मिलित करना चाहिये। ऐसी स्थिति में यदि केन्द्रीय सरकार व्यवस्था नहीं करेगी तो 500 करोड़ रुपया जो प्रधान मंत्री ने घोषित किया है अगर वह नहीं दिया गया तो वहां के लोगों के दिल में दूसरी बात आयेगी। मेरा निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार इस 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था अलग से करे जिससे राज्य सरकार को इसकी व्यवस्था करने की तकलीफ न हो।

वहां के आवासहीन लोगों के लिये जो व्यवस्था शुरू में की गई थी, उससे करीबन 10 हजार आवासहीन लोगों को फायदा दिया है और जिनके पास आवास नहीं था, उन्होंने अपनी मेहनत से मकान बना लिया। अब जो योजना इस बजट के अन्तर्गत हुई है इंदिरा जी के नाम पर जो योजना लागू की जायेगी, उसमें बस्तर में जो तरीके अपनाये गये थे, उसी ढंग से लागू किया जाये। क्योंकि वहां पर रैवेन्यु डिपार्टमैंट की तरफ से पटवारी एक गांव को गोद में लेता है, 10 मकान बनाता है, आर० आई० एक गांव को गोद में लेता है 15 मकान बनाता है, तहसीलदार एक गांव को गोद में लेता है 20 मकान बनाता है। उसमें जितने भी सहयोग करने की व्यवस्था होती है, वह बराबर सहयोग देते हैं। उसी ढंग से मकान बनाये जाते हैं और वह उसमें रहते हैं। यदि यहां की राशि के अनुसार दूसरी एजेन्सी मकान बनाये तो निश्चित रूप से जैसे मकान गांव में लोग बना लेते हैं लेकिन लोग वहां जाते नहीं हैं उनमें हमारे आदिवासी और हरिजन रहते नहीं हैं। ऐसे मकान नहीं बनाये जायें। वहां उनके द्वारा ही मकान बनाये जायें और उनके रहने के अनुसार ही मकान बनवायें ताकि वहां दूसरे-मकान जन-जीवन के विपरीति न हो जायें। इस प्रकार से इसमें बराबर सहयोग दिया जाये।

आज वहां के विकास के लिये जो भी काम हो रहा है पिछड़े क्षेत्र के लिये उसमें फारेस्ट विभाग बाधक है। फारेस्ट विभाग की तालमेल अन्य विकास के विभागों से बिल्कुल भिन्न है। वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक गांव से दूसरे गांव तक सड़क बनाकर जोड़नी है, उसमें वह बाधक है, स्कूल बनाना है, उसमें बाधक है, चाहे रोड बनाना हो, मिट्टी निकालकर लानी हो, उसमें भी बाधक हैं। इस तरह से वहां के सारे-के सारे विकास के कार्य में वन विभाग हमेशा आड़े आ रहा है। उनके विकास के लिये सेंट्रर की तरफ से जो ऐक्ट बना है, उसका पूरा पालन होना चाहिये। वहां के लोगों ने जंगल को अपना जीवका का साधन बना कर रखा हुआ है, अगर उनके विकास में बाधा उत्पन्न की जायेगी हमेशा तो वह ऊपर नहीं उठ सकेंगे और उनमें नफरत की भावना उत्पन्न होगी। इस कारण से आदिवासी इलाके के विकास के लिये कोई भी बाधा उत्पन्न न की जाये। बाधा पहुंचाने वाले अफसरों को कड़ी सजा देने की व्यवस्था होनी चाहिये। आप विकास योजना के साथ तालमेल बना कर ही काम करें। इसी आशा के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का मैं विरोध करता हूं।

माननीय मंत्री जी श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस सभा में यह दूसरा बजट प्रस्तुत किया है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बजट में, उन्होंने गरीबों के प्रति सरकार को जो चिंता है कि उसे प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जनवरी और फरवरी के दौरान जब उन्होंने देश में लगभग सभी आवश्यक वस्तुओं के आकलित मूल्य बढ़ाये थे; तब उन्होंने गरीबों की चिंता क्यों नहीं की ? क्या माननीय मंत्री महोदय को भारत के लोगों की प्रतिक्रिया का पता है ? मुझे विश्वास है कि यदि हम उसको अनुभव नहीं कर पा रहे हैं; तो कम से कम विरोधी दल के सदस्य तो इस बात को तो महसूस कर रहे हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं। इस समय तक उन्हें जनता की प्रतिक्रिया पता चल गई होगी।

मैं लगभग एक महीने से यहां हूं। मैंने दिल्ली के मध्यम वर्ग के कई परिवारों से पता किया है। वस्तुत: अभी तक मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर नहीं जा सका हूं, किन्तु यहां दिल्ली में मूल्य वृद्धि का यह असर पड़ा है कि एक मध्यम वर्ग के परिवार पर लगभग 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का भार बढ़ गया है। मैं बात को बढ़ा-चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। मैं आंकड़े प्रस्तुत करने को तैयार हूं। मैं पारिवारिक बजट का ब्यौरा दे सकता हूं। खाद्य पदार्थों, दिल्ली परिवहन निगम के किराये तथा अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने इन गरीबों के प्रति यही चिन्ता तब प्रदर्शित क्यों नहीं की, जिन पर मूल्य वृद्धि का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है ?

इस मूल्यवृद्धि का किन लोगों पर प्रभाव पड़ता है ? पेट्रोलियम उत्पादन के मूल्य बढ़ गये हैं। उन्होंने मिट्टी के तेल के स्टोवों पर पर्याप्त राहत दी है किन्तु इसके साथ ही दैनिक उपयोग के मिट्टी के तेल का मूल्य बढ़ा दिया है।

इस आकलित मूल्य वृद्धि से कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश जैसे उन राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो कम मूल्य पर खाद्य पदार्थ सप्लाई करते हैं ? हम 2 रुपये प्रति किलो चावल दे रहे हैं जो यहां 2 रुपया 75 पैसे किलो बेचा जा रहा है। राज्यों के बजट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसके साथ ही राज्य उत्पाद शुल्क के अपने वैध अंश से वंचित हो जायेंगे क्योंकि जिन वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क लिया जाता है, उनमें से कुछ वस्तुओं के आकलित मूल्य बढ़ा दिये गये हैं। यदि केवल उत्पाद शुल्क बढ़ाया जाता तो राज्यों को भी उसमें से हिस्सा प्राप्त होता। मैं माननीय वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव का मैं कड़ा विरोध करता हूं। इससे पता चलता है कि यह धोखा मात्र है। मुझे पता है कि बजट में उन्होंने अधिक धन की व्यवस्था की है। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए उन्होंने आबंटित राशि 50 प्रतिशत बढ़ा दी है। इसके प्रति मेरा कोई विरोध नहीं है। किन्तु आकलित मूल्य वृद्धि से यह राशि निष्प्रभावित हो जायेगी।

महोदय, मुझे पता है कि मेरे पास बहुत कम समय है। मैं शत प्रतिशत शहरी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से पूछना चाहता हूं। आज की तारीख तक, स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्ष बाद भी हमारी कोई राष्ट्रीय शहरी विकास नीति नहीं है। मुझे पता है। कि ग्रामीण विकास के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है। यह आवश्यक है। मैं

इसका स्वागत करता हूं और मैं इस बात को पूरी तरह से अनुभव करता हूं कि जब तक हमारे ग्रामीण क्षेत्र खुशहाल नहीं होंगे, तब तक भारत खुशहाल नहीं हो सकता है। किन्तु इसके साथ ही सरकार ने शहरी समस्याओं पर जरा भी ध्यान नहीं दिया है। अभी कुछ मिनट पहले ही जब डॉ० दत्ता सामंत बम्बई शहर के बारे में बोल रहे थे; तब माननीय वित्त मंत्री ने खड़े होकर कहा था गंदी बस्तियों की सफाई के लिये बम्बई को 100 करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। हमारे प्रधान मंत्री जब बम्बई गये थे; तब उन्होंने यह घोषणा की थी। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें मद्रास, बंगलौर जैसे महानगरों की समस्याओं के बारे में पता है। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 500 गंदी बस्तियां हैं। एक लाख परिवार कठिन पारिस्थिति में गंदी बस्तियों में रह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन सब के संबंध में भारत सरकार कोई राष्ट्रीय नीति तैयार करे।

महोदय, अभी हैदराबाद के मेरे साथी ने हैदराबाद में पानी की दयनीय दशा के सम्बन्ध में कहा था। महोदय मेरे निर्वाचन क्षेत्र, यहां तक की बंगलौर में भी पानी की समस्या बहुत ही विकट है। हर दूसरे दिन भी लोगों को पानी नहीं मिलता है। यद्यपि सरकार यथा सम्भव प्रयास कर रही है; तथापि समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। बंगलौर को पानी प्रदान करने वाले दो जलाशय लगभग सूख गये हैं। भारत सरकार से हम यह मांग करते रहे हैं कि काबेरी के तीसरे चरण को मंजूरी दी जाये। हमें कोई अनुदान नहीं चाहिए। हमने विश्व बैंक तथा जीवन बीमा निगम से ऋण मांगा है। भारत सरकार से हमें वह भी प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कर्नाटक सरकार को विश्व बैंक और जीवन बीमा निगम से तत्काल सहायता दिलवाई जाये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय वित्तमंत्री से कन्नादीगस के 4 करोड़ व्यक्तियों की अनुभूति पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं कि केन्द्रीय बजट तथा रेल बजट पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है? जहां तक कर्नाटक का सम्बन्ध है, इन दो बजटों में उसे कुछ भी नहीं मिला है। रेल के मामले में कर्नाटक के साथ गत वर्ष की अपेक्षा अधिक अन्याय किया। कर्नाटक का स्वप्न, जहां सत्तारूढ़ दल को भारी बहुमत मिला और जहां से 28 में से 24 सदस्य कांग्रेस की टिकट पर जीते, पूरा नहीं हुआ है। उन्हें क्या इनाम मिला है? कोई भी नई परियोजना, जिसका आश्वासन दिया गया था, कार्यान्वित नहीं की गई है। मुझे इस बात को प्रसन्नता है कि विशाखापत्तनम् परि० योजना के लिये- 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विजयनगरम इस्पात परियोजना के लिये, आपने क्या किया है? स्वर्गीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 15 वर्ष पूर्व इस परि० योजना की आधार शिला रखी थी। इस्पात मंत्री से मैंने कल ही पूछा था कि क्या उन्होंने इस परियोजना को छोड़ दिया है अथवा परियोजना को कार्यान्वित करने वाले हैं। सरकार इतना साहस तो दिखाये और कहे कि हम इस योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इसे भूल जाइये। हमें पता है कि इसके बाद उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए।

अब मैं, एक और महत्वपूर्ण परियोजना मंगलोर तेल शोधक कारखाने की बात उठाता हूं। पिछली बार, बजट के समय, यह आश्वासन दिया गया था कि इसे सातवीं योजना में सम्मिलित किया जायेगा। उसके लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब एक और महत्व-पूर्ण मामला है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ट्रंक एक्सचेंज परियोजना का जिसके बारे में विशेषज्ञ समिति ने पहले यह निर्णय लिया था कि इसे बंगलौर में स्थापित किया जाए लेकिन राजनीतिक कारणों से वहां से हटाकर इसे उत्तर प्रदेश में लगाया गया और स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह वचन दिया था कि इस परियोजना का दूसरा यूनिट कर्नाटक में लगाया जाएगा। किन्तु इस को भी हमारे माननीय वित्त मंत्री श्री वी० पी० सिंह के बजट में स्थान नहीं मिला है।

[श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर]

महोदय, मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता को निराश किया गया है—वह यह बात कृपया अपने दल के सदस्यों से पता लगा सकते हैं, मुझे उनसे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी मैं कहता हूं कि अधिक देर नहीं हुई है। उनके लिए सातवीं योजना के अभी और वर्ष बाकी हैं। सरकार इस पर पुनः और विचार करे और निश्चित करे कि कर्नाटक की जनता के सपने पूरे हो जाएं।

महोदय, मैं सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। मेरी समझ में सरकार की नीति नहीं आई। एक ओर तो वह आर्थिक स्वतन्त्रता और आत्म निर्भरता की बात करती हैं परन्तु उसके साथ ही यह हरेक को मुक्त हस्त से ओ० जी० लाइसेंस देते जा रहे हैं। महोदय, वह सारी मशीनरी जो सारे भारत वर्ष में प्रतिष्ठित परियोजनाओं जैसे कि एच एम टी द्वारा बनाई जाती हैं, अब ओ० जी० लाइसेंस में सम्मिलित कर ली गई हैं। मैं केवल एक उदाहरण देता हूं। कल मैंने श्री वी० पी० सिंह को एक पत्र लिखा है जो एक रक्षा परियोजना के संबंध में है। यह परियोजना तिरुचिरापल्ली में आरम्भ की जा रही है। इस परियोजना के लिए एच० एम० टी० का केरल यूनिट सभी आवश्यक मशीनरी देने को तैयार है, परन्तु रक्षा अधिकारी इसे पश्चिम जर्मनी से आयात कर रहे हैं। मशीनरी लगभग 26 करोड़ रुपये की है मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह सरकार की वास्तविक नीति सदन में स्पष्ट करें।

इन शब्दों के साथ मैं बजट का विरोध करता हूं और आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

श्री राम रतन राम (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। अभिनन्दन करते हुए मैं अपने वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इस साल का बजट हमारा प्रगतिशील बजट है और समाजवादी समाज की लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम अपने आगे क्या कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण के क्रम में कहा है कि विकास के काम में हम समता रखेंगे और प्रधान मंत्री ने आर्थिक न्याय सब को मिल सके की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। इस साल का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसमें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यों पर गत वर्ष के बनिस्पत इस साल का हमारा बजट एलोकेशन बहुत ही अधिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यों में एन०आर०इ०पी० में गत वर्ष हमने 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, इस साल 443 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जो कि 93 प्रतिशत गत वर्ष से अधिक है। आर०एल०इ०जी०पी० में गत वर्ष 400 करोड़ रुपया था, इस साल 633 करोड़ रुपये जो कि 58 प्रतिशत गत वर्ष से अधिक है। आई. आर. डी. पी. में 283 करोड़ रुपये के स्थान पर 428 करोड़ रुपये जो कि गत वर्ष से 51 प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरह से हाउसिंग फार शैड्यूल्ड कास्ट और बाउण्डेड लेबर के लिए गत वर्ष में सौ करोड़ रुपये का प्रावधान था, इस साल 125 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह भी गत वर्ष से 25 प्रतिशत अधिक है। इस साल रूरल वाटर सप्लाई के लिए 317 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान में

हरिजनों के लिए जहां 165 करोड़ रुपया था, इस साल 175 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस प्रकार माननीय वित्त मंत्री जी ने समाजवादी समाज की लक्ष्य की पूर्ति हेतु की तरफ बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन फिर भी यदि हम सब और हमारी सरकार समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते तो इस देश में कोई दूसरा दल या दूसरे लोग नहीं है जो समाजवादी लक्ष्य की पूर्ति की तरफ इस देश को आगे बढ़ा सकेंगे। इसीलिए हम सब मिलकर नव-निर्माण के एवं विकास कार्य में लगे हुए सरकार की सहायता करें।

जहां तक गरीबों की गरीबी दूर करने की दिशा में हम कार्यक्रम कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो कि गरीबी दूर करने की दिशा में गरीब ही दूर कर दिए जायें और हमारे जो कार्यक्रम हैं, वे अपनी जगह कागज पर ही पड़े रह जायें। कारण यह कि जहां पर भी हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्यक्रमों के लक्ष्य की पूर्ति करना चाहते हैं, गरीबों की भलाई के लिए जो बजट बनाते हैं, हम गरीबों की गरीबी दूर करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं, उस लक्ष्य की पूर्ति के के लिए हमारे जो सरकारी पदाधिकारी हैं जो पूंजीपति लोग हैं, क्या उस लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आपको सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। यदि वे नहीं है, तो हमारी सरकार उस दिशा में कितनी प्रयत्नशील है कि ऐसे तत्वों का विनाश कर हम गरीबों की गरीबी दूर कर सकें सकने में निर्विरोध बढ़ सकेगी।

हम हर जगह बोर्डस का निर्माण करते हैं, कारपोरेशन्स का निर्माण करते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स का निर्माण करते हैं, नौकरियों में रिजर्वेशन की व्यवस्था करते हैं, गरीबों के हितों के कार्यक्रमों को लागू करते हैं, लेकिन क्या ये बोर्डस, कारपोरेशन्स और अंडरटेकिंग्स गरीब हरिजनों, आदिवासियों और पिछड़े हुए लोगों के हितों की रक्षा कर रहे हैं? वे उनके हितों की रक्षा उतनी हद तक नहीं कर रहे हैं। नतीजा यह होता है कि लोगों में फ्रस्ट्रेशन है और लोग हताश हो जाते हैं। गरीब, हरिजन, पिछड़े वर्ग के और आदिवासी लोग उनके दरवाजे खट-खटाते हैं। सुनवाई न होने पर वे हमें कहते हैं कि हमें न्याय दिलवाओ। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें ऐसे तत्वों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार होना पड़ेगा। नहीं तो गरीब दूर हो जायेंगे, गरीबी दूर नहीं हो सकेगी।

भूमि सुधार की बात मैं आपसे कहता हूं। भूमि सुधार की दिशा में भूमि का वितरण करा दिया गया है। लेकिन क्या गरीब हरिजनों को भूमि प्राप्त हो सकी है? नहीं हो सकी है। आप सारे भारतवर्ष में जाकर के देख लीजिए। मैं आपको निमंत्रित करता हूं कि हमारे बिहार प्रान्त में जितना भी भूमि का वितरण हुआ है उसको आप देखिये। क्या वह सही माने में हरिजनों को भूमि प्राप्त हुई है? नहीं हुई है। इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि भूमि सुधार की ओर आप देखें।

जहां तक वाटर रिसोर्सिज की बात है या रूरल वाटर सप्लाई की बात है। आपके कागज जरूर इस बात को बतायेंगे कि गरीबों और हरिजनों को जलपूर्ति हो गई है। कागज पर तो जरूर हो गई है लेकिन वास्तव में जाकर आप देखिये उनकी बस्तियों में जलपूर्ति नहीं हो पाई है। हम बजट में प्रावधान करते हैं। लेकिन जो प्रावधान गरीबों के लिए करते हैं अधिकार वह पदाधिकारियों के पास चला जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो तत्व हमारे समाजवादी लक्ष्य की दिशा में बाधक हैं उनसे हमें बचना चाहिए। अब मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा।

[श्री राम रतन राम]

अभी हमारे प्रधान मंत्री जी ने गंगा नदी के प्रदूषण की ओर ध्यान दिया है और गंगा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपये दिये हैं। लेकिन बिहार प्रान्त में, विशेषकर उत्तर बिहार में जो भूमि बाढ़ से ग्रसित है उसके पानी की निकासी भी आप कर दें जिससे कि हमारी जो लाखों एकड़ भूमि डूबी रहती है वह ठीक हो सके। इससे हमारे यहां कृषि का उत्पादन बढ़ सकेगा। आप गंगा में प्रदूषण को जरूर दूर करें। साथ-साथ हमारे यहां दियारा के अन्दर जो लाखों लोग पड़े रहते हैं उनके लिए भी नदी पर आप कम से कम पुलों का निर्माण कर दें। हमारा क्षेत्र राकोपुर दिमका इसी से ग्रसित है।

आवागमन के साधनों के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार में नेशनल हाईवे का निर्माण अत्यधिक कम हो सका है। देश के विकास के लिए आवागमन के साधनों की बहुत आवश्यकता होती है। जब तक आप हमारे राज्य को आवागमन के साधन नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। किसी भी देश के विकास के लिए सबसे प्रथम चरण आवागमन के साधन हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें आवागमन के साधन भी प्रदान करें।

मैं एक बार पुनः आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने गरीबों की गरीबी दूर करने की दिशा में जो अपना बजट प्रस्तुत किया है वह एक सही कदम है। लेकिन इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि आप लघु उद्योगों की दिशा में भी ध्यान दें जिससे हरिजन, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों तथा गरीबों को लघु उद्योगों की ओर जाने में मदद मिल सके। तभी हम गरीबों को प्रगति की ओर अग्रसर करा सकेंगे और गरीबों को आगे बढ़ा सकेंगे और समाजवाद की पूर्ति कर सकेंगे।

[अनुवाद]

श्री ए० जयमोहन (तिरुपत्तूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं 1986-87 के बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। आरम्भ में मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने बजट में गतिशील रवैया अपनाया है विशेषकर गरीबों के कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रमों के लिए।

हमारी महान नेता श्रीमती इन्दिराजी के दुखद निधन के पश्चात् देश को श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में आशा की एक किरण दिखाई दी। जनता ने कुल मिलाकर कांग्रेस दल और इसके नेता— हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का समर्थन किया।

हमारे वित्त मंत्री ने गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों को अधिक से अधिक महत्व दिया। इससे हमारी प्रिय नेता श्रीमती इन्दिराजी द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के प्रति हमारी वचन-बद्धता स्पष्ट होती है जिसको हमारे प्रिय प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी ने प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाया।

वित्त मंत्री ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन आर ई पी) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (आर एल ई जी पी) को अधिक महत्व दिया है। इन सभी कार्यक्रमों के लिए इस वित्त वर्ष अर्थात 1986-87 के लिए 1509 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। हम यह भी देखते हैं कि 1988 करोड़ रुपये कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए रखे गये हैं। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि सरकार कमजोर

वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति वास्तव में कितनी गम्भीर है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ग्रामों में कम लागत पर मकानों के लिए जो 125 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं अब तक की सबसे अधिक राशि है और यह सिद्ध होता है कि इस काम को कितना महत्व दिया गया है।

हमें अपने निजी अनुभव से लगता है कि राज्य सरकारों द्वारा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों चलाते समय उचित समन्वय और प्रभावशाली देख-रेख नहीं रखी जाती ताकि कार्यक्रमों का प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री ने यह राशि दुगना बढ़ा देने की कृपा की है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाया जा सके। अतः मैं सरकार से और विशेषकर वित्त मंत्री से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य और खंड स्तरों पर निगरानी समिति नियुक्त करें। समिति में संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हों ताकि इन कार्यक्रमों पर उचित निगाह रहे और इनका प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित हो।

मैं वित्त मंत्री जी पर इस बात के लिए जोर देता हूं कि स्व-रोजगार योजनाओं के लिए ऋणों की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक कर दें जिससे बेरोजगार युवजन विभिन्न प्रकार के उद्योग आरम्भ करने में उत्साह दिखाएं।

इसके साथ ही, मैं इस भव्य सदन का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। तमिलनाडु में राज्य सरकार व्यापार अथवा वाणिज्य प्रयोजनों के लिए ऋण करती दे रही है। यहां तक कि उद्योगों के लिए भी हमें आवश्यक बिजली पाने के लिए कई वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः तमिलनाडु सरकार को व्यापार तथा वाणिज्य प्रयोजनो के लिए स्व-रोजगार ऋण की मंजूरी देने के आदेश दिए जाएं।

वित्त मंत्री जी द्वारा आयात और निर्यात के बीच अन्तर को कम करने के जो उपाय किए गए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। किन्तु, अखिल भारतीय लघु उत्पादक और निर्यातक संस्था 1979 के दूसरे संशोधन के प्रस्ताव के कारण जो सरकार के रिपोर्ट के अनुसार भी असफल रही। संकट का अनुभव कर रही है।

इस संशोधन के कारण सारे भारत में एक हजार से अधिक लघु चमड़ा उत्पादकों ने अपने कारखाने बन्द कर दिए हैं और ढ़ाई लाख से अधिक हरिजन कर्मकारों की छंटनी कर दी गई है। गत छः महीनों से वे काम न मिलने के कारण बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं यह बात वाणिज्य मंत्री के नोटिस में लायी गयी है, किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। साथ ही दूसरे संशोधन की अनुमति देने की वर्तमान नीति से देश को अधिक विदेशी मुद्रा की हानि हुई है। चमड़े के तैयार माल का निर्यात 30 प्रतिशत तक घट गया है। यह दूसरा संशोधन बड़े निर्यात संगठनों के कहने पर किया गया है ताकि लघु चमड़ा निर्यात व्यापारियों को मिलने वाला लाभ समाप्त हो जाए। इस स्थिति में मैं वित्त मंत्री और विशेषकर वाणिज्य मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह करना चाहूंगा कि वर्ष 1981 में जो तीसरा संशोधन लागू किया गया था उस पर पुनः विचार किया जाए। तीसरा संशोधन अब पुनः लागू किया जाए ताकि छोटे-छोटे चमड़ा कमाने वालों और निर्यातकों के हित की रक्षा हो सके।

[श्री ए० जयमोहन]

अन्त में तमिलनाडु में मेरा निर्वाचन क्षेत्र तिरुपत्तूर गत 30 वर्ष से लगातार उपेक्षित रहा है। औद्योगिक दृष्टि से यह निर्वाचन क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तिरुपत्तूर, चेंगम और पूलुर ताल्लुक सबसे अधिक पिछड़े क्षेत्र हैं और इन ताल्लुकों में एक भी उद्योग नहीं है। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक सरकारी उद्योग लगाएं।

कुल मिलाकर, बजट प्रस्ताव सामान्य जनता के हितों में वृद्धि करेगा और हमारी जनता को लम्बी अवधि के लाभ प्राप्त होंगे। मैं फिर एक बार वित्त मंत्री जी को बधाई तथा समर्थन देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा ठक्कर (कच्छ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका पूरा समर्थन व्यक्त करती हूं। विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों ने कहा है कि इसमें गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है, बजट केवल धनी लोगों के हित में बनाया है। उनका यह कहना सरासर गलत है क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में गरीबों के लिए कई योजनाओं का प्रावधान किया है तथा उसके लिए बजट का 46 प्रतिशत बड़ी रकम को रखा है। गरीबों के लिए इतनी बड़ी रकम का प्रावधान आज तक कभी नहीं हुआ है, इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देती हूं।

मान्यवर, हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री इन्दिरा जी हमेशा गरीब तबके के लोगों के उत्थान करने के काम को प्राथमिकता देती थीं। उन्होंने इस उद्देश्य को साकार करने के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम बनाया। इन्दिरा जी के इस कार्यक्रम को हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री श्री राजीव जी ने सफल बनाने का दृढ़ निश्चय किया है। स्वर्गीय इन्दिरा जी ने गरीब जनता के लिए आवास की एक योजना बनाई थी। इस योजना से कई आश्रयहीन लोग अपना मकान बना सके। आज भी इस काम में और कुछ करना जरूरी है। इसलिए इस बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने इन्दिरा गांधी आवास योजना का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत अधिक से अधिक गरीब जनता को आवास प्रदान कराने का सरकार का लक्ष्य है। इस योजना से स्वर्गीय इन्दिरा जी को हम सच्ची श्रद्धांजली अर्पित कर सकेंगे तथा गरीबों को अधिक से अधिक उपयोगी हो सकेंगे।

श्रीमन्, गरीबों के लिए बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास का लाभ ग्रामीण जनता को ठीक-ठीक मिल रहा है क्योंकि उन लोगों को ग्राम-पंचायतों की ओर से निःशुल्क जमीन वितरित की जाती है तथा सरकार की ओर से अनुदान भी आसानी से प्राप्त होता रहता है। लेकिन छोटे नगरों में रहने वाले हमारे गरीब भाइयों को अधिक परेशानी है। हालांकि स्लम क्लियरेंस बोर्ड द्वारा उनके लिए कुछ कार्य तो हो रहे हैं लेकिन इतनी कामयाबी हमें नहीं मिली है। इसको और अधिक कार्यक्षम बनाने के लिए सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि म्युनिसिपैलिटीज व विकास प्राधिकरणों की ओर से भी आवश्यकतानुसार अनुदान मिलता रहे।

मान्यवर विपक्ष में बैठे सदस्य महोदय कहते रहते हैं कि हमारे इस बजट में बहुत घाटा रखा गया है जिससे और मंहगाई बढ़ेगी। इन माननीय सदस्यों को पता ही होगा कि विकासशील

देशों में, जैसे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों में भी कभी सरप्लस बजट नहीं बनाया जाता।

श्रीमन्, अब मैं अपने राज्य गुजरात तथा मेरे चुनाव क्षेत्र कच्छ से सम्बन्धित समस्याओं को आपके सामने रखना चाहूंगी।

गुजरात राज्य इस वर्ष भयंकर अकाल की चपेट में फंसा है। इसलिए यहां की जनता को रोजी-रोटी, पशुओं को चारा तथा लोगों के लिए पीने के पानी की विकट समस्या पैदा हो गई है। इसको हल करने के लिए गुजरात सरकार अपना यथासंभव प्रयास कर रही है। गुजरात सरकार की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी गुजरात में भेजी थी। उसका कार्य था कि वह अध्ययन करके यह बताये कि अकाल की इस घड़ी में गुजरात सरकार की क्या मदद की जाए। उसने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि वह गुजरात सरकार को अकाल राहत कार्यक्रमों के लिए शीघ्र सहायता उपलब्ध कराये।

श्रीमन् सूखाग्रस्त गुजरात में पीने के पानी का आज बहुत अभाव है और लोगों के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह नर्मदा परियोजना का पानी, वह वैसे बहुत लम्बी योजना है, लेकिन सौराष्ट्र और कच्छ के अभावग्रस्त क्षेत्रों को पीने का पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाये। गुजरात सरकार के पास धन की कमी होने से कई महत्व-पूर्ण परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी हुई है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि ऐसे कामों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करे।

श्रीमन्, मेरे क्षेत्र कच्छ में पानी की किल्लत हमेशा से रहती आयी है। अकाल हो या न हो, हमेशा पानी का अभाव रहता है। इसकी पूर्ति के लिए छोटे तथा मंझोले बांध बांधे जाते हैं लेकिन उसमें भी एक बाधा है क्योंकि अमुक साइट ऐसी होती है जहां पर एकड़ की जो सीमा है, उससे अधिक खर्च होता हैं और उससे पानी का आवश्यक संग्रह नहीं हो सकता। मान्यवर, स्वर्गीय इन्दिरा जी ने वहां पर लक्कड़ बांट नामक एक बांध का अपने करकमलों से उद्घाटन किया था और परियोजना की आधारशिला रखी थी। लेकिन इस कारण वश आज तक उसका काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे और भी बहुत से बांध हैं जिनका लाभ आज तक लोगों को नहीं मिल सका है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि प्रति एकड़ से सम्बन्धित भूमि की सीमा को हटा दिया जाए और बांध का काम तुरन्त शुरू करने के लिए आवश्यक धन का प्रावधान करें और साथ ही साथ राज्य सरकार को ऐसे आदेश जारी करें कि वे इस काम को शीघ्र निपटायें।

श्रीमन् गंगा नदी हमारी अत्यन्त पवित्र नदी है। उसको शुद्ध करने के लिए सरकार ने जो योजना बनाई है वह अत्यन्त सराहनीय है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह अन्य नदियों की ओर भी अपना ध्यान दे क्योंकि गंगा नदी जहां से कोसों दूर है, वहां की जनता को अपने गांव के पास से बहने वाली छोटी नदी का भी काफी पवित्र महत्व होता है। इसलिए ऐसी जनता की सहायता के लिए उनके प्रश्नों की ओर भी ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए छोटी-छोटी नदियों में अपने बहाव के साथ मिट्टी भी आती रहती है जिससे नदी ऐसी मिट्टी से भर जाती है और पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसी योजना बनाए जिससे नदी में पड़ी इस मिट्टी को हटाया जा सके।

[श्रीमती ऊषा ठक्कर]

श्रीमन्, कभी-कभी समुद्र से मिलने वाली नदियों के मुहाने से समुद्र का खारा पानी नदी में आ जाता है जिससे भीतरी भूमि को नुकसान होता है। उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपनी योजना द्वारा इन नदियों के मुहाने पर बांध बांधें और इस प्रकार से खारे पानी को अन्दर आने से रोकें।

मान्यवर, मेरे चुनाव-क्षेत्र कच्छ में समुद्र की लहरों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने सम्बन्धी योजना को लागू करने के लिए कार्य शुरू हो चुका है और इस काम के लिए इस बजट में भी कुछ धनराशि का प्रावधान किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करती हूं कि समग्र देश में विद्युत की कमी को देखते हुए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देकर काम आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त धन का प्रावधान करें।

श्रीमन्, माननीय प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक जिले में एक उद्योग स्थापित किया जाएगा। उनके इस आश्वासन से हमें भी अपने क्षेत्र के विकास के लिए आशा बंधी है मैं वित्त मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह हमारे क्षेत्र में कच्चे खनिज की व्यापकता को देखते हुए सोड़ा ऐश एवं एल्यूमीनियम के उत्पादन के लिए कोई योजना को लागू करें। छोटे-छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के मेरुदण्ड हैं। इसलिए हमारे क्षेत्र में नमक के छोटे कारखाने व सोडा ऐश के कारखाने बनने ट्रांसपोर्ट और कई अन्य समस्याओं से छोटे कारखानों को राहत मिलेगी।

श्रीमन्, मेरा चुनाव क्षेत्र कच्छ पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ है। अतः इस क्षेत्र का हर तरह से विकास होना देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। जनता में जागरूकता तथा उनकी समृद्धि से देश की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए बच्चों की शिक्षा, प्रोढ़ों की पढ़ाई तथा महिला कल्याण की गतिविधियां अत्यन्त आवश्यक हैं। वहां पर केन्द्रीय सरकार की ओर से महिलाओं और बच्चों के लिए समाज कल्याण मण्डल चलाए जाते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम अनुदान दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कच्छ की नौ तहसीलों में से केवल छः तहसीलों को ही इस योजना का थोड़ा लाभ मिल सका है। यह लाभ पूरे क्षेत्र तक पहुंचना अत्यन्त आवश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्गीया प्रधान मंत्री इन्दिरा जी महिलाओं के विकास में अत्यन्त रुचि लेती थीं। मैं यह जानती हूं कि महिलाओं के कल्याण के लिए हमारे युवा प्रधान मंत्री तथा हमारी सरकार भी जागृत है। इसलिए वे इस काम को बढ़ावा देने तथा ऐसी योजनाओं के लिए अधिक अनुदान देकर ग्राम्य महिलाओं और बच्चों की उन्नति के लिए हो रहे कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे। समाज कल्याण बोर्ड द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका ग्राम्य महिलाओं और बच्चों पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।

मान्यवर, मैं सरकारी कर्मचारियों के हित में भी एक सुझाव माननीय वित्त मंत्री जी को देना चाहूंगी। आयकर से बचने के लिए कर्मचारियों के लिए बचत का एक प्रावधान है। लेकिन अपने जी० पी० एफ० खाते में कर्मचारी उतने ही पैसे कटवा सकता है, जितनी उसकी मूल तनखा हो। बाकी बचत के लिए उसे एन० एस० सी० या सी० टी० डी० या अन्य तरीकों से बचत करनी पड़ती है। अगर सरकार जी० पी० एफ० खाते में जमा कराने की सीमा को हटा देगी, तो कर्मचारियों को अपनी बचत करने में आसानी रहेगी।

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने किसान, मजदूर तथा गरीब और आम जनता के हित के लिए जो बजट पेश किया है, उसका मैं पुनः समर्थन करती हूं और चूंकि समय कम है, इसलिए मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट पेश किया गया है, बहुत ही बारीकी ढंग से पेश किया गया है। इस बजट को मैं सप्लीमेंट्री बजट कहता हूं क्योंकि बजट का सब काम तो पहले ही पूरा कर दिया गया है और उसके बाद यह बजट आया है। फिर भी मैं कुछ ऐसी चीज आप के सामने रखना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आज हमारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था जिस संकट में जकड़ गई है, वह इस अवधि में भी जारी रही है और सरकार द्वारा यह जो पूंजीवादी पद्धति का अनुसरण किया गया है, उसके कारण बेरोजगारी, बेरोजगार आदमियों की बढ़ोतरी और समाज की कंगाली हमारे देश के लिए अधिक अभिशाप बन गई है।

अब मैं कुछ आर्थिक दृश्य-पटल पर बोलना चाहता हूं। हमारी राष्ट्रीय आय 1981 से 1983 में साढ़े 13 प्रतिशत बढ़ी है, 1983-84 में साढ़े 5 परसेंट और 1984-85 में 7 प्रतिशत बढ़ी है। किन्तु इस वृद्धि के साथ हमारे इस्पात इन्जीनियरिंग और ऊर्जा जैसे कई उद्योगों में, कपड़ा और पटसन उद्योगों की तो बात ही क्या है, इनमें संकट आया है, जिसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर तालाबन्दी हुई है। औद्योगिक क्षेत्र में इस संकट की व्यापकता इस तथ्य से मापी जा सकती है कि बड़ी और छोटी 80,000 औद्योगिक इकाइयां आज रुग्ण अवस्था में है। मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बड़े सुन्दर ढंग से बतलाया कि छोटे उद्योग बड़े उद्योगों के मेरुदण्ड हैं, लेकिन इस सवाल का हमको जवाब मिलना चाहिए।

सरकार द्वारा घोषित नई कपड़ा नीति के फलस्वरूप मालिकों द्वारा 'अक्षम' इकाइयों को बन्द करने और उनके आधुनिकीकरण की जो बात कहीं गई है उसका अर्थ छंटनी बढ़ना है। आधुनिकीकरण के नाम पर इन्होंने कपास की जगह कृत्रिम रेशों पर ज्यादा दबाव दिया है जिससे सिर्फ मिल मालिकों की पूर्ति नहीं होती है, बल्कि इससे लाखों हथकरघा बुनकर भी अपनी आजीविका से वंचित हो जायेंगे। इसको भी आपको सोचना पड़ेगा।

कृषि उत्पादन 1982-83 में 4 प्रतिशत गिर गया, 1983-84 में 17 प्रतिशत वृद्धि हुई और 1984-85 में एक प्रतिशत बढ़ा है। गेहूं और चावल में आपने बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ाया है लेकिन जो मोटे अनाज हैं उनमें बहुत ही गिरावट आई है। तिलहन वगैरह में गतिरोध है।

औद्योगिक और कृषि मोर्चा दोनों पर अस्थिर स्थिति के कारण ही 1984-85 के आर्थिक सर्वेक्षण में यह दावा करते हुए भी कि अर्थव्यवस्था युक्तिसंगत रूप से मजबूत स्थिति में है, कुछ क्षेत्रों में तनाव के ऐसे चिन्ह हैं जो आगामी वर्षों में समस्या खड़ी कर सकते हैं। इसके प्रति आपको चेतावनी भी दी है।

तनाव का प्रमुख क्षेत्र कीमत मोर्चा है। 1982-83 में थोक कीमतों का सूचकांक 7.3 प्रतिशत बढ़ा। 1983-84 में 8.3 प्रतिशत बढ़ा और 1984-85 में 5 प्रतिशत इसमें वृद्धि हो चुकी है। मार्च के बाद इस सूचकांक में अभी ही 5.7 प्रतिशत की एक और वृद्धि हो चुकी है। चार वर्षों के दौरान मजदूरों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता कीमत सूचकांक 446 से बढ़कर 650 हो गया है। इसमें 36 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि इससे रुपये की कीमत घटकर 13.2 पैसे रह गई है।

[श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह]

दाम बांढ़ ऐसी स्थिति आया है में जबकि दो वर्ष हमने भरी पूरी फसल काटी है और इस वर्ष का उत्पादन 1510 लाख टन तक पहुंच गया है। खाद्यान्नों की रिकार्ड उगाही भी हुई है। सार्वजनिक अनाज भंडार 300 लाख टन खाद्यान्नों से लबालब भरा पड़ा है तो भी सार्वजनिक प्रणाली में कोई भी विस्तार नहीं हुआ है। खाद की स्थिति 14 लाख टन से गिरकर 11 लाख टन पर आ गई है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि गरीबों की जो खरीदने की क्षमता है, उसकी क्या हालत होगी।

इस अवधि के दौरान बेरोजगारी भी दुगनी बढ़ी है। 1981 में जो सर्वे हुआ था उसमें 170 लाख बेरोजगारों का रोजगार दफ्तर के पंजीकरण से पता चलता है कि अब बढ़कर ढ़ाई सौ लाख हो गया है।

लोग अभी कीमतों के बढ़ने से कराह ही रहे थे कि अब उनके ऊपर करों का बोझ डाल दिया है। पिछले 4 वर्षों के बजट में 4800 करोड़ के उपर कर लगाये गये हैं रेलवे बजट में साढ़े 1900 करोड़ रुपये के कर लगाये हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना समाजवादी बजट है।

आपका घाटा भी बढ़ता चला जा रहा है। 1984-85 के बजट में 3985 करोड़ का घाटा था और 1985-86 में 3349 करोड़ का घाटा दिखाया है। गरीबी हटाओ के तहत आपने लम्बी-चौड़ी बातें कही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी हटाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया है जिससे वह और भी अधिक गरीब हो गये हैं। अगर आप मुझे थोड़ा और समय देते तो मैं इस संबंध में और विस्तार से बताता।

बैंकों की आज जो हालत है, वह भी देखने वाली है। मेरे पास इस सम्बन्ध में दो पत्र आये हैं। एक फैजाबाद प्रखंड से जो पत्रा आया है, मैं चाहूंगा कि आप इसकी जांच करायें।**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो कुछ वह कहेंगे उसमें से कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

[हिन्दी]

श्री मदन पांडे (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट पर उदासी अगर किसी के अन्दर छायी है तो केवल विरोध पक्ष के लोगों पर ही छायी है। वह कोई ऐसी बात ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर वह आलोचना कर सकें। विरोध पक्ष का जो भी सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है वह कहता है कि चालाकी के साथ बजट पेश किया गया है। मैं जिस हद तक इस बजट से गुजरा हूं मुझे ऐसा लगा है कि हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने यह प्रयास किया है। कि समाज का जो वर्ग कुछ देने लायक है उससे कराधान के द्वारा कुछ प्राप्त किया जाये और जिस वर्ग को कुछ दिया जाना चाहिये उसे आवश्यकतानुसार देने का प्रयास किया है। कराधान का यही सबसे उत्तम सिद्धांत है।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बजट को जिस अच्छे ढंग से देश किया गया है, इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। चाहे जितनी भी छानबीन की जाये, हमारा इतना बड़ा देश है कि इसको देखते हुए यदि हम इसके हर हिस्से में एक साथ सारी व्यवस्थायें करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं चाहें बजट सारी स्थिति को देखते हुए कितना ही बड़ा क्यों न बना डालें। फिर भी जिन बातों की तरफ ध्यान देना चाहिये उनकी तरफ ध्यान दिया गया है। हमारे देश को समाजवाद की तरफ ले जाने के लिये, गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये और वह गरीब तबका जो कि दबा हुआ है, उनको ऊपर उठाने का केवल एक ही रास्ता है। हमने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी है। बजट का 53 प्रतिशत रोजगार के लिये निर्धारित किया है और सार्वजनिक क्षेत्र में 47 प्रतिशत और दूसरी तरफ ध्यान देने का प्रयास किया है। मैं विपक्षी सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जो हमारी मौजूदा स्थिति है, इससे अधिक वह क्या उम्मीद कर सकते थे। लेकिन एक बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसमें बड़ी से बड़ी रकमें लगायी जा रही हैं। लेकिन एक तरफ हमारे विरोध पक्ष के लोग आए दिन बन्द का आयोजन करते रहते हैं। पता नहीं बन्द कौन से मर्ज की दवा है और इस बन्द से कोन सी चीज वे इस राष्ट्र को देना चाहते हैं? एक तरफ तो बन्द ने तबाह किया हुआ है और दूसरी तरफ जो हमारी नौकरशाही है जिसके लिए हमने एक माप-दण्ड निर्धारित कर रखा है, हम चाहते हैं कि उस माप-दण्ड पर पुनर्विचार किया जाए। उनको कोई भी तजुर्बा उद्योग चलाने का नहीं रहता है, केवल आई० ए० एस० या आई० पी० एस० की योग्यता ही माप दण्ड रह गई है और उनको सार्वजनिक उद्योग सौंप दिए जाते हैं। आज जब हम सार्वजनिक क्षेत्र में इतना पूंजी निवेश कर रहे हैं तो उसको चलाने के लिए भी कोई टेक्निकल कैडर बनाया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र में जो कुशलता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र में भी लाने का प्रयास होना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश में बड़ी मेहनत से पिछड़े जिलों को छांटा गया है। कितना भी अच्छा प्रयास क्यों न किया हो, बहुत सी कमेटीज ने बहुत सी ऐसी जगहों के नाम लिए जिनको उसमें शरीक किया जाना चाहिए था और उनको यदि वही सुविधायें मिलती तो निजी क्षेत्र के उद्योग भी वहां पर आकर्षित होकर आते। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों जैसे गोरखपुर के साथ बरता गया है—जाने अनजाने जैसे भी हुआ हो वह भेद भाव किया गया है। इसलिए पिछड़े क्षेत्रों का जो निर्धारण है उसे फिर से कराया जाए और उनके विकास के लिए भी, जिस प्रकार का आयोग पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है या बुन्देलखण्ड के लिए बनाया जा रहा है उसी तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिए भी किया जाए। यदि उत्तर प्रदेश के उस पिछड़े हिस्से में औद्योगीकरण करना है तो उसके लिए सबसे पहले इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा।

इस वर्ष का रेल बजट भी मुझे निराशाजनक ही लगा है उत्तर प्रदेश और बिहार के जो पिछड़े हुए हिस्से हैं, बड़ी गण्डक उनके बीच में पड़ती है। कोसी के बाद वही ऐसी भयंकर नदी है। उसके ऊपर एक पुल था। 1922 में वह पुल टूटा था और पानी का वेग इतना जबर्दस्त था उसके जो गर्डर बहे थे उनका पता 8-10 किलोमीटर के बाद ही लग पाया था। उसके बाद से ही वह नदी एक प्रकार से दुश्मन बनी हुई है। दोनों ही इलाके—पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार—उससे प्रभावित रहते हैं मेरा अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी अपने निजी प्रभाव का उपयोग करके रेल मंत्रालय से इस योजना की स्वीकृति दिलायें। भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में उनका शिलान्यास किया था। उसकी ओर आप ध्यान देने की कृपा करें।

[श्री मदन पांडे]

कुछ थोड़ी सी बातें और भी हैं जिनकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इन पूर्वी जिलों में यदि कोई बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए गए, खास तौर से गोरखपुर में जहां पर पहले कोच फैक्ट्री लगाने की बात थी जोकि पंजाब में चली गई है, उस पर हमें कोई एतराज भी नहीं है परन्तु अन्य उद्योग हैं ऐसा एक बड़ा उद्योग प्रत्येक पूर्वी जिले में स्थापित किया जाए तभी वहां पर विकास सम्भव हो सकेगा।

चूंकि घण्टी बज रही है इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि जिन बातों की ओर मैंने संकेत किया है उनकी ओर ध्यान देकर सुधार लाने की कृपा करें। इतना ही अनुरोध करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का मूल्यांकन, योजनागत विकास एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति समर्पण की भावना, नीतियों की निरन्तरता व सापेक्षता, आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों के परिप्रेक्ष्य में आंकना चाहूंगा।

मुझे खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने सब प्रकार के आर्थिक दबावों के बावजूद योजना परिव्यय के क्षेत्र में 22 हजार करोड़ रुपया दिया है।

6.00 म०प०

राज्यों की योजना हेतु इस वर्ष की अपेक्षा 29 प्रतिशत अधिक धन की व्यवस्था की गई है। योजना परिव्यय का लगभग 48 प्रतिशत आधारभूत क्षेत्र वर्ष पर खर्च करने की बात कही गई है। पब्लिक सैक्टर पर पिछले वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक धन दिया गया है। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति इसका स्वागत करना चाहेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रावत, आप कल फिर बोल सकते हैं। सभा अब कल 11 बजे म. पू. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

6.01 म. प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 12 मार्च, 1986/12 फाल्गुन 1907 (शक) के ग्यारह बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली-92